खण्ड-328, अंक-9
शुक्रवार, 22 आश्विन, शक संवत् 1899
(14 अक्टूबर, 1977 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 328 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहबाद , उत्तर प्रदेश (भारत)
1978

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	१०४६–१०५२
प्रश्नोत्तर	१०५३–१०८०
बाढ़, सूखे व कटाव के सम्बन्ध में होने वाली चर्चा के स्थगन पर व्यवस्था का प्रश्न	..१०८०–१०८४
अनुपूरक प्रश्न पूछने तथा सदस्यों द्वारा विवाद में भाग लेने के सम्बन्ध में व्यवस्था	..१०८४–१०८६
गन्ना अनुसंधान केन्द्र सेबरही, देवरिया के स्थानान्तरण तथा अनुदान बन्द किये जाने के विषय को सदन के संज्ञान में लाना	.. १०८६
सफीपुर, उन्नाव के थाने के सिपाही श्री विश्वेसर सिंह द्वारा जनता को सताने के विषय को सदन के संज्ञान मे लाना	..१०८६–१०८७
पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अवहेलना के विरोध में अनेकों जिलों के वकीलों तथा कार्यकर्त्ताओं द्वार न्यायालयों के बहिष्कार के विषय को सदन के संज्ञान में लाना	. १०८७–१०८८
तिलक हाल, कानपुर में जनता पार्टी के जुलूस में असामजिक तत्वों के कारण गड़बड़ी के विषय को सदन के संज्ञान में लाना	.. १०८८
परिवहन निगम, गोण्डा डिपो की बस से जिगिना ग्राम के हरिजन दम्पत्ति की मृत्यु के विषय को सदन के संज्ञान में लाना	.. १०८९
थाना अनवरगंज, कानपुर की पुलिस द्वारा खटिकाने के हरिजनों को पीटे जाने के विषय को सदन के संज्ञान में लाना	..१०८९–१०९०
श्री श्यामधर मिश्र द्वारा सदन में कहे गये शब्द 'जनता चोर' के सम्बन्ध में उठाये गये विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय	..१०९०–१०९९
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कांग्रेस जनों को धारा १४४ के तोड़ने तथा नारे लगाने के आरोप में बन्दी बनाए जाने तथा राजनैतिक बन्दियों के साथ दुर्व्यवहार किये जाने के सम्बन्ध में वक्तव्य	..१०९९–११०२
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना	.. ११०२
१९७७–७८ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान अनुदान संख्या ४५—कृषि, अनुदान संख्या ४६—औद्योनिक विकास, अनुदान संख्या ४९—भूमि तथा जल संरक्षण, अनुदान संख्या ५०—क्षेत्र विकास, अनुदान संख्या ७९—कृषि योजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय तथा अनुदान संख्या ९५—ऋण और अग्रिम कृषि (जारी)	..११०२–११४७
सदन के समय में वृद्धि का प्रस्ताव (स्वीकृत)	..११४७–११४८

विषय	पृष्ठ संख्या
१९७७–७८ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान— अनुदान संख्या ४५—कृषि, अनुदान संख्या ४६—औद्यानिक विकास, अनुदान संख्या ४९—भूमि तथा जल संरक्षण, अनुदान संख्या ५०—क्षेत्र विकास, अनुदान संख्या ७९—कृषि योजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय तथा अनुदान संख्या ९५— ण और अग्रिम—कृषि (जारी)	११४८–११५५
सदन का समय पुनः बढ़ाने के लिये प्रस्ताव..(स्वीकृत)	११५५
१९७७–७८ के आय–व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान— अनुदान संख्या ४५—कृषि, अनुदान संख्या ४६—औद्यानिक विकास, अनुदान संख्या ४९—भूमि तथा जल संरक्षण, अनुदान संख्या ५० क्षेत्र विकास, अनुदान संख्या ७९—कृषि योजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय तथा अनुदान संख्या ९५— ण और अग्रिम कृषि (स्वीकृत)	११५५–११६२
नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनाएं	११६२
मदन मोहन डिग्री कालेज, भाटपार रानी, देवरिया के छात्रों द्वारा संघ के संगठन हेतु अमरण अनशन तथा छात्रों एवं प्रबन्धकों के बीच गोली चलने से कुछ व्यक्तियों के घायल होने के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य	११६२–११६६
प्रदेश के पशु चिकित्सकों द्वारा सामूहिक अवकाश, हड़ताल तथा तालाबन्दी के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य	११६६–११६८
नत्थी	११६९

अवर प्रदेश

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, १४ अक्तूबर, १९७७

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री बनारसी दास की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य--२३३

अकबर हुसैन, श्री
अजब सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
अजब सिंह, श्री (जिला सहारनपुर)
अठई राम, श्री
अनवार अहमद, श्री
अनवार अहमद चौधरी, श्री
अब्दुल वहीद, श्री
अब्दुल हफीज, श्री
अब्दुल हलीम खां, श्री
अली असगर हुसैन, श्री
अवधेश कुमार श्रीवास्तव, श्री
अवधेश नरायन, श्री
अवधेश प्रसाद, श्री
अवनीश कुमार सिंह, श्री
अशफाक, श्री
अशफाक अहमद, श्री
अशरफी लाल यादव, श्री
अशोक बाजपेयी, श्री
अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश', डाक्टर
इन्द्रमणी बड़ौनी, श्री
इसमाईल, श्री
ईशदत्त यादव, श्री
उदय नरायण सिंह, श्री
उदय नाथ, श्री
उदय प्रताप सिंह, श्री
उमाकान्त बाजपेयी, श्री (उर्फ भइया जी)
ऊदल, श्री
एदल सिंह, श्री
ए० सी० माइल, श्री
ओंकार नाथ, श्री
ओंकार सिंह, श्री
ओम प्रकाश, श्री (उर्फ राम मिलन सिंह)
कन्हई सिंह, श्री
कन्हैया लाल, श्री
कबूल सिंह, श्री
कमला प्रसाद सिंह, श्री
करन सिंह, श्री
कल्पनाथ सिंह, श्री
काजी मुहम्मद मुहिउद्दीन, श्री
कालीचरण, श्री
किशन लाल, श्री
किशन लाल दिलेर, श्री
कुदसिया बगम, श्रीमती (बेगम ऐजाज रसूल)
कृपा शंकर आर्य, श्री
कृष्ण कान्त मिश्रा श्री
कृष्ण कुमार पालीवाल, श्री
कृष्णवीर सिंह कौशल, डाक्टर
कृष्ण स्वरूप, श्री
कृष्णा राय, श्री
केशरी नाथ त्रिपाठी, श्री
कैलाश नाथ सिंह, श्री
कौशल किशोर, श्री
खान मोहम्मद आतिफ खां, श्री
गंगा प्रसाद, श्री (जिला गोंडा)
गंगा सहाय यादव, श्री
गंजी प्रसाद, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गनेशी लाल चौधरी, श्री (वकील)
गया प्रसाद मेहरोत्रा, श्री (मुन्ने बाबू)
गिरधारी लाल, श्री
गुन्जेश्वर, श्री
गौरशि चन्द्र तिवारी, श्री
गुरुदत्त सोलंकी, श्री
गुरु प्रसाद, श्री
गुलाब सेहरा, श्री
गोकरन प्रसाद, श्री
गोविन्द सिंह मेहरा, श्री
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री
गौरी शंकर भैया, श्री
चन्द्र पाल, श्री
चन्द्र पाल सिंह, श्री
चन्द्र भान मौर्य, श्री

चन्द्र भूषण सिंह, श्री
चन्द्र शेखर सिंह, श्री
छज्जू सिंह, श्री
छदा सिंह चौहान, श्री
छोटे लाल निर्भय, श्री
जंग बहादुर सिंह पटेल, श्री
जगदम्बा प्रसाद सिंह, श्री
जगदीश, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश प्रसाद त्रिवेदी, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री
जमुना प्रसाद, श्री
जयराम, श्री
जवाहर लाल, डाक्टर
जसवीर सिंह, श्री
जागन सिंह, श्री
जागेश्वर, श्री
जौहरी लाल त्रिवेदी, श्री
ज्ञानेन्द्र स्वरूप, श्री
झामलाल अहेरवार, श्री
डी० पी० बोरा, श्री
तेज भान सिंह श्री
तेजभान सिंह, कुंवर
त्रिलोक चन्द्र, श्री
त्रिवेनी सिंह, श्री
दयाराम भास्कर, श्री
दशरथ सिंह, श्री
दिनेश चन्द्र रस्तोगी, श्री
दिवाकर विक्रम सिंह, श्री
दीना नाथ सेवक, श्री
दुक्खी प्रसाद, श्री
दुर्गविजय सिंह, श्री
देवकुमार, श्री
देवबहादुर सिंह, श्री
देव राम, जी
धरम राम, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला बिजनौर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धीरेन्द्र सहाय, श्री
नंगा राम, श्री
नन्दराम, श्री
नन्हेंलाल कुरील, श्री
नरेन्द्र सिंह, श्री
नरेशपाल सिंह यादव, श्री
नाथू राम शिक्षक, श्री
नारायण सिंह, श्री
नारायण सिंह भँसोरा, श्री
नेतराम सिंह, श्री
नेम सिंह चौहान, श्री
पद्माकर लाल श्रीवास्तव, श्री
पुरुषोत्तम दास, श्री
पुष्पा तलवार, श्रीमती
पूरन चन्द्र, श्री
प्यारे लाल, श्री
प्यारे लाल, शाक्य श्री
प्रताप सिंह पुष्पवान, श्री
प्रदीप कुमार यादव, श्री
प्रभु दयाल यादव, श्री (एडवोकेट)
प्रेम नारायण अहेरवार, श्री
फजलुलबारी, श्री (उर्फ बन्ने भाई)
बदन सिंह, श्री
बनारसी दास चांदना, श्री
बरफिया लाल जुवांठा 'अरविन्द' श्री
बलदेव, श्री
बलवीर सिंह, श्री (जिला मैनपुरी)
बशीर अहमद, श्री
बसन्त, श्री
बांके लाल, श्री
बाबू बदरे, श्री
बाबू राम प्रभाती, डाक्टर
बाबू राम वर्मा, श्री
बाबू राम शुक्ल श्री
बाबू लाल वर्मा, श्री
बाबू लाल विद्यार्थी, श्री
बाबू सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
बाबू सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
बाल कृष्ण, श्री
बिशुन दयाल, श्री
बिहारी लाल हंस, श्री
बुद्धू राम, श्री
बृजलाल, श्री
बेचू राम, श्री
बेनी प्रसाद माधव, श्री
बेनी प्रसाद वर्मा, श्री
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री
ब्रज बल्लभ, श्री
भगवत दयाल, डाक्टर
भगवती चरण 'निर्मोही', श्री
भगवती प्रसाद सिंह, श्री
भगवानदीन कुशवाहा, श्री

भाभी, श्री
भारत सिंह, श्री
भारत सिंह चौहान, श्री
भीषम, श्री
मंगल राम प्रेमी, श्री
मकबूल अहमद, श्री
मकबूल हुसैन खां, श्री
मथुरा प्रसाद पाण्डेय, श्री
मधुकर दिघे, श्री
मन्जूर अली खां, श्री (उर्फ शम्भू खां)
मन्ना लाल, श्री
मन्नू राम, श्री
मन्नू लाल द्विवेदी, श्री
मन्सूर अली, श्री
मलिखान सिंह, श्री
मसूदुल हसन नोमानी, श्री
महेन्द्र रिपुदमन सिंह, राजा
महेन्द्र सिंह यादव, श्री
मान सिंह आजाद, श्री
माधव, श्री
मिठाई लाल, श्री
मित्रसेन, श्री
मुकीमुर्रहमान, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्र पाल सिंह, श्री
मुफ्ती जलील अहमद, श्री
मुलायम सिंह यादव, श्री
मुश्ताक अहमद, श्री
मुहम्मद खलील उल्लाह कुरैशी, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मूल चन्द ठाकुर, श्री
मैनेजर सिंह, श्री
मोअज्जिज अली बेग, डाक्टर
मोती राम, श्री
मोती लाल देहलवी, श्री
मोहन लाल, श्री
मोहन लाल त्रिपाठी, श्री
मोहन सिंह, श्री (जिला देवरिया)
मोहन सिंह, श्री, (जिला रायबरेली)
मोहम्मद उसमान, श्री
मोहम्मद शमीम अन्सारी, श्री
मोजी लाल कुरील, श्री
यशपाल सिंह, श्री
रघुवर दयाल वर्मा, श्री
रणजीत सिंह, श्री
रणजीत सिंह 'जूदेव', श्री
रणवीर सिंह, श्री
रफी उल्लाह, श्री
रफीक अहमद खां, श्री
रमा शंकर कौशिक, श्री
रमेश चन्द्र, श्री
रवीन्द्र सिंह, श्री
रवीन्द्र नाथ तिवारी, श्री
राघव राम मिश्र, श्री
राज किशोर तिवारी, श्री
राज कुमार शर्मा, श्री
राज नरायन, श्री
राज नाथ सिंह, श्री
राजबली तिवारी, श्री
राज बृज राज सिंह, श्री
राज मंगल तिवारी, श्री
राज मंगल पाण्डेय, श्री
राजेन्द्र कुमार, गुप्त श्री
राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, श्री
राजेन्द्र सिंह, श्री
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री
राजेश कुमार सिंह, श्री
राधे श्याम शर्मा, श्री
राम अधार, श्री
राम अधार यादव, बाबा
राम आसरे, श्री
राम आसरे अग्निहोत्री, श्री
राम आसरे वर्मा, श्री
राम कृष्ण, श्री
राम गोविन, श्री
राम चरन शाह, श्री
राम जनम, श्री
राम जनम राय, श्री
राम जी, श्री
राम दत्त जोशी, श्री
राम दुलारे, श्री
राय देव दुबे, श्री
राम देव यादव, श्री
राम नरायन वर्मा, श्री
राम नरेश पाण्डेय, श्री
रामपति, श्री
राम प्यारे, श्री
राम प्रकाश, श्री
राम प्रताप शास्त्री, श्री
राम फेर कोरी, श्री
राम बक्स, श्री
राम बरन वर्मा, श्री

राम रतन सिंह, श्री
राम लखन, श्री
राम शिरोमणि दुबे, श्री
राम सगीवन, श्री
राम सागर, श्री
राम सिंह, श्री (जिला एटा)
राम सिंह, श्री (जिला सहारनपुर)
राव मुश्ताक अहमद खां, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रेवती रमण रस्तोगी, श्री
रेवती रमण सिंह, श्री (उर्फ मणि जी)
रेवती शरण मौर्य, श्री
लक्ष्मण सिंह, श्री
लाल दास, श्री
लीलवत सिंह, श्री
वंश गोपाल चौबे, श्री
विक्रमा राय, श्री
विजय राज सिंह, श्री
विद्या शंकर, श्री
विमला राकेश, श्रीमती
विश्वनाथ पाण्डेय, श्री
विष्णु प्रताप सिंह, श्री
वीरेन्द्र पति यादव, श्री
शंकर सिंह, श्री
शकुन्तला नय्यर, श्रीमती
शतरुद्ध प्रकाश, श्री
शफीकुर्रहमान बर्क, श्री
शम्भू नाथ, श्री
शम्भूनाथ चौधरी, श्री
शशि प्रभा, श्रीमती
शारदा देवी, श्रीमती
शारदा प्रसाद जायसवाल, श्री
शिव प्रसाद, श्री
शिव मंगल सिंह, श्री
शिव राज सिंह 'निर्भय', श्री
शिव लाल मित्तल, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
श्याम दत्त पालीवाल, श्री
श्याम धर मिश्र, श्री
श्याम नारायण तिवारी, श्री
श्याम बिहारी सिंह, श्री
श्याम सुन्दर गुप्त, श्री
श्रीनारायण, श्री (उर्फ भुलई भाई)
श्रीराम द्विवेदी, श्री
संगम लाल, श्री
संग्राम सिंह, श्री
सखावत हुसैन, श्री
सत्यदेव त्रिपाठी, श्री
सत्य प्रकाश मालवीय, श्री
सन्त बख्श रावत, श्री
सुखदराज सिंह, श्री
सुखपाल पाण्डेय, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दर लाल, श्री
सुन्दर लाल दीक्षित, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सूरज प्रसाद, श्री
सूरवीर सिंह, श्री
सूर्यमुखी शर्मा, श्रीमती
सोनपाल, श्री (उर्फ सोहन लाल पिपल)
सोहन वीर सिंह तोमर, श्री
हबीब अहमद, श्री
हर गोविन्द सिंह, श्री
हर देव सिंह, श्री
हर प्रताप सिंह, श्री
हरिकेवल प्रसाद, श्री
हरि चरण, श्री (एडवोकेट)
हरिपाल सिंह शास्त्री, श्री
हरी राम वर्मा, श्री
हरी राम शाक्य, श्री
हरी सिंह, श्री
हामिद रजा खां, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हुकम चन्द तिवारी, श्री
हुक्म सिंह परिहार, श्री
हेम राज, श्री

नोट--मुख्य मंत्री, श्री राम नरेश यादव भी सदन में उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

शुक्रवार, १४ अक्तूबर, १९७७

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

लखनऊ के जी० पी० ओ० पार्क में पी० ए० सी० के सेवा मुक्त कर्मचारियों की भूख हड़ताल एवं उनकी मांगें

**१--श्री हरिकेवल प्रसाद (जिला देवरिया), श्री वीरेन्द्र चतुर्वेदी, (जिला देवरिया) (अनुपस्थित), श्री राम नरेश पाण्डेय (जिला देवरिया), श्री कृष्णा राय (जिला देवरिया) तथा श्री रघुवर दयाल वर्मा (जिला आगरा)--

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जी० पी० ओ० पार्क, लखनऊ में पूज्य महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास २ अक्तूबर, १९७७ से पुलिस, पी० ए० सी० के सेवा से निकाले गए जवान भूख हड़ताल पर बैठे हैं ? क्या यह सही है कि इनके समर्थन में लगभग २५० विधायकों ने मुख्य मन्त्री को एक ज्ञापन गत अगस्त १९७७ में दिलवाया था ? क्या यह भी सत्य है कि भूख हड़ताल पर बैठे जवानों के समर्थन में सीतापुर, बरेली, गाजीपुर, वाराणसी आदि जनपदों में पुलिस, पी० ए० सी० के सेवारत जवान भी भूख हड़ताल कर रहे है ? यदि हां, तो उनकी मांगें क्यों हैं और सरकार उसे कब पूरा करेगी ? यदि नहीं, तो उसके आधार क्या हैं ?

राजनैतिक पेंशन उप मन्त्री (श्री सत्य देव त्रिपाठी)--

वांछित सूचना दिया जाना जनहित में नहीं है ।

श्रीहरि केवल प्रसाद--

मान्यवर, प्रश्न यह था कि क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेगें कि जी० पी० ओ० पार्क, लखनऊ में पूज्य महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास २ अक्तूबर, १९७७ से पुलिस पी० ए० सी० की सेवा से निकाले गये जवान भूख पड़ताल पर बैठे हैं ? उत्तर है यह गोपनीय है । फिर, क्या यह सही है कि इनके समर्थन में लगभग २५० विधायकों ने मुख्य मन्त्री को एक ज्ञापन गत अगस्त, १९७७ में दिलवाया था ? यह भी गोपनीय है । फिर, क्या यह भी सत्य है कि भूख हड़ताल पर बैठे जवानों के समर्थन में सीतापुर, बरेली, गाजीपुर, वाराणसी आदि जनपदों में पुलिस, पी० ए० सी० के सेवारत जवान भी भूख हड़ताल कर रहे हैं ? यह भी गोपनीय है ।

श्री अध्यक्ष--

अब तीन प्रश्न हो गये । उन्हें तो उत्तर देना नामुमकिन हो जायगा ।

श्री हरिकेवल प्रसाद--

सदन के २५० विधायकों ने जो आवेदन-पत्र दिया था, उसमें मांगें क्या थीं और २ अक्तूबर से जो पी० ए० सी० के जवान जी० पी० ओ० पार्क में भूख हड़ताल कर रहे हैं, उनकी मांगें क्या हैं ?

श्री सत्यदेव त्रिपाठी—

मान्यवर, आपके मार्फत मुख्य मन्त्री जी को लगभग २०० से अधिक विधायकों का एक ज्ञापन मिला था । सरकार ने यह ऐलान किया है कि निकाले गये पी० ए० सी० जवानों के रिहैबिलिटेशन के बारे में सरकार विचार कर रही है । चूंकि इस पूरे प्रश्न में राज्य की सुरक्षा और रेगुलर फोर्स इन्वाल्वड है, इसलिए अन्य सवालों का जनहित में ध्यान रखते हुये जवाब देना उचित नहीं होगा ।

श्री रवीन्द्र सिंह (जिला गोरखपुर)—

प्रश्न यह है कि जिन विधायकों ने ज्ञापन दिया और जो लोग अनशन पर बैठे हैं, उनकी मांगे क्या हैं, इसे जनहित में बताना कोई अनुचित तो नहीं है ?

श्री अध्यक्ष—

यह तो आप तर्क करने लगे । आप केवल प्रश्न पूछें ।

श्री रवीन्द्र सिंह—

२५० विधायकों ने मुख्य मन्त्री को ज्ञापन दिया था, अखबारों में भी निकल चुका है । वे मांगें क्या हैं ?

श्री अध्यक्ष—

इसका उत्तर दिया कि हां, हमें प्राप्त हुआ, लेकिन उन्होंने कहा कि इसके सम्बन्ध में भी सूचना देना जनहित में उचित नहीं है ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा—

क्या जो पी० ए० सी० के जवानों पर मुकदमें चल रहे हैं सरकार उनको वापस लेने पर विचार कर रही है ?

श्री सत्य देव त्रिपाठी—

मान्यवर, रिहैबिलिटेशन का मामला और उन पर चल रहे मुकदमों का मामला जो है, सरकार इन दोनों चीजों पर विचार कर रही है । इस सदन में माननीय मुख्य मन्त्री जी ने घोषणा भी कर दिया है । इसके अतिरिक्त कोई भी सूचना जनहित में देना उचित नहीं है ।

श्री राम नरेश पाण्डेय—

मान्यवर, यहां पर जब गृह मन्त्री जी आये हुए थे तो उन्होंने इस सम्बन्ध में कोई हिदायत इस सरकार को दी थी, कि नहीं ?

श्री सत्य देव त्रिपाठी—

मान्यवर, गृह मन्त्री जी ने कोई हिदायत नहीं दी । प्रशासन के सम्बन्ध में माननीय मुख्य मन्त्री जी से जो बातें की होंगी, वह यहां प्रश्न में नही है ।

श्री कृष्णा राय—

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं मन्त्री जी ने कहा कि विचार हो रहा है, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि वह विचार की अवधि क्या है और कब तक विचार हो जायगा ? दूसरी बात यह है कि क्या मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे, जैसा कि मुख्य मन्त्री जी ने बयान दिया कि मैं उनके पालन--पोषण के लिए कुछ विचार कर रहा हूं, तो क्या तत्काल वह उनके परिवार के बच्चों और भतीजों को कोई नौकरी वगैरह देने जा रहे हैं और बच्चों की पढ़ाई के लिए भी कुछ सुविधा देने जा रहे हैं ?

श्री सत्य देव त्रिपाठी—

श्रीमन्, इस सब पर विस्तार से पूरी योजना बनाई जा रही है, पूरी तौर से इन सब पर विचार किया जायगा ।

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)—

मान्यवर, माननीय मुख्य मन्त्री जी ने इस सदन में एक वक्तव्य देते हुए कहा था कि कुछ राजनैतिक लोगों की प्रेरणा इस सम्बन्ध में इन पी० ए० सी० के जवानों को है, पर आज पी० ए० सी० के जवानों ने इस बात का खण्डन किया है । क्या यह २५० विधायकों के हस्ताक्षर जो हुए हैं, इस बात को लेकर मुख्य मन्त्री जीने बयान दिया था ?

श्री अध्यक्ष—

यह तो आपने स्वयं ही प्रश्न का उत्तर दे दिया ।

श्री गनेशी लाल चौधरी (जिला सीतापुर)—

श्रीमन्, जरा मुख्य मन्त्री जी इस प्रश्न को देखें । क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जी० पी० ओ० पार्क, लखनऊ में पूज्य महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास २ अक्तूबर, १९७७ से पुलिस, पी० ए० सी० के सेवा से निकाले गये जवान भूख हड़ताल पर बैठें हैं ? इस पर मन्त्री जी ने कहा कि यह गोपनीय है । मान्यवर, गोपनीय तो वह मामला होता है, जो वास्तव में गोपनीय होता है, यह तो हड़ताल है ।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठिये । गनेशी लाल जी, आप तो तर्क कर रहे हैं ।

श्री बाबू राम शुक्ल (जिला कानपुर)—

अध्यक्ष महोदय, मुख्य मन्त्री जी ने यह स्वीकार किया है कि पी० ए० सी० और पुलिस के जवान २ अक्तूबर से भूख हड़ताल पर थे, तो इनकी भूख हड़ताल किस दिन समाप्त हुई, जिस दिन समाप्त हुई, उस दिन इनका जबरदस्ती कैम्प वगैरह उखाड़ दिया गया ?

श्री सत्यदेव त्रिपाठी—

श्रीमन्, भूख हड़ताल यह कोई गोपनीय नहीं थी, चूंकि एक रेगुलर फोर्स का मामला है और इसका प्रकाशन कि कितने लोग भूख हड़ताल कर रहे थे इस सबका असर पड़ेगा, इसको जनहित में ध्यान रख कर केवल यह सूचना दी गयी थी ।

एक सदस्य—

मान्यवर, मुझे एक प्रश्न करने की इजाजत दे दीजिए ?

श्री अध्यक्ष—

अब इस पर १० मिनट हो चुका है, अब आप बैठिये ।

श्री बाबू राम शुक्ल—

मान्यवर, मैंने प्रश्न पूछा था कि जो जवान भूख हड़ताल पर दो अक्तूबर से थे, उनकी भूख हड़ताल किस दिन समाप्त हुई ? क्या यह सही है कि जिस दिन भूख हड़ताल समाप्त हुई, उस दिन पुलिस के जवानों ने उनके टेंट उखाड़ दिये और वहां से उनको भगा दिया था ?

श्री सत्यदेव त्रिपाठी—

माननीय, भूख हड़ताल के बारे में मैंने पहले निवेदन किया कि सारी सूचनाओं का प्रसार चूंकि होगा, इसलिए जनहित में यह हम उत्तर नहीं दे रहे हैं।

सचिवालय के अनुभाग अधिकारियों के सेलेक्शन ग्रेड तथा भाषा अधिकारियों एवं समिति अधिकारियों के वेतनमान में सामानता

**२—श्री कमला प्रसाद वर्मा (जिला बहराइच) (अनुपस्थित), श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी गढ़वाल) (अनुपस्थित) तथा श्री रियासत हुसेने (जिला मुरादाबाद)—

क्या वित्त मन्त्री को जानकारी है कि अनुभाग अधिकारी के पद से उच्चत्तर कुछ पद ८००–११०० रुपए के वेतन–क्रम में हैं किन्तु वेतन असंगति समिति की संस्तुति लागू करने के उपरान्त यही वेतन क्रम अनुभाग अधिकारी के सेलेक्शन ग्रेड को दिए जाने के फलस्वरूप असंगति उत्पन्न हो गयी है ? यदि हां, तो क्या उक्त उच्चतर पदों के वेतन क्रम की जिस दिनांक से अनुभाग अधिकारियों के लिए सेलेक्शन ग्रेड लागू हुआ है, पुनरीक्षित करने के प्रश्न पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

वित्तमंत्री (श्री मधुकर दिघे)—

जी हां–उत्तर प्रदेश सचिवालय में भाषा अधिकारी एवं भाषाई अल्पसंख्यक अधिकारी एवं विधान सभा व विधान परिषद् के समिति अधिकारी के पद अनुभाग अधिकारी के पद से उच्चत्तर वेतनमान ८००–११०० रुपये में है। अनुभाग अधिकारियों के १० प्रतिशत स्थायी पदों के लिए भी ८००–११०० रु० के वेतनमान में सेलेक्शन ग्रेड दिये जाने के फलस्वरूप कोई असंगति उत्पन्न नहीं हुई है।

प्रश्न नहीं उठता। निम्न पदों के सेलेक्शन ग्रेड तथा उच्च पदों के सामान्य ग्रेड के बराबर हो जाने की स्थिति को उत्तर प्रदेश वेतन आयोग, वेतन असंगति समिति तथा शासन ने असंगति नहीं समझा है क्योंकि सेलेक्शन ग्रेड के पद पदोन्नति वाले पद नहीं माने जाते और न इन पदों पर नियुक्ति कर्मचारी को प्रोन्नत समझा जाता है। कतिपय अन्य विभागों में भी इसी प्रकार की स्थिति विद्यमान है जहां सेलेक्शत ग्रेड तथा उच्च पद का साधारण वेतनमान समान है।

(श्री रियासत हुसैन का नाम पुकारे जाने पर)

श्री हरिकेवल प्रसाद—

माननीय, केवल एक प्रश्न पूछना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठिये।

एक सदस्य—

माननीय, मेरा भी एक सवाल है।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठ जायं।

श्री सुन्दर लाल दीक्षित (जिला बाराबंकी)—

माननीय, बहुत गम्भीर मामला है, मुझको अनुमति दी जाय।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठ जायं, मैंने दूसरा प्रश्न पुकार लिया है ।

एक सदस्य—

महत्वपूर्ण प्रश्न है मुझे अनुमति दे दीजिये ।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठिये ।

रियासत साहब, आप जानते हैं कि यह परम्परा रही है कि विधान सभा और विधान परिषद् के सम्बन्ध में प्रश्न का उत्तर न तो दिया जा सकता है और न अनुपूरक प्रश्नों की कोई भी परम्परा रही है । इसलिये उचित होगा कि इस सम्बन्ध में विधान सभा और विधान परिषद् इसको छोड़कर, बाकी के बारे में आप प्रश्न करें ।

श्री रियासत हुसैन—

मान्यवर, सेक्रेटेरियट के सम्बन्ध में कहूंगा ।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)—

मान्यवर, मैं एक व्यवस्था चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष—

मैनेजर सिंह जी, आप बैठ जायं, रियासत साहब खड़े हैं ।

श्री रियासत हुसैन—

मान्यवर, मेरा प्रश्न है कि जो सेक्रेटेरियट है, उसमें सेक्शन अफसर जिसका ग्रेड है ५००–१००० वह जब तरक्की पाकर अण्डर सेक्रेटरी बनता है, तो १०००–१३५० का ग्रेड उसे मिलता है । जो विधान सभा सेक्रेटेरियट है उसका सेक्शन अफसर जिसको ५००–१००० का ग्रेड मिलता है । प्रोमोशन होने पर वह कमेटी अफसर बनता है तो उसको १०००–१३५० का ग्रेड न देने का क्या कारण है ?

श्री मधुकर दिघे—

मान्यवर, जो प्रश्न पूछा गया वह सेलेक्शन ग्रेड के सम्बन्ध में हैं। सेलेक्शन ग्रेड को यही स्थिति अन्य विभागों में है। केवल प्रश्न यह है कि जैसा माननीय रियासत जी चाहते हैं, तो उसमें इन लोगों को भी अपनी प्रोन्नति करने के सम्बन्ध में या अनुसचिव बनने के सम्बन्ध में रोक नहीं है । जिस तरीके से अनुभाग अधिकारियों की पदोन्नति के सम्बन्ध में स्थिति है, वह स्थिति इनके लिये भी है। केवल सेलेक्शन ग्रेड के सम्बन्ध में जो स्थिति थी, मैंने विस्तार में बताया । अगर चाहते हैं, तो अन्य जगहों में सेलेक्शन ग्रेड की जो स्थिति है वह मैं बता दूं । संख्या विभाग में संख्या अधिकारी का सेलेक्शन ग्रेड ६५०–१३०० रु० है, साथ ही साथ सहायक निदेशक का वेतनमान भी ६५०—१३५० रु० है । सेलेक्शन ग्रेड तो केवल जब स्टेगनेशन हो जाता है जिस विभाग में एक लम्बे अरसे के बाद प्रोमोशन होता है, तो वहां सेलेक्शन ग्रेड रख दिये जाते हैं । तो जिस तरह उनको सेलेक्शन ग्रेड मिलता है, उसी तरह वह अनुसचिव के पद पर भी जा सकते हैं, सेलेक्शन ग्रेड वाले । स्थिति सब में एक ही है ।

श्री मैनेजर सिंह—

मान्यवर, मैं व्यवस्था चाहता हूं , आपने अभी व्यवस्था दी कि विधान सभा सचिवालय के अधिकारियों के सम्बन्ध में पूरक प्रश्न नहीं पूछे जाने चाहिये, यह सही है। मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि अब आये दिन राज्य कर्मचारियों के बारे में अधिकांश समय हमारा चला जाता है और जिन राज्य कर्मचारियों को बहुत सुविधायें हैं, उनको जायज और नाजायज सुविधायें दी गयी हैं तो विधान सभा सचिवालय के कर्मचारी जो साढ़े ९ बजे से रात के साढ़े आठ बजे तक काम करते हैं उनके बारे में यदि सदन नहीं ध्यान करेगा, तो दूसरा कौन करेगा। आप सक्षम हैं, अपने अधिकारियों और कमचारियों को सारी सुविधायें उपलब्ध करायें। जो विधान सभा के कर्मचारी हैं और जो नीचे के कर्मचारी हैं, उनके बारे में।

श्री अध्यक्ष—

यह समय प्रश्नों का है। आप बैठ जायें। चूंकि विधान सभा या विधान परिषद् का सम्बन्ध अध्यक्ष से है और अध्यक्ष के सचिवालय के सम्बन्ध में जो भी बजट होता है उसपर कोई विवाद नहीं होता है। चूंकि अध्यक्ष किसी दल विशेष का प्रतिनिधित्व नहीं करता, इसलिये उनसे सम्बन्धित जो अनुदान और जो बजट है उसपर विवाद नहीं होता है। तो इस सम्बन्ध में आपको कोई जानकारी या सुझाव देना हो तो आप मेरे कक्ष में आकर दे सकते हैं। इस समय नहीं।

श्री ऊबल (जिला वाराणसी)—

मैं माननीय वित्त मन्त्री जी से आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि मैंने जो जानकारी दिया, उसमें २ विधान परिषद् के और ५ पद यहां विधान सभा सचिवालय से सम्बन्धित हैं। सिर्फ ७ का मामला है। तो क्या इस प्रश्न पर सहानुभूतिपूर्वक आप विचार करने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

यह जो विधान परिषद् और विधान सभा का प्रश्न किया उसमें यह परम्परा रही है कि अध्यक्ष जो निर्णय करता है वित्त विभाग उस पर कोई आपत्ति नहीं करता है। इसलिये यह प्रश्न नहीं उठता।

श्री रियासत हुसैन—

क्या जैसा कि अभी मैंने बतलाया कि कुछ फर्क है और उस की ज्यादा यहां कहने की जरूरत नहीं है। तो क्या वित्त मन्त्री जी इस चीज को सामने रख कर, अध्यक्ष जी से और चेयरमैन विधान परिषद् से स्वयं बात करके इस चीज को दूर करने के लिये प्रयास करेंग ?

श्री मधुकर दिघे—

मान्यवर, मैं रियासत जी और ऊबल जी को यह सूचना दे दूं कि जो उनके मन में है, उस प्रकार का विचार पहले ही से हो रहा है।

तारांकित प्रश्न

*१-२—श्री सोहन वीर सिंह तोमर—

[७वें सोमवार में तारांकित प्रश्न संख्या ४९-५० के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*३—श्री शम्भू नाथ चौधरी—

[९वें गुरूवार में तारांकित प्रश्न संख्या ६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

बहराइच जिले की भिंगगा तहसील के लिये भवन खरीदे जाने की मांग

*४—श्री कमला प्रसाद वर्मा (अनुपस्थित)—

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जुलाई, १९७७ में बहराइच गोन्डा जनपद के सभी विधायकों एवं संसद सदस्यों का नवगठित भिनगा तहसील, जिला बहराइच के भवन के लिए राजा चन्द्रमणि कान्त सिंह का महल जिसमें तहसील एस० डी० ओ० व मुन्सिफ मजिस्ट्रेट न्यायालयों के लिए पर्याप्त स्थान (निर्मित व खुला) है, क्रय करने हेतु कोई प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त भवन को क्रय करने के लिए शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

राजस्व मन्त्री (श्री शारदा भक्त सिंह)—

जी हां, अभी यह मामला शासन के विचाराधीन है और जिलाधिकारी और अधिशासी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग की आख्या मांगी गई है ।

*५—श्री शम्भूनाथ चौधरी, श्री सुखपाल पाण्डेय तथा श्री चन्द्र पाल—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त] ।

बिक्री कर से सम्बन्धित गठित की गयी सरलीकरण समिति की अन्तरिम रिपोर्ट

*६—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)—

द्वितीय सत्र १९७७ के प्रथम शुक्रवार के तारांकित प्रश्न संख्या ४ के उत्तर के सन्दर्भ में क्या संस्थागत वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चूंकि उत्पादन शुल्क लगाने के सभी पहलुओं पर विचार करने में कुछ समय लग सकता है अतः अब तक के लिये बिक्री-कर के सरलीकरण करने के लिए सरकार कुछ कदम उठाने की कृपा करेगी ? यदि हां, तो उनकी रूपरेखा क्या होगी तथा वह कदम कब तक उठाए जायेंगे ?

संस्थागत वित्त मन्त्री (श्री केशरी नाथ त्रिपाठी)—

बिक्री-कर व्यवस्थाओं को सरल बनाने के उद्देश्य से एक समिति गठित की गई है जिसकी संस्तुतियों की पृष्ठभूमि में आवश्यक कार्यवाही शीघ्र की जायगी।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या माननीय संस्थागत वित्त मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि बिक्री-कर के सरलीकरण के लिए जो समिति नियुक्त की गयी थी, उसकी अंतरिम रिपोर्ट शासन को प्राप्त हो गयी है ? यदि हां, तो उसकी मुख्य-मुख्य सिफारिशें क्या हैं ?

श्री केशरी नाथ त्रिपाठी—

मान्यवर, सरलीकरण कमेटी की अन्तरिम रिपोर्ट पहली अक्तूबर, १९७७ को प्राप्त हुई है और विभाग द्वारा उसका परीक्षण किया जा रहा है । उसकी सिफारिशें बताना उचित नहीं होगा, क्योंकि अभी वह अन्तरिम रिपोर्ट है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या माननीय संस्थागत वित्त मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस बात को ध्यान में रखते हुए कि जनता पार्टी ने शासन में आने के पहले यह घोषणा की थी कि बिक्री–कर को समाप्त करेंगे और शासन ने भी समय–समय पर इस सम्बन्ध में घोषणा की है, तो जैसा कि वित्त मंत्री जी ने कहा है कि चूंकि उत्पादन शुल्क लगाने के सभी पहलुओं पर विचार करने में कुछ समय लग सकता है अतः तब तक के लिए बिक्री–कर के सरलीकरण करने के लिए सरकार कुछ कदम उठायेगी, तो उस सरलीकरण कमेटी की रिपोर्ट को कब तक लागू कर देंगे ?

श्री केशरी नाथ त्रिपाठी—

मान्यवर, उसकी अन्तरिम रिपोर्ट १ अक्तूबर को प्राप्त हो गई है और उसका परीक्षण हो रहा है। अन्तिम रिपोर्ट ३१ अक्तूबर तक प्राप्त हो जायेगी। इसके अलावा मान्यवर, जिस दिन बिक्री–कर का बजट प्रस्तुत होगा, उस दिन भी कुछ घोषणायें होंगी। मान्यवर, ये घोषणायें परीक्षण के बाद ही की जायेगी।

श्री ऊदल—

मान्यवर, प्रदेश में जो ईंट के भट्ठे हैं, उनमें भी बिक्री–कर का अनुपात गलत है। क्या उसको भी इस सरलीकरण समिति में विचार के लिए लिया गया है? यदि हां, तो क्या नीति अपनायी गयी है ?

श्री केशरी नाथ त्रिपाठी—

मान्यवर, ईंट भट्टे के मामले को भी सरलीकरण करने के लिए जो मांग प्रस्तुत की गयी हैं, उसमें सरलीकरण समिति विचार कर रही है।

श्री गुलाब सेहरा (जिला आगरा)—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि शासन ने जो लकड़वाड़ा कमेटी सरलीकरण के लिए बनायी थी, क्या उसकी रिपोर्ट आ गयी है ?

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न नहीं उठता। उन्होंने बता दिया है कि अन्तरिम रिपोर्ट आ गयी है।

श्री गुलाब सेहरा—

श्रीमन्, लकड़वाड़ा कमेटी को यह मामला सुपुर्द किया गया था, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या उसकी रिपोर्ट आ गयी है।

श्री केशरी नाथ त्रिपाठी—

मान्यवर, इसके लिए देखना पड़ेगा। सम्भवतः रिपोर्ट आ गयी है। इसमें सूचना की जरूरत पड़ेगी।

श्री रमाशंकर कौशिक (जिला मुरादाबाद)—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि बिक्री–कर के एवज में दूसरे कर लगाने के लिए कोई केन्द्रीय सरकार से बातचीत चल रही है ?

श्री केशरी नाथ त्रिपाठी—

मान्यवर, इस सम्बन्ध में एक विशेषज्ञ समिति स्थापित की गयी है। मन्त्रि–परिषद् की एक उप समिति बनायी गयी थी, जिसने विशेषज्ञ समिति को इस मामले को सौंपा है। इस सम्बन्ध में केन्द्रीय वित्त मंत्री जी से तथा संस्थागत वित्त सचिव से विचार विमर्श हुआ है।

श्री रघुवर दयाल वर्मा—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह जो टिम्बर बाहर से आता है, इसको भी सरलोकरण की प्रक्रिया में शामिल किया गया है ?

श्री केशरी नाथ त्रिपाठी—

मान्यवर, टिम्बर उद्योग की मांग सरलीकरण कमेटी के समक्ष है ।

श्री श्याम सुन्दर गुप्त (जिला जालौन)—

क्या संस्थागत वित्त मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह जो अन्तरिम रिपोर्ट प्रस्तुत की जा चुकी है, उसकी सिफारिशों को इस बजट भाषण में स्वीकार कर लेंगे ? दूसरा प्रश्न है कि इस सरलोकरण कमेटी के प्रस्तावों के अन्तर्गत जो विधि में संशोधन होने वाले हैं, उसे कब तक स्वीकार करेंगे ?

श्री केशरी नाथ त्रिपाठी—

मान्यवर, जैसा कि मैंने निवेदन किया, यह सम्भावना है कि जिस दिन बिक्री-कर का अनुदान सदन में आवेगा, उस दिन कुछ घोषणायें हो जांय । कुछ ऐसी सिफारिशें हैं, जिनमें मन्त्रिमण्डल की स्वीकृति की आवश्यकता है और उनमें विधेयक लाना पड़ेगा और उसमें समय लगेगा । लेकिन सरलीकरण समिति की जो सिफारिशें जो प्रशासनिक आदेश के द्वारा स्वीकृत हो सकती होंगी, उनको जल्दी ही कार्यान्वित कर दिया जायेगा ।

पिथौरागढ़ जिले की तहसील धारचूला के अन्तर्गत कतिपय ग्रामों में वर्षा से भू-स्खलन एवं विस्थापितों के पुनर्वास ने की व्यवस्था

*७—श्री नारायण सिंह भैंसोरा (जिला पिथौरागढ़)—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक १४ अगस्त, १९७७ व १५ अगस्त, १९७७ को अत्यधिक वर्षा से जनपद पिथौरागढ़ के स्थान तवाघाट, खेला, पत्पला, स्याकुरी में कुल कितने एकड़ नाप व बेनाप (सिविल) भूमि क्षतिग्रस्त है ? भूमि स्खलन से कितने लोग भूमिहीन हो गये हैं और उनके पुनर्वासन के लिए क्या व्यवस्था की जा रही है ?

नियोजन राज्य मंत्री (श्री लक्ष्मण सिंह)—

माह अगस्त में निरन्तर वर्षा होने तथा विशेष कर द्वितीय सप्ताह में भारी वर्षा के कारण जिला पिथौरागढ़ की तहसील धारचुला के ग्राम तवाघाट, खेला स्याकुरी, पत्पला आदि ग्रामों एवं तोकों में भू-स्खलन के कारण कुल १०७·२१ एकड़ नाप भूमि तथा ३५ एकड़ बेनाप (सिविल) भूमि क्षतिग्रस्त हुई है । इस भू-स्खलन के कारण दो परिवार, जिनकी सदस्य संख्या ९ है, पूर्ण रूप से भूमिहीन हो गये हैं । ५५ परिवारों की कुल भूमि की आधी भूमि इस भू-स्खलन से नष्ट हुई है तथा इन ५८ परिवारों में से ३८ परिवार ऐसे है जिनके पास १० नाली (आधे एकड़) से कम भूमि रह गई है । जिला पिथौरागढ़ विस्थापितों के लिए सुरक्षित स्थान पर भूमि उपलब्ध न होने के कारण अन्यत्र भूमि उपलब्ध कराने के लिए विचार किया जा रहा है ।

श्री नारायण सिंह भैंसोरा—

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि ३८ परिवारों के पास १० नाली से कम भूमि रही है । पर्वतीय क्षेत्र में पांच नाली में अर्थात् १/४ एकड़ में एक क्विन्टल राशन होता है । ऐसी अवस्था में जिनके

पास १० नाली से भी कम भूमि रही है, उनको बसाने और उनके परिवार की आजीविका के लिए क्या कोई अल्पकालिक व्यवस्था नहीं हो सकती, जब तक कि दूसरी जगह स्थायी व्यवस्था नहीं की जा सकती ?

श्री लक्ष्मण सिंह—

श्रीमन्, जैसा मैंने उत्तर म निवेदन किया था वहां पर कोई भूमि उपलब्ध नहीं है । अन्यत्र स्थानों पर प्रयास किए गए थे जिनमें तराई–भाभर, पुराना सितारगंज पंत नगर विश्वविद्यालय के पास जिला नैनीताल में भूमि देने पर विचार किया जा रहा है और इस सम्बन्ध में कार्यवाही की जा रही है ।

श्री राम दत्त जोशी (जिला नैनीताल)—

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि भूमि स्खलन से जितने परिवार बुरी तरह से या आंशिक रूप से प्रभावित हैं, उनकी क्षति पूर्ति के लिए सरकार की ओर से कुछ किया गया है ? यदि किया गया है, तो उसकी अलग–अलग धनराशि प्रत्येक व्यक्ति को कितनी दी गयी ?

श्री लक्ष्मण सिंह—

मान्यवर, १ लाख १० हजार रुपये मुख्य मंत्री कोष से ४४ परिवारों को दिया गया, एक–एक आदमी जिनके परिवार से मारा गया उनको २५०० रुपये प्रति परिवार के हिसाब से दिये गये । इसके अतिरिक्त राजस्व विभाग से ६० हजार रुपया ग्रेचुअस रिलीफ दिया जा रहा है । उसमें कुछ रुपया बांट दिया गया है और बाकी लोगों को बांटा जा रहा है । इसके अतिरिक्त ५० हजार रुपया टेस्ट वर्क के लिए, रोजगार देने के लिए भी निर्धारित किया गया था और प्रधान मंत्री कोष से भी एक लाख रुपया आया था । इसके अतिरिक्त रेडक्रास सोसाइटी ने उनको कपड़े, बर्तन दिये थे । लोगों ने दान स्वरूप गुड़, चना आदि कुछ चीजें दी थी, जो उनमें बांटी गयी । सस्ते गल्ले की सरकारी दुकानें भी खोल दी गयीं और ४१ क्विन्टल गेहूं, चना, चावल भी बांटा जा चुका है ।

श्री नारायण सिंह भैंसोरा—

माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या भूमि प्राप्ति के लिए वहां पर १७ सितम्बर को अनशन किया गया था ? यदि हां, तो जिलाधिकारी ने वहां पर कोई ऐसा आश्वासन लिखित दिया है, उन लोगों को कि भूमि ६ महीने के अन्दर उपलब्ध कर दी जायगी ? यदि हां, तो वह भूमि कहां उपलब्ध करा दी जायगी ६ महीने के अन्दर ?

श्री लक्ष्मण सिंह—

श्रीमन्, अनशन की शासन को कोई जानकारी अभी नहीं मिली ।

श्री इन्द्रमणी बड़ोनी (जिला टेहरी गढ़वाल)—

क्या राजस्व मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इस भूमि स्खलन को देखने के लिए नैनीताल विश्वविद्यालय के कुछ साइंनटिस्ट गये और उन्होंने इस बात का निर्णय दिया कि ये गांव जो भूमि स्खलन से प्रभावित हुए हैं इन सबको वहां से तराई भाभर में बसाना चाहिए ? केवल आंशिक रूप से बसाने का मतलब नहीं है कि जिनकी भूमि बिल्कुल बर्बाद हो गई है या जिन लोगों के पास भूमि थोड़ी रही है उन सब लोगों को तराई में बसायें । क्या उन गांवों में पेड़ लगाने की कोई सरकार की योजना है ।

श्री लक्ष्मण सिंह--

मान्यवर, जैसा मैंने निवेदन किया था इन सब परिवारों को दूसरी जगह बसाने की योजना है और उसमें कार्यवाही भी की जा रही है। पेड़ लगाने का जो सुझाव आया है, इस पर विचार करेंगे।

श्री गुलाब सेहरा--

माननीय मंत्री जी के उत्तर के सन्दर्भ में, मंत्री जी ने बताया है कि भूमि-हीनों को भूमि देने पर विचार कर रहे हैं, तो यह कब तक पूरा हो जायगा ?

श्री लक्ष्मण सिंह--

मैंने पहले ही एक सूची पढ़ी थी। ६० हजार एक है, प्रधान मंत्री कोष से १ लाख अलग है। ऐसा नहीं है कि उनको २,५०० रु० ही मिला है बाकी और सहायता भी दी जा रही है। जहां तक बढ़ाने वाली बात है, उसके लिए कोई आश्वासन नहीं दे सकता।

श्री हरी सिंह (जिला मेरठ)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिन हरिजनों की जमीन छीन ली थी उनको कब तक आप जमीन दिला देंगे ?

श्री अध्यक्ष--

यह प्रश्न इससे नहीं उठता ?

रायबरेली जिले में शारदा सहायक परियोजना हेतु भूमि का अधिग्रहण एवं भूमिहीन किसानों को दी गयी सुविधाएं

*३--श्री जगदीश प्रसाद त्रिवेदी (जिला उन्नाव)--

दिनांक २६ अगस्त, १९७७ को सदन में पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ५ के उत्तर के सन्दर्भ में क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला रायबरेली में चल रही शारदा सहायक परियोजना में जिन किसानों की भूमि अधिग्रहीत की गई है उनमें से ऐसे कितने हैं जो भूमिहीन हो गए हैं ? क्या मन्त्री जी यह भी बतायेंगे कि उन भूमिहीन किसानों को भूमि या रोजगार देने के लिए सरकार ने कौन से कदम उठाए हैं ?

श्री लक्ष्मण सिंह—

रायबरेली जिले में शारदा सहायक परियोजना के अन्तर्गत जिन किसानों की भूमि अधिग्रहीत की गई है उसमें १८८ किसान भूमिहीन हो गये हैं। अब तक १६ भूमिहीन परिवारों को ग्राम समाज की भूमि पट्टे पर दी जा चुकी है तथा ८ परिवारों में से एक-एक व्यक्ति को शारदा सहायक परियोजना में नौकरी दी जा चुकी है। शेष अन्य परिवार इसी परियोजना में मजदूरी करके जीवन यापन कर रहे हैं।

श्री जगदीश प्रसाद त्रिवेदी—

मंत्री जी के उत्तर से सम्बन्धित। १८८ में से केवल १६ परिवारों को पट्टे पर दी गयी है। बाकी जो १७२ हैं, उनको कब तक आवंटित कराने की कृपा करेंगे ?

श्री लक्ष्मण सिंह—

श्रीमन, इन सभी किसानों को मुआवजा दिया गया है। शासन की यह नीति थी कि उनके परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी में लगाने का प्रयास किया जाय। परिवार के एक आदमी को नौकरी दी गयी है और बाकी को मजदूरी के काम पर लगाया गया है।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मंत्री जी के उत्तर के सन्दर्भ में। मंत्री जी ने बड़ा परिश्रम करके १६ आदमियों को जमीन दी है। आपके पास तमाम जमीन तराई में मौजूद है। तो क्या मंत्री जी घोषणा करेंगे कि बाकी १७२ को भी एक निश्चित अवधि में जमीन दे दी जायगी ?

श्री लक्ष्मण सिंह—

अगर लोग बाहर जाना चाहें और आवेदन-पत्र दें, तो अवश्य विचार करेंगे।

श्री जगन्नाथ प्रसाद (जिला खीरी)—

जिस प्रकार रायबरेली जिले में मंत्री महोदय ने अधिग्रहण के बाद शारदा सहायक परियोजना में भूमि दी है, उसी प्रकार दूसरे जिले के जो लोग भूमिहीन हो गये हैं, अधिग्रहण के कारण इस परियोजना के अन्तर्गत तो उनको भी जमीन देने पर विचार करेंगे ?

श्री लक्ष्मण सिंह—

मैंने पहले ही कहा था कि वे लोग प्रार्थना-पत्र दें, तो यह देखा जायगा कि कितने लोग दूसरी जगह जा कर भूमि लेने के लिए तैयार हैं और यह भी देखा जायगा कि कितनी भूमि देने के लिए उपलब्ध है।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)—

१८८ परिवार जमीन से हाथ धो बैठे और उसमें शासन द्वारा सारे प्रयासों के बावजूद २४ परिवारों को काम या जमीन दे सके। ऐसी स्थिति को देखते हुए पूरे प्रदेश में जिस तरह से योजनाएं लागू की जाने वाली हैं, उनको मद्देनजर रखते हुए क्या माननीय मंत्री जी पूरे प्रदेश स्तर पर जो दिक्कतें हैं, उनके समाधान के लिए कोई विशेष योजना बनाने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष--

यह बहुत व्यापक प्रश्न है और इससे पैदा नहीं होता ।

श्री रियासत हुसैन--

सिंचाई मंत्री जी की घोषित नीति के अनुसार जो जमीनें ली जायंगी दुबारा उनकी चकबन्दी कराकर उनको कम्पेनशिएट किया जायगा तो उस आधार पर क्या सिंचाई मंत्री तथा आपके बीच में रायबरेली के सिलसिले में कोई वार्ता चल रही है ?

श्री लक्ष्मण सिंह--

सिंचाई मंत्री की घोषणा अपनी जगह है । जैसा माननीय सदस्य ने फरमाया रायबरेली में चकबन्दी पहले हो चुकी थी । यहां यह बात नहीं है जिसमें जमीन चली गयी और बाद में चकबन्दी हो गयी । दोबारा चकबन्दी की कोई आवश्यकता नहीं है ।

श्री मित्रसेन (जिला फैजाबाद)--

जिन गांवों में चकबन्दी हो गयी है और वहां शारदा सहायक परियोजना लागू हो गयी है वहां जमीनें अधिग्रहण के बाद फिर से चकबन्दी करायी जायगी ?

श्री लक्ष्मण सिंह--

वहां दुबारा चकबन्दी कराने की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती ।

श्री राम अधार (जिला आजमगढ़)--

जिन ग्रामों में जैसे आजमगढ़ और जौनपुर की तरह जहां नहर जा रही है और भूमि अधिग्रहीत कर ली गयी है, तो वहां दुबारा चकबन्दी कराई जायगी ताकि किसान भूमिहीन न हो और क्या इसकी बाबत सरकार ने कोई जी० ओ० भी निकाला है ?

श्री अध्यक्ष--

इसका उत्तर दिया जा चुका है । यह प्रश्न नहीं उठता ।

मथुरा जिले की सादाबाद तहसील में पुनः चकबन्दी कराये जाने की मांग

*६--श्री हुकम चन्द्र तिवारी (जिला मथुरा)--

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि मथुरा जनपद की तहसील, सादाबाद में प्रथम बार चकबन्दी १९५४ में हुई थी ? यदि हां, तो वहां के किसानों की सुविधा हेतु पुनः चकबन्दी कराने के प्रश्न पर क्या सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लक्ष्मण सिंह--

मथुरा जिले की तहसील सादाबाद में चकबन्दी १९५४ में प्रारम्भ की गई थी । सभी ऐसी तहसीलों में, जिनमें चकबन्दी कार्य १९५४ और १९५९ के बीच हुआ था, दुबारा चकबन्दी कराने का निर्णय सिद्धान्त रूप में ले लिया गया है, पर यह कार्य प्रदेश में चकबन्दी का एक चक्र पूरा हो जाने के बाद ही किया जा सकेगा ।

श्री हुकम चन्द्र तिवारी—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सरकार द्वारा यह प्रस्ताव आया है कि १० साल पूर्व जिन तहसीलों में चकबन्दी हुई है उनमें पुनः कराया जाय ?

श्री लक्ष्मण सिंह—

केन्द्र सरकार से कोई प्रस्ताव शासन को नहीं आया है ।

श्री धर्मवीर सिंह (जिला मेरठ)—

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे, उनके उत्तर से सम्बन्धित, कि पहली चकबन्दी कब तक समाप्त हो जायेगी ?

श्री लक्ष्मण सिंह—

मान्यवर, जो मौजूदा स्थिति है, इससे अन्दाजा है कि ४, ५ साल में पूरा हो जाएगा ।

श्री हुकम चन्द्र तिवारी—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि चकबन्दी अधिनियम की धारा १५२ (ए) के अनुसार जो गांव या तहसील दुबारा चकबन्दी चाहेंगे उनमें दुबारा की जा सकती है, तो क्या वह दुबारा चकबन्दी करायेंगे ?

श्री लक्ष्मण सिंह—

मान्यवर, मैंने निवेदन किया कि १९५४ और १९५९ के बीच जिन जगहों में चकबन्दी हुई थी, उनमें कोई विवाद है, तो उसमें सैद्धान्तिक रूप से निर्णय लिया है, लेकिन चकबन्दी का पहला चक्र पूरा हो जाने के बाद किया जायेगा । अगर उसके बाद कोई प्रार्थना-पत्र आयेंगे, तो उस हिसाब से निर्णय किया जायेगा । उसमें कोई पालिसी या नीति सिद्धान्त रूप से नहीं है ।

श्री शारदा प्रसाद जायसवाल (जिला गोरखपुर)—

मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि गोरखपुर जनपद में जो चकबन्दी हुई है, उसमें जो गांव चकबन्दी से वंचित कर दिए गए रेवेन्यू रिकार्ड की गड़बड़ी से, वहां दुबारा चकबन्दी करने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

यह इससे उत्पन्न नहीं होता । यह मथुरा का प्रश्न था ।

श्री श्यामधर मिश्र—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि एक चकबन्दी जब पूरे प्रदेश में हो जायेगी उन्होंने कहा कि १९५४ और १९५९ के बीच, जिनमें चकबन्दी हुई है, वहां दुबारा चकबन्दी कराई जायेगी । तो मैं जानना चाहता हूं कि पहला चक्र कब पूरा हो जायेगा और साथ ही दुबारा उन्हीं जगह किया जायेगा जिनमें ५४ और १९५९ के बीच हुआ है या उन तमाम जगहों में किया जायेगा जिनमें २०, २५ साल हो गये हैं ?

श्री अध्यक्ष--

पहले का उत्तर माननीय मंत्री जी दे चुके हैं कि चकबन्दी का दौर ५ साल में पूरा हो जायगा । दूसरा प्रश्न मंत्री जी, उनका यह है कि १९५४ से पहले जिनमें चकबन्दी हुई है उन पर भी पुनः चकबन्दी की जायेगी ?

श्री लक्ष्मण सिंह--

१९५४ और १९५९ के बीच जिनमें हुई है, उनमें पहला चक्र समाप्त होने पर की जायेगी ।

श्री अध्यक्ष--

उससे पहले जहां हुई है ?

श्री लक्ष्मण सिंह--

१९५४ से पहले चकबन्दी नहीं हुई थी ।

श्री अध्यक्ष--

१९६९ के बाद जहां चकबन्दी हुई है ?

श्री लक्ष्मण सिंह--

मान्यवर, ऐसा है पहले के चार-पांच साल में जब चकबन्दी हुई तो, उसमें कई-कई चक बना दिए गए जो ठीक नहीं थे, उनमें परिवर्तन की आवश्यकता महसूस हुई । उसके बाद अनुभव हो गया और फिर चकबन्दी हुई । इसलिए अलग-अलग निर्णय लिए जायगे ऐसा नहीं है कि सब जगह दुबारा करायेंगे जहां आवश्यकता होगी, वहां करायेंगे ।

श्री रियासत हुसैन--

माननीय मंत्री जी ने कहा कि जहां १९५४ और १९५९ के बीच चकबन्दी हुई है, वहां दुबारा कराने का वह विचार करते हैं। इस चीज को देखते हुए जो प्रस्तावित सैटिलमेंट है, जो शायद दूसरे दौर से पहले हो जायेगा, तो क्या मंत्री जी इस बात पर विचार करेंगे कि उन जगहों में जहां १९५४ और १९५९ के बीच में चकबन्दी हुई उनके सैटिलमेंट के मसलों को जल्दी हल कर दिया जायेगा ?

श्री लक्ष्मण सिंह--

हां, प्रयास किया जायेगा सेटिलमेंट से पहले या उसके साथ किया जायेगा ।

समाज कल्याण विभाग के कर्मचारियों का स्थायीकरण

*१०--श्री डी० पी० बोरा (जिला लखनऊ)--

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि समाज कल्याण विभाग में शासन द्वारा स्वीकृत स्थायी पदों पर तीन वर्षों से अधिक से सेवारत समस्त अस्थायी कर्मचारी स्थायी घोषित किए जा चुके हैं ? यदि हां, तो कितने ? यदि नहीं, तो क्यों ?

समाज कल्याण मंत्री-- (श्री राम सिंह)

समाज कल्याण विभाग में ६६४ ऐसे कर्मचारियों, जो तीन वर्ष से अधिक से सेवारत हैं, को स्थायी किया जा चुका है तथा ४६५ ऐसे कर्मचारियों के स्थायीकरण का मामला विचाराधीन है । इसके अतिरिक्त २९ ऐसे पद हैं जिन पर लोक सेवा आयोग के माध्यम से नियुक्त करके स्थायीकरण किया जा सकता है जिसके सम्बन्ध में कार्यवाही की जा रही है । शेष २९ कर्मचारियों का स्थायीकरण विभिन्न कारणों से नहीं किया जा सका जैसे चरित्र पंजिका में प्रतिकूल प्रविष्टियां होना, निलम्बन तथा अनुशासनात्मक कार्यवाही का होना ।

श्री डी० पी० बोरा--

जो ३ वर्ष से ऊपर वाली अवधि के ४६५ कर्मचारियों के स्थायीकरण का मामला विचाराधीन है, उनके बारे में क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उन मामलों में कब तक निर्णय हो जाएगा ?

श्री राम सिंह--

मान्यवर, यह सभी कर्मचारी निदेशालय स्तर से, जिला स्तर तक फैले हुए हैं, ज्यों-ज्यों इनके मामले शासन के सामने आते जाएंगे, हम निर्णय लेते जाएंगे ।

श्री डी० पी० बोरा--

जो २९ पद ऐसे हैं, जिन पर स्थायीकरण लोक सेवा आयोग के माध्यम से होना है, उसमें ८-८ व १०-१० साल की सर्विस वाले लोग हैं, तो क्या मंत्री जी इस बात का प्रयास करेंगे कि जल्दी ही उनके स्थायीकरण की कार्यवाही पूरी हो सके ?

श्री राम सिंह--

मान्यवर, मैंने उत्तर दिया, इस सम्बन्ध में लोक सेवा आयोग को अध्याचन भेज दिया गया है कि इन कर्मचारियों के सम्बन्ध में कार्यवाही की जाए और अब ज्यों ही कार्यवाही होगी, हम स्थायीकरण की प्रक्रिया शुरू कर देंगे ।

डाक्टर अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश' (जिला कानपुर)--

६६४ कर्मचारी स्थायी किये गये हैं और ४६५ कर्मचारी स्थायी किये जाने हैं, तो इन ४६५ कर्मचारियों में कितने अस्थायी और कितने तदर्थ लोग हैं ? और इनके स्थायी करने के लिए उनके क्या माप दण्ड है ?

श्री राम सिंह --

ये जो ४६५ कर्मचारियों के मामले विचाराधीन हैं, वे ऐसे हैं, जो क्लियर वैकेंसी में अप्वाएन्ट होते हैं और जब तक वे क्लियर वैकेंसी में न हों, तब तक स्थायीकरण हो ही नहीं सकता है, स्थायीकरण क्या, उनकी नियुक्ति ही निश्चित नहीं है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

उन्होंने बताया कि ४६५ व्यक्तियों का मामला विचाराधीन है और शायद यह भी बताया कि ज्यों-ज्यों मामले आते जायेंगे, त्यों-त्यों उन पर विचार करते जायेंगे । तो मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या वह जिलों को इस आशय की सूचना नहीं देंगे कि एक निश्चित अवधि में उदाहरण के लिए एक महीने में शासन के पास सभी ऐसे मामले आ जायें ?

श्री राम सिंह--

मान्यवर, स्थायीकरण के निश्चित नियम हैं, उसमें लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती । प्रायः ३ साल या अधिक के मामले शासन के पास आते हैं । किसी के खिलाफ कोई शिकायत है या कोई प्रविष्टि प्रतिकूल है, तो उसी दशा में कोई बात हो सकती है । यों जितने नियम हैं, उनके अनुसार मामले सामने आते हैं और हम निर्णय लेते हैं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

कर्मचारियों का अनावश्यक हैरेसमेंट न हो, इस दृष्टि से मैं चाहता था कि शासन की ओर से जिलों को आदेश दिए जाएं कि ३ वर्ष से ऊपर की अवधि के जो कर्मचारी हैं, उनके मामले यहां भेज दिए जाएं, तो इसका उत्तर नहीं आया ?

श्री राम सिंह--

मैंने निवेदन किया स्थायीकरण के सम्बन्ध में निश्चित नियम हैं, उन पर विशेष रूप से लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती ।

श्री अध्यक्ष--

जो ३ वर्ष से अधिक की सेवा अवधि के कर्मचारी हैं, क्या उनके बारे में स्वतः स्थायीकरण हो जाएगा, क्योंकि विभाग में दसों साल तक अस्थायी नियुक्तियां चलती रहती हैं, तो जो तीन साल या उससे ऊपर सन्तोषजनक रूप से सेवा कर चुके हैं, उनका स्थायीकरण किया जाएगा ?

श्री राम सिंह--

इस तरह का कोई स्पेसिफिक केस माननीय सदस्य देंगे, तो निश्चित रूप से कार्यवाही की जाएगी ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

सैकड़ों मामले शासन के पास दसियों वर्षों से विचाराधीन हैं, जो जिला के अधिकारियों की ढिलाई के कारण नहीं आ सके हैं और जो नियमों की जानकारी मुझे है, ३ वर्ष पूरे होते ही, जैसी अनुशासन कमेटी की रिपोर्ट है, स्वतः हो जाए, तो क्या मंत्री जी इस आशय के निर्देश तुरन्त जारी करने की कृपा करेंगे कि एक महीने के अन्दर वे सभी मामले शासन के पास आ जाएं ?

श्री राम सिंह--

मान्यवर, मैंने अभी निवेदन किया था कि जब तक कोई स्पष्ट वैकेंसी न हो ।

श्री अध्यक्ष--

यह उनका स्पष्ट प्रश्न है, अगर क्लियर वैकेंसी में किसी आदमी को नियुक्त किया गया है, वह भी तीन साल से अधिक है, उनका कहना है कि कोई आदेश देंगे कि एक महीने में ऐसे सब केसेज सामने आ जायं ताकि यह मसला आगे न बढ़ता रहे ? यह प्रश्न है ।

श्री राम सिंह---

उसके लिए निश्चित समय की सीमा बांधना सम्भव नहीं होगा। लेकिन बहुत शीघ्रता करेंगे कि बहुत जल्द इस तरह के मामले निपटाए जा सकें।

श्री गनेशी लाल चौधरी---

अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन कर्मचारियों की नियुक्ति का आधार तथा प्रक्रिया क्या है और स्थायीकरण का क्या आधार होता है ?

श्री राम सिंह---

मान्यवर, जो नियुक्तियां विभाग में होती हैं उनके लिए निश्चित नियम हैं, सेलेक्शन होता है, नियुक्ति भी हो जाती है और स्थायीकरण के भी नियम हैं। नियमों के विरुद्ध अगर किसी मामले में...

एक सदस्य---

नियम क्या है ?

श्री अध्यक्ष---

नियमावली में आप देखें, वह प्रश्न नहीं किया जा सकता जिसकी सूचना उपलब्ध है। नियमावली छपी हुई है। आप उसको देख सकते हैं।

*११---श्री राज नाथ सिंह---

[६ठें बुधवार में तारांकित प्रश्न संख्या ५६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

*१२---श्री राज नाथ सिंह---

[९वें बुधवार में तारांकित प्रश्न संख्या २७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

एटा जिले में समानान्तर निचली गंगा नहर से पीड़ित कृषकों से सम्बन्धित शिकायती-पत्र

*१३---श्री नेत राम सिंह (जिला एटा)---

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि समानान्तर निचली गंगा नहर से पीड़ित कृषकों द्वारा प्रश्नकर्त्ता के माध्यम से जुलाई, १९७७ में दिए गए शिकायती-पत्र प्राप्त हुए ? यदि हां, तो उन शिकायती-पत्रों की जांच किस अधिकारी द्वारा कराई गई एवं जांच का परिणाम क्या निकला ? यदि जांच नहीं कराई गई, तो क्यों ?

श्री शारदा भक्त सिंह---

जी हां।

राजस्व परिषद को जांच कराने के आदेश दिए गए। परिषद ने जिलाधिकारी, एटा से जांच करके आख्या भेजने को लिखा है। जांच आख्या अभी प्रतीक्षित है।

श्री नेतराम सिंह--

इस प्रश्न को दिए हुए और शिकायती-पत्र दिए हुए अनुमानतः तीन महीने हो गए । तो मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि इसकी अब तक जांच न होने के क्या कारण बताए गए हैं ?

श्री लक्ष्मण सिंह--

इसमें बहुत लम्बी सूची है । काश्तकारों की शिकायतें हैं । जांच की जा रही है । इसलिए बिलम्ब हुआ है । जल्दी की जायगी ।

श्री नेतराम सिंह--

क्या माननीय मंत्री जी इन गम्भीर शिकायतों की जल्द से जल्द जांच कराकर इसी सत्र में इस जांच का निर्णय सदन के सामने रखेंगे ?

श्री अध्यक्ष--

सत्र १८ तक है ।

श्री नेतराम सिंह--

काफी जमीनों का घोटाला किया गया है । इसका उत्तर इसी सत्र में आना चाहिए ।

श्री लक्ष्मण सिंह--

१८ तक तो कठिन होगा । बहुत कम समय है १८ तक ।

श्री नेतराम सिंह--

(अगला प्रश्न लिये जाने पर) एक जानबूझ कर प्रश्न हटाया गया है । एक प्रश्न और कर लेने दीजिए ।

श्री अध्यक्ष--

मैंने दूसरा प्रश्न ले लिया है ।

* १४--श्री नेतराम सिंह--

[९वें बुधवार में तारांकित प्रश्न संख्या २९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

स्थायी नायब तहसीलदारों की चरित्र पंजिका में प्रविष्टि न किया जाना

* १५--श्री शिव प्रसाद (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में स्थायी नायब तहसीलदारों के चरित्र पंजिका में आज तक १९७५-७६, १९७६-७७ की प्रविष्टि नहीं की गई है जिसके कारण सेवा आयोग ने उनकी पदोन्नति रोक दी है ? यदि हां, तो क्यों और इसके लिए कौन-कौन अधिकारी जिम्मेदार हैं, उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही की जायेगी ?

श्री शारदा भक्त सिंह--

अनेक स्थायी नायब तहसीलदारों की चरित्र पंजिकों में वर्ष १९७५-७६ व १९७६-७७ की प्रविष्टियां नहीं हो पाई हैं, लेकिन इस आधार पर लोक सेवा आयोग ने किसी नायब तहसीलदार की प्रोन्नति नहीं रोकी है। समय से प्रविष्टि न करने के लिए जिम्मेदारी के सम्बन्ध में राजस्व परिषद् द्वारा जांच की जा रही है।

देवरिया जिले में संग्रह अमीनों की नियुक्ति

*१६—श्री पुरुषोत्तम कौशिक (अनुपस्थित)--

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मास दिसम्बर, १९७६ में देवरिया जनपद में बीस संग्रह अमीनों की सामूहिक नियुक्ति राजस्व विभाग अनुभाग-६ की अधिसूचना संख्या ११९/१-६६(यू० पी०-५४५/२२७-राजस्व-६), दिनांक ८ अगस्त, १९७६ में निर्धारित प्रक्रिया के विरुद्ध की गई है ? क्या यह सही है कि उक्त पद के नियुक्ति प्राधिकारी परगनाधिकारी के होते हुए नियुक्तियों पर स्वीकृति अन्य अधिकारी द्वारा की गई है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री शारदा भक्त सिंह--

राजस्व परिषद् के परिपत्र सं० ३३९९९-४०७९/२-संग्रह-७६-बी-७४, दिनांक २३ सितम्बर, १९७६ के साथ पठित परिषद् के परिपत्र सं० ३८८७५-९५३/२-संग्रह-७६-वी/८४, दिनांक ५ अक्तूबर, १९७६ में दिए गए निदेशों के अनुसार जिला देवरिया में जिला संजनल संग्रह अमीनों की अनुमोदित सूची में से उपयुक्त के आधार पर २० अभ्यर्थियों को पूर्ण वर्ष कालीन अमीन पदों पर नियुक्त किया गया। उपर्युक्त चयन अतिरिक्त जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व), देवरिया द्वारा किया गया और उन्हीं के आदेशों के अधीन नियुक्तियां की गईं। चूंकि यह नियुक्तियां परगनाधिकारी के बजाय उनसे उच्च अधिकारी के आदेशों के अधीन की गई हैं इसमें कोई अनियमितता नहीं हुई।

बस्ती जिले के ग्राम ऊंचागांव तथा हवेली में भूमि के आवंटन में बरती गयी अनियमितता

* १७—श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)--

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम ऊंचा गांव तथा हवेली, परगना बस्ती पूरब, तहसील व जिला बस्ती में वर्ष १९७६ के भूमि आवंटन में सार्वजनिक भूमि जो सार्वजनिक सिंचाई व खलिहान के इस्तेमाल की थी, जैसे धोला (नाला) तालाब खलिहान, श्मशान घाट से सटी हुई जमीन, हरिजनों को तथा कृषि योग्य भूमि सवर्णों को पट्टा कर दिया गया है ? यदि हां, तो इस सिलसिले में दोषी कौन है और उस पट्टे को खारिज करने के सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कोई कार्यवाही की जा रही है ?

श्री लक्ष्मण सिंह--

ग्राम ऊंचागांव तथा हवेली परगना बस्ती पूरब, तहसील व जिला बस्ती में वर्ष १९७६ में भूमि आवंटन कार्य क्रम के अन्तर्गत कुल ६२ व्यक्तियों को भूमि आवंटित की गई थी। इसमें ५६ हरिजन तथा ६ पिछड़ी जाति के व्यक्ति हैं।

खतौनी में गाटा संख्या २७६, २८२, ३१९, ४८१ तालाब, गाटा संख्या २१६ धोला, गाटा संख्या १९३ खलिहान दर्ज है। गाटा संख्या २६३ श्मशान न होकर श्मशान से सटी हुई अलग भूमि है। उक्त पट्टी को खारिज किए जाने के लिए हैं। उनके निस्तारण होने पर दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

श्री कल्पनाथ सिंह--

मैं जानना चाहता हूं कि जिन गैर हरिजन लोगों को पट्टे दिए गए हैं, क्या उनके पास पहले से कोई भूमि मौजूद थी जो कि एक अनियमित पट्टा है ? अगर हां, तो अदालत में इस बात पर मामला चल रहा होगा कि इसे खारिज कर दिया जाय या नहीं कर दिया जाय ? यह अलग बात है तो क्या माननीय मंत्री जो उन कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही करेंगे जिन्होंने गलत पट्टे दिये हैं ?

श्री लक्ष्मण सिंह--

मान्यवर, मैंने निवेदन किया कि केवल ६ गैर हरिजन व्यक्तियों को पट्टे दिये गये, जो कि पिछड़ी जाति के हैं। जहां तक कार्यवाही करने का प्रश्न है, यह बात सही है कि पट्टों का एलाटमेन्ट बहुत जल्दी में किया गया। इसके पहले के शासन ने सितम्बर, १९७५ में जमीन बांट देने का निर्णय लिया। लेकिन २६ मार्च को उसी ने यह आदेश दिए कि जो पट्टे दिए गए हैं, उनको खारिज कर दिया जाय। हां, उसमें यह देखना होगा कि किसने इस प्रकार के आदेश दिए और शासन के किन-किन कर्मचारियों ने गल्ती की है ? चूंकि मामला न्यायालय में चल रहा है, इसलिए जैसा निर्णय होगा, उसी के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

श्री कल्पनाथ सिंह--

श्रीमन्, मेरे पहले प्रश्न का उत्तर नहीं आया। मैंने यह जानना चाहा था कि जिन लोगों को हरिजनों के अतिरिक्त पट्टे दिए गए थे, उनके पास पहले से कितनी भूमि थी, जिससे उनको पट्टे नहीं दिए जा सकते थे। अगर हां, तो विभागीय अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करने में मंत्री जी को क्या दिक्कत है ?

श्री लक्ष्मण सिंह--

श्रीमन्, इस बात की मेरे पास कोई सूचना नहीं है कि इन ६ व्यक्तियों के पास कितनी जमीन थी। वैसे इसकी जांच करा ली जायेगी कि उनके पास पहले कोई भूमि थी या नहीं ?

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

इस बात को देखते हुए कि जिन ६ लोगों को भूमि देने की बात कही गयी है जो हरिजन नहीं हैं और प्रायरिटी लिस्ट में नहीं आते हैं और उनके पास हद से ज्यादा जमीन है तो क्या उन सम्बन्धित अधिकारियों के खिलाफ तुरन्त कोई कार्यवाही करेंगे ?

श्री लक्ष्मण सिंह--

अवश्य करूंगा।

कतिपय तहसीलों में पुनः चकबन्दी कराये जाने की मांग

* १८--श्री कल्पनाथ सिंह--

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि राज्य में चकबन्दी कानून लागू होने पर सर्वप्रथम राज्य के २३ तहसीलों की चकबन्दी बिला आयती करण (रेगटेंगुलेशन) किए बिना की गई थी जिसके कारण चक टेढ़े-मेढ़े कई स्थानों पर दे दिए जाने से किसानों को सिंचाई आदि की असुविधा हो गई है ? यदि हां, तो क्या सरकार पुनः उन तहसीलों की चकबन्दी आयतीकरण कराकर कराने की व्यवस्था करेगी ?

श्री लक्ष्मण सिंह--

राज्य में चकबन्दी कानून लागू होनें पर १९५४ से १९५९ तक राज्य की २५ तहसीलों में चकबन्दी बिना आयतीकरण कराये की गयी थी। इन २५ तहसीलों में दुबारा चकबन्दी कराने का निर्णय सिद्धान्त रूप में ले लिया गया है, परन्तु यह कार्य, पूरे प्रदेश में चकबन्दी का एक चक्र पूरा हो जाने के बाद ही किया जा सकेगा।

श्री कल्पनाथ सिंह--

श्रीमन्, आयतीकरण के सिद्धान्त पर पहले सरकार ने चकबन्दी नहीं की, उसके कारण चकबन्दी में काफी गड़बड़ी हो गयी। क्या माननीय मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि जहां से ऐसी जानकारी प्राप्त हुई है, उन स्थानों पर सरकार ने पुनः चकबन्दी कराने का निर्णय सिद्धान्त रूप में लिया है ?

श्री लक्ष्मण सिंह--

मान्यवर, इसके अतिरिक्त और भी अनियमितताये हुई हैं। एक तो यह हुई कि अब तक हमारे पास इतना अनुभव नहीं था जिसके कारण कई-कई चक एक काश्तकार को दे दिए गए। डौलबन्दी नहीं हुई, नालियां नहीं छोड़ी गईं, चक रोड नहीं छोड़ी गई। इस तरह से अलग-अलग जगहों से तमाम शिकायतें प्राप्त हुई थीं, उसी के तहत सिद्धान्त रूप में वह निर्णय लिया गया था।

श्री कल्पनाथ सिंह--

इस बात को देखते हुए जो सिद्धान्त रूप में स्वीकार किया है, माननीय मंत्री जी ने उसमें काफी देर लगेगी और किसानों की कठिनाइयां बहुत अधिक हैं, मौजूदा हालत में चकबन्दी से कोई विशेष लाभ नहीं मिल रहा है तो क्या माननीय मंत्री जी इसी सचिवालय में चकबन्दी सम्बन्धित प्रभावित किसानों को सुविधा देने के लिए पुनः विचार करके पुनः चकबन्दी के आदेश देने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष--

इसका वे पहले ही उत्तर दे चुके हैं। उन्होंने कहा है कि चकबन्दी में जब प्रथम चरण समाप्त होगा तब यह लिया जायगा। आप इस प्रश्न की पुनरावृत्ति कर रहे हैं ?

बहराइच जिले के सीता दोहार (दयार) ताल की मछलियों की कथित चोरी

* १९--श्री कमला प्रसाद वर्मा--

क्या शासन को जानकारी है कि बहराइच जनपद के इकौना, विकास खंड के अधीन सीता दोहार ताल है और शिकार के लिए आरक्षित स्थान है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि सीता दोहार ताल से चार लाख रुपये की मछलियां गत चार माह के अन्दर चोरी से पकड़कर बेच दी गयीं ? यदि हां, तो उसके सम्बन्ध में अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गयी ?

नोट :--तारांकित प्रश्न संख्या १८ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

श्री शारदा भक्त सिंह--

बहराइच जनपद के इकोना विकास खंड में सीता दोहार (सीता द्वार) ताल है जो तालाबों चिड़ियों के शिकार के लिए चर्चित स्थान है । इस ताल के आस-पास के लोगों और कुछ अन्य शिकारियों द्वारा चोरी से मछलियां पकड़ने की सूचना सूचना मिली थी । प्राप्त होने पर स्थानीय पुलिस ने छापा मार कर लगभग २० आदमियों को चोरी से मछली पकड़ते हुए पकड़ा और उनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की । अब तक की जांच से मछलियों के बेचे जाने की पुष्टि नहीं हुई है ।

भूतपूर्व विधायकों को पेंशन दिये जाने की मांग

* २०--श्री सुखपाल पाण्डेय (जिला बस्ती) तथा श्री सुन्दर लाल दीक्षित (जिला बाराबंकी)--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि भूतपूर्व विधायकों को पेन्शन देने का एक विधेयक पिछले वर्ष पास हुआ था ? क्या यह भी सच है कि सरकार ने एक जनवरी, १९७७ से पेन्शन देने का निश्चय कर लिया था ? यदि हां, तो एक जनवरी, १९७७ से भूतपूर्व विधायकों को पेंशन न देने के क्या कारण हैं और अब सरकार कब से उक्त पेंशन देने जा रही है ?

श्री मधुकर दिघे--

जी हां, इस राज्य में भूतपूर्व विधायकों को पेंशन दिए जाने हेतु उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ४९,१९७६ नवम्बर, १९७६ में अधिनियमित किया गया था। यह अधिनियम दिनांक १ जनवरी, १९७७ से पिछली सरकार द्वारा लागू किया गया । उक्त अधिनियम की धारा ८ के अनुसार राज्य सरकार को पेंशन की मांग करने का प्रपत्र तथा पेंशन के भुगतान की रीति निर्धारित करने के लिए नियम बनाने का अधिकार दिया गया है । सरकार द्वारा ऐसे नियम अभी प्रख्यापित नहीं किए गए हैं और नियमों के अभाव में पेंशन के वास्तविक भुगतान के औपचारिक आदेश जारी करना सम्भव नहीं हुआ । सरकार अब पेंशन के पूरे प्रश्न पर पुनर्विचार कर रही है, इस कारण नियमों का प्रख्यापन स्थगित कर दिया गया है ।

देवरिया जिले के खुटहो कृषि फार्म की सीलिंग से निकली भूमि सम्बन्धी विवाद

*२१--श्री पुरुषोत्तम कौशिक--

क्या सरकार को जानकारी है कि देवरिया जिले के हाटा तहसील में खुटहो कृषि फार्म के एक सौ श्रमिकों का परिवार अधिकतम भूमि जोत अधिनियम के अन्तर्गत अवैध रूप से संत्रस्त किया जा रहा है जबकि उक्त श्रमिकों का उपरोक्त भूमि पर विगत चौदह वर्षों से कब्जा है तथा भूमि उन्हें फार्म से पारिश्रमिक (मजदूरी) के रूप में प्राप्त हुई थी ? यदि हां, तो श्रमिकों की सुरक्षा हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शारदा भक्त सिंह--

तहसील हाटा, जिला देवरिया के ग्राम खुटहो में अलावा और भूमि के २६६.०५ एकड़ भूमि नियत अधिकारी द्वारा उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम, १९६० के अन्तर्गत अतिरिक्त घोषित हो चुकी है । इसके सम्बन्ध में १६६ व्यक्तियों ने नियत अधिकारी के न्यायालय में आपत्ति प्रस्तुत की थी जो स्वीकार नहीं हुई । अगर ये व्यक्ति नियत अधिकारी के फैसले से सन्तुष्ट

नहीं थे तो वे अपील कर सकते थे । शासन को यह सूचना मिली है कि इन्हीं व्यक्तियों के बारे में सहायक चकबन्दी अधिकारी, खुटहो के न्यायालय में वाद चल रहा है ।

अतारांकित प्रश्न

आजमगढ़ जिले में घाघरा नदी की बाढ़ से प्रभावित ग्राम एवं दी गई सहायता

१—श्री राम अधार—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आजमगढ़ जनपद में इस वर्ष घाघरा नदी की बाढ़ से कितने ग्राम प्रभावित हुए और कितने का नुकसान हुआ है ? तथा बाढ़ से प्रभावित ग्रामों के निवासियों को कौन-कौन सी राहत दी गई और उसमें कितना धन व्यय हुआ है ?

श्री शारदा भक्त सिंह—

जिला आजमगढ़ में वर्ष १९७७ में घाघरा नदी की बाढ़ से १५३ ग्राम प्रभावित हुए हैं । इसके अतिरिक्त तहसील सगड़ी के भी ५ ग्राम ताल सलोना के कारण जलप्लावित हुए हैं । क्षति का अनुमानित मूल्यांकन रुपया २,१३,७५० है । बाढ़ से प्रभावित ग्रामों के निवासियों को राहत देने में उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए ४८ नावों की व्यवस्था, मनुष्यों एवं पशुओं की चिकित्सा सुविधा, असहाय तथा पात्रता के आधार पर अन्य व्यक्तियों को निःशुल्क सहायता तथा गृह निर्माण अनुदान देने आदि की कार्यवाही की गयी है । इस राहत कार्य में कुल २६,९०९ रुपया अभी तक व्यय हो चुका है ।

नानक सागर बांध के टूटने से पीलीभीत जिले के पीड़ितों को दी गई सहायता एवं सतर्कता विभाग द्वारा जांच

२—श्री हामिद रजा खां (जिला बरेली)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि नानक सागर बांध टूटने पर जो सहायता पीलीभीत जनपद के पीड़ितों को दी गई थी उसका सही इस्तेमाल न होने पर सरकार द्वारा विजीलेंस विभाग से कोई जांच कराई गई थी ? यदि हां, तो क्या सरकार यह बताएगी कि उस जांच की आख्या क्या थी और सरकार ने उस आख्या पर क्या कार्यवाही की ?

श्री शारदा भक्त सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

फर्रुखाबाद जिले के 'तेजवीर' सिनेमाघर की बन्दी

३—श्री श्याम लाल अहेरवार (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद फर्रुखाबाद शहर कन्नौज स्थित 'तेजवीर' सिनेमा १ दिसम्बर, १९७६ से ५ दिसम्बर, १९७६ तक जिलाधिकारी के आदेश से बन्द रहा है ? यदि हां, तो बन्द रहने का क्या कारण था ?

श्री मधुकर दिघे—

जी हां । कन्नौज, जिला फर्रुखाबाद का 'तेजवीर' सिनेमाघर १ दिसम्बर, १९७६ से ५ दिसम्बर, १९७६ तक इस कारण बन्द रहा क्योंकि इस बीच लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा सिनेमा के लाइसेन्स की अवधि बढ़ाई नहीं गई ।

४—श्री नेतराम सिंह—

[१४ वें बुधवार में अतारांकित प्रश्न संख्या १० के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

एटा जिले के परगना बिलराम के अन्तर्गत जमींदारी विनाश ऐक्ट के अन्तर्गत वसूल किया गया हर्जाना

५—श्री नेतराम सिंह तथा श्री राम सिंह (जिला एटा)—

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतलायेंगे कि एटा जिले के तहसील कासगंज के परगना बिलराम से ११५ सी० जमींदारी विनाश ऐक्ट के अन्तर्गत १९७५-७६ और १९७६-७७ में कितना हर्जाना वसूल हुआ ? वसूल हर्जाने की रकम किस अनुपात के साथ किस-किस ग्राम सभा को कितनी-कितनी दी गई ?

श्री शारदा भक्त सिंह—

परगना बिलराम, तहसील कासगंज जिला एटा से वर्ष १९७५-७६ में रुपया ४२१५.०० की धनराशि ११५ सी० जमींदारी विनाश ऐक्ट के अन्तर्गत हर्जाना के रूप में वसूल की गई है। वर्ष १९७६-७७ में कोई हर्जाना वसूल नहीं हुआ है। यह जुर्माना ग्राम सभा संचित कोष में जमा किया गया है किसी भी ग्राम सभा को अलग से नहीं बांटा गया है।

हमीरपुर जिले में कुलपहाड़ तहसील का सृजन एवं उद्घाटन के समय लगाया गया पत्थर

६—श्री मोहन लाल (जिला हमीरपुर) तथा श्री बिहारी लाल हंस (जिला हरदोई)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि पिछले वर्ष सन् १९७६-७७ में जनपद हमीरपुर में कुल पहाड़ में एक अतिरिक्त तहसील का सृजन किया गया था ? यदि हां, तो उसमें कुल कितने गांव लगाए गए हैं, यह किन-किन तहसीलों से पृथक किया गया है, उसका आकार क्या था ?

श्री शारदा भक्त सिंह—

जी हां। वर्ष १९७६-७७ में जिला हमीरपुर के अन्तर्गत कुलपहाड़ नामक तहसील का सृजन किया गया था। उक्त तहसील में चरखारी तहसील से १६९ ग्राम तथा महोबा तहसील से १०३ ग्राम, अर्थात् कुल २७२ ग्राम रखे गए हैं।

७—श्री मोहन लाल तथा श्री बिहारी लाल हंस—

क्या सरकार इस बात की जांच कराएगी कि तहसील कुल पहाड़ के उद्घाटन के समय भूतपूर्व राजस्व मन्त्री द्वारा जो उद्घाटन पत्थर लगाया गया था उसे तहसील के अधिकारियों ने हटा दिया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री शारदा भक्त सिंह—

तत्कालीन राजस्व मंत्री, श्री स्वामी प्रसाद सिंह द्वारा ११ मार्च, १९७७ को तहसील कुलपहाड़ के उद्घाटन के समय लगाए गए पत्थर को, जिलाधिकारी, हमीरपुर के आदेशानुसार, १४ अगस्त, १९७७ को हटवा दिया गया था क्योंकि उक्त पत्थर पर उद्घाटन सम्बन्धी शब्दों तथा मन्त्री जी के नाम के अतिरिक्त उपाध्यक्ष,

जिला कांग्रेस कमेटी, हमीरपुर, श्री मूंगा लाल यादव का नाम भी अंकित था और सरकारी भवन पर किसी राजनैतिक दल विशेष के पदाधिकारी का नाम उद्घाटन पत्थर पर अंकित होना आपत्तिजनक था ।

गोन्डा जिले के उप संचालक, चकबन्दी, श्री राम सहाय लाल के विरुद्ध शिकायती-पत्र

८--श्री दीप नारायन (जिला गोंडा) तथा श्री विष्णु प्रताप सिंह (जिला गोंडा)--

क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गोंडा जिले के वर्तमान उप संचालक, चकबन्दी (श्री राम सहाय लाल) की अदालत में लगातार हस्तान्तरण के प्रार्थना-पत्र जिलाधिकारी, गोंडा के यहां पड़े रहे हैं ? क्या उनके विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायतें भी हैं ? यदि हां, तो सरकार इनके विरुद्ध क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री शारदा भक्त सिंह--

श्री राम सहाय लाल, उप संचालक, चकबन्दी गोन्डा के न्यायालय से मुकदमों के स्थानान्तरण के लिए प्रार्थना पत्र जिलाधिकारी, गोन्डा के न्यायालय में दिए जा रहे है । श्री राम सहाय लाल, उप संचालक, चकबन्दी के विरुद्ध अनियमित कार्य करने की शिकायत भी प्राप्त हुई है ।

मुकदमों के स्थानान्तरण के प्रार्थना-पत्रों पर जिलाधिकारी, गोण्डा के न्यायालय में कार्यवाही की जा रही है । शिकायत की जांच की जा रही है ।

अति वृष्टि से प्रभावित जिले

९--श्री गनेशी लाल चौधरी--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जुलाई और अगस्त, १९७७ में अत्यधिक वर्षा से प्रदेश के कौन-कौन जिले अधिक प्रभावित हुए और इन जनपदों में कितने जन व धन की हानि हुई ?

श्री शारदा भक्त सिंह--

जुलाई, १९७७ में अत्यधिक वर्षा (सामान्य वर्षा से १२०% या उससे अधिक) प्रदेश के ३५ जिलों में तथा अगस्त, १९७७ में २ जिलों में हुई । उपरोक्त जिलों में से जिला मथुरा, आगरा, बुलन्दशहर, मुजफ्फरनगर व मुरादाबाद वर्षा से सबसे अधिक प्रभावित हुए जहां जुलाई मास में वर्षा मास की साधारण वर्षा की तुलना में दुगनी से अधिक हुई ।

अधिक वर्षा तथा उससे उत्पन्न बाढ़ जलप्लावन एवं भूस्खलन से प्रभावित २८ जिलों में ११५ मनुष्यों की जीवन हानि तथा प्रारम्भिक सूचना के आंकड़ों के अनुसार अनुमानित ६० करोड़ रुपए धन की हानि हुई है ।

१०--श्री शिव लाल मित्तल--

[७ वें बुधवार में अतारांकित प्रश्न संख्या ९१ के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

बस्ती जिले में घाघरा की कटान एवं बाढ़ पीड़ितों को दी गई सहायता

११--श्री सुखपाल पाण्डेय तथा श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ (जिला बस्ती)--

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जिले में १९७५-७६, १९७६-७७ तथा अगस्त सन् ७७ तक किन-किन तहसीलों में बाढ़ और घाघरा कटान से पीड़ित लोगों को किस-किस प्रकार की सहायता सरकार द्वारा दी गई है ?

श्री शारदा भक्त सिंह--

बस्ती जिले में बाढ़ तथा घाघरा की कटान से पीड़ित लोगों को वर्ष १९७५-७६ में जिले की सभी तहसीलों, वर्ष १९७६-७७ में तहसील डुमरियागंज को छोड़कर अन्य सभी तहसीलों और वर्ष १९७७-७८ अगस्त तक सभी तहसीलों में आवश्यकतानुसार खाद्यान्न सामग्री अहेतुक सहायता, गृह निर्माण अनुदान तथा तकावी के रूप में सहायता दी गई है । प्रभावित क्षेत्रों में पीड़ित व्यक्तियों को दैनिक जीविका हेतु काम दिलाने के लिए टेस्ट वर्क चलाकर भी सहायता दी गई है । इस जिले को वर्ष १९७५-७६ में १२,०४,६१७, वर्ष १९७६-७७ में १,४१,००० तथा वर्ष १९७७-७८ में ४,०४,००० धनराशि आवंटित की गई है ।

अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि० की स्थापना एवं उसमें की गई नियुक्तियां

१२--श्री सुखपाल पाण्डेय तथा श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ --

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि हरिजन समाज कल्याण वित्त निगम, लखनऊ की स्थापना कब हुई और कितने आदमी उसमें कार्यरत हैं ? अगस्त, १९७७ तक कितनी नियुक्तियां की गईं ? क्या कुछ नियुक्तियां पुरान लिपिकों को हटाकर की गई हैं ? यदि हां, तो किस परिस्थिति में ? क्या सरकार उसका पूरा विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री राम सिंह—

उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि० की स्थापना २५ मार्च, १९७५ को हुई है । उक्त निगम में ३५ अधिकारी और कर्मचारी कार्यरत हैं । अगस्त, १९७७ तक ४८ नियुक्तियां की गईं ।

जी हां, दो लिपिकों को हटाकर नई नियुक्तियां की गई हैं क्योंकि उनको तदर्थ रूप से इस शर्त पर नियुक्त किया गया था कि सेवायोजन कार्यालय से नियमित रूप से अभ्यर्थी आने पर उनकी सेवाएं समाप्त कर दी जावेगीं । विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है ।

(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ११६६ पर)

१३--श्री अदल--

[६ वें गुरुवार में तारांकित प्रश्न संख्या ३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

बहराइच जिले की तहसील भिनगा के अन्तर्गत ग्राम सभा वार को आवंटित की गई भूमि

१४--कमला प्रसाद वर्मा--

क्या सरकार कृपया बताएगी कि गांव सभा खजुहा, झुनझुनिया टिकइया, मटखनवा, भंगहा, कोकाल, शिवगढ़ कलां, परगना व तहसील भिनगा भूमि गांव सभा वार किन-किन भूमिहीनों को कब-कब आवंटित की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शारदा भक्त सिंह—

जिला बहराइच की तहसील भिनगा के सात गांव सभाओं खजुहा, झुनझुनियां टिकुइयां, भटखनवां, भंगहा, चोकल, शिवगढ़ कलां के सम्बन्ध में जो सूचना मांगी गई है वह अत्यधिक विस्तृत है, जिसके एकत्र करने में अत्यधिक समय, श्रम एवं धन लगने की सम्भावना है जो उसके अनुरूप जनहित में लाभकारी न होगा। मेंयह जिला बाढ़ से भी प्रभावित है और समस्त अधिकारी व कर्मचारी राहत कार्य व्यस्त हैं।

बाढ़, सूखे व कटाव के सम्बन्ध में होने वाली चर्चा के स्थगन पर व्यवस्था का प्रश्न

*श्री रवीन्द्र सिंह (जिला गोरखपुर)—

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। १५ सितम्बर से लगातार सूखा, बाढ़ और कटाव के सम्बन्ध में शासन का ध्यान आकृष्ट किया और आपने भी, श्रीमन्, इसकी गम्भीरता को मुनासिब समझा और शासन को निर्देश दिए कि इस पर वक्तव्य हो। आपने इसके लिए २ १/२ घंटे की परिचर्चा के लिए भी आदेश दिए। २६ तारीख को लखनऊ में हुई स्थिति के कारण इस परिचर्चा को ७ तारीख को रखा लेकिन अज्ञात कारणों से उस दिन नहीं हुई। ११ तारीख को माननीय राजस्व मन्त्री जी की बीमारी के कारण टल गयी। ११ तारीख को आपने आश्वासन दिया कि यदि राजस्व मन्त्री जी न भी रहेंगे तो माननीय सिंचाई मन्त्री अथवा माननीय मुख्य मन्त्री जी इस परिचर्चा में भाग लेंगे। कल १३ तारीख भी माननीय सिंचाई मन्त्री और माननीय मुख्य मन्त्री के अनुपस्थित रहने के कारण नहीं लिया जा सका। बाढ़, सूखा और कटाव प्रदेश की तात्कालिक समस्या है। मरीज अगर मर गया तो फिर डाक्टर के आने से क्या लाभ होगा? मन्त्रि मन्डल का सामूहिक दायित्व होता है। माननीय मुख्य मन्त्री के स्थान पर कोई और मन्त्री उत्तर देता है, माननीय राजस्व मन्त्री के स्थान पर नियोजन मन्त्री उत्तर देते हैं। तो इस प्रकार से मन्त्रिमंडल के सदस्य एक दूसरे के सवालों का उत्तर देते ह और जहां पर बड़बाहट से या जन आक्रोश का सामना करना है मुझे संदेह है कि शासन हकीकत में बयान सुनने से पीछे हट रहा है। मेरी प्रार्थना है कि आप शासन को आदेश दें कि वे हमारी बात सुनें, जनता की बात को सुनें, समय के अन्तर्गत उत्तर दें और राहत देने की कार्यवाही तुरन्त करें?

श्री श्याम धर मिश्र (जिला वाराणसी)—

मान्यवर, हम इस बात को उठायें तो ठीक है लेकिन हमें बहुत दुःख होता है कि इसको उनके दल के लोग भी उठाते हैं। मान्यवर, यह एक ऐसी बात है जो कि दलीय बात नहीं है। यह पूरे सदन की बात है, मैं उनको यह बता देना चाहता हूं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आप लोग शांत रहें। इस प्रकार से व्यवधान न करें।

श्री श्याम धर मिश्र—

संसदीय प्रणाली में दूसरों का सुनना भी संसदीय है। (शोर)

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष—

मैं माननीय सदस्यों से कहूंगा कि आप शांत रहें और बातें न करें ।

श्री श्यामधर मिश्र—

मैं कह रहा था कि रोज हम लोगों को स्वयं तकलीफ होती है कि ऐसी छोटी-छोटी बातें आपको और मंत्रियों को परेशान करें । जब हम कहते हैं तो कहीं ऐसा न हो कि व्यक्तिगत बात समझ लेते हों । ऐसी कोई बात नहीं है । हम एक प्रणाली की बात करते हैं । एक वक्तव्य आया, कई बार सदन में टला । दो मन्त्री इसमें शामिल हैं, एक राजस्व मन्त्री और दूसरे सिंचाई मन्त्री । राजस्व मन्त्री शायद बीमार हैं और सिंचाई मन्त्री शायद किसी कारणवश नहीं आ सके । जब मंत्रिमंडल की संयुक्त जिम्मेदारी है और एक-एक मन्त्री के पीछे एक-एक, दो-दो उप मन्त्री और राज्य मन्त्री लोग हैं । उनके प्रशिक्षण की जिम्मेदारी मन्त्रियों पर है । ऐसा क्यों हो रहा है कि तीन महीने के बाद भी उनका प्रशिक्षण नहीं हो रहा है । जवाब नहीं दे सकते । अगर ये जवाब नहीं देते तो इन मन्त्रियों की जिम्मेदारी है । मैं समझता हूं कि उप मंत्रियों को और राज्य मंत्रियों को जिम्मेदारी नहीं दी जा रही है, यह मेरा अनुमान है ।

(व्यवधान)

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)—

व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठिये । कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

श्री श्यामधर मिश्र—

बड़ी कृपा जो आप इनको बता रहे हैं । तो मैं इस बात की ताईद करता हूं जो माननीय रवीन्द्र सिंह साहब ने कहा है । मैं मांग करता हूं कि वक्तव्य जो आयें जल्दी-जल्दी आयें चाहे वह शून्य प्रहर के हों, चाहे और कोई हों । वह महत्वहीन हो जाता है जब समय पर नहीं आता । एक दिन में कहा जाता है ४ दिन में दिया जाता है तो वह महत्वहीन हो जाता है ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मान्यवर.....

श्री अध्यक्ष—

आप बैठिये ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मैं आपको विशेषाधिकार की सूचना माननीय सदस्य, वाराणसी के विरुद्ध दे रहा हूं । उन्होंने मंत्रि-परिषद् को सीधे-सीधे कहा है कि मंत्रि-परिषद् को ट्रेनिंग देने की जरूरत है । मैं यह मानता हूं कि यह सीधे-सीधे विशेषाधिकार का हनन है । इसकी हम आपको सूचना दे रहे हैं, लिखित बाद में दे देंगे ।

श्री अध्यक्ष—

आप लोग शान्त रहिये ।

*श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

नियम ५१, ५२ और ५३ में जो सूचनायें माननीय सदस्य देते हैं उनकी आप स्वयं पूरी तरह से जांच करते हैं । जांच में दो चीजें सामने आती हैं, एक लोक महत्व का हो और दूसरे अविलम्बनीय हो । इन दोनों चीजों को जब आप जांच लेते हैं तब आप उसकी स्वीकृति देते हैं । मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि दफा ५२ में दो चर्चाएं इस सदन के सामने हैं—एक सूखा और बाढ़ और दूसरी दिन-ब-दिन बढ़ती हुई महंगाई । ये दोनों इतनी अहम चर्चाएं थीं कि जिस दिन इनको नोटिस दी गयी उसके ३-४ दिन के अन्दर ही इनका हो जाना जरूरी था । अब १८ को यह सदन १०-१२ दिन के लिये उठ जायगा । ऐसी हालत में हम लोग कुछ ऐसा महसूस कर रहे हैं कि सरकार जानबूझ कर इन दोनों चर्चाओं को टालने की कोशिश कर रही है । क्या परेशानी उनके सामने है इसमें हमको जानने की जरूरत नहीं है । हम तो इतना जानते हैं कि दोनो इतने अहम सवाल हैं कि पूरे प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं तो अब जो एक १७ तारीख को और दूसरा १८ तारीख को रखा गया है मेरा आपसे अनुरोध है कि कम से कम तीन बार तो टल चुका, कभी यह मन्त्री नहीं हैं कभी वह मन्त्री नहीं हैं, लेकिन कृपा कर अब इसको जरूर देख लें कि कहीं १७ तारीख को भी यह टल न जाय, क्योंकि सरकार इसको अहमियत देती नहीं है ।

(श्री गनेशी लाल चौधरी के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—

अब इस पर विवाद नहीं । अब इस पर बहुत हो चुका, आप बैठ जाइयेगा ।

(श्री सुन्दर लाल दीक्षित के खड़े होने पर)

आप बैठ जाइये । सुन्दर लाल जी, आप बार-बार खड़े हो जाते हैं ।

(श्री बांके लाल के खड़े होने पर)

आप बैठिये ।

(व्यवधान)

कल मैं व्यवस्था दे चुका था कि चूंकि माननीय राजस्व मन्त्री जी अस्वस्थ हो गये और सिंचाई मन्त्री जी ने कल वक्तव्य देना स्वीकार किया था, लेकिन उनको अकस्मात् ही आवश्यक कार्य से जाना पड़ा, इसलिए १७ तारीख के लिए

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

यह बहस मुकर्रर कर दी गयी है और रियासत साहब ने जो आशंका पैदा की है, मैं समझता हूं, वह निर्मूल होगी और माननीय मुख्य मन्त्री जी से मैं अपेक्षा करता हूं कि १७ अक्तूबर, १९७७ को चाहे कोई भी मन्त्री हो, इस पर बहस अवश्य हो जानी चाहिए, ढाई घंटे का समय है और जहां तक रियासत साहब की दूसरी शिकायत का सवाल है, मुझे खेद है कि वह उन्होंने बड़ी निराधार बात कही है, चूंकि कार्य मंत्रणा समिति में, जिसमें वह स्वयं शामिल थे, उसमें कीमतों के बढ़ने पर की बहस को स्वयं १८ तारीख को, उनके मशविरे से रखा गया था । और दूसरा इसी तरह का ५२ की बहस का है, जिसको मैंने स्वीकार किया है, जैसा कि मेरठ में उच्च न्यायालय का प्रश्न १८ अक्तूबर, १९७७ में तय किया है । पहले यह बहस १८ अक्तूबर, १९७७ को थी, लेकिन माननीय सुखपाल पान्डेय और माननीय २३ विधायकों ने इस पर आपत्ति की थी, इसके महत्व को देखते हुए, इसीलिए पहले मैंने ३ दिन एजेंडे में रखा । मुझको स्वयं इस बात का खेद है कि तीन बार मुझे स्थगित करना पड़ा । मैं माननीय सदस्यों को आश्वासन देना चाहूंगा कि इस पर निर्विवाद और निश्चित रूप से बहस हो जानी चाहिए ।

मुख्य मन्त्री (श्री राम नरेश यादव)—

मान्यवर, जैसा कि आपने निर्देश किया, कल ही इस बात की व्ययस्था हो गयी थी और उस व्यवस्था की जानकारी के बावजूद भी माननीय सदस्यों ने इस प्रकार के प्रश्न को उठाया । शासन ऐसे मामलों पर, चाहे सूखा हो या बाढ़ हो, इस तरह की जो भी समस्यायें प्रदेश की जनता पर आती है, उससे अच्छी तरह से जागरूक है ।

(व्यवधान)

श्री सुन्दर लाल दीक्षित (जिला बाराबंकी)—

मान्यवर, इस बात पर चर्चा होनी चाहिये ।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठिये । आप लोग शान्त रहिये ।

श्री राम नरेश यादव—

सूखे से किसी भी अपने एक नागरिक को मरने नहीं देंगे । इस तरह का शासन ने पहले ही संकेत किया था और आज भी इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर इस सदन को विश्वास दिलाता हूं कि शासन की मंशा किसी प्रश्न से पीछे भागने की नहीं रही है । सदन में जिस तरह के प्रश्न उठाये जाते हैं, सारे लोग तैयार होकर उसका जवाब देते हैं । सदन में १७ को हम लोग तैयार होकर आपकी सारी बातों को सुनेंगे, इस विषय में जो आप लोग सुझाव रखेंगे, उसका हम लोग स्वागत करेंगे ।

श्री सुखपाल पाण्डेय (जिला बस्ती)—

एक व्यवस्था का प्रश्न है । मान्यवर, आपके सामने दो माइक हैं । एक माइक तो ऐसा है, जो आपकी दाहिनी आंख की तरफ पड़ता है, जिससे आप दाहिनी तरफ नहीं देख पाते हैं । आप कोई ऐसी व्यवस्था करें कि जिससे आपकी दृष्टि हम लोगों पर पड़ती रहे ।

श्री अध्यक्ष---

आप तो सर्व-व्यापक हैं, इसलिए इस पर कोई व्यवस्था नहीं ।

(श्री बांके लाल के खड़े होने पर)

आप क्या कहना चाहते हैं ?

श्री बांके लाल (जिला देवरिया)--

माननीय अध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं । हमारे जिले में एक मुट्ठी अन्न नहीं पैदा हुआ और जनता भूख से त्राहि-त्राहि मचा रही है । वक्तव्य दिलाने के लिए आपसे कई बार कहा गया । यह लोग टालते गये । देवरिया जिले की जनता त्राहि-त्राहि मचा रही है ।

श्री अध्यक्ष--

आपको अवसर मिल गया, अब आप बैठिए । मुख्य मन्त्री जी ने अभी कहा कि १७ अक्तूबर, १९७७ को बतायेंगे कि क्या सहायता की गयी ।

(व्यवधान)

श्री हरिकेवल प्रसाद (जिला देवरिया)--

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से कहना चाहता हूं कि प्रदेश में ही नहीं अपितु पूरे देश में....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष---

श्री हरिकेवल प्रसाद जी, आप रुकिए ।

अनुपूरक प्रश्न पूछने तथा सदस्यों द्वारा विवाद में भाग लेने के सम्बन्ध में व्यवस्था

श्री अध्यक्ष---

माननीय जगन्नाथ प्रसाद जी, मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि आपके दल के सदस्य श्री सुन्दर लाल दीक्षित और राम आसरे वर्मा और सभी सदस्यों से कहना चाहता हूं कि प्रश्नोत्तर काल में किसी तरह का व्यवधान न करें क्योंकि जो व्यक्ति प्रश्न देता है उसको समय न देकर दूसरे सदस्यों को समय देने का मतलब यह है कि हम उनको उनके अधिकारों से वंचित कर रहे हैं । प्रश्न देने वाले सदस्य के अतिरिक्त बाकी सदस्यों का यह अधिकार नहीं है कि वह जबरदस्ती किसी तरह से अनुपूरक प्रश्न करें । मैं कहना चाहता हूं कि जो भी प्रश्न का समय दिया जाता है, कोई सदस्य यह कह कर व्यवधान न उपस्थित करे कि एक प्रश्न और करने दीजिए एक घंटे के अन्दर आप देखते हैं कि कई प्रश्न स्थगित करने पड़े और कई माननीय सदस्य उपस्थित नहीं थे तब ७-८ प्रश्नों का उत्तर हो पाया है । तो जो व्यक्ति प्रश्न नहीं देते हैं उन्हें स्वतः अधिकार नहीं है, प्रश्न कर्त्ता को २ या ३ प्रश्न करने का अधिकार मिलेगा । इसमें आपका ही समय जाता है । एक घंटा से

ज्यादा समय बढ़ता नहीं है। मैं सुन्दर लाल जी से कह चुका हूं कि जब उन्हें बोलना हो तो वे पहले मुझे बता दें मैं नियमों को निलम्बित करके उन्हें अवसर दूंगा। मैं एक बात और स्पष्ट कर दूं कि मैंने कभी यह नहीं कहा कि २ व्यक्ति इस पक्ष के बोलेंगे और एक व्यक्ति इस पक्ष का। मेरी व्यवस्था थी कि मैं पर्याप्त समय दूंगा। आप देखें कि कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्यों को ४ पर एक को बोलन का अवसर मिलता है, निर्दलीय सदस्यों को ६ पर एक को मिलता है और कांग्रेस के सदस्यों को १०-११ पर एक को समय मिलता है। जनता पार्टी को ३० या ३५ के एवरेज पर एक सदस्य को बोलने का अवसर मिलता है। अगर आप समय नष्ट करेंगे तो समय कम हो जाता है। म कहना चाहता हूं कि नेता लोग मिलकर तय कर। मैं जानता हूं कि बहुत सी समस्यायें हैं और प्रत्येक क्षेत्र के सदस्य अपनी बात रखना चाहते ह। तो इसलिए मैं मुख्य मन्त्री जी से कहूंगा कि क्या आप लोग चाहते हैं कि सेशन ८ बजे तक रोजाना चले ताकि अधिकांश सदस्यों को बोलन को मिले? लेकिन मैंने अर्ज किया जितना समय, जैसे आज कृषि विभाग महकमा का अनुदान है तो उसमें ज्यादा से ज्यादा ३ घंटे समय मिलेगा। अधिक व्यक्ति बोल नहीं सकते ह। तो मैं संसदीय कार्य मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि उन्हीं व्यक्तियों की सूची को दें जिनको बोलने का अवसर बिल्कुल नहीं मिला है। कुछ माननीय सदस्य, मैं जानता हूं कि बड़े योग्य ह, उनका योगदान भी बहुत होता है। उनके नाम प्रायः आ जाते हैं। तो अन्य सदस्य आकर कक्ष में और यहां पर भी आपत्ति करते हैं। तो मैं संसदीय कार्य मन्त्री से प्रार्थना करूंगा कि ऐसा प्रबन्ध करें जिससे जिन विषयों में लोगों को विशेष अभिरुचि है उनको थोड़ा सा अवसर मिल सके। मैं एक बार पुनः कहना चाहता हूं कि प्रश्नों के समय कोई व्यवस्था पदा नहीं होती। अन्य प्रश्न करके अपना समय, जो बड़ा मूल्यवान घंटा है जिसके जरिये सरकार से सूचना मिल सकती है, उसको आप कम कर देते ह। मेरा अनुरोध है कि आप इसमें सहयोग करें।

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)--

मान्यवर, मेरा निवेदन है।

श्री अध्यक्ष--

अब इस पर कोई विवाद नहीं है।

श्री विद्या शंकर (जिला प्रतापगढ़)--

मान्यवर, एक मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठिये, अब कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री विद्या शंकर--

आप मेरी बात सुन लें।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठिये।

श्री विद्या शंकर--

श्रीमन्, मैंने इंगलैंड और अमेरिका का विधान पढ़ा है।

श्री अध्यक्ष--

आप कृपया बैठ जाइये ।

श्री विद्या शंकर--

उसमें है कि.....,

श्री अध्यक्ष--

आप बैठिये या आप सदन छोड़िए । विद्या शंकर जी, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आप बार-बार अवज्ञा करेंगे तो मैं आपको सदन से निष्कासित करूंगा ।

गन्ना अनुसंधान केन्द्र सेवरही, देवरिया के स्थानान्तरण तथा अनुदान बन्द किए जाने के विषय को सदन के संज्ञान में लाना

श्री हरिकेवल प्रसाद (जिला देवरिया)—

मान्यवर, प्रदेश में ही नहीं, अपितु पूरे देश में गन्ना उत्पादक जनपदों में देवरिया का अपना एक विशेष स्थान है । इस जनपद में १४ चीनी मिलें हैं । गन्ना में चीनी का परता बढ़ाने हेतु गन्ने की नई जातियों के विकास हेतु प्रसिद्ध गन्ना नेता श्री गेंदा सिंह के अथक प्रयास से देवरिया जनपद के सेवरही में गन्ना अनुसंधान केन्द्र की स्थापना विगत सरकार द्वारा की गई । इस केन्द्र की स्थापना से पूर्वी उत्तर प्रदेश के गन्ना बाहुल्य क्षेत्रों में गन्ने में चीनी का परता बढ़ाने से जहां एक तरफ गन्ना उत्पादकों को फायदा होगा वहीं देश को चीनी के निर्यात में विदेशी मुद्रा की वृद्धि होगी । इसके बावजूद भी देश एवं पूर्वान्चल गन्ना उत्पादकों के हित को ध्यान में न रखकर वरिष्ठ अधिकारियों की साजिश से इस केन्द्र को अन्यत्र स्थानान्तरित करने की योजना विचाराधीन है तथा गन्ना आयुक्त उ० प्र०, लखनऊ ने इस अनुसंधान केन्द्र को दी जाने वाली अनुदान रोक दी है । ज्ञातव्य है कि पूरे देश में इस प्रकार के केवल तीन ही केन्द्र सेवरही, शाहजहांपुर और कोयम्बटूर में हैं ।

सेवरही गन्ना अनुसंधान केन्द्र के स्थानान्तरित किये जाने की सूचना से जहां जनता पार्टी की प्रतिष्ठा पर आघात हुआ है वहीं मात्र देवरिया जनपद के ही नहीं अपितु पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश की जनता में घोर क्षोभ एवं असंतोष व्याप्त है तथा उसके विरोध में संघर्ष करने के लिये उद्धत है ।

अतः अंत में माननीय सदन में माननीय सरकार तथा गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मन्त्री का ध्यान आपकी आज्ञा से आकर्षित करते हुये यह मांग करता हूं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों के मनोभावों का आदर करते हुए एवं चीनी उद्योग को फलने फूलने हेतु एक गन्ना अनुसंधान केन्द्र सेवरही, देवरिया को अन्यत्र स्थानान्तरित करने की योजना को निरस्त कर उसे पूर्ववत् रहने दिया जाय तथा इस केन्द्र को दिये जाने वाले अनुदान शीघ्र दिये जायं ।

मफीपुर, उन्नाव के थाने के सिपाही श्री विश्वेसर सिंह द्वारा जनता को सताने के विषय को सदन के संज्ञान में लाना

श्री जगदीश प्रसाद त्रिवेदी (जिला उन्नाव)—

मान्यवर, आपके माध्यम से अति लोक महत्व की निम्नांकित सूचना के द्वारा सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं ।

सफीपुर, उन्नाव के थाने के सिपाही श्री विश्वेसर सिंह द्वारा जनता को सताने के विषय को सदन के संज्ञान में लाना

अलोकतांत्रिक ढंग से दमन के बल पर शासन करने वाली पूर्ववर्ती सरकार का अन्त हो चुका है और सारे देश में जनता राज्य कायम हो चुका है। लेकिन हमारे जनपद उन्नाव में ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे पुलिस राज्य कायम है। उसकी दमनात्मक रीति नीतियों में कोई परिवर्तन नहीं आया प्रतीत होता। इसका ज्वलंत उदाहरण यह है कि गत ८ अक्तूबर, ७७ को ट्रक नं० यू० टी० ई०-१७६५ के ड्राइवर, श्री लक्ष्मी नारायण को जबकि वह रोड के किनारे खड़ा था, अकारण थाना सफीपुर के सिपाही (श्री विश्वेसर सिंह) ने लाठियों से मार-मार कर उसका एक हाथ तोड़ डाला। इस घटना के कुछ ही दिनों पूर्व इसी सिपाही ने टी० बी० के मरीज श्री चन्द्रपाल चमार नामक एक व्यक्ति को अकारण ही ऐसे जोर से तमाचे मारे थे कि उसके मुंह से खून आ गया था। इसी सिपाही ने अभी हाल में चन्द्राकली नामक एक हरिजन लड़की को बेइज्जती की थी और एस० पी० से शिकायत किए जाने पर उस हरिजन लड़की को तरह-तरह की धमकियां दी थी, जिससे वह घर छोड़कर कहीं अन्यत्र रह रही है। उक्त सिपाही के विरुद्ध कुछ समय पूर्व एक १५ वर्षीय बालक के साथ अप्राकृतिक कृत्य किए जाने का भी मामला प्रकाश में आ चुका है। इन सारी ही घटनाओं की सूचना श्रीमन पुलिस अधीक्षक, उन्नाव व आई० जी०, लखनऊ को दी जा चुकी है। किन्तु अभी तक कोई प्रभावी कार्यवाही न किए जाने के कारण थाना सफीपुर की पुलिस के हौसले दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। जिले में लगभग प्रतिदिन डकैतियां पड़ रही हैं, हत्यायें हो रही हैं, दूसरी ओर पुलिस अपनी शक्ति का प्रदर्शन गरीब जनता पर कर रही है। जिससे क्षेत्रीय जनता में घोर रोष एवं असन्तोष व्याप्त है।

अति महत्व की इस सूचना के सम्बन्ध में सरकार से अपेक्षा करता हूं कि वह जनपद उन्नाव की पुलिस कार्य प्रणाली में आमूल चूल परिवर्तन करेगी, ताकि जनता में व्याप्त असन्तोष की भावना दूर हो सके।

पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अवहेलना के विरोध में अनेक जिलों के वकीलों तथा कार्यकर्त्ताओं द्वारा न्यायालयों के बहिष्कार के विषय को सदन के संज्ञान में लाना

श्री सोहन वीर सिंह तोमर (जिला गाजियाबाद)---

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से सदन के सम्मुख एक महत्वपूर्ण सूचना देना चाहता हूं। टेलीफोन पर प्राप्त सूचना के अनुसार आज मेरठ तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अनेक जिलों में वकीलों तथा कार्यकर्त्ताओं द्वारा सरकार की पश्चिमी अंचल के प्रति विभेदकारी नीति तथा उदासीनता पूर्ण अवहेलनात्मक रवैये के विरोध में न्यायालयों का सम्पूर्ण बहिष्कार किया जा रहा है। पश्चिमी अंचल की जनता में इस बात पर व्यापक रोष एवं क्षोभ है कि वर्तमान सरकार द्वारा अंचल में उच्च न्यायालय की खंड पीठ की स्थापना की कार्यवाही को बीच ही में रोक दिया गया है। इस मांग के औचित्य तथा तर्कसंगत आधार को स्वीकार करते हुए भी इसके अमल को स्थगित करने की सरकारी कार्यवाही से तीव्र रूप से आन्दोलित है तथा सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में तत्काल घोषणा न किए जाने पर इस बात की प्रबल आशंका है कि जनता के रोष का लाभ उठाकर उग्र तत्व जनता को प्रदेश के विभाजन की मांग के आन्दोलन की ओर न मोड़ दें। अतः जन भावनाओं को संतुष्ट करने तथा सरकार की उनके प्रति न्यायप्रियता की भावना की पुष्टि के लिए यह आवश्यक है कि मुख्य मन्त्री तुरन्त एक समयबद्ध अल्प अवधि के अन्तर्गत पश्चिमी अंचल में उच्च न्यायालय की खंड पीठ की स्थापना के कार्य को पूर्ण करने की घोषणा करें।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)—

मान्यवर, श्री सुन्दर लाल दीक्षित को उपाध्यक्ष के पद पर बैठा दें। यह मेरा प्रस्ताव है।

श्री अध्यक्ष—

आपका प्रस्ताव अच्छा है। आप बैठ जायं।

श्री बाबू बदरे (जिला कानपुर)—

मैं प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

तिलकहाल, कानपुर में जनता पार्टी के जुलूस में असामाजिक तत्वों के कारण गड़बड़ी के विषय को सदन के संज्ञान में लाना

श्री श्याम धर मिश्र (जिला वाराणसी)—

मान्यवर, मालूम हुआ है कि ६ अक्तूबर, १९७७ को कानपुर में कांग्रेस के कुछ सक्रिय कार्यकर्त्ताओं एवं तिलक हाल पर जनता पार्टी के नाम से कुछ असामाजिक तत्वों को इकट्ठा कर कानपुर में एक महिला के नेतृत्व में जुलूस निकाला। इस जुलूस का आयोजन इसके पति ने किया जो कानपुर नगर महापालिका में उप नगर प्रमुख अधिकारी के पद पर है। यह जुलूस जनता पार्टी के केवल नाम से इन्दिरा गांधी की अर्थी जलाने के लिए उठा, इसकी तैयारी कानपुर रोडवेज स्टैन्ड कलेक्टरगंज के सामने स्थित एक होटल पर हुई। यह होटल बस स्टेशन और रेलवे में होने वाली चोरियों के प्रति उत्तरदायी समाज विरोधी व्यक्तियों का अड्डा बतलाया जाता है। इस जुलूस में जनता पार्टी की कानपुर नगर का कोई भी संसद सदस्य या विधान मन्डल के दल का सदस्य नहीं था। कोई भी जनता पार्टी का पदाधिकारी तथा नेता नहीं था। परन्तु कुछ ऐसे जो असामाजिक होते हैं, परन्तु प्रशासन एवं पुलिस की आंख से बचने के लिए राजनैतिक आवरण ओढ़ लिया करते हैं। इसी तरह के लोगों ने जुलूस निकाल कर कांग्रेस कार्यकर्त्ताओं पर अचानक हमला बोल दिया, जिसमें कुछ कांग्रेसजनों को चोट आई। कांग्रेस कार्यालय पर भी पथराव किया और इन्दिरा गांधी का पुतला जलाकर तिलक हाल में आग लगाने का प्रयास कर रहे थे। जिन व्यक्तियों को जनता पार्टी का कार्यकर्त्ता कह कर घायल बताया जाता है, उन्हीं में से श्री लक्ष्मी शंकर गुप्ता, श्री पुरुषोत्तम शाह और श्री अरविन्द बाजपेयी के खिलाफ लगभग १५ दिन पूर्व थाना कोतवाली, कानपुर में जनता पार्टी के ही कार्यकर्त्ताओं ने रिपोर्ट की है। इन व्यक्तियों ने मुख्तार अनीस की उपस्थिति में जनता पार्टी के कार्यालय पर माननीय मन्त्री जी की गाड़ी को रोका और मना करने पर लड़कों को भी घायल किया। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि ये श्री लक्ष्मी शंकर गुप्ता मिनी बसों में गुंडों, बदमाशों को भर कर चाकू-छूरे तथा पिस्तौल से लैस होकर जनता पार्टी के कार्यकर्त्ताओं को मारने आये थे। यही श्री लक्ष्मी शंकर गुप्ता और श्री पुरुषोत्तम साहू को जुलूस का नेतृत्व करने वाली श्रीमती माधवी लता के पति कानपुर में नगर महापालिका की बीस दुकानें एलाट की, जिसमें जो दुकानें २५/२५ हजार की बेच दी गई। जुलूस का नेतृत्व करने वाली श्रीमती माधवी लता का सगा भाई श्री आर० के० मिश्रा पिछले डेढ़ वर्ष तक काफीपोशा में नजर बन्द रहा और उनके यहां से लगभग २० हजार रुपये की घड़ियां बरामद हुई। इस पूरे मामले में निवेदन है कि माननीय मुख्य मन्त्री जी पूरी जानकारी देने की कृपा करें।

परिवहन निगम, गोण्डा डिपो की बस से जिगिना ग्राम के हरिजन दम्पत्ति की मृत्यु के विषय को सदन के संज्ञान में लाना

*श्री बाबूराम वर्मा (जिला बस्ती)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, गत ३ अक्तूबर, ७७ को सायं साढ़े ५ बजे राजकीय परिवहन निगम की बस संख्या यू० टी० ए० ८६८ गोन्डा डिपो के दुर्घटना ग्रस्त होने से जिगिना ग्राम के दो हरिजन दम्पत्ति श्री कुन्जू व श्रीमती मुटुरा के दर्दनाक मौत उसके दरवाजे पर पीपल के पेड़ से टकराने से हुई। हरिजन दम्पत्ति अपने काम से वापस आकर अपने दरवाजे के समीप पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर विश्राम कर रहे थे। इतने में सड़क को छोड़कर बस ने आकर उनको मौत के मुख में भेज दिया। उसके दो नाबालिग बच्चे हैं जो भूखों मर रहे हैं। बस में बैठे सभी यात्रियों को चोटें आयीं। एक दर्जन व्यक्ति अंग विहीन हो गए। आज तक हरिजन परिवार को कोई सहारा नहीं दिया गया। घायलों को कोई मुआवजा नहीं दिया गया। आपके माध्यम से सरकार से मांग है कि मृतक हरिजन दम्पत्ति के आश्रितों को कम से कम चालीस हजार रुपये हरजाना दिया जाय। साथ ही प्रत्येक घायल को उचित मात्रा में हरजाना दिया जाय, इस दुर्घटना से जनता के मन में आतंक फैला हो गया है।

थाना अनवरगंज, कानपुर की पुलिस द्वारा खटिकाने के हरिजनों को पीटे जाने के विषय को सदन के संज्ञान में लाना

श्री गुलाब सेहरा (जिला आगरा)—

दिनांक २६, ३० सितम्बर, १९७७ को थाना अनवरगंज, कानपुर के अन्तर्गत कुलीबाजार चौकी इंचार्ज श्री जानकी पाल सिंह व इंसपेक्टर जगदीश सिंह १०-१२ अन्य पुलिस व पी० ए० सी० के जवान संख्या ४०-५० को लेकर बहुसंख्यक हरिजन बस्ती, अनवरगंज थाने खटिकाने में निरपराध लेटे हुए लोगों (महिलाओं, पुरुषों व बच्चों) को अकारण बेरहमी के साथ लाठी-डण्डों से मारा, जिसके कारण २१ व्यक्तियों को गम्भीर चोटें आयीं।

दिनांक ३०-६-७७ को प्रातः बर्बरतापूर्ण काण्ड की सूचना फोनोग्राम द्वारा भारत सरकार के प्रधान मन्त्री, रक्षा मन्त्री व गृह मन्त्री तथा उत्तर प्रदेश के मुख्य मन्त्री और डी० आई० जी०, कानपुर को दी जा चुकी है। इस काण्ड की जांच घटनास्थल पर जाकर नगर की विधायिका श्रीमती पुष्पा तलवार ने की तथा महिलाओं, पुरुषों व बच्चों की चोटें देखीं।

पुलिस आज भी उक्त क्षेत्र के निवासियों के साथ मारपीट, डराना-धमकाना शुरू किए हुए है, जिसके कारण वहां के हरिजन अपने को असुरक्षित पा रहे हैं। उनकी सुरक्षा का अविलम्ब प्रबन्ध किया जाना चाहिए तथा उक्त घटना का पूर्ण विवरण मन्त्री जी से उपलब्ध करवा कर वक्तव्य दिलवाने की कृपा करें।

श्रीमती पुष्पा तलवार (जिला कानपुर)—

मान्यवर, यह सूचना सही है जो माननीय सेहरा जी ने पढ़कर सुनाया है। मान्यवर, जब शिया-सुन्नी झगड़ा हुआ तो वहां का मैंने दौरा किया। मैंने वहां देखा कि खटिकाने में जहां हरिजनों की बस्ती है, वहां पुलिस ने अत्याचार किया

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्रीमती पुष्पा तलवार--]

है । जब शिया-सुन्नी से झगड़ा हुआ तो खटिकाने में पुलिस ने क्यों अत्याचार किया ? मान्यवर, वहां महिलाओं को लाठी से मारा। लोगों को घर से निकाल कर मारा गया । ११ अक्तूबर को पत्र भी लिखकर मैंने दे दिया है । मान्यवर, इसकी जांच होनी चाहिए ।

एक सदस्य--

मान्यवर, मेरी भी एक महत्वपूर्ण सूचना है । कल मेरे क्षेत्र में डकैती पड़ी, जिसमें ४ आदमी मारे गए । १३ आदमियों को चोटें आयीं ।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठें, इस तरह से नहीं होता।

श्री मन्नू लाल द्विवेदी (जिला रायबरेली)--

मान्यवर, रायबरेली जिले के लिए भी एक महत्वपूर्ण सूचना है, इसको स्वीकार करने की कृपा करें ।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठिये ।

श्री मन्नू लाल द्विवेदी--

मान्यवर, बड़ी महत्वपूर्ण सूचना है । मान्यवर....,

श्री अध्यक्ष--

कृपया आप अपना स्थान ग्रहण करें । इस तरह से नहीं ।

श्री श्याम धर मिश्र द्वारा सदन में कहे गए शब्द 'जनता चोर' के सम्बन्ध में उठाए गए विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष--

उस दिन मैंने माननीय शतरुद्ध प्रकाश के प्रश्न पर व्यवस्था देने के लिए आज को कहा था इसमें मैं अधिक समय नहीं दूंगा । माननीय शतरुद्ध प्रकाश जी को जो कुछ कहना है, २ मिनट में कह सकते हैं ।

*श्री शतरुद्ध प्रकाश (जिला वाराणसी)--

मान्यवर, मैं इस सदन में माननीय सदस्यों द्वारा जो पालनीय नियम हैं, उनकी ओर सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं । मान्यवर, इस सम्बन्ध में कौल तथा शकधर की किताब में पृष्ठ २८३ पर इसका वर्णन है, जिसमें सदस्यों के बारे में कहा गया है कि उनके शब्द देशद्रोहपूर्ण, राजद्रोहपूर्ण, मानहानिजनक या अपमानजनक नहीं होने चाहिए। इस आधार पर कोई सदस्य जब इस माननीय सदन के अन्दर बोलता है तो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, जिससे किसी की मान-हानि होती हो । इस सम्बन्ध में इसी उत्तर प्रदेश विधान सभा में १६ दिसम्बर, १९५३ को यह व्यवस्था दी गई थी कि 'चोर' शब्द का प्रयोग यदि किसी सदस्य के लिए संकेततः भी किया जाता है, तो असंसदीय है । १६ दिसम्बर, १९५३ को आगरा यूनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक, १९५३ के खंड ६ में जब श्री रामनारायण त्रिपाठी के संशोधन पर श्री हरगोविन्द सिंह ने एक वैधानिक प्रश्न उठाया और

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

उसको अध्यक्ष ने असंगत ठहराते हुए श्री रामनरायण त्रिपाठी को बोलने की अनुमति दी तो श्री रामनरायण त्रिपाठी ने कहा "मुझे दुख है कि माननीय मन्त्री जी को चोट पहुंची और यह तो मैं समझता हूं कि उन्होंने "चोर की दाढ़ी में तिनका" वाली कहावत चरितार्थ की है । इस पर माननीय अध्यक्ष ने कहा "आप यह शब्द वापस लें । आप 'चोर' शब्द का प्रयोग शिक्षा मन्त्री के लिए कर रहे हैं । तो यह आपने जानबूझ कर एक एब्यूज की तरह प्रयोग किया है' । तो मान्यवर, साफ-साफ चोर किसी सदस्य के बारे में कहें या न कहें, इसके बारे मे माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी ।

इसी प्रकार से पंजाब विधान सभा में ७ अगस्त, १९७४ को श्री चौधरी जगत राम ने एक बात उठाई थी, जो मान्यवर, एक पुस्तक है लोक सभा की "ए लिस्ट आफ अन-पार्लियामेन्ट्री एक्सप्रेशन्स १९७४" जिसमें स्पष्ट लिखा है कि ७-८-७४ को पंजाब विधान सभा के सदस्य के लिए जो चोर शब्द का इस्तेमाल किया गया है, वह असंसदीय है ।

इसी तरह मान्यवर, राजस्थान विधान सभा में १३ दिसम्बर, १९५७ को श्री जगदीश प्रसाद माथुर ने एक सवाल उपस्थित किया था, जिसकी अनुमति १४ नवम्बर, १९५७ को माननीय उपाध्यक्ष ने दी । मान्यवर, श्री जगदीश प्रसाद माथुर ने कहा था कि एक नुमाइश देखने गया तो उस नुमाइश में विधान सभा के कुछ सदस्य और कुछ मन्त्रियों की फोटो, तस्वीर लगी हुई थी और उसके आखिर पर लिखा था । 'चोर मनचले' । इसको मान्यवर, जब श्री जगदीश प्रसाद माथुर ने विधान सभा के अन्दर विशेषाधिकार भंग के सवाल पर उठायी तो उसको प्रिवेलेज कमेटी को भेज दिया गया और इसे सदन का अपमान समझा गया ।

तो मान्यवर, इसी तरह से मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं ७ अक्तूबर की ओर जिस दिन माननीय श्याम धर मिश्र जी ने 'चोर' शब्द का इस्तेमाल किया था । मान्यवर, जैसा कि कार्यवाही में लिखा है श्री श्याम धर मिश्र जी ने कहा कि "क्या उधर से बोल रहे हैं, बताइये आप क्या कह रहे हैं । जन चोर बैठे हैं, जनता चोर उधर बैठे हैं ।" मान्यवर, जनता पार्टी की सरकार यहां बनी है और आज कल समाचार-पत्र और माननीय कई नेता भी जनता सरकार और जनता विधायकों के नाम को जनता पार्टी के नेताओं से सम्बोधित करते हैं और जनता चोर उधर बैठे हैं का मतलब साफ है कि जनता पार्टी के चोर उधर बैठे हैं । तो मैं समझता हूं, इसी सम्बन्ध में आपकी व्यवस्था उसी दिन की थी और आपने स्पष्ट व्यवस्था दी थी "कि 'जिधर से भी किसी ने "चोर" शब्द का इस्तेमाल किया है प्रोसीडिंग्स से निकल दिया जायगा और उस व्यक्ति ने इस सदन का अपमान किया है, इसके लिए उनको क्षमा मांगने के लिये बाध्य करना पड़ेगा और आपने सारी पार्टी को कहा है, चोर हैं, आपका भी यह कार्य संसदीय प्रणाली के विरुद्ध है । मैं यह देखूंगा अगर इधर से कहा गया तो इधर से क्षमा मांगनी होगी और आपको भी इसके लिए क्षमा मांगनी होगी । यह सदन का अपमान है । श्यामधर जी, आप उत्तेजित न हों । यह अत्यन्त अनुचित है ' इस तरह मान्यवर, आपने व्यवस्था दी थी । किसी माननीय सदस्य ने अगर 'चोर' शब्द का इस्तेमाल किया होगा तो उसको आप सदन की कार्यवाही से निकाल देंगे और चाहे किसी सदस्य ने इस शब्द का इस्तेमाल किया है तो आप उसको बाध्य करेंगे कि वह सदन के अन्दर माफी मांगे । यह आपने व्यवस्था दी है । आपने यह व्यवस्था दी थी और कार्यवाही में स्पष्ट है । श्री श्याम धर मिश्र ने "चोर" शब्द का इस्तेमाल किया

[श्री शतरुद्ध प्रकाश---]

था । इस किताब में---कौल और शकधर की जो किताब है, उसके पृष्ठ ६६४ पर नियम ३६० में स्पष्ट लिखा हुआ है ब्रिटेन के हाउस आफ कामन्स में यह प्रथा है कि शब्दों की कार्यवाही से निकालने से बचा जाय । वहां अध्यक्ष इस बात पर जोर देता है कि आपत्तिजनक वाक्यांशों को वापस ले लिया जाय । यदि उनके प्रयोग करने वाला सदस्य उन्हें वापस लेने से इंकार कर दे तो अध्यक्ष उसे या तो यह निदेश देता है कि वह उस दिन के लिए सभा से उठ कर चला जाय और यह अध्यक्ष के अधिकार को अवहेलना करने पर उसे नामित किया जाता है । उस दिशा में उस सदस्य को सभा की सेवा से निलम्बित करने का प्रस्ताव किया जाता है और उस पर तुरन्त मत लिए जाते हैं ।

श्री अध्यक्ष---

क्या दन्ड हो और क्या न हो यह अलग चीज है । यह जो रिलेवेन्ट बात थी राजस्थान असेम्बली की और संसद में जो प्रश्न उठाया गया, उसे मैंने देख लिया है । इसे अब आप समाप्त करें ।

श्री शतरुद्ध प्रकाश---

मैं समाप्त कर रहा हूं । आखिर में मैं यह कहूंगा कि मुझे तो इसके बीच में ज्यादा नहीं पड़ना चाहिए था ।

(श्री गौरी शंकर के बीच में खड़े होने और व्यवधान करने पर ।)

श्री अध्यक्ष---

बीच में टिप्पणियां न करें । आप बैठिए।

श्री शतरुद्ध प्रकाश---

माननीय श्यामधर जी उधर बैठते हैं और उन्होंने कहा कि इधर बैठने वालों को उन्होंने जन चोर कहा । यह एक गम्भीर प्रश्न है । अगर माननीय गनेशी लाल चौधरी की बात मान ली जाय और 'चोर' के आधार पर फैसला करना है तो बहुतों ने बहुतों का दिल चुराया है तो हम सब चोर हो जायेंगे । इसलिए मैं चाहूंगा कि आप इस पर व्यवस्था दें ।

(श्री मैनेजर सिंह के खड़े होने तथा कुछ कहने पर ।)

श्री अध्यक्ष---

जिन-जिन का है उनको ही सुनूंगा ।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)---

शतरुद्ध प्रकाश जी ने पंजाब विधान सभा की कार्यवाही से उद्धरण पंजाबी में दिया है, इस विधान सभा की भाषा हिन्दी है ।

श्री अध्यक्ष---

पंजाबी लिपि से होती है ।

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)---

अध्यक्ष महोदय, उस दिन की बात मैं पहले ला दूं तो शायद याद आ जायगा उस दिन क्या बातें हुई थीं । माननीय मुख्य मंत्री जी बोल रहे थे । उस समय व्यवधान हो गया । यह ७ अक्तूबर, १९७७ की बात है और १३५ पृष्ठ पर यह कार्यवाही जो आपके सामने है ।

श्री अध्यक्ष--

वह मेरे सामने है ।

श्री श्यामधर मिश्र--

इसीलिये कह रहा हूं । अध्यक्ष जी ने कहा अरुण कुमार जी, मैं आपको चेतावनी देता हूं । आप रनिंग कमेन्टरी न करें । व्यवधान हुआ । श्री श्यामधर मिश्र बोले यह भी असंसदीय है ।

श्री अध्यक्ष--

वह मैं कह चुका हूं रनिंग कमेन्टरी करना असंसदीय है । आप लोग शान्ति से सुनिये ।

श्री श्यामधर मिश्र--

मैंने कहा क्या उधर से बोल रहे हैं, बताइये क्या आप कह रहे हैं ? जन चोर बैठे हैं, जनता चोर उधर बैठे हैं (व्यवधान) । फिर अध्यक्ष जी बोले--आप लोग शान्त होकर बैठिये । मान सिंह जी आप शान्त रहिये । फिर व्यवधान हुआ ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)--

व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष--

इसमें कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

श्री श्यामधर मिश्र--

संदर्भ बतलाना जरूरी है । उसके बिना मैं बता नहीं सकूंगा ।

श्री अरुण कुमार--

श्रीमन्, आप तो कम से कम जनतंत्र की रक्षा कीजिये ।

श्री अध्यक्ष--

आप लोग शान्त रहिये, बार-बार आप लोग खड़े होते हैं । यह शोर ठीक नहीं है । आप क्या कहना चाहते हैं हमसे कहिये ।

श्री शतरुद्र प्रकाश--

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है, वह यह है कि माननीय श्यामधर मिश्र जी ने अभी कहा यह जनता चोर बैठे हैं ।

इस पर मेरी आपत्ति है, मैं आपसे व्यवस्था चाहता हूं यह शब्द वापस ले लिया जाय या सदन की कार्यवाही से निकाल दिये जायं । ये गैर-संसदीय शब्द हैं ।

श्री अध्यक्ष--

मैं मान सिंह जी, आपको चेतावनी देता हूं, सदन से मुझ को निकालने के लिए बाध्य होना पड़ेगा । आपने चोर कहा ? (व्यवधान) कार्यवाही में क्या है,

[श्री श्याम धर मिश्र—]

मैं देखूंगा, यदि उन्होंने चोर कहा है । मैं आपसे फिर कहता हूं आप बैठें। आपको इतनी समझ होनी चाहिये । यह उधर के लिए आपने कहा । फिर व्यवधान हुआ । फिर श्यामधर मिश्र बोले । वह जो बैठे हैं उन्होंने कहा है, देखिये फिर कह रहे हैं (व्यवधान) एक सदस्य बोले चोर हैं । यह प्रोसीडिंग में लिखा हुआ है । श्री श्यामधर मिश्र ने फिर कहा है कि चोर हैं (व्यवधान) यह बोलने नहीं देते यह क्या संसदीय है ।

श्री अध्यक्ष—

आप इसकी तरफ ध्यान न दीजिये ।

श्री श्यामधर मिश्र—

मैं तो श्रीमन्, आपको संबोधित कर रहा हूं कि संसदीय है कि नहीं । श्रीमन्, फिर श्री श्यामधर मिश्र बोले कि "फिर कहा है चोर हैं" फिर व्यवधान हुआ । अध्यक्ष जी बोले श्री देवबहादुर जी आपको सदन से निकाल दूंगा, आप शांत रहिये आप व्यवस्था करने दीजिये । आप शांत क्यों नहीं रहते हैं । मैं कह रहा हूं (व्यवधान) जहां उचित नहीं है वह मैं समझूंगा न कोट करूं । 'श्री श्याम-धर मिश्र फिर बोले मैंने जनता चोर कहा है । मैं नाम बताता हूं उनका जिन्होंने चोर कहा है ।' लेकिन व्यवधान में मैं नहीं बता सका क्योंकि आप बार-बार बैठाते थे । फिर आपने कहा श्री अध्यक्ष मैं इस पक्ष के लोगों से कहना चाहता हूं, आप इसकी अहमियत नहीं समझ रहे हैं और सदन का समय नष्ट कर रहे हैं और व्यवस्था कायम करने में मदद नहीं करना चाहते हैं । मैं प्रोसीडिंग देखूंगा । फिर पेज १३० भी देख लें । मैं खतम कर रहा हूं । फिर अध्यक्ष जी बोले जिधर से भी किसी ने 'चोर' शब्द का इस्तेमाल किया है । 'मैं आगे नहीं पढ़ रहा हूं वह शतरुद्ध प्रकाश जी ने पढ़ दिया है । मैं फिर बोला मैं नाम बताना चाहता हूं' फिर अध्यक्ष जी बोले मैं सदस्यों से कहना चाहता हूं । माननीय मुख्य मंत्री इस तरह से प्रोसीडिंग गई है । आगे इसके बाद मुख्य मंत्री जी बोले और कार्यवाही शुरू हुई ।

श्रीमन्, मेरा इस प्रोसीडिंग को पढ़ने का एक आशय था और वह श्रीमन्, केवल यह था कि यह देखा जाय मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जिसने ३० साल से और अपने जीवन भर संसदीय व्यवस्था में कार्य किया है और उसका हामी हूं । मैं संसदीय सदाचार को चाहता हूं और अशिष्टता के विरुद्ध हूं । मैं पहला व्यक्ति हूं कि अशिष्टता नहीं करता हूं । यहां मैं यह कहना चाहता हूं कि यह जो व्यवधान होता है, यह जो टिप्पणियां होती हैं, विरोधियों को बोलने नहीं दिया जाता है, सुना नहीं जाता है तो क्या ये संसदीय प्रणाली है ? आज यह निश्चित हो गया है । यह डिमोक्रेसी है (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आप लोग क्यों बीच में व्यवधान डालते हैं ?

श्री श्यामधर मिश्र—

मान्यवर, यह क्या संसदीय है यह तय कर दिया जाय । आज श्रीमन्, जो बहुमत का फैसला होगा, जो बहुमत करेगा उसको मानना होगा अल्पमत को, लेकिन अल्पमत को डिमोक्रेसी में बात कहने का अधिकार है । वर्ना आप दो-दो सदन क्यों रखते ?

श्री श्यामधर मिश्र द्वारा सदन में कहे गये शब्द 'जनता चोर' के सम्बन्ध १०६५ में उठाये गये विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष—

माननीय श्यामधर जी इस जनरलाईजेशन में न जाइये केवल इस विषय तक सीमित रहें।

श्री श्यामधर मिश्र—

अब शतरुद्ध प्रकाश ने संसदीय व्यवहार के सम्बन्ध में कहा। मैं उधर आ रहा हूं, तो श्रीमन्, अपने ही ढंग से बताऊंगा।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आप कहिए और मुझे सम्बोधित कीजिए। जो वे कहते हैं, उसकी आप उपेक्षा कीजिए।

श्री श्यामधर मिश्र—

मैं चाहता हूं कि आप मुझे प्रोटेक्शन दीजिए। कुर्सी पर आप पीठासीन हैं। आप बताइये यह संसदीय है या असंसदीय कि लोग जो बीच में बोल रहे हैं और बोलने नहीं दे रहे हैं। व्यवहार के नियमों को विधायकों को जानकारी कराने के लिए जो उत्तर प्रदेश के विधायकों की हस्त पुस्तिका है, उसमें संसदीय व्यवहार, संसदीय और संसदीय शिष्टाचार के बारे में भी है। वह मेरे सामने है, उसे माननीय सदस्यों ने भी पढ़ा होगा। यों इसमें कोई विशेष चीज नहीं है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

श्यामधर जी, मेरा अनुरोध है····(व्यवधान) आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि यह अत्यन्त असंसदीय है। बीच में व्यवधान इस तरह डालना बहुत ही अनुचित है या अपने स्थान पर बैठकर बीच-बीच में बात करें, यह उचित नहीं है। जब कोई सदस्य बोल रहा हो, तो उसके भाषण के मध्य इस तरह से चीत्कार करना या टिप्पणी करना कतई उचित नहीं है, यह संसदीय परम्परा नहीं है। इसमें शिष्टता का विचार होना चाहिए। आप रोजाना कभी छात्रों और कभी दूसरे प्रश्नों को लेकर आवाज उठाते हैं, किन्तु यदि आप इस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा करते हैं बाहर के लोगों से तो आपको भी, जो आप को दो लाख लोगों ने चुनकर भेजा है, थोड़ा आदर्श रखना चाहिए, धैर्य और शान्ति रखनी चाहिए। उत्तेजित होने की आवश्यकता नहीं है। यह पार्लियामेन्ट्री पद्धति जहां से ली गई है यानी ब्रिटेन, वहां के एक प्रसिद्ध एम० पी० ने कहा है— मैं आपसे मतभेद रखता हूं, लेकिन मैं आपके मतभेद करने के अधिकार की बराबर हिमायत करूंगा। इससे जाहिर है कि आपका मतभेद हो, तो यहां पर जैसा मैंने पहले कहा यहां कोई दंगल नहीं है और न चीत्कार करने का स्थान। यहां पर तो आपको तर्क का जवाब तर्क से देना है और इसका बहुत अवसर आपको मिलता है। कोई भी व्यक्ति बीच में व्यवधान न डाले। आज कृषि का बजट है। आप जितना इसमें समय लेंगे, उतना विवाद का समय जाया होगा, फिर आप कहेंगे कि हमें बोलने का अवसर नहीं मिला। श्यामधर जी, आप केवल इतना बतावें, जिन शब्दों का प्रयोग किया, जो आपका कथन है। आपका एक तो प्रत्यारोप है कि इस पक्ष से 'चोर' कहा है।

[श्री अध्यक्ष—]

आपने अपनी कार्यवाही से कहा और अभी आपने अपने भाषण से बताया कि आप कहते हैं, कि 'जनचोर' उधर बैठे हैं, तो इस सम्बन्ध में आपका क्या कहना है ?

(श्री बाबू सिंह के खड़े होकर बोलने पर) (व्यवधान) ।

आपसे फिर कहना चाहता हूं कि यह अत्यन्त अनुचित है । आप सदन का समय नष्ट करते हैं । आप प्रदर्शन जिस तरह का करते हैं, यह अत्यन्त अवांछनीय व्यवहार है ।

श्री श्यामधर मिश्र—

मैंने तो वह पुस्तक पढ़ी है और आज भी पढ़ने की कोशिश की, जिसके बल पर यह कहा जा रहा है कि सन् १९५३ में रामनारायण त्रिपाठी जी ने एक बात कही थी—'चोर की दाढ़ी में तिनका', और उस विषय में पीठासीन अध्यक्ष जी ने कहा था कि वह असंसदीय है । लेकिन जहां श्री शतरुद्ध प्रकाश जी ने यह बात बताई, पता नहीं उन्होंने यह क्यों नहीं कहा कि उस पुस्तक में यह भी लिखा है, उन्होंने इसलिए उसे असंसदीय कर दिया कि वह एक व्यक्ति के लिए खासकर कहा गया था । इसलिए वह असंसदीय करार दिया गया था । उस समय श्री हरगोविन्द सिंह जो मिनिस्टर थे, उनके लिए कहा गया था । वह एक व्यक्ति के लिए था, मंत्री के लिए था । इसलिए वह चोर की दाढ़ी में तिनका, उन पर लगता था । अतः अध्यक्ष जी ने निर्णय दिया कि चूंकि यह एक व्यक्ति के लिए कहा गया है, इ लिए यह असंसदीय है ।

इसी तरह से श्रीमन्, अभी उन्होंने कहा, राजस्थान की एक मिसाल दिया, जो यहां लागू नहीं होती । लेकिन उन्होंने दिया—"चोर मंडली" शब्द यहां पर लागू नहीं होता । वहां बात दूसरी थी । कहीं पोस्टर लगा था बाजार में । वह कैसे आप कहें तो दिखाऊं ।

श्री अध्यक्ष—

वह मैंने देख लिया है । आप को मुझे संतुष्ट करने की आवश्यकता है ।

श्री श्यामधर मिश्र—

शतरुद्ध प्रकाश जी ने जो बात कही बिलकुल असंगत है । अब श्रीमन्, मेरे पास आपकी पुस्तक, अध्यक्ष के निर्णयों के संकलन हैं, १, २, ३, ४ सभी सामने हैं । इसमें "गद्दार" शब्द (व्यवधान) इनके सवाल का जवाब दूं ?

श्री अध्यक्ष—

इसको आप मनसुनी कीजिये ।

श्री श्यामधर मिश्र—

मेरा निवेदन है, आप प्रोसीडिंग से निकलवा दिया करें ऐसे व्यवधानों को, अध्यक्ष के नाते निवेदन है, सब चलेगा, मेरा भी निकलवा दीजिये, कोई दूसरा कहे दूसरे का निकलवा दीजिये । मैं कह रहा था, श्रीमन्, इसी तरह से "उल्टा चोर

कोतवाल को डाटे" कहा गया है एक बार "गद्दारी" शब्द कह दिया गया। यही निर्णय लिया गया, सदन के लिए कह दिया, पार्टी के लिए कह दिया, 'भ्रष्टाचार' शब्द के बारे में कहा गया "बेइमानी" के लिए कहा गया, "बेईमान" के लिए कहा गया, अगर व्यक्ति के लिए कहा गया तो सचमुच गलत है, असंसदीय है। लेकिन समूह के लिए कहा गया तो गलत है, अशोभनीय है, मैं कसे कहूं कि बड़ी शोभा की बात है.....

श्री अध्यक्ष—

श्यामधर जी, आप स्वयं शिष्टाचार के मानने वाले हैं और स्वयं आप मानते हैं, उत्तेजित हो कर भी किसी के अशिष्ट व्यवहार से वह व्यवहार नहीं करना चाहिए जिसको आप स्वयं असंसदीय और अशोभनीय समझते हैं।

श्री श्यामधर मिश्र—

मैं कह रहा था, अगर किसी पर कार्यवाही होनी है, तो अध्यक्ष जी ने यह देख लिया है, किसने चोर कहा है, उन्होंने कहा है आप बैठिए, एक सदस्य ने कहा कि चोर है, मैं बार-बार कहता रहा, मैं बताऊं, बता नहीं पाया क्योंकि व्यवधान होता रहा। पहले उनको वापस करना चाहिए। (व्यवधान) मैं श्रीमन्, यह कह रहा था "चोर" शब्द जो है, 'जनता चोर" कोई ऐसी बात नहीं है कि किसी व्यक्ति के लिए मैंने कहा। रोज कांग्रेस पार्टी के लिए कहा जाता है, चार दिन पहले, एक अधिष्ठाता इस गद्दी पर बठे थे, कांग्रेस पार्टी के लिए कहा गया भ्रष्ट है, इटावा की कांग्रेस पार्टी के लिए कहा गया, गुंडो, (हंसी) गुंडई करती है। प्रोसीडिंग का पार्ट है। मैं खड़ा हो गया। कोई मुझे सुनने वाला नहीं था। मेरे लिए कह दिया जाय तो कुछ नहीं है, यह कहें सब को, कुछ नहीं, यह माननीय मुख्य मंत्री जी की पार्टी संसदीय प्रणाली का इनकी पार्टी उपहास कर रही है या नहीं कर रही है ? कांग्रेस दल ने, दो वर्षों को छोड़ दीजिये, जितना विरोधी दल का सत्कार किया है, शायद आप कभी भी नहीं कर सकते। आप बराबर व्यवधान करते हैं। लेकिन आप इतमीनान रखिए। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

अब आप अपनी बात समाप्त कीजिये, कृपया।

श्री श्यामधर मिश्र—

कैसे समाप्त करें ? मैं तब तक नहीं समाप्त करूंगा (व्यवधान) जब तक सुन न लिया जाय।

मैं कह रहा था कि 'जनता चोर' मैंने कहा केवल जब 'चोर' उन्होंने प्रवण कुमार को कहा, जिसको आपने सुना और वह प्रोसीडिंग का पार्ट है। मैं यह नहीं कहता कि यह शोभनीय शब्द है।

श्री अध्यक्ष—

आप लोग शान्त रहिए।

श्री श्यामधर मिश्र—

वैसे आपकी जो आज्ञा है, उसको मानने के लिए तैयार हैं। हम कोई असंसदीय कार्य नहीं करना चाहते हैं। यह मर्यादा की बात है। मैं पूरे सदन से निवेदन करूंगा कि मर्यादा से सदन को चलावें।

श्री अध्यक्ष—

इस पर कोई विवाद नहीं होगा ।

७ अक्तूबर को जब यहां पर माननीय मुख्य मंत्री जी बोल रहे थे तब कुछ व्यवधान हुआ और मैंने कार्यवाही को देखा है । पहले इस पक्ष से किसी व्यक्ति ने 'चोर' कहा । श्री श्यामधर ने कहा कि जन चोर उधर बैठे हैं, जनता चोर बैठे हैं । इस पर फिर व्यवधान हुआ । फिर एक सदस्य ने कहा कि 'चोर है' फिर उसके बाद दोबारा कहा कि 'चोर है' । जब श्यामधर मिश्र ने कहा तो मैंने उनको रोका कि इस तरह के शब्द का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए । श्री शतरुद्ध प्रकाश ने विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उपस्थित करके सदन की सेवा की है । उनका मुख्य आशय यह है कि जो आचार संहिता है उसका पालन किया जाये और इस सदन में '४२०', 'बदमाश', 'चोर', 'गुन्डे' इस तरह के शब्दों का पहले प्रयोग किया गया जिसको पीठासीन अध्यक्षों ने इस पर अपनी व्यवस्था दी कि यह अशोभनीय है, असंसदीय है । मेरे सामने २ प्रश्न हैं । यहां पर श्यामधर मिश्र ने जिन शब्दों का प्रयोग किया वह विशेषाधिकार का प्रश्न बनता है या नहीं और दूसरे यह कि क्या यह असंसदीय है या संसदीय है । माननीय शतरुद्ध प्रकाश ने राजस्थान विधान सभा का जो उद्धरण दिया है वह १३ नवम्बर....(व्यवधान)

श्री श्यामधर मिश्र—

सभ्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है । आपकी आवाज को नकल होती है । आपकी आवाज पतली है ।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठ जाइये ।

श्री श्यामधर मिश्र—

एक बार नहीं १० बार हुआ है ।

श्री अध्यक्ष—

(व्यवधान) शास्त्री जी आप बैठिए । मैं यह कह रहा था कि राजस्थान विधान सभा में यह प्रश्न १३ नवम्बर, १९५७ को उठा था । वहां पर प्रदर्शनी हो रही थी । वहां पर कुछ मंत्रियों के चित्रों के नीचे कुछ व्यक्तियों ने जो दर्शक थे, मंत्रियों और सदस्यों के लिए 'चोर मण्डली' लिख दिया । तो यह प्रश्न उठा और प्रश्न उठने के बाद इसे विशेषाधिकार समिति को दे दिया गया और विशेषाधिकार समिति ने इसको विशेषाधिकार की अवहेलना माना किन्तु मामला समाप्त हो गया । इसी प्रकार का प्रश्न १९५३ में उठा, जिसका हवाला माननीय शतरुद्ध प्रकाश ने दिया । माननीय हर गोविन्द सिंह तत्कालीन शिक्षा मंत्री थे । तो किसी सदस्य ने कहा कि 'चोर की दाढ़ी में तिनका' तो उस समय पर व्यवस्था दी गयी थी कि उसको केवल शिक्षा मंत्री जी के लिए ही प्रयोग किया गया है, इसलिए यह गलत है । और इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता । राजस्थान के अतिरिक्त हरियाणा, पंजाब में भी इस तरह का प्रश्न उठा जहां पर यह व्यवस्था मानी गयी कि 'चोर' शब्द का प्रयोग करना एक सदस्य के लिए या तमाम सदस्यों के लिए संसदीय नहीं है और इस तरह का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए । पंजाब में यह माना गया कि कई व्यक्तियों के लिए इसका प्रयोग करना असंसदीय है । यदि सदस्यों के एक भाग के लिए किया जाय

तो समस्त सदन का इससे अपमान नहीं होता । लेकिन इस बारीकी में जाना ज्यादा उचित नहीं लगता । मैंने ७ तारीख को यह कहा था कि जहां पर भी किसी भी पक्ष से 'चोर' शब्द का इस्तेमाल किया गया हो उसको कार्यवाही से एक्सपंज कर दिया जायगा । उसी दिन इसके आदेश दे दिये गये थे । सब कुछ सुनने के बाद मैंने प्रोसीडिंग में देखा । मैं नाम नहीं लेना चाहता । मुझे, यह भी मालूम हो गया कि इस पक्ष से किस सदस्य ने अरुण कुमार जी के लिए 'चोर' शब्द का प्रयोग किया, जिससे उत्तेजित होकर के श्यामधर जी ने कहा था । तो इन सदस्यों को सुनने के बाद जहां कहीं 'चोर' शब्द आया है, उसको मैं कार्यवाही से निकाल देता हूं और दोनों ही सदस्यों से, चूंकि इस वक्त मैं उनका नाम नहीं ले रहा हूं, जिन्होंने सबसे पहले 'चोर' शब्द का प्रयोग किया और बाद में दुबारा प्रयोग किया, श्यामधर जी ने जो शब्द प्रयोग किया कि जनता 'चोर' या 'जन चोर' उधर बैठे हैं, यह शब्द जैसा उन्होंने कहा, अशोभनीय है और मुझे तो स्वयं खेद है । चूंकि उनका नाम मैं नहीं ले रहा हूं और मैं सदन का प्रवक्ता हूं अतः मैं श्यामधर जी और अन्य सदस्यों की ओर से स्वयं खेद प्रकट करता हूं और आशा करता हूं कि इस प्रकार से शब्दों का प्रयोग जो सदन की गरिमा के विरुद्ध हैं, नहीं किया जायेगा और जो प्रश्न श्री शतरुद्र प्रकाश जी ने विशेषाधिकार का रखा है, इसको अग्राह्य करता हूं ।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट (जिला इटावा)--

श्रीमन्, 'चोर' शब्द पर तो आपने व्यवस्था दे दी, साथ ही आप "धोबीमार" शब्द पर भी अपनी व्यवस्था दे दें क्योंकि इसका सदन में बहुत प्रयोग होता है ।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कांग्रेस जनों को धारा १४४ के तोड़ने तथा नारे लगाने के आरोप में बन्दी बनाये जाने तथा राजनैतिक बन्दियों के साथ दुर्व्यवहार किये जाने के संबंध में वक्तव्य

मुख्य मंत्री (श्री रामनरेश यादव)--

मान्यवर, यह सही है कि कांग्रेस जनों तथा उनके समर्थकों की गिरफ्तारियां हुई हैं परन्तु वे कानून एवं शान्ति व्यवस्था के उल्लंघन के कारण की गयी हैं । जहां तक बरेली जेल में ऐसे राजनैतिक बन्दियों के साथ दुर्व्यवहार किये जाने एवं जेलर द्वारा गाली दिये जाने, आटे में ईंट-पत्थर मिलाकर भोजन जबरदस्ती कराने एवं ६ अक्तूबर, १९७७ को दलिया बनाकर ईंट के चबूतरे पर डाल देने आदि के के आरोप हैं, वे निराधार पाये गये हैं ।

२--केन्द्रीय कारागार, बरेली में १२ अक्तूबर, १९७७ तक ३८ व्यक्तियों को निरुद्ध किया गया था । इनमें ४ उच्च श्रेणी के और शेष साधारण श्रेणी के हैं । इनके विरुद्ध आई० पी० सी० की धारा १८८ का आरोप लगया गया है । सभी बन्दी स्वच्छ बैरकों में रखे गये हैं जो अच्छी पुती हुई और पक्की हैं और उनमें बिजली की रोशनी का पूरा प्रबन्ध है । बैरेक के अहाते पूर्ण रूप से स्वच्छ हैं तथा वहां पानी पीने की पर्याप्त सुविधा है । अहाते में टहलने के लिए भी पर्याप्त स्थान उपलब्ध है । भोजन संबंधी कोई भी शिकायत राजनैतिक बन्दियों द्वारा नहीं की गयी है । नियमानुसार जो बन्दी उच्च-श्रेणी पाने के पात्र थे उन्हें उच्च-श्रेणी दिया गया और भोजन तथा अन्य सामान्य सुविधायें आदि उसी के अनुसार उपलब्ध कराई जा रही हैं । किसी भी राजनैतिक बन्दी ने केन्द्रीय कारागार, बरेली में ईंट

[श्री राम नरेश यादव—]

पत्थर मिली रोटी जबरदस्ती खिलाये जाने के बारे में कोई शिकायत नहीं की। ६ अक्तूबर, १९७७ को केन्द्रीय कारागार, बरेली में दलिया उन्हें बर्तनों में दिया गया था, अतः यह शिकायत असत्य एवं निराधार है। सभी राजनैतिक बन्दी इस कारागार में शान्तिपूर्वक रह रहे हैं और नियमानुसार सभी सुविधाय उन्हें उपलब्ध कराई जा रही हैं जिसका वे उपभोग कर रहे हैं।

३—जिला कारागार, बरेली के बारे में प्राप्त सूचना के आधार पर यह ज्ञात हुआ है कि उक्त कारागार में भी जेलर द्वारा न तो किसी बन्दी के साथ दुर्व्यवहार किया गया है और न गाली दी गयी है। यह अवश्य है कि स्थानाभाव के कारण जिला कारागार में सभी राजनैतिक बन्दियों को बैरकों में नहीं रखा जा सका। कुछ को पृथक घेरोंमें शामियाना लगाकर रखा गया। परन्तु वह स्थान भी सदैव स्वच्छ रखा जाता है। प्रतिदिन नियमित रूप से सफाई की जाती है। यह सर्वथा असत्य है कि उनको गंदगी में डाल दिया गया है। इस कारागार में भी जो खाद्य-पदार्थ राजनैतिक बन्दियों को दिया जाता है वे शुद्ध एवं साफ-सुथरा रहता है। आटे में ईंट व पत्थर पिसवाकर दिये जाने का आरोप निराधार है। किसी भी राजनैतिक बन्दी ने इस जेल में भी इस प्रकार का कोई विरोध नहीं किया है। ६ अक्तूबर, १९७७ को दलिया राजनैतिक बन्दियों ने स्वयं अपनी देख-रेख में पकवाया और ग्रहण किया। इस प्रकार यह आरोप भी असत्य है कि दलिया बनवाकर ईंट के चबूतरे पर डाल दिया गया था। जिला कारागार, बरेली में राजनैतिक बन्दियों की संख्या ८६ है, जिनमें ३३ उच्च श्रेणी के और शेष साधारण श्रेणी के बन्दी हैं।

४—यह आरोप भी असत्य है कि एटा में गिरफ्तार लोगों को पुलिस द्वारा चोट पहुंचाई गई नेता विरोधी दल, श्री नारायण दत्त तिवारी तथा अन्य प्रमुख कांग्रेसजन जो जिला कारागार, एटा में २ अक्तूबर, १९७७ से बन्द हैं, उनका चालान आई० पी० सी० की धारा १८८ में किया गया है। अपराध की सुनवाई के लिए पहले ८ अक्तूबर, १९७७ को तिथि चीफ जुडीशियल मजिस्ट्रेट द्वारा निर्धारित की गयी थी। न्यायालय से प्रार्थना की गई कि मुकदमें की सुनवाई जेल के अन्दर करायी जाय। न्यायालय ने जेल में सुनवाई अस्वीकार किया तथा अगली तिथि १५ अक्तूबर, १९७७ निश्चित की थी। इस दिन कुछ आवश्यक सरकारी कार्यवश चीफ जुडीशियल मजिस्ट्रेट को एटा से बाहर जाने की स्थिति में अपराध की सुनवाई की अग्रिम तिथि १७ अक्तूबर, १९७७ को लगा दी गयी है। किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति को अनावश्यक रूप से जेल में रोके जाने का कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है।

*श्री श्याम धर मिश्र (जिला वाराणसी)—

श्रीमन्, मेरे पास साधारण व्यक्तियों ने नहीं बल्कि जो विधान सभा के माननीय सदस्य हैं, उन्होंने पत्र भेजे हैं। एक तो माननीय रामेश्वर नाथ चौबे जी का है जो जेल में ही रहे हैं। उन्होंने अपने दिनांक १० अक्तूबर, १९७७ के पत्र में साफ लिखा है। एक बात तो उसमें यह लिखी है कि आटे में कुछ डाल दिया गया और मिट्टी डाल दी गयी और दूसरा पत्र माननीय भूत पूर्व मंत्री माननीय बलराम सिंह यादव का है इटावा से। वह पत्र मेरे सामने है। एक पत्र एटा से भी आया है। तो मैं नहीं जानता कि माननीय मुख्य मंत्री जी किस

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आधार पर ऐसा कह रहे हैं। एक पत्र आगरे से भी आया था और एक तार भी। उसको मैंने श्रीमन् को भी दिखा दिया था। एक चिट्ठी हाथरस से भी आयी है, उसमें कहा गया है कि वहां पर बड़ा दुर्व्यवहार हो रहा है। जहां पर श्री नारायण दत्त जी बंद हैं एटा में वहां उन्हें सुविधा क्या दी जा सकती है? वह एक छोटी सी जेल है। उसमें ४०० आदमियों को कैसे रखा जा सकता है और उन्हें सुविधा दी जा सकती है। अगर १०० आदमी रखे जाते तो कोई बात थी। अगर ४०० आदमियों को जेल में रखना था तो किसी दूसरी जेल में रखते लेकिन जो आप कहते हैं कि उन्हें सुविधा दी जा रही है, उचित नहीं है। "ए" और "बी" क्लास की सुविधा अब दी गयी है। जहां तक लखनऊ के लड़कों की बात है उनको भी सुविधा केवल २ दिन पहले ही दी गयी है। उनमें एक आरोप यह भी है कि धारा ३९५ में और और धाराओं के आरोप में उनको फंसाया जा रहा है। वे डकैती में, चोरी में राजनैतिक बन्दियों को फंसाया जा रहा है। लखनऊ में, एटा में और आगरा में यही हुआ है कि राजनैतिक बंदियों को फंसाया जा रहा है। क्या यह सही है कि इनको इन चीजों में फंसाया जा रहा है। माननीय मंत्री जी ने कहा कि यहां पर लड़के पिस्तौल लेकर गये मैं जानना चाहता हूं कि क्या वह बरामद हुई थी या नहीं?

श्री अध्यक्ष—

माननीय मंत्री जी अपना वक्तव्य दे चुके हैं...(व्यवधान) आप-बार-बार बोलते हैं, एक शास्त्री होकर, यह उचित नहीं है।

श्री रामनरेश यादव—

केवल दो जेल के बारे में आपने प्रश्न उठाया बरेली और एटा का। उस संबंध में उत्तर भी दिया जा चुका है। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि जिस एटा जेल की चर्चा की गयी कि दो दिन के बाद उनको प्रथम क्लास दिया गया तो तिवारी जी जिस दिन ही जाते हैं, यह जनता पार्टी की सरकार की देन है, उनकी पिछली सरकार ने जब हम लोग गये थे और दूसरे लोग गये थे तो उन्हें काफी दिनों तक परेशान किया गया था, सेकेंड क्लास नहीं दिया गया। नारायण दत्त जी जिस दिन जाते हैं उनको और उनके साथियों को प्रथम क्लास दे दिया गया। इसलिए इस तरह की शिकायत अगर की जाती है तो बिल्कुल निराधार है।

श्री श्यामधर मिश्र—

ये भुक्तभोगी रहे हैं श्रीमन्, (श्री मथुरा प्रसाद पाण्डेय की ओर इंगित करते हुए), ये जेल में रहे हैं, दो दिन खाना नहीं मिला।

*श्री मथुरा प्रसाद पाण्डेय (जिला बस्ती)—

अध्यक्ष महोदय, मैं तारीख १० को जेल में गया था। और भी लोग थे। हमसे किसी भी जेल के अधिकारी ने, किसी भी आदमी ने नहीं पूछा, किसी का कोई पुरसा हाल नहीं हुआ। करीब रात के १० बजे कटे फटे कम्बल सब को दे दिये गये, लेकिन खाना-पीना कुछ नहीं हुआ। हम लोग सन् ४०, ४१, ४२ के आन्दोलनों में कई मर्तबा जेल में गये हैं, लेकिन अंग्रेजी शासन में मनुष्यता के नाते भी जिस रोज कैदी जाते थे तब खाना तो दिया जाता था, लेकिन उस रोज बताया गया

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मथुरा प्रसाद पाण्डेय---]

कि नियम नहीं है इसलिए खाना नहीं दिया गया। दूसरे रोज ११ तारीख को जब हमें पता लगा कि जेलर साहब आ जायं या सुपरिटेंडेंट साहब आ जायं तो उनसे कहा जाय, तो जेलर साहब और सुपरिटेंडेंट साहब को ढूंढने की बात हुई। ११ तारीख को कुछ नहीं मिला किसी को खाने को। ५३ आदमी वार्ड नं० ८ में थे और १७ आदमी वार्ड नं० ६ में थे। ७० आदमियों को न तो १० तारीख को और न ११ तारीख को ११ बजे तक किसी ने पूछा तक नहीं।

एक सदस्य---

यह सब अच्छा नहीं लगता।

श्री श्यामधर मिश्र---

ऐसी चीजों पर गलत वक्तव्य देना फिर सहयोग की बात। हम इस सदन में नहीं रह सकते।

श्री अध्यक्ष---

माननीय मथुरा प्रसाद पाण्डेय की जो शिकायत है, तो मुख्य मंत्री जी का आपने ध्यान आकर्षित कर दिया....

एक सदस्य---

हम को तो शिकायत करने लायक भी नहीं छोड़ा। हमारा तो एक मेम्बर सदन में नहीं था।

श्री श्यामधर मिश्र---

कांग्रेस ३० वर्ष में (व्यवधान) हम वक्तव्य से संतुष्ट नहीं हैं, हम सदन का त्याग करते हैं।

(श्री श्यामधर मिश्र कांग्रेस दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये:)

कार्य---स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष---

श्री सुन्दर लाल दीक्षित ने एक कार्य-स्थगन प्रस्ताव दिया है। उसको मैंने स्वीकार नहीं किया है।

एक सदस्य---

श्री सुन्दर लाल जी हैं नहीं।

१९७७-७८ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान, अनुदान संख्या ४५--कृषि --अनुदान संख्या ४६---औद्योगिक विकास, अनुदान संख्या ४९---भूमि तथा जल संरक्षण, अनुदान संख्या ५०---क्षेत्र विकास, अनुदान संख्या ७९---कृषि योजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय तथा अनुदान संख्या ९५---ऋण और अग्रिम कृषि

कृषि मंत्री (श्री राजेन्द्र सिंह)---

माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९७८ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ४५---कृषि के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त १५, ३३, ८०, ९०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९७८ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ४६--औद्योनिक विकास के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त १,०९,५२,८०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९७८ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ४९--भूमि तथा जल संरक्षण के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त २,२३,८५,९०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९७८ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ५०---क्षेत्र विकास के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त २०,३६,८६,००० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(इस समय १ बजकर २५ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री राधेश्याम शर्मा पीठासीन हुये)

अधिष्ठाता जी, आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९७८ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ७९--कृषि योजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त १४,०८,९४,८०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

अधिष्ठाता जी, आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९७८ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ९५---ऋण और अग्रिम-कृषि के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ८९,०६,१०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

माननीय अधिष्ठाता जी, जनता पार्टी की सरकार द्वारा प्रस्तुत यह प्रथम कृषि का बजट है । समयाभाव के कारण कृषि के संबंध में इसे पूर्ण रूपेण जनता पार्टी के घोषणा-पत्र के अनुरूप ढाला नहीं जा सका है, परन्तु फिर भी काफी सीमा तक इन भावनाओं का इसमें समावेश किया गया है ।

कृषि ही मानव अस्तित्व का मूल आधार है । कृषि उपज के अभाव में कोई भी मनुष्य अथवा राष्ट्र जीवित नहीं रह सकता । इस प्रदेश के लिए यह और भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहां की लगभग ८४ प्रतिशत जनता प्रत्यक्ष अथवा परोक्षरूप से कृषि कार्य में संलग्न है । हमारी सभ्यता ग्रामीण है और इसलिए विकास के मामले में ग्रामीण क्षेत्रों को उच्चतम प्राथमिकता दी जानी चाहिए । करीब ८० प्रतिशत लोग गांवों में बसते हैं और केवल २० प्रतिशत शहरों में ।

[श्री राजेन्द्र सिंह—]

सिर्फ २० प्रतिशत की आर्थिक स्थिति को देख कर देश की समृद्धि का अन्दाजा नहीं लगाया जा सकता । अतः जब तक कृषि का विकास नहीं होता और किसान अधिकतम उत्पादन नहीं करता तब तक देश न तो प्रगति कर सकता है और न ही समृद्ध हो सकता है । वर्तमान में प्रदेश की ४५ प्रतिशत जन संख्या दरिद्रता रेखा के नीचे जीवन व्यतीत कर रही है । श्रीमन्, हम धनवान होना नहीं चाहते, किन्तु सुखमय जीवन की अभिलाषा अवश्य है । निरर्थक दौलत भी अग्राह्य है किन्तु जीने के लिए पर्याप्त साधनों तथा भोजन, कपड़ा और मकान तथा शिक्षा की आवश्यकता है । हमारा उद्देश्य यह होगा कि संतोषप्रद उपलब्धियों के साथ सभी को कार्य मिल सके और इस महान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हमें गांधी दर्शन एवं उनके सिद्धान्तों के मार्ग पर वापस आना होगा । गत तीन वर्षों में हमारा पूर्ववर्ती शासन पथभ्रमित हो गया था । मत प्राप्त करने के लिए तो गांधी जी की जय बोली जाती थी और सभाओं में उनके चित्रों की प्रदर्शनी की जाती थी, किन्तु गांधी जी द्वारा दिखाये गये मार्ग से दूर का भी नाता नहीं था । वर्तमान शासन गांधी जी के सपनों को मूर्त्त रूप देने के लिए कटिबद्ध है । इसी पृष्ठ-भूमि में प्रदेश की आर्थिक समृद्धि के साथ-साथ अधिकांश जन समूह के आर्थिक लाभ के लिए कृषि कार्य-क्रमों में प्रगति को त्वरित गति देना परम आवश्यक है । माननीय चौधरी चरण सिंह जी के शब्दों में यदि हमें देश से गरीबी को दूर करना है तो निश्चय ही कृषि का विकास उसकी कड़ी है । उद्योगों का विकास कृषि विकास से पहले नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उद्योगों का विकास कृषि विकास का अनुगामी अथवा अधिक से अधिक सहगामी हो सकता है ।

(इस समय कांग्रेस दल के सदस्य सदन में पुनः आ गये ।)

हमारे प्रधान मंत्री जी के शब्दों में, जब तक कृषि का विकास नहीं होगा और किसान अधिकतम उत्पादन नहीं करता तब तक देश न तो प्रगित कर सकता है और न ही समृद्ध हो सकता है ।

कृषि का प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था में क्या स्थान है, इसके केवल में दो मापदंड आपके सम्मुख प्रस्तुत करता हूं । इस प्रदेश की वर्ष १९७०-७१ में कुल आय ४,४१४·६१ करोड़ रुपये थी, जिसमें कृषि एवं पशुपालन का श्रेय २,४५७·०४ करोड़ था, जोकि इस आय का ५५·७ प्रतिशत है । वर्ष १९७१-७२ से १९७५-७६ तक कृषि एवं पशुपालन से राज्य की कुल आय का श्रेय क्रमशः ५४·२ प्रतिशत, ५८·७ प्रतिशत, ५९·३ प्रतिशत, ५८·० प्रतिशत तथा ५३·१ प्रतिशत था । दूसरा मापदंड प्रदेश की जनसंख्या है । वर्ष १९७१ में प्रदेश की कुल जनसंख्या ८·८३ करोड़ थी, जिसमें से ग्रामीण जनसंख्या ७·५९ करोड़ थी एवं शेष नगरीय जनसंख्या थी । जनसंख्या के इस विवरण से स्पष्ट है कि कृषि उत्पादन में वृद्धि हेतु जो भी कार्य किये जायेंगे उसका लाभ प्रदेश की अधिकांश जनता को ग्रामीण अंचलों में मिलेगा । अतः यह स्पष्ट है कि प्रदेश की योजनाओं का मुख्य ध्येय यह होना चाहिये कि ग्रामीण अंचलों में अधिकाधिक पूंजी का समायोजन किया जाय । पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकारें भी कभी-कभी भूल से आश्वासन देती रही हैं कि कृषि को प्राथमिकता दी जा रही है । परन्तु उन सरकारों की कथनी और करनी में बहुत अन्तर था । मैं उदाहरण के लिए केवल एक ही तथ्य आपके सम्मुख प्रस्तुत करूंगा और वह है कृषि क्षेत्र में पूंजी समायोजन का ।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)—

माननीय, लिखा हुआ भाषण है, इन लोगों को बंटवा दिया जाय ।

श्री अधिष्ठाता--

आप लोग आपस में बात न करें। माननीय मंत्री जो मुझे सम्बोधित करें।

श्री राजेन्द्र सिंह--

प्रथम पंचवर्षीय योजना में, जबकि गांधी जी और सरदार पटेल का हमारे आर्थिक ढांचे में प्रभाव था, कृषि पर ३५ प्रतिशत पूंजी समायोजित की गयी किन्तु जैसे-जैसे कांग्रेस शासन की विचारधारा ग्रामोन्मुखी न हो कर नगरोन्मुखी होती गयी, कृषि का यह अनुपात आगामी पंचवर्षीय योजनाओं में घटता गया और यहां तक कि पांचवीं योजना के प्रथम वर्ष में कृषि एवं समवर्गीय कार्यक्रमों में कुल योजना परिव्यय का केवल १२·८० प्रतिशत ही कृषि में समायोजित किया गया। वर्ष १९७५-७६ में यह घटकर केवल १०·२४ प्रतिशत रह गया। वर्ष १९७६-७७ में यह धनराशि केवल १०·७८ थी। सदन को यह जानकर हर्ष होगा कि जनता पार्टी के घोषणा-पत्र के अनुरूप वर्ष १९७७-७८ में कृषि एवं समवर्गीय कार्यक्रमों के अन्तर्गत कुल योजना परिव्यय की १९·७३ प्रतिशत धनराशि समायोजित की जायेगी। स्पष्ट है कि पूर्ववर्ती सरकारें केवल मौखिक आश्वासन ही देती रहीं और ग्रामीण अंचलों और वहां के निवासियों के लिए कृषि कार्यक्रम हेतु आवश्यक मात्रा में, योजना परिव्यय के अन्तर्गत पूंजी समायोजन कभी नहीं किया। श्रीमन् मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि जनता पार्टी के घोषणा-पत्र के अनुरूप आगामी वर्षों में कृषि में और अधिक पूंजी समायोजन किया जायेगा जिससे कृषकों के उत्पादन एवं आय में वृद्धि हो और ग्रामीण अंचलों की आर्थिक उन्नति तीव्र गति से हो सके।

श्री रवीन्द्र सिंह (जिला गोरखपुर)--

श्रीमन्, व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय मंत्री जो लिखित भाषण पढ़ रहे हैं। ऐसी कोई परम्परा नहीं है।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय मंत्री जो लिखित न पढ़ें। जो कुछ कहना हो आप मौखिक कहें, सदन का यह नियम है।

श्री राजेन्द्र सिंह--

श्रीमन्, ऐसा है कि पूंजी समायोजन का जो उल्लेख मैंने किया है, माननीय सदस्यों को अवगत कराना चाहता हूं कि देश की बागडोर जब से जनता पार्टी ने संभाली है तब से ही गहन चिन्तन किया जा रहा है कि कृषकों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए हमारी नीति क्या होनी चाहिये। समय-समय पर इस दल के विचारकों द्वारा इस सम्बन्ध में विचार व्यक्त किये जाते रहे हैं। प्रदेशीय शासन भी इस दिशा में सजग है। माननीय चौधरी साहब ने अपने गहन चिन्तन और अनुभव के आधार पर जो १० सूत्री कार्यक्रम के रूप में हमारा मार्ग-निर्देशन किया है उसी के कार्यान्वयन की पृष्ठभूमि में हमारे प्रदेश में कृषि नीति के जो मुख्य उद्देश्य होंगे वह मैं आपके सम्मुख रख रहा हूं। प्रति हेक्टेयर उत्पादन को बढ़ाया

[श्री राजेन्द्र सिंह---]

जाय । भूमि पर आश्रित लोगों की संख्या में कमी की जाय और ग्रामीण अंचलों से शहरों की ओर रोजगार हेतु ग्रामीण जनता के पलायन को रोका जाय । इस उद्देश्य की प्राप्ति ग्रामीण अंचलों में कुटीर उद्योग स्थापित करके की जायगी ।

श्रीमन्, ग्रामीण अंचलों में बेरोजगार और कम रोजगार (अन्डर इम्पलायड) वाले व्यक्तियों को पूरा रोजगार दिलवाने की व्यवस्था करना । आर्थिक असमानताओं को दूर करने और कमजोर वर्गों की आर्थिक उन्नति में प्रोत्साहन देना । कृषि उद्योग में यंत्रीकरण की नवीन पद्धतियों को अपनाया जाय जिससे प्रति हेक्टेयर उत्पादन के क्षेत्र में वृद्धि हो तथा कर्मिकों की क्षमता में भी वृद्धि हो परन्तु बेरोजगारी न बढ़े । कृषकों को अधिक उत्पादन हेतु उत्प्रेरण । कृषि उत्पादित वस्तुओं के लाभप्रद मूल्य दिलवाने की व्यवस्था । विशेषकर छोटे किसानों के लिए सहायक कृषि व्यवसाय के अवसर समुचित ऋण एवं तकनीकी ज्ञान देने की व्यवस्था । श्रमोन्मुख कृषि उत्पादन कार्यक्रमों का कार्यान्वयन । श्रीमन्, आजादी से पूर्व खेती जीवन निर्वाह का माध्यम मानी जाती थी । किन्तु आजादी के पश्चात् शोध और अनुसंधान कार्य के माध्यम के कृषि उत्पादन में परिवर्तन हुआ है, परन्तु इसका अधिकांश लाभ सम्पन्न कृषकों तक ही सीमित रहा है । लघु एवं सीमान्त कृषक, जिनकी संख्या ८४ फीसदी के लगभग हैं, आधुनिक नयी तकनीकी लाभ से अछूते रह गये हैं । नवीन सरकार के कुछ संकल्प हैं कि अपनी शक्ति पर कृषि की नयी तकनीकी को झोपड़ियों में रहने वाले छोटे से छोटे किसानों तक पहुंचा दें । लोकनायक श्री जय प्रकाश नारायण के शब्दों में "लाख-लाख झोपड़ियों में तो छायी अभी उदासी हो ।" इसी उदासी को दूर करने के लिए वर्तमान शासन कटिबद्ध है । इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए वर्तमान सरकार ने कृषि उत्पादन में वृद्धि तथा प्रदेश की समृद्धि के लिए कुछ कार्यक्रमों को इस वर्ष के आय-व्ययक में सम्मिलित किया है ।

उत्तम एवं विश्वसनीय कोटि के बीजों को उपलब्ध कराने हेतु प्रथमवार बीज विधायन संयत्र (सीड प्रोसेसिंग प्लान्ट्स) स्थापित करने का प्राविधान है । प्रदेश में स्थापित राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था (सीड सर्टिफिकेशन एजेन्सी) का सुदृढ़ीकरण किया जायेगा और प्रदेश में राज्य बीज निगम की स्थापना शीघ्र कर दी जायेगी । प्रदेश की ट्राइबल क्षेत्र के देहरादून तथा टेहरी जनपद के ५ विकास खंडों में बीज वितरण कर ५० फीसदी अनुदान देने की व्यवस्था की गयी है । प्रदेश में उर्वरकों की खपत बढ़ाने और उनका उपयोग संतुलित करने की दिशा में प्रथम बार एक ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है, जिसके अन्तर्गत फासफेटिक एवं पोटाश पर २० प्रतिशत से लेकर ३० प्रतिशत तक का अनुदान देने का प्राविधान किया गया है । भारत सरकार ने यूरिया की कीमत १०० रु० प्रति टन कर दी है । प्रदेश के अगम्य क्षेत्रों में जहां अभी तक उर्वरक बिक्री केन्द्र स्थापित नहीं किये जा रहे हैं, वहां पर नवीन उर्वरक बिक्री केन्द्र स्थापित करने के लिए प्रदेश की सहकारी संस्थाओं को परिवहन व्यय पर अनुदान देने की आय-व्ययक में व्यवस्था की गयी है । सर्वोत्तम कम्पोस्ट तैयार कराने के लिए पुरस्कार देने की योजना का आय-व्ययक में प्राविधान है । मृदा परीक्षण की क्षमता जो गत वर्ष प्रदेश में ६ लाख नमूना थी, इसको बढ़ा कर ७ लाख कर दी गयी है ।

कानपुर एवं लखनऊ में मैकेनिकल कम्पोस्ट प्लान्ट्स स्थापित किये जायेंगे । यह निर्णय लिया गया है कि इस प्रकार के उर्वरक जैसे डी० ए० पी, सी० ए० एन० और अमोनियम सल्फेट, जिनमें चोर बाजारी होती है, उनका वितरण 'अपेक्स' संस्थाओं

के माध्यम से ही किया जायेगा । गोबर गैस लगाने का लक्ष्य इस वर्ष १०,००० प्रस्तावित है । हरिजन एवं आर्थिक दृष्टि से पिछड़े भूमिहीन मजदूरों को विकसित कृषि टेक्नालाजी का प्रशिक्षण एवं रोजगार की एक अग्रगामी परियोजना चलाने का प्रस्ताव है । प्रदेश में बीहड़ एवं ऊसर सुधार का काफी बड़ा क्षेत्र है, जिसका अभी सर्वेक्षण नहीं हो सका है । इस सर्वेक्षण को तीव्रगति से कराने के लिए इस वर्ष के आय-व्ययक में 'सेट लाइट इमेजरी' योजना का प्राविधान किया गया है, जिससे प्रदेश की भूमि विकास तथा भू-कटाव की समस्या से ग्रसित भूमि का त्वरित गति से अनुमान लगाया जा सकेगा ।

श्रीमन्, पिछली खरीफ में ऊसर जमीन को सुधारने का कार्य ४ हजार हेक्टेयर में सम्पादित किया गया । इसके लिये १० हजार टन जिप्सम पाइराइट डिस्ट्रीब्यूट किया । इस साल में यह कार्य १० हजार हेक्टेयर भूमि में शुरू करने का प्रोवीजन है । कृषकों को अच्छे तरीके के कृषि यंत्रों के उपयोग एवं उनको मरम्मत के लिये प्रशिक्षण हेतु एक योजना चलायी जा रही है । उद्यान विकास के अन्तर्गत शाक भाजी के प्रोसेसिंग केन्द्र स्थापित किये जायेंगे । इसी तरह से बहराइच और देवरिया जिले में, इन पूर्वी जिलों में, आलू के बीज की मांग बढ़ती जा रही है । इसको देखते हुये वहां पर आलू के बीज उत्पादन करने का केन्द्र स्थापित किया जा रहा है । वहां पर आलू का बीज तैयार किया जायगा जो पूर्वी जिलों के लिये उपलब्ध हो सकेगा । इसी तरह से तिलहन और दलहन के लिये योजना है । इस प्रदेश में इसकी काफी मांग है । कीमतें भी बढ़ती चली गई हैं । इसको देखते हुये यह प्रयास किया जा रहा है, कि इसका उत्पादन बढ़ाने के लिये कुछ नयी योजनायें जिसमें केन्द्र से सुविधायें मिली हैं, उसको शुरू कर रहे हैं । तो कृषि के विकास के लिये और अधिक उत्पादन के लिये ४ चीजों की आवश्यकता है । इसमें एक तो भूमि है, दूसरे श्रम है, तीसरे पूंजी और चौथी चीज कृषि शिक्षा एवं प्रसार है । श्रीमन्, भूमि के लिये मेरा कहना है कि यहां पर, प्रदेश में ८४ प्रतिशत के लगभग किसान हैं । यह किसान लघु किसान, छोटे-छोटे किसान हैं । इनकी संख्या बहुत अधिक है । इनमें टेक्निकल ज्ञान कृषि के सम्बन्ध में अभी नहीं पहुंचा है । शासन इसके लिये कटिबद्ध है कि किस तरह से इन ८४ प्रतिशत कृषकों की आर्थिक स्थिति सुधारी जाय । श्रीमन्, इसके लिये मैंने कुछ चीजें अभी बताई थीं । श्रीमन्, इस तरह से १२.२३ लाख हेक्टेयर भूमि ऐसी है जो ऊसर है । इसी तरह १५.३६ लाख हेक्टेयर भूमि बेकार भूमि है । श्रीमन्, पिछले साल १७ जिलों में ऊसर सुधार योजना शुरू की गयी थी । इस योजना को बढ़ाया जा रहा है । केन्द्र को, वर्ल्ड बैंक से सहायता प्राप्त करने के लिये, ५० करोड़ रुपये की योजना भेजी गयी है । श्रीमन्, इसी तरह से लगभग १२ लाख हेक्टेयर बीहड़ भूमि है जो यमुना और चम्बल के कटने से बनी है । इसके लिये एक योजना विभाग से केन्द्र को वर्ल्ड बैंक से अनुदान प्राप्त करने के लिये भेजी गयी है । श्रीमन्, इसी तरह से एक अन्य योजना केन्द्र शासन को प्रेषित की गयी है, आगरा में चिनहट और इटावा जिले के बदपुरा विकास खंड के बीहड़ों के विकास के लिये यह योजना है । श्रीमन्, कृषि के सम्बन्ध में जोतों की बात आती है । प्रदेश मे १.८० करोड़ जोते हैं । पिछले दिनों में कृषि का लाभ केवल कुछ लोगों को मिला है । जो बहुत बड़ी जनसंख्या है, जो छोटी जोत वाले हैं उनको लाभ नहीं हुआ है । इसके लिये हम कुछ परियोजनायें चलाने जा रहे हैं ।

[श्री राजेन्द्र सिंह--]

अब श्रीमन्, सिंचाई का सवाल है। इस प्रदेश में ४० प्रतिशत भूमि सिंचित है। लेकिन वास्तव में इस ४० प्रतिशत भूमि में केवल १३ प्रतिशत भूमि में ही एश्योरड इर्रीगेशन की सुविधा है यहां पर ३ से ज्यादा पानी उपलब्ध हो सकते हैं। बाकी २७ प्रतिशत जमीन ऐसी है जो प्रोटेक्टेड इर्रीगेशन की परिभाषा में आती है। जहां पर १ से लेकर डेढ़ पानी मिल सकते हैं। तो जब तक सिंचाई साधनों को बढ़ाया नहीं जायगा तब त. कृषि उत्पादन बढ़ाया नहीं जा सकेगा। श्रीमन्, शासन इस तरफ ध्यान दे रहा है इसीलिये यह कोशिश की जा रही है कि सिंचाई के साधनों को बढ़ाया जाय। मान्यवर, खरीफ का प्रोग्राम था कि ८२.७२ लाख मी० टन में उत्पादन किया जाय। श्रीमन्, पिछले दिनों काफी जगहों पर बाढ़ आई, लगभग ३० जनपदों में बाढ़ आई है। तो अभी इकोनामिक टाइम्स में ७-१०-७७ के इकोनामिक टाइम्स में यह तथ्य स्पष्ट कर दिया कि पूरे प्रदेश का उत्पादन ८८ लाख मी० टन होगा। श्रीमन्, मैं यह कह सकता हूं, यह हर्ष की बात है, हमारा अनुमान है कि इस बार पूरे प्रदेश का उत्पादन २०० लाख मी० टन होगा। इसको पूरा करने में हम सक्षम होंगे।

श्रीमन्, सिंचाई के बारे में भी निर्णय लिया गया है। अभी तक छोटे एवं सीमान्त कृषकों की योजना २६ जिलों में चलाई जा रही है और इसमें २५ तथा ३३ १/३ का अनुदान उपलब्ध कराया जाता रहा है। इस अनुदान की प्रगति को प्रदेश के दूसरे जनपदों में लागू कर दिया गया है और इसके लिये २ करोड़ का प्राविधान इस बजट में किया गया है।

मान्यवर, अब मैं बीज के बारे में कहना चाहता हूं। बीज कृषि उत्पादन के लिये बहुत जरूरी है। जब तक किसानों को अच्छा और प्रमाणित बीज प्राप्त नहीं होगा तब तक कृषि के उत्पादन में वृद्धि नहीं हो सकेगी। अभी तक ५ प्रतिशत किसान इस प्रमाणित बीज का लाभ उठाते रहे हैं लेकिन ९५ प्रतिशत किसानों को इसका लाभ नहीं हुआ। इसका कारण रहा है कि प्रमाणित बीज की कीमत छोटे किसानों की पहुंच से दूर रही है इसलिये वह इसका लाभ नहीं उठा सके। दूसरे इस कार्य को एन० एस० सी० करता था। लेकिन अब राज्य के अन्दर ही राज्य बीज प्रणाली संस्था की स्थापना कर दी गयी है। इस वर्ष इस संस्था द्वारा प्रमाणीकरण किया जायेगा और वह मटर, गेहूं आदि के बीजों का प्रमाणीकरण करेगा और वह अगले वर्ष किसानों को उपलब्ध हो जायेगा। इसी तरह सीड कारपोरेशन भी इस वर्ष कर दी जायेगी। अभी जो सीड पिछली सरकार का था कृषि फर्म पर उगा कर दिया गया है। गेहूं के बीज की कीमत में ५ रु० प्रति क्विंटल गत वर्ष की अपेक्षा कम कर दिया गया है।

श्रीमन्, खाद के बारे में यह है कि कृषि के उत्पादन में उसका अपना एक विशेष महत्व है। शासन ने निर्णय लिया है कि फास्फोटिक और पोटाशिक खादों पर २० से ३० प्रतिशत अनुदान दिया जायेगा। इससे जो हमारी खपत है वह बढ़ेगी। हमारे प्रयासों से और केन्द्र सरकार की मेहरबानी से इस वर्ष पिछली सरकार की अपेक्षा खाद अधिक उपलब्ध हो जायेगी। मुझे आशा है कि इस प्रकार किसी तरह खाद और बीज की कमी न होगी। इसके लिये हमने पूरे प्रबन्ध कर दिये हैं। श्रीमन्, १०० रु० प्रति टन यूरिया खाद का दाम है इस पर कमी तो कर ही दी गयी है। ग्रामीण क्षेत्र में हरी खाद के लिये ग्राम सभा स्तर पर कुछ पुरस्कार की योजना चलाई जा रही है। जो ग्राम सभा सर्वोत्तम कम्पोस्ट खाद तैयार करेगी उनको २५० रु० पारितोषिक दिया जायेगा। इस तरह ब्लाक स्तर

१९७७-८८ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान, अनुदान ११०९ संख्या ४५--कृषि, अनुदान संख्या ४६--औद्यानिक विकास, अनुदान संख्या ४९--भूमि तथा जल संरक्षण, अनुदान संख्या ५०--क्षेत्र विकास, अनुदान संख्या ७९--कृषि योजनाओं पर पूजीगत परिव्यय तथा अनुदान संख्या ९५--ऋण और अग्रिम-कृषि

पर और जिला स्तर पर भी ३०० और ५०० रु० पुरस्कार देने की योजना है। राज्य स्तर पर भी पुरस्कार दिये जायेंगे ताकि वहां के किसानों को कम्पोस्ट खाद बनाने की सुविधा मिल सके।

इसी तरह कानपुर और लखनऊ में दो कम्पोस्ट खादों के संयंत्र बनाने का प्राविधान रखा गया है। पिछले दिनों परम्परा रही है कि खाद के लिये जो चीजें उपलब्ध होनी चाहिये जैसे गोबर और दूसरे मैटिरियल उनको किसान खाने पकाने के काम में लाता रहा है। सरकार इस तरफ ध्यान दे रही है और गोबर गैस संयंत्र की योजना चलाई जा रही है। पिछले साल ५ हजार गोबर गैस के प्लान्ट लगाये गये। लेकिन इस वर्ष १० हजार गोबर गैस प्लान्ट लगाने की योजना है। एक सामूहिक गोबर संयंत्र लगाने की भी योजना है जिसका प्राविधान किया जायेगा। इस गोबर गैस संयंत्र का पहले परीक्षण किया जायेगा और जो उसकी अच्छाइयां होंगी उससे किसानों को अवगत कराया जायगा, जिससे वे इस योजना में विहित लाभों का भरपूर प्रयोग कर सकें और आगे साल में इसमें लोगों को हम प्रशिक्षित करेंगे। अब एक बात फसल सुरक्षा के बारे में कहना चाहूंगा। इसके लिए सभी जगह हमारी इकाइयां हैं। जिला स्तर पर, मंडलीय स्तर पर और ब्लाक स्तर पर भी यह इकाइयां हैं। यहां से मशीनों की सुविधा दी जाती है। पारिश्रमिक किसान को देना पड़ता है और जो पेस्टीसाइड्स इस्तेमाल होते हैं उसका भी पैसा किसान को देना पड़ता है। वैसे यह काफी लाभप्रद योजना है और इन इकाइयों से किसानों को सुविधा मिलती है। पहाड़ी क्षेत्र में ५० प्रतिशत तक अनुदान भी देते हैं। इसके बाद छोटे-छोटे उपकरणों की सुविधा भी हम किसानों को देते हैं। हमारे यहां ८४ प्रतिशत तक जोत छोटी है। हमारे जो सीमान्त कृषक हैं उनको भी कुछ उपकरणों की आवश्यकता होती है। १४ जिलों में हमारी कर्मशालाएं हैं। यहां पर यह उपकरण बनते हैं। छोटा किसान या जो भी चाहता है उनको मार्जिनल बेसिस पर यह उपकरण उपलब्ध करवाते हैं। हम दो जगह प्रशिक्षण योजनाएं भी चलाने जा रहे हैं जहां किसानों को प्रशिक्षित किया जायगा।

इसी तरह से दलहन और तिलहन के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। यह विदित है कि इस समय इनकी कमी हो गयी और कीमतें भी बढ़ी हैं। कारण इसका यह रहा कि पिछले दिनों इनका प्रोडक्शन कम हुआ। दलहन और तिलहन के उत्पादन में यह प्रदेश देश में अपना एक स्थान रखता है। यहां पर सबसे अधिक मात्रा में इन चीजों का उत्पादन होता है। कुछ योजनाएं भी इसमें दी हैं जो केन्द्र घोषित योजनाएं हैं। १०० रुपया कुंतल तक अनुदान बीज में दिया जाय। इसी प्रकार से कुछ अनुदान १५ और २५ रुपया प्रति हेक्टेयर कृषि रक्षण के लिए है। इस सम्बन्ध में कुछ आंकड़े इस प्रकार हैं। पिछली खरीफ में १.२५ लाख हेक्टेयर में मूंग बोयी गयी थी। लेकिन अब हमने जो लक्ष्य रखा है वह २.२५ लाख हेक्टेयर का रखा है। इस तरह से दलहन की कमी को पूरी करने की योजना हमारी है। एक और चीज में इस सम्बन्ध में बतलाना चाहता हूं कि केन्द्र ने १२५ रुपया चने की प्राइस सपोर्ट रख दी है। इससे भी कुछ सहायता मिलेगी। वैसे अभी तक यह रहा है कि सिंचित क्षेत्र में किसान गेहूं, गन्ना या आलू बोता है। तिलहन और दलहन का क्षेत्र कम होता जा रहा है और यह प्रवृत्ति डेवलप हो रही है कि खराब जमीन में दलहन और तिलहन बोई जाती है। लेकिन सीड में सब्सीडी देने की जो बात है उससे हम कृषकों को इस तरफ आकर्षित कर सकेंगे।

[श्री राजेन्द्र सिंह—]

छिड़काव की जो योजना है वह केन्द्र द्वारा घोषित योजना है हमने ५८ लाख की योजना केन्द्र को भेजी है। पिछली बार जब कृषि मंत्री, भारत सरकार आये थे तो उनकी इच्छा थी कि तिलहन और दलहन का क्षेत्रफल बढ़ा कर इनकी कमी को दूर किया जाय। इस सम्बन्ध में उन्होंने हमें कुछ सहायता का भी आश्वासन दिया है। पिछले वर्ष २ लाख हेक्टेयर भूमि में दलहनी फसलों की खेती की गयी थी। इस पर हमको सेन्ट्रल एड मिले तो हमें आशा है कि ३ लाख हेक्टर में पूरा क्षेत्रफल कर देंगे, ऐसा अनुमान है।

श्रीमन्, कृषकों के खेतों पर प्रदर्शन करने की भी योजना है और इस पर २२५ रुपया प्रति हेक्टेयर की दर से अनुदान होता है। इसी तरह से ऋण की व्यवस्था के लिये भी प्रयास किया गया है। अभी तक राष्ट्रीयकृत बैंकों से जमा धनराशि का केवल १० प्रतिशत ही कृषि के ऋण के लिये उपलब्ध कराते रहे हैं लेकिन अब केन्द्रीय सरकार ने निर्णय लिया है कि जमा धन की पूंजी का ३३ प्रतिशत उपलब्ध कराया जायेगा। इसी तरह से बिजली के बारे मे भी निर्णय हुआ है कि देश और प्रदेश के अन्दर जो भी बिजली का उत्पादन होगा उसका बहुत बड़ा हिस्सा कृषि-कार्य पर खर्च किया जायेगा ताकि पानी की समस्या हल हो सके। उद्यान भी इस विभाग में आते हैं। इस सम्बन्ध में पहाड़ों पर बहुत अच्छा कार्य चल रहा है। सेब के मामले में तो हमने रिकार्ड कायम किया है। साग-सब्जी भी इस विभाग के अन्तर्गत आते हैं। आलू का उत्पादन भी इसी विभाग के माध्यम से बहुत कुछ हो रहा है। देश का ३६ प्रतिशत आलू यह प्रदेश पैदा करता है। इसके लिये बड़े-बड़े फार्म्स पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में हैं। जहां क्षेत्र नहीं थे कि सीड पैदा किये जा सकें, वहां सोलिन में जमीन उपलब्ध कराई जा रही है। ताकि इस प्रकार के फार्म्स खुल सकें। ताकि सीड और आलू सम्बन्धी आवश्यकता स्थानीय स्तर पर पूरी की जा सके।

इसी तरह से कुछ संयंत्र लगाये जा रहे हैं। एक संयंत्र पूरा हो चुका है। हम चाहते हैं कि निजी उत्पादकों को प्रासेसिंग की व्यवस्था रहे ताकि जो किसान उससे फायदा उठाना चाहते हैं, उठा सकें।

जैसा कि मैंने कहा है, सेब के उत्पादन में काफी वृद्धि हुयी है। जहां १९५३ में सिर्फ २ हजार टन सेब होता था, १९७७-७८ में ये डेढ़ लाख टन हो गया। इसी तरह इसका क्षेत्र भी २५,००० हेक्टेयर से बढ़कर ८० हजार हेक्टेयर हो गया है। सहरनपुर, बस्तो और चौपटिया, इन तीन स्थानों में अनुसंधान कार्य चल रहा है। श्रीमन्, इस विभाग के अन्तर्गत मंडी निदेशालय भी है ताकि कृषकों को अच्छा दाम मिल सके। उसके लिये मंडी अधिनियम बनाया था और मंडियों की सीमा बांधी गयी थी। प्रदेश के अन्दर २४६ मंडियां इस परिधि के अन्दर आती हैं और ३६६ छोटी मंडियां भी हैं जो उप- मंडियों के रूप में काम कर रही हैं।

श्रीमन्, वहां पर एक प्रतिशत मंडी शुल्क लिया जाता है। कोशिश तो यह थी कि इसके लिए कोई शुल्क न लिया जाय। कोई शिकायत भी आती है तो उसको हम देखने की चेष्टा करते हैं और निस्तारण करते हैं। इसमें सबसे बड़ा लाभ किसानों को होने का प्राविधान है। उसका माल छन करके ढेरियों में बन जाता है और जो ऊंची बोली बोलता है वह उसके माल को ले जाता है। १०० मंडियों का प्राविधान इस योजना में है। श्रीमन्, इसके अन्दर मंडी परिषद् जो हैं संस्थागत वित्त से लेकर पैसा लगाती हैं। ये जो दस मंडिया निर्माणाधीन हैं ये करीब-करीब कम्पलीट हो

गयी हैं। बाकी मंडियों के निर्माण का कार्य चल रहा है। इनमें नीलाम चबूतरा, बैंक, डाकघर, पशु आहार, पीने का पानी आदि की व्यवस्था की जा रही है।

पूर्ववर्ती शासन ने जो मंडी स्थलों का चयन किया वह बड़ा विवादास्पद है। किसी-किसी जगह बड़ी उपजाऊ जमीन है जो कि कृषि के लिए अति उत्तम है वह अधिग्रहण कर ली गयी है जबकि वहां पर खराब जमीन वेस्ट लन्ड उपलब्ध थी ऐसा बहुत सी जगह हुआ है। मंडी शहर से पांच छः किलोमीटर दूर बन न जा रहे हैं। क्योंकि श्रीमन्। यह हमें पूर्ववर्ती सराकर से विरासत में मिली है। अब उसके बारे में यह शासन मजबूर है जहां निर्माण हो रहा है हम कुछ नहीं कर सकेंग लेकिन श्रीमन् यह निश्चित है कि शासन आइंदा कृषि योग्य भूमि को अधिग्रहित नहीं करेगा। जहां तक सम्भव होगा वेस्ट लैंड को लेने की कोशिश करेगा। एक निर्णय हम लेने जा रहे हैं और विचार कर रहे हैं कि मंडियों को हम बड़े-बड़े नगरों में न बना कर छोट-छोटे देहात के कस्बों में, ले जायें ताकि किसान अपने माल को बेच सके। उचित दाम पर और उसका पूरा दिन शहर में खराब न हो।

हम लिंक रोड भी बना रहे हैं। २००.४१ किलो मीटर सम्पर्क मार्ग तीन करोड़ लागत से इस वर्ष बनाने का प्राविधान है। ये मंडी समितियों द्वारा बनायी जायेगी।

इसके बाद एक एग्रो है। इस विभाग का श्रीमन्, मैं जानता हूं हमारे साथी हमारे माननीय सदस्य नाराज हैं। वैसे इस एग्रो को जो जानते हैं यह बहुत अच्छी चीज है। इसमें दो राय नहीं हो सकती। कृषि से सम्बन्धित जो कार्य है,औद्योगिक क्षेत्र है, वह इस क्षेत्र में आए और एग्रो इन को डेवलेप करे और किसानों को जितनी सुविधा दे सक, दें। पिछले सात वर्षों में इसमें जीटर ट्रैक्टरों को एसेम्बल किया जाता था। वह एक लाभदायक चीज थी, लेकिन वह इस एग्रो से हटायी गयी और वह पिन्जोर, पंजाब में चली गयी। वही एक लाभदायक चीज थी। इसके बाद वहां कस्टम सर्विस करते हैं। इस समय ५३ सेवा केन्द्र कार्यरत हैं। ट्रैक्टर छोटे-छोटे या बड़े-बड़े किसान जो ले जाना चाहते हैं, किराये पर ले जाते हैं। इस तरह की सेवा को बढ़ाने की योजना है और इसके लिए श्रीमन्, १७ करोड़ रुपये की स्कीम केन्द्र सरकार को सबमिट हुई है ताकि इन केन्द्र को ज्यादा से ज्यादा बढ़ा कर छोटे किसानों की मदद की जा सके। श्रीमन्, जैसा मैंने कहा शासन की यह नीति है कि हम मारजिनल, लघु कृषक को किस तरह मदद दे सकते हैं। श्रीमन्, ४५ प्रतिशत जो हमारे कृषक हैं, वे आधी हैक्टेयर जमीन रखते हैं। उसके लिए यह संभव नहीं होता कि वह अपने बैलों को जोड़ी पर लागत लगा सके। कस्टम सर्विस बहुत लाभप्रद है। इसलिए कोशिश यह की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा कस्टम सर्विस बढ़ सके और छोटी-छोटी भूमि वाले किसान अपने बैल या हल न रखें और पूरे साल भर उसका उपयोग नहीं होता और भार भी नहीं उठा सकता लिहाजा कस्टम सर्विस से लाभ उठा सकें।

खाद वितरण भी एग्रो के द्वारा किया जाता है। एक लाख मीटरिक टन खाद वितरण गत वर्ष किया गया था और १·८५ लाख मीटरिक टन वितरण करने की योजना इस साल के लिए बनाई गई है। इसके वितरण के लिए दूरस्थ केन्द्र काफी इंटीरियर तक बनाए गए हैं और बनाने के लिए एक योजना भी हमारे पास है। एक चीज और है। जो ग्रेजुएट्स थे, इंजीनियर्स थे जिनको कहीं काम नहीं मिल पाता था, पिछली

[श्री राजेन्द्र सिंह--]

सरकार के समय से उनको प्रशिक्षण दिया जाता है, डीलरशिप दी जाती है और कस्टम सर्विस कराते हैं । इसमें ८० इंजीनियर एवं नवयुवक शिक्षा ले रहे हैं और प्रोजेक्ट बैंक को सबमिट कर दिया है ताकि बैंक से उनको धन उपलब्ध हो सके । कीटनाशक दवाइयां भारी मात्रा में मिलावट से भरी होती है । बहुत से माननीय सदस्यों द्वारा शिकायतें आई हैं कि जो परसेन्टेज होना चाहिए, वह नहीं होता है और निजी बिक्रेताओं के यहां सब-स्टैन्डर्ड ये दवायें मिलती हैं । यह भी योजना है कि इन दवाइयों का उत्पादन एग्रो के जरिए किया जाय ताकि सस्ती कीमत पर स्टैन्डर्ड दवायें उपलब्ध कराई जा सक ।

एग्रो में संतुलित पशु आहार भी तैयार किया जा रहा है । लखनऊ में तो एक फैक्टरी पहले से ही काम कर रही है और गोरखपुर तथा मुरादाबाद में इस साल से काम करने लगेंगी । इस साल तीन हजार मीटरिक टन पशु आहार बना और अनुमान है कि ६ हजार मीटरिक टन यह पशु आहार बनाने लगेगा । इसी तरह से नवाबगंज, इलाहाबाद में एक कोल्ड स्टोरेज एग्रो के मातहत बन चुका है । काशीपुर में दूसरा कोल्ड स्टोरेज बनकर तैयार हो गया है । सेव व आलू की भराई शुरु हो जायगी एग्रो के अन्तर्ग हमने उद्यान विभाग भी रखा है और प्रोसेसिंग के लिए एक सबसिडियरी बना दी गई है । इधर सेव व आलू का उत्पादन काफी बढ़ा है । इसके अलावा आम भी इस प्रदेश में काफी मात्रा में पैदा होता है । उस सबसिडियरी के द्वारा फलोत्पादन के जरिए मार्केटिंग प्रोसेसिंग तथा प्रिजर्वेशन की व्यवस्था भी की गई है उसके मार्केटिंग की भी व्यवस्था की जा रही है ताकि फल उत्पादकों को नुकसान न हो । पिछले साल लखनऊ में जो सेव आया था, उन फल उत्पादकों से जब बात चीत हुई तो ज्ञात हुआ कि उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है । उसका कारण मार्केटिंग का अभाव था, सड़कों का न होना था । सरकार इस तरफ प्रयत्नशील है किस तरह से एक योजना इस सबसिडियरी के माध्यम से बनायें ताकि फलों की बिक्री का तरीका निकल सके ।

विदेशों को गत वर्ष १३ लाख रुपये के फल पदार्थ भेजे गए थे । इस वर्ष ५० लाख रुपये के फल पदार्थ निर्यात करने की योजना है । इसके अलावा मेंथल फैक्टरी भी इसके अन्तर्गत स्थापित कर दी गई है । सोयाबीन का एक प्लांट लगाने का भी हमारा विचार है । इस योजना में काफी प्रगति भी हुई है । बरेली के अन्दर एक प्रोसेसिंग प्लान्ट लगा हुआ है । पन्तनगर में हमने कोशिश की है कि कुछ प्रोसेसिंग का काम लिया जाय । इसके लिए मान्यवर, एक सोयाबीन प्रोडक्ट्स एन्ड रिसर्च केन्द्र है । इसकी मार्केटिंग की भी हम योजना बना रहे हैं । हमारे यहां बहुत बड़ा उत्पादन सोयाबीन का होता है । पूरे प्रदेश में दो ही प्रदेश हैं, जहां यह सोयाबीन होती है एक तो मध्य प्रदेश है और दूसरा उत्तर प्रदेश । मध्य प्रदेश में जो सोयाबीन होती है, वह काले रंग की होती है, वह उतनी उपयोगी नहीं है, जितनी कि जो हमारे यहां सफेद होती है । सफेद सोयाबीन की खली की बड़ी मांग विदेशों में भी है । तो सोयाबीन के लिए प्लान्ट लगाने की हमारी योजना है । नैनीताल और झांसी में यह ज्यादा होता है, उनके उत्पादकों को अधिक से अधिक लाभ हम पहुंचाना चाहते हैं, ताकि इसको अच्छी कीमत पर खरीदा जा सके और बाहर विदेशों में भेजा जा सके ।

एक और योजना है, जैसा कि मैंने कहा ३४२ केन्द्र उसमें खोले जायेंगे, जिस पर १७ करोड़ रुपये व्यय होगा । शासन को योजना बना कर भेजी है (व्यवधान)

१९७१-७८ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान-अनुदान १११३ संख्या ४५--कृषि, अनुदान संख्या ४६-औद्योनिक विकास, अनुदान ४९--भूमि तथा जल संरक्षण, अनुदान संख्या ५०--क्षेत्र विकास, अनुदान संख्या ७९--कृषि योजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय तथा अनुदान संख्या ९५--ऋण और अग्रिम-कृषि

श्री सोहनबीर सिंह तोमर (जिला गाजियाबाद)--

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है । बहुत थोड़ा समय सदन को इस पर विचार करने के लिए मिला है । मन्त्री जी ने सारा लिट्रेचर बांट दिया है और सारा लिखा हुआ वह पढ़ रहे हैं । हम इसे पढ़ा हुआ मान लेते हैं ।

श्री सुखपाल पाण्डेय (जिला बस्ती)--

समय बढ़ा दें, मान्यवर, इसमें ।

श्री राजेन्द्र सिंह--

मैं यह फीगर दे रहा हूं श्रीमन्, उसके लिए देख रहा हूं । मैं कोशिश करूंगा जल्दी समाप्त करूं । श्रीमन्, इस विभाग के अन्दर क्षेत्रीय विकास विभाग भी है । उसमें रामगंगा, गंडक और शारदा सहायक योजनायें हैं । यह तीनों योजनायें कार्यरत हैं और इनके निगम बने हैं । इस समय सबसे बड़ा काम जो है पक्की और कच्ची नालियां बनाने का है । जैसा कि मैंने कहा सिंचाई की बहुत बड़ी आवश्यकता है। हम यह कोशिश कर रहे हैं कि जहां भी जितना पानी उपलब्ध है नदियों से एक-एक बूंद का इस्तेमाल किया जाय ।

इसी तरह से एस० एफ० डी०ए० योजना है, जो कृषकों के लिए बनवाई गई हैं और ये सभी वित्तीय पोषित हैं केन्द्र सरकार से इनके लिए धन मिलता है । इस तरह से ५६ निगम इस विभाग के अन्दर हैं और उसमें २६ एस० एफ० डी० ए० के हैं यह २६ जिलों में चल रहे हैं । यह जो लघु कृषक विकास योजना है, इसमें लघु कृषकों के लिए पशुपालन, सिंचाई और छोटे कुटीर उद्योगों के लिए और कृषि सम्बन्धी कार्यों के लिए सहायता दी जाती है । इसमें २५ प्रतिशत और ३३१/३ प्रतिशत का अनुदान दिया जाता है । श्रीमन्, ६ जिलों में सूखा उन्मुक्त योजना चलाई जा रही थी । यह इतना बड़ा प्रदेश है बहुत से जिले इसके सूखाग्रस्त हैं, वहां के लिए यह योजना चलाई जा रही है । (व्यवधान) यह रजिस्टर्ड बाडीज के द्वारा होता है । तो श्रीमन्, वह योजना भी पूरी-पूरी केन्द्र सरकार से वित्त पोषित हैं । इसी तरह से शुष्क क्षेत्रों के लिए एक योजना ललितपुर और मिर्जापुर के लिए चलाई जा रही है जो भी पूरी वित्तपोषित है । केन्द्र से इसके लिए धन मिलता है । इसमें काफी फेसिलिटी कृषकों को दी जाती हैं और २५ प्रतिशत और ३३१/३ प्रतिशत सहायता दी जाती है जो सामूहिक तौर पर भूमि संरक्षण करता है, उनको २५ प्रतिशत अनुदान दिया जाता है ।

श्रीमन्, अभी तक जितनी योजनायें बनी हैं, वह ऊपर से नीचे जाती थीं, लेकिन इस बार प्रयास किया गया है कि योजनाओं का स्वरूप जिला स्तर से बन कर आय और उसके लिए बजट में प्रविधान किया गया है । हमारी कोशिश है कि जिला स्तर से योजनायें बने और उसका उपभोग लोग अधिक से अधिक कर सकें । जैसा श्रीमन्, अभी मैंने कहा उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा है, इसकी भौगोलिक स्थिति भिन्न हैं । हमारी कोशिश है कि उस हिसाब से लाभप्रद योजनायें बनें भिन्न भौगोलिक और आर्थिक परिस्थितियों के हिसाब से हमारे यहां चीजें होती हैं, उनको ध्यान में रखकर योजनायें विभिन्न अधिकरणों के द्वारा चलाई जा रही हैं। एक विचारधारा यह हमने केन्द्रीय सरकार के सामने रखी है कि ये सभी योजनायें क्षेत्र विकास के अन्तर्गत हो लाकर कार्यान्वित की जायं । यह सम्भावना है कि यदि ये सभी योजनाएं एक ही--क्षेत्रीय विकास के माध्यम से कार्यान्वित की जायेंगी तो कार्य अधिक सुचारू रूप से हो सकेगा और योजनाओ में परस्पर जो समन्वय की कमी रह जाती है, वह दूर हो

[श्री राजेन्द्र सिंह---]

जाएगी । इससे अगली योजना आने पर जो लेना पड़ता था, वह भी नहीं करना पड़ेगा । इस पर केन्द्रीय सरकार ने गम्भीरता से विचार किया है और हमें उम्मीद है कि शायद केन्द्र सरकार हमारी बात को मान जाएगी ।

अब मैं गबन आदि के बारे में कहना चाहूंगा । यहां पर बहुत से पुराने केसेज सीड गोदाम, खाद गोदाम पर हुए गबन और भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में विधान सभा और विधान परिषद के माननीय सदस्यों द्वारा उठाये जाते रहे हैं । इसमें कोई दो राय नहीं कि यह इस विभाग पर एक कलंक है । अब इसे दूर करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है । अब तक इस सीज को मानकर कार्यवाही होती रही है कि उसके लिए जिस व्यक्ति की जिम्मेदारी है यानी जो इंचार्ज है, उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए । लेकिन दो या तीन सौ रुपया खाने वाले २-४ लाख का गबन करने चला जाता है और गबन की कार्यवाही के फलस्वरूप ज्यादा से ज्यादा उसकी सेवायें ही समाप्त हो जाती हैं, तो उस पर कोई अधिक बोझ नहीं पड़ता है । फिर पुलिस कार्यवाही हो रही है, तो उसमें इतना लम्बा समय हो जाता है कि उसका सुफल विभाग को नहीं मिल पाता है कि इसलिए प्रशासन इस बात के लिए प्रयत्नशील है, जैसे कि पहले से भी आदेश थे, किन्तु उनका कड़ाई से पालन नहीं किया जा रहा था कि अब गबन आदि के लिए जिला कृषि अधिकारी, बी० डी० ओ०, ए० डी० ओ० (कृषि) या जो प्रयोजना अधिकारी हैं या जो ए० डी० एम० (पी०) हैं, उनको इनके लिए जिम्मेदार ठहराया जाए । अब हम इसकी जिम्मेदारी इन बड़े-बड़े अधिकारियों पर भी डालें इसके लिए पहले आदेश प्रसारित किए गए थे कि ए० डी० ओ० अपने अधीनस्थ केन्द्र का १५ दिन बाद निरीक्षण करे, बी० डी० ओ० एक महीने में एक बार और जिला कृषि अधिकारी अपने अधीनस्थ केन्द्रों का तीन महीने में एक बार निरीक्षण करे । मुझे निश्चित रूप से विश्वास है कि यदि हमने बड़े-बड़े अफसरों को पकड़ना शुरू किया तो इस प्रकार के भ्रष्टाचार में निश्चित ही कमी होगी ।

माननीय, यह हमने अपनी नीति रखी और नवीन योजनायें रखीं । अब मैं दो शब्द अपने विभाग के बारे में कह देना उचित समझूंगा । इन सब का कार्यान्वयन तभी सम्भव हो सकता है, जबकि इन्हें कार्यान्वित करने वाली हमारी प्रशासकीय मशीनरी भी उसके अनुरूप हो । खास कर ऐसे दृष्टियों में जीवन बिताने वाले लोग प्रकृति की प्रताड़नाओं से जूझने वाले किसान का दर्द नहीं अनुभव कर सकते । इन तथ्यों का उसे ही अनुभव हो सकता है जो उन परिस्थितियों में रहा हो । जिसने झोपड़ियों के खिड़कों में अपना बाल्यकाल न बिताया हो, जिसे खरेरी खाट पर सोने का अवसर न मिला हो, जिसने बिजली के चमचमाते प्रकाश में हटकर लालटेन या दीपक की टिमटिमाती रोशनी में अध्ययन न किया हो, जिसे परिवार के सदस्यों के साथ खेत में काम करते समय मिट्टी में सने हाथों से ही भोजन करने का अभिशाप प्राप्त न हुआ हो वह इस प्रदेश के गरीब किसान और मजदूर के दुख दर्द को नहीं समझ सकता है ।

श्री गुलाब मेहरा (जिला आगरा)---

श्रीमन्, यह तो काव्य गा रहे हैं ।

श्री राजेन्द्र सिंह---

यह कोई काव्य नहीं है, वास्तविकता है । अन्त में मैं कहना चाहता हूं जैसी कि कहावत है 'जिसके पर न फटी बिवाई, वो क्या जाने पीर पराई ।' तो इस तरह

की चीज है और हम उस पर सोच रहे हैं कि जो योजना है, उसका उसी रूप में कार्यान्वयन हो और शासन इस पर विचार कर रहा है। मैंने इस सदन का और माननीय सदस्यों का बहुत समय लिया अपने विभाग के बारे में जानकारी देने के लिए। मैं अनुग्रहीत हूंगा कि माननीय सदस्य अपने विचारों से हमें अवगत कराएं। हम बड़ी भारी जिम्मेदारी लेकर आए हैं। लाखों-करोड़ों लोगों का मतदान लेकर आए हैं। हम चाहते ह कि यहां आप कुछ व्यावहारिक चीजें, व्यावहारिक सुझाव हमारे सामनेरखें जिसको कार्यान्वित करके हम देश की प्रगति में सहायक हो सकें।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४५—कृषि के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य—विभागीय नीति की समालोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या—४६ औद्योनिक विकास के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य—विभागीय नीति की समालोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४६—भूमि तथा जल संरक्षण के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य—विभागीय नीति की समालोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ५०—क्षेत्र विकास के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य—विभागीय नीति की समालोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ७६—कृषि योजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य—विभागीय नीति की समालोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ९५—ऋण और अग्रिम-कृषि के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय कमी करने का उद्देश्य—विभागीय नीति की समालोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, माननीय कृषि मन्त्री राजेन्द्र सिंह ने जो अपना बजट भाषण दिया और बजट प्रस्तुत किया है मैं सब के लिए तो नहीं....।

एक सदस्य—

यह ,जो नोटिस मिला है, कटौती के प्रस्ताव ऊदल जी का आज नहीं है।

श्री अधिष्ठाता—

बैठिए आप।

श्री ऊदल—

माननीय कृषि मन्त्री जी को धन्यवाद जरूर दूंगा, इसलिए कि इस विभाग को यह समझने की कोशिश कर रहे हैं और इसमें थोड़ी बहुत सफलता भी इनको हासिल हुई है। दूसरे यह कि कुछ कार्यवाही भी इन्होंने किया है। इस भरोसे के साथ धन्यवाद दे रहा हूं कि जैसा कि उन्होंने अभी आखिर में कबीरदास या रहीम की चौपायी—जाके पर न फटी बवांई—का उद्धरण दिया है, मैं चाहूंगा कि उसके मुताबिक यह इस विभाग का चलायेंगे। श्रीमन्, इनके प्रति और भी हमारी सहानुभूति है। इसलिए कोई राजनीतिक बात मैं कहना नहीं चाहता।

श्रीमन्, इस विभाग के बहुत से अंग हैं, कुछ का जिक्र माननीय मन्त्री जी ने किया। श्रीमन्, इसमें आप देखेंगे—दलहन, तिलहन, कपास का जिक्र मन्त्री जी ने नहीं किया। जूट, उद्यान, फल उपयोग, भूमि सरक्षण, बीहड़ सुधार, कृषि मन्डी, एग्रो इंडस्ट्रियल कारपोरेशन। बाकी दो तीन छूट गए हैं—इसमें क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम, एरिया डेवलपमेन्ट है।

मैं माननीय कृषि मन्त्री और इनके विभाग से एक मार्मिक अपील करना चाहता हूं। जीवन की तीन मौलिक आवश्यकताएं होती हैं, उसके बाद चौथी होती है खाना, कपड़ा, शिक्षा, मकान। मकान तीसरे में आता है, शिक्षा उसके बाद। इसलिए कि हमारे देश मे करोड़ों लोग अरक्षित हैं, बिना मकान के, बम्बई, कलकत्ता में अपनी गुजर कर लेते हैं। लेकिन दो चीजें खाना और कपड़ा और इन दोनों की पूर्ति की जो जिम्मेदारी है वह इस विभाग की है और इसलिए मैंने कहा, माननीय मंत्री जी से और विभाग के लोगों से मार्मिक अपील करना चाहता हूं। जैसा कि उन्होंने कहा कि जनता पार्टी की सरकार ने कृषि और देहात के विकास की ओर ध्यान दिया है। श्रीमन्, कृषि की पैदावार बढ़ाने के लिए शोधित और प्रमाणित बीज आवश्यक है। उसका माननीय मंत्री जी ने जिक्र किया, लेकिन इस विभाग के अन्दर प्रमाणित बीज का अंश शून्य के बराबर है। मेरा कहना है कि जब तक प्रमाणित बीज नहीं उपलब्ध कराये जायेंगे तब तक खेती के क्षेत्र मे पैदावार ठीक से बढ़ नहीं सकती है। अभी विभाग द्वारा जो प्रमाणित बीज किसानों को उपलब्ध कराया जाता है वह डेढ़ फीसदी है और मंत्री अंगुली दिखा रहे हैं कि ५ फीसदी। हम उसको प्रमाणित क्या कहें। उसमे आधे से ज्यादा अप्रमाणित है। इससे न आप इनकार कर सकते हैं और न आपका विभाग कर सकता है। प्राइवेट किसानों को इकट्ठा करके बीज दिया जाता है। बीज निगम का स्थापना की जो घोषणा की है वह तुरन्त स्थापित हो जाये। आपके यहां प्रदर्शन और शोध के फार्म हैं। उनमें दो तरह के हैं—एक कमर्शियल फार्म और दूसरा प्रदर्शन फार्म। कमर्शियल फार्म पर शोध कार्य का पैसा लगा दिया जाता है। इसलिए इसको तोड़ना पड़ेगा। शोध फार्म को अकेला खोलना पड़ेगा। प्रत्येक जिले में शोध फार्म हो, जहां से प्रमाणित बीज पैदा किए जाये। होता क्या है अच्छा बीज पैदा होता है उसको बेच लिया जाता है और रद्दी बीज खरीद कर ले आते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि जहां पर शोध का कार्य हो वहां पर पब्लिक सर्विस कमीशन से पी०एच० डी० का डाइरेक्ट आदमी एपाइन्ट होना चाहिए और किसी भी प्रमोटेड आदमी को नहीं रखना चाहिए और उसकी तनख्वाह भी काफी हो। मेरे पास बहुत से कागजात हैं, मैं दे सकता हूं।

दूसरे मैं यह कहना चाहता हूं कि कृषि के क्षेत्र में दलहन, तिलहन, कपास और जूट का जो कार्यक्रम चलाया गया, इन सबका मूल्यांकन होना चाहिए। लाखों करोड़ों रुपया खर्च किया गया है और विभाग ने तमाम अधिकारी और कर्मचारी

लगायें हैं, इनसे क्या प्राप्ति हुई इसका भी मूल्यांकन होना चाहिए। इसलिए मेरा सुझाव है कि कृषि विभाग का पुनर्गठन जैसा कि कृषि मंत्री जी ने कहा, उसका पुनर्गठन साइन्टिफिक डेवलपमेंट के मुताबिक होना चाहिए। जब तक नहीं होगा तब तक हम कृषि के क्षेत्र में तरक्की नहीं कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ मंत्री जी ने हरी खाद और कम्पोस्ट खाद का जिक्र किया। कम्पोस्ट, खाद के बारे में आज से ४-६ साल पहले कुछ प्रोग्राम भी चलाया जाता था, लेकिन वह प्रोग्राम इधर ५-६ वर्षों से कम कर दिया गया है या कुछ भी नहीं चलाया जा रहा है। हरी खाद के क्षेत्र में पिछले वर्ष के पहले ढैंचा, सनई और दूसरे तमाम प्रकार के बीज कृषि विभाग की तरफ से उपलब्ध कराए जाते थे और आज हम देखते हैं कि प्रदेश के हर जिले में तो हरी खाद के क्षेत्र में जहां हम तीन वर्ष पहले थे, उससे भी आज हम पीछे हैं।

हमारे यहां जूट का विभाग खुला हुआ है। जूट के विभाग में भी कितना काम किया है उसे देखना पड़ेगा। बंगला देश में और पश्चिमी बंगाल में जूट की खेती किस ढंग से होती है वहां तमाम जूट की मिलें चल रही हैं। हमारे प्रदेश में भी जूट बहुत पैदा हो सकता है। कपास बहुत पैदा हो सकती है। मैं कहना चाहता हूं कि बुन्देलखन्ड के क्षेत्र में और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कपास को बिल्कुल अछूता छोड़ दिया गया है। मेरा तो यह चार्ज है। इसलिए इस विभाग को इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है।

जहां तक कृषि रक्षा के बारे में जिक्र किया गया, मेरी खुद की राय है कि कृषि रक्षा के लिए जो दवाइयां बनाई जा रही हैं, वह रद्दी हैं, कीट और पतंगे तो मरते ही नहीं। पैसा खाया जाता है। लाइसेन्स दिया गया है प्राइवेट लोगों को तो मेरी खुद की राय है कि सरकार इन दवाइयों को एग्रो के जरिये से या किसी दूसरे जरिए से बनवाए कृषि विभाग इसे स्वयं कर सकता है। तब जितने बड़े पैमाने पर इनका इस्तेमाल होगा उतना ही सुधार हम अपनी कृषि की रक्षा के लिए कर सकते हैं। इसमें भी बड़ी गड़बड़ी है और जांच कराने की आवश्यकता है। मैंने मंत्री जी से भेंट की तो उन्होंने बताया कि एक सज्जन ने कहा कि अब जो कीटनाशक दवाइयां बन रही हैं, इनसे कीड़े पतंगे तो नहीं मर रहे हैं। बताइए हम उस आदमी को मार देंगे जो लोग ऐसी दवाये बना रहे हैं या लोग बिचवा रहे हैं।

दूसरा मेरा निवेदन यह है कि इस विभाग द्वारा कीटनाशक दवाओं के लिए जो मशीनरी खरीदी गई है, वह बहुत खराब है। लाखों रुपये की मशीनें खरीदी गई हैं, जो बिलकुल बेकार हैं ऐसी मशीनें प्रदेश के कृषि रक्षा केन्द्रों पर तथा ब्लाकों में पड़ी हुई हैं। इस सम्बन्ध में भी जांच होनी चाहिए। किन-किन कम्पनियों को कृषि रक्षा की मशीन बनाने के लाइसेन्स दिये गये, इसकी लिस्ट मैं बाद में पढ़ दूंगा। इसकी जांच होनी चाहिए।

अगर आप चाहते हैं कि इसमें सुधार हो तो मैं बड़ी नम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा कि इसको एग्रो के अन्दर जैसे सीधे-सीधे मध्य प्रदेश में भी होता है। हमारे देश के अन्य प्रदेशों द्वारा किया जाता है, उस तरह कराना चाहिए और इस काम को प्राइवेट एजेन्सियों को न दिया जाय क्योंकि इसका सम्बन्ध प्रदेश के ७० फीसदी किसानों से जुड़ा हुआ है।

[श्री ऊदल]

एक बात फल उपयोग के बारे में और निवेदन कर दूं क्योंकि इसमें आलू भी आ जाता है । सेब भी आ जाता है । मैं टेक्निकल आदमी तो हूं नहीं, लेकिन नर्सरीज के बारे में एक बात जरूर कहूंगा । हमारे जिले वाराणसी में जितनी नर्सरीज हैं उनको मैंने देखा, जितने वहां उद्यान अधिकारी हैं, उनका नर्सरी के सम्बन्ध में ज्ञान तिल के बराबर है । इसलिए मैं कहता हूं आप देखें वहां जितने पौधे हैं वे बहुत घने पौधे हैं, मैं रोज देखता हूं कि दस फीसदी भी पौधे लगे नहीं हैं तो ९० फीसदी सूख जाते हैं या टूट जाते हैं, इसलिए इनकी जांच होनी चाहिए । तो इनका भी मूल्यांकन होना चाहिए । कृषि विभाग द्वारा जो पौधे सप्लाई किए गए वे लगे या नहीं । वे टूट जाते हैं क्योंकि उनका तना बहुत पतला होता है। हमारे यहां के बी० डी० ओ० ने लिखा है कि आपके ४० प्रतिशत पौधे खराब होते हैं । मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी इधर ध्यान दें ।

आलू का जहां तक सम्बन्ध है उसको रखने के लिए गत वर्ष तो कोल्ड स्टोरेज के दाम निश्चित किए गए थे । आपको देखना होगा कि वे कितने बड़े पैमाने पर किसानों का शोषण कर रहे हैं । हमें देखना होगा कि हम आलू को किस प्रकार से बचा सकते हैं और उनको विदेशों में भेजकर विदेशी मुद्रा प्राप्त कर सकते हैं । इसलिए किसानों का जो सबसे अधिक शोषण हो रहा है, प्राइवेट शीत गृहों द्वारा उसकी ओर भी माननीय मंत्री जी को ध्यान देना चाहिए । मैं यह भी चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी इन प्राइवेट शीत गृहों को अपने हाथ में लें और अपने नये कोल्ड स्टोरेज बनवायें ।

इस साल हमारे प्रदेश में सेब की बहुत पैदावार हुई है । यहां तक कि लोग उसकी सब्जी तक खा रहे हैं । जब सेबों की सब्जी खाया जायेगी तो आप समझ लीजिए कि इतना सेब पैदा करने से क्या फायदा ? दुनिया में सेब की बहुत खपत है । हमारे देश में भी बहुत खपत है । इसलिए इनके रख-रखाव के साथ-साथ कलकत्ता, मद्रास, बम्बई और बड़े-बड़े जो शहर हैं, उनमें हम इनको किस प्रकार से पूरे साल बेच सकें और दुनिया के बाजारों में बच सकें । इस पर भी माननीय मंत्री जी को ध्यान देना होगा । इसके लिए स्टोरेज बनवाये जायं ।

माननीय मंत्री जी ने कहा कि उनके विभाग में ५४ निगम हैं और ६ और निगम हैं । इस प्रकार से कुल ६० हैं । जिस विभाग में इतने निगम हों उस विभाग का बंटाधार है । इनमें से एक निगम की चर्चा करना चाहता हूं । यह बहुत बड़ा निगम है । हमारे किस विभाग को भी इतने अधिकार हासिल नहीं हैं जितने इसे । राम गंगा एरिया डेवलपमेंट, शारदा सहायक और गंडक है । श्रीमन्, यह काम तो कुछ नहीं कर रहे हैं लेकिन इनके बजट को आप देखिए । वर्ष १९७४-७५ में इसका बजट १ करोड़ १५ लाख, वर्ष १९७५-७६ में २ करोड़ ७७ लाख, वर्ष १९७६-७७ में ४ करोड़ ९० लाख और इस साल १० करोड़ ८६ लाख का है और काम इनका यह है ...

श्री अधिष्ठाता--

आपका समय ५ मिनट और है ।

श्री ऊदल--

श्रीमन्, मुझे १० मिनट का समय दे दें । मान्यवर, इस वर्ष १९७६-७७ में ५५,००० हैक्टेयर में प्रक्षत्र विकास कार्य किया है और वर्ष १९७७-७८ में १.२०

लाख हैक्टेयर में प्रस्तावित है यह कार्य कमान्ड एरिया अथौरिटी द्वारा किया जाता है जिस पर लगभग २५ प्रतिशत कृषक से व्यय के ऊपर लिया जाता है जो किसान की आर्थिक सहन शक्ति के बाहर है। किसान से जिस प्रकार से लैंड रेवेन्यू वसूल किया जाता है, मैं कह नहीं सकता हूं। तो इस निगम के खोलने का क्या फायदा हुआ ? मान्यवर, रामगंगा एरिया डैवलपमेंट जो है, उसका दफ्तर कानपुर में है। इन्होंने अभी २५-८-७७ को एक मीटिंग लखनऊ में की है। ये कितने बड़े तानाशाह हो गए हैं, गवर्नर साहब को भी उतना अधिकार नहीं है और वित्त विभाग को भी अधिकार नहीं, ये मजा मार रहे हैं। मैं कहता हूं इनको भंग करिए। ये प्रदेश का शोषण कर रहे हैं, किसानों का शोषण कर रहे हैं। तनख्वाह भी ले रहे हैं और अन्य भत्ते भी। ६ आई० ए० एस० हो गए हैं। तीनों में दो दो ह और वित्त विभाग से भी ऊपर तानाशाह बने हुए हैं।

श्री अधिष्ठाता--

दो मिनट और हैं, आपके।

श्री ऊदल--

५ मिनट तो आप कह ही रहे थे.. ।

श्री अधिष्ठाता--

तीन मिनट आप बोल गए।

श्री ऊदल--

५ मिनट और मांग रहा हूं। उन्होंने जो प्रस्ताव पास किया है २५-८-७७ की मीटिंग मे, तो चेयरमैन साहब १५०० सौ रुपया हर महीना मकान का किराया लेंगे और इनके जो दूसरे साथी हैं मेम्बर, सेक्रेटरी और डाइरेक्टर रिसोसज इत्यादि वह एक हजार रुपया प्रति माह लेंगे। अन्य क्लास वन के अधिकारी प्रतिमा ५०० रुपया मकान किराया के लेंगे। काम कुछ नहीं। ७५ लाख रुपया गंडक में सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया था सड़क बनाने के लिए और काम कुछ नहीं किया। मैं कहता हूं कि इनके कार्यकलाप की पूरी जांच होनी चाहिए और इनको भंग करके कृषि विभाग के अन्तर्गत इसको रखिए। ६-६ आई० ए० एस० अफसर, जबकि पहले सिंचाई विभाग के, एक आई० ए० एस० थे और एक कृषि विभाग के जो प्रशासक होते थे। अब उन तीन की जगह ६ हो गए हैं। आपकी कृषि मंडी में ११ करोड़ रुपया पड़ा हुआ है। वहां भी डाइरेक्टर साहब और प्रशासक साहब आई० ए० एस० हैं।

अन्त में मुझे निवेदन करना है कि खाद के बारे में मैंने जिक्र किया। खाद में बहुत घपला है और यह सवाल हर बार आता है। खाद के बारे में ८६ लाइसेंस मिक्सचर बनाने के लिए प्राइवेट लोगों को दिया गया और पिछले १० वर्षों में सब ने लूट लिया। मैं आपको एक डी० ओ० से पढ़कर सुनाता हूं। इस वक्त जो कृषि विभाग के डायरेक्टर हैं उन्हें लिखा गया है। कृषि भवन में ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो बेईमानी और भ्रष्टाचार को बढ़ाते हैं। जो चोरी करवाते हैं। मैं तो लेटर आपकी सेवा में और उच्चाधिकारियों के लिए पढ़ देता हूं। एक

[श्री ऊदल]

हमारे यहां बी० ओ० आई० थे बनारस में उनके बारे में है । एक साहब जो देवरिया में थे उन्होंने लाखों का गोलमाल किया । डिप्टी डायरेक्टर ने कहा कि लाखों का गोलमाल किया है । "अर्ध शा० पत्र दिनांक १९ जुलाई, १९७४.."।

श्री अधिष्ठाता—

आप दो मिनट में समाप्त करें ।

श्री ऊदल—

उन्होंने लिखा यह गोपनीय पंजीकृत है । इन्होंने प्रतिलिपि संलग्न कर दी है संयुक्त कृषि निदेशक और परियोजना अधिकारी का । "मुझे आपके आदेश संख्या ए-बी ११-२५५७ स० स्था०/७४-७५, दिनांक ११-७-७४ के संदर्भ में परियोजना अधिकारी, वाराणसी के गोपनीय अ०शा० पत्रांक ४३६६, दि० १७-७-७४ की प्रतिलिपि संलग्न करते हुए निवेदन करना है कि श्री रामायन सिंह, स०वि०आ० (जनपद गोरखपुर) जिनकी नियुक्ति मेरे मंडल में बफर गोदाम इंचार्ज के पद पर की गई है, को तुरन्त रद्द करने की कृपा करें क्योंकि श्री सिंह के द्वारा जब वे कनिष्ठ कृषि विस्तार सहायक के पद पर गोरखपुर में कार्यरत थे उस समय कई एक गंभीर अनियमितताएं की जाने की सूचना परियोजना अधिकारी, वाराणसी को मिली हैं, जिनके प्राप्त होने पर उन्होंने यह आशंका प्रकट की है कि यदि श्री सिंह की वाराणसी जनपद में बफर गोदाम इंचार्ज के पद पर नियुक्ति होती है तो गम्भीर अनियमितताएं हो सकती हैं। ऐसी स्थिति में इस प्रकार के कार्यकर्त्ता को कभी भी बफर गोदाम का चार्ज नहीं दिया जाना चाहिए अन्यथा जो वाराणसी बफर गोदाम का इतिहास है उसकी पुनरावृत्ति होती रहेगी ।" सन् ६८ में खाद की चोरी हुई थी । यह लिखा है हरिहर प्रसाद सिंह, अतिरिक्त कृषि निदेशक, कृषि भवन, लखनऊ को और लेखक हैं रामस्वरूप ओझा, उपनिदेशक । उसके बाद भी नियुक्ति की गई थी । जुलाई में नियुक्ति होती है, सितम्बर, अक्तूबर में ६ लाख रुपए का खाद का गबन किया जाता है । मैं बहुत से उदाहरण दे सकता हूं । फैजाबाद में ६६-७० में ४२ लाख का गबन किया गया और जो वहां एकाउन्टेंट थे वे अब कृषि भवन में खाद सप्लाई में एकाउन्ट्स अफसर बने हुए हैं । ११ लाख के वाउचर का पता नहीं है । १०-१० साल से लोग बैठे हुए हैं, गालबन्दी बनाए हुए हैं ।

जो ईमानदार लोग हैं उनको परेशान किया जाता है और जो भ्रष्टाचार करते हैं, जो गबन करते हैं उनको प्रोत्साहन दिया जाता है और अच्छी-अच्छी जगहों पर भ्रष्टाचार करने के लिए और गबन करने के लिए भेजा जाता है । इसलिए मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी इन सब प्रश्नों पर विचार करें और कृषि विभाग को और इससे जो सम्बन्धित विभाग है उनको इस लायक बना दें जो उनकी मंशा है, जो उनकी तमन्ना है कि ७५ फीसदी किसान दो एकड़ के नीचे का है, उसको टेक्निकल रूप से, आर्थिक रूप से, हर तरह की उसको जानकारी मिले ।

इसलिए मैं समझता हूं कि मैंने जो कुछ सवाल उठाए हैं, माननीय सदन के माननीय सदस्य उन पर विचार करेंगे और जो कुछ श्रीमन्, मैंने सभी विभागों का नाम पहले ले लिया है, सब में भ्रष्टाचार है, सब में सुधार करने की आवश्यकता है । उन प्रश्नों पर पुनः जवाब दूंगा । इन्हीं शब्दों के साथ अपने कटौती के प्रस्ताव को दे रहा हूं ।

१९७७-७८ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान-अनुदान संख्या ४५--कृषि, अनुदान संख्या ४६--औद्यानिक विकास, अनुदान संख्या ४९--भूमि तथा जल संरक्षण, अनुदान संख्या ५०--क्षेत्र विकास, अनुदान संख्या ७९--कृषि योजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय तथा अनुदान संख्या ९५--ऋण और अग्रिम-कृषि

श्री अधिष्ठाता--

माननीय सदस्यों को ५-५ मिनट का समय मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा, चाहे कितना भी आग्रह करें। जब लाल बत्ती जला दूं तो एक मिनट रहेगा, यह ध्यान रखें। यह अध्यक्ष जी का आदेश है, समय की बहुत कमी है।

श्री सोहनवीर सिंह तोमर--

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी के इतने विराट और लम्बे भाषण के बाद ५ मिनट में मैं क्या न्याय कर पाऊंगा ? मैं कोशिश करूंगा कि ५ मिनट में कुछ सुझाव दूं। मंत्री जी द्वारा जो साहित्य वितरित किया गया है उसी से पढ़कर और जो उत्साहजनक उनका भाषण था वह उनके साहित्य में परिलक्षित नहीं होता। पिछले दिनों जो कृषि उत्पादन सम्बन्धी साहित्य विभाग की तरफ से मिला है इसी के अन्दर लिखा हुआ है कि "गेहूं के उत्पादन एवं क्षेत्रफल में आशातीत प्रगति हुई।" गेहूं की प्रगति यह हुई कि १९७५-७६ में गेहूं की पैदावार ८५.५२ लाख मीटरिक टन की हुई। १९७६-७७ में जब इंदिरा गांधी देश को स्वर्ग की ओर ले जा रही थीं तो उस समय ८७.१६ लाख मीटरिक टन हुई। इसके साथ जो जमीन बढ़ी खेती के लिए वह है १९७५-७६ में ६३.०२ लाख हैक्टेयर। १९७६-७७ में ६५.८५ लाख हैक्टेयर। इसके माने यह हुए कि जितनी भूमि बढ़ी, इन फिगर्स के घटाने से, निकालकर वह इस बीच में जो खाद इसमें लगाई गई है वह १९७५-७६ में ४ लाख और १९७७-७८ में ७ लाख। इसके साथ-साथ यह बता दूं कि ८५५ लाख टन ग्रामीण खाद का प्रयोग हुआ। यह सारी बनावटी खाद पड़ी हुई जमीन के बावजूद आप देखिए कि प्रति एकड़ आमदनी जो पैदावार में हुई है, तो पैदावार यह है। टोटल प्रोडक्शन जो इस बीच में हुआ वह १९७६-७७ में १९४.५४ लाख मीट्रिक टन और जब स्वर्ग धरती पर आ रहा था १९७६-७७ में १९४.२४ लाख मीट्रिक टन रह गया। टोटल प्रोडक्शन घट गया। गेहूं का प्रोडक्शन भी जो खेती लायक भूमि है उसके कम्पैरिजन में घटा।

अब उपलब्धियां दो हैं जिनकी और मन्त्री जी का ध्यान दिलाऊंगा। एक तो ऐग्रो है। यह हमारे प्रदेश में भ्रष्टाचार का शुद्ध प्रतीक है। अगर किसी विभाग में भ्रष्टाचार का दिग्दर्शन करना हो तो ऐग्रो को देख लीजिये। १९६८-६९ में इसने ट्रैक्टर बांटने शुरू किये और ९ हजार ट्रैक्टर बांटे। १९७२-७३ में कुल ५०। इसके साथ ही जब खाद बांटने का काम प्राइवेट डीलर्स को दिया जाता था तो ५५.५१ लाख रुपये का मुनाफा हुआ था। और १९७६-७७ में जब ऐग्रो ने यह काम अपने हाथ में ले लिया तो ५६ लाख का घाटा हुआ। फल का उत्पादन आपका विभाग कर रहा है। १९६८-६९ में १.७ लाख का घाटा हुआ और १९७६-७७ में २५.४७ लाख का घाटा हुआ। दुनियां में फल का व्यापारी बेच कर ४ पैसे कमा लेता है, आप इस स्टेट को तबाह कर रहे हैं। आपका एक भी कृषि फार्म इस प्रदेश में ऐसा नहीं है जो मुनाफे पर चल रहा हो।

श्री अधिष्ठाता--

समय समाप्त।

श्री सोहनवीर सिंह तोमर—

कृषि विश्वविद्यालय, कानपुर जब तक कालेज था और धर्म पाल जी वहां थे वह हिन्दुस्तान भर में माना जाता था। डी० पी० सिंह जी जब तक पन्तनगर यूनिवर्सिटी में थे वह एक आदर्श माना जाता था। इन दोनों को निकाल दिया गया और ऐसे लोगों को बिठाल दिया गया जो माने हुये भ्रष्ट लोग हैं। तो केवल लम्बे चौड़े भाषणों से कुछ नहीं होता, कृषि की उन्नति के लिये ठोस कदम उठाने होंगे।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह (जिला बस्ती)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने जो मुझे समय दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं और आपका धन्यवाद देता हूं। कृषि इस प्रदेश का एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। कृषि के उत्थान से ही किसानों का उत्थान हो सकता है, ग्रामों का उत्थान हो सकता है और इस प्रदेश का उत्थान हो सकता है। इस प्रदेश की ७० फी सदी जनता खेती पर निर्भर करती है। यदि हम उसकी क्रयशक्ति को घटाते चले जायं तो उद्योगों में पैसा लगाने से कभी भी प्रदेश का भला नहीं होगा आप देखें कि ग्रामीण विकास दो ही प्रकार से हो सकता है, एक तो किसानों की उपज से मूल्य को सस्ता के स्तर पर ला कर और दूसरे, कृषि और ग्रामीण विकास पर पहले की तुलना में अधिक प्रतिशत में व्यय करके। इस सरकार ने दोनों ही तरफ ध्यान दिया है। मैं इसके लिये अपने मन्त्री जी का आभारी हूं। अभी तक जो यहां पर योजनायें तैयार हुआ करती थी खस की टट्टियों में बैठ कर उनसे गांव की रहने वाली जनता का कोई विशेष लाभ नहीं होता था। जैसा माननीय मन्त्री जी ने अपने भाषण में यह बात बताया है, मान्यवर, कृषि से आमदनी बहुत कम है और गांव में निजी व्यवसाय को प्रोत्साहन नहीं मिलता यद्यपि कृषि क्षेत्र में लगाये जाने वाली पूंजी अन्य क्षेत्रों में लगायी जाने वाली पूंजी की तुलना में राष्ट्रीय आय बढ़ाने में कम से कम डेयोढ़े से अधिक फलदायक सिद्ध हुई है। फिर भी पिछली सरकारों ने औद्योगिक विकास को ही प्राथमिकता दी। इतना ही नहीं, कृषि क्षेत्र की अपनी बचत को भी मूल्य से बदल करके निचोड़ा गया था तो शहरों के संगठित वर्गों के तुष्टीकरण या औद्योगीकरण पर व्यय किया गया है। मान्यवर, इसका नतीजा क्या हुआ कि ५१ से ५३ तक के वर्षों में १० लाख ७७ हजार मिलियन टन (१०·७७ मिलियन टन) अनाज विदेशों से मंगाया गया था और १९७६ में बीतने वाले अन्तिम ३ वर्ष में १८·५ मिलियन टन विदेशों से अनाज मंगाया गया है। श्रीमन्, नियोजन के प्रारम्भिक वर्षों में अर्थात् ५१ से ६१ के बीच कृषि उत्पादन की वृद्धि २·६ प्रतिशत प्रति वर्ष रही। ६०–६१ के बाद में १६ वर्षों में यह उत्पादन वृद्धि गिर कर १·९ प्रतिशत प्रति वर्ष रह गयी, जो जनसंख्या वृद्धि की गति से आधे से कम है।

(इस समय २ बज कर ५५ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)।

मान्यवर, जब तक हम ७० फीसदी गांव की जनता की क्रय शक्ति नहीं बढ़ायेंगे तब तक हम छोटे उद्योगों को भी नहीं पनपा सकते हैं, केवल २० प्रतिशत जनता की हम क्रय शक्ति कितनी ही क्यों न बढ़ा दें। हमारा जो यह उद्देश्य है कि छोटे–छोटे धन्धे लगें, हर जिले में, गांव में उद्योग धन्धे लगें उससे नौकरी मिले बेकारी समाप्त हो, जब तक गांव के लोगों की क्रय शक्ति नहीं बढ़ेगी, तब तक यह सम्भव नहीं हो सकता। कहा यह जाता है कि अनाजों का मूल्य बहुत अधिक बढ़ गया है, मैं यह मानता हूं कि दलहन और तिलहन का मूल्य बहुत बढ़ा है, लेकिन

अनुदान संख्या ४५--कृषि, अनुदान संख्या ४६--औद्यानिक विकास, अनुदान संख्या ४९--भूमि तथा जल संरक्षण, अनुदान संख्या ५०--क्षेत्र विकास, अनुदान संख्या ७९--कृषि योजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय तथा अनुदान संख्या ९५--ऋण और अग्रिम-कृषि

१९७०-७१ को १०० मान लिया जाय तो ९-७-७७ को समाप्त होने वाले सप्ताह का सूचकांक जो था मिट्टी का तेल २२९·६, डीजल २१३·९, सूती कपड़ा पर १७७·२, कीट नाशक दवाई २३२·७, ईंट ३०३·४, सीमेन्ट १७४·२, सरिया २०८·१, फाफड़ा, २१६·९ और श्रीमन्, इस बीच में गेहूं का जो भाव रहा, १४४·७ रहा। इस नाते यह कहना कि अनाज का भाव अधिक बढ़ गया, किसानों द्वारा खरीदी जाने वाली चीजों का भाव कम हुआ है यह उचित नहीं है। मैं थोड़ा सा समय और चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष--

आप कृपया दो मिनट में समाप्त कीजिए।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह--

भारत सरकार ने जो यूरिया के दाम में कमी की घोषणा किया है, इसके लिए मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। साथ-साथ में अपने कृषि मन्त्री को भी धन्यवाद देना चाहता हूं जो उन्होंने खासतौर से फास्फेट और पोटाश की खादों पर २० प्रतिशत अनुदान की घोषणा की है। निश्चय ही इससे फास्फेट और पोटाश की खादों का व्यापक उपयोग बढ़ेगा। इसका इस्तेमाल बढ़ेगा। इसका निश्चित ही अपर पैदावार पर भी पड़ना चाहिए। दलहन और तिलहन के मूल्य में जो वृद्धि हुई है इसका कारण है कि कम पैदावार होना। गोरखपुर मण्डल के बारे में आपको बता सकता हूं, पाउड्री मिल्डयू का रोग बहुत व्यापक हो गया है, मटर की पैदावार समाप्त सी हो गयी है। इसको रोकने के लिये जब तक आप एक बार फ्रंटिंग पर कार्य नहीं करेंगे तब तक पाउडरी मिल्डयू को समाप्त नहीं किया जा सकता है। इसमें २५ रुपये का अनुदान भारत सरकार से मिलता है। मैं अपनी सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह भी २५ रुपये का अनुदान अपनी तरफ से दे। और सल्फर दवाओं का प्रयोग किया जाय जैसे कैराथेन सल्फर डस्ट वेटेबल सल्फर आदि दवाओं का प्रयोग पर्याप्त मात्रा में कराया जाय और यह दवायें किसानों के बीच में वितरित की जायं। तब इस बीमारी से छुटकारा मिल सकता है। क्योंकि अभी एक भ्रम है कि मटर में पाला लग गया। तो इस भ्रम को दूर करने की नितांत आवश्यकता है।

मान्यवर, कृषि का उत्थान तब तक सम्भव नहीं हो सकेगा जब तक सिंचाई का समुचित प्रबन्ध न हो। मान्यवर, बांसी तहसील में हर दूसरे-तीसरे साल सूखा पड़ता है। लेकिन वहां पर कुल ४४ सरकारी नलकूप हैं। आप ही सोचे कि इन ४४ नलकूपों से कैसे सिंचाई की जा सकती है। मेरे खलेरहा क्षेत्र में ७० हजार एकड़ कृषि भूमि हैं। लेकिन वहां पर केवल २७ नलकूप हैं। मान्यवर, इसके साथ-साथ में आपका ध्यान जो कृषि में ऋण दिया जाता है और उस पर जो ब्याज लिया जाता है, उस सम्बन्ध में दिलाना चाहता हूं। उद्योग में अगर कोई पूंजी लगायी जाती है तो उसका टर्न ओवर ४ बार साल में माना जाता है। कृषि में जो पूंजी लगायी जाती है उसका टर्न ओवर केवल २ बार हो सकता है क्योंकि साल में केवल दो फसलें होती हैं। मान्यवर, १४ फीसदी ब्याज उद्योग पतियों से लिया जाता है और १४ फीसदी ब्याज किसान से भी लिया जाता है। श्रीमन्, इसका औचित्य कहां है आप स्वयं सोंचे। मेरा तो कहना है कि इसको घटाकर ७ फीसदी

[श्री दिवाकर विक्रम सिंह]

किसान से व्याज लेना चाहिए। यदि यह सम्भव न हो सके तो कदापि १० फीसदी से अधिक नहीं होना चाहिये ।

मान्यवर, उद्योग पति अपना उद्योग लगाते हैं, उनकी जितनी मशीनें होती है वह इन्श्योर्ड होती हैं । अगर उनको कोई नुकसान हो जाय तो बीमा कम्पनी उनको दाम देती है । किन्तु किसान जब ऋण लेकर खाद खरीदता है और अगर उसकी फसल सूखा या बाढ़ से नष्ट हो जाय तो उसका कोई पुरसाहाल नहीं है । आज सरकार प्रोत्साहन दे रही है कि छोटे किसान ऋण लेकर ट्यूबवेल लगायें, मशीने खरीदें । तो श्रीमन्, अगर वह मशीनें टूट जाती हैं या सूखा पड़ जाता है और फसल सूख जाती है या बाढ़ आने के कारण कट जाती है तो उसको कोई सहायता कहीं से प्राप्त नहीं होती है । इसलिए मान्यवर, मेरा अनुरोध आपसे है कि फसल के बीमें के लिये भी सरकार की तरफ से पूर्ण रूप से व्यवस्था होनी चाहिये ।

मार्जिनल किसानों को आप एस० एफ० डी० ए० की स्कीम में भैंसें खरीदवाते हैं । उनको ऋण के रूप में पैसा दिया जाता है। अगर भैंस मर जाय प्राकृतिक कारणों से भैंस मर जाय तो वह कर्जा कहां से देंगे, कोई पुरसा हाल नहीं है । मेरा अनुरोध है कि एस० एफ० डी० ए० स्कीम में जितनी भैंसें या दुधारू पशु खरीदवाये जाते हैं तो उसमें प्रत्येक जानवर का बीमा भी नितांत आवश्यक है । श्रीमन्, मशीनों को किसान बाजार से खरीदता है । लेकिन किस तरह से किसानों को बाजार में लूटा जाता है यह मन्त्री जी स्वयं जानते ह । इसमें कोई स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है कि कितना दाम तय किया जाता है, कितने प्रतिशत मुनाफा लिया जाता है । इसका कहीं कोई हिसाब-किताब नहीं है । मैं मन्त्री जी से अनुरोध करूंगा कि किसान जो मशीनें खरीदते हैं, या जो मशीनें मिलती हैं उन पर आई० एस० आई० का निशान होना आवश्यक है । यह भी उत्तर प्रदेश सरकार व्यवस्था करे कि मशीनों में जो मटीरियल लगता है वह अच्छे किस्म का हो । उनका दाम सुनिश्चित किया जाय जिससे उन पर मनमाने ढंग से फायदा नहीं लिया जाय ।

श्री अध्यक्ष--

अब आप समाप्त कीजिये ।

श्री सुखपाल पाण्डेय---

मान्यवर, हमें भी समय दे दीजिये ।

श्री अध्यक्ष--

आप समाप्त करें (श्री राज किशोर तिवारी का नाम पुकारे जाने पर) ।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह---

मान्यवर, इन शब्दों के साथ मैं इस अनुदान का समर्थन करता हूं ।

श्री राजकिशोर तिवारी (जिला जौनपुर)---

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया । मैं आपके माध्यम से सर्वप्रथम अपने प्रदेश की पूर्ववर्ती सरकार को बधाई देना चाहता हूं कि उनके अथक परिश्रम एवं सूझ-बूझ से हमारे प्रदेश की खाद्यान्न

अनुदान संख्या ४५—कृषि, अनुदान संख्या ४६-औद्यानिक विकास, अनुदान संख्या ४९—भूमि तथा जल संरक्षण, अनुदान संख्या ५०—क्षेत्र विकास, अनुदान संख्या ७९—कृषि योजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय तथा अनुदान संख्या ९५—ऋण और अग्रिम-कृषि

समस्या आत्मनिर्भरता की स्थिति में पहुंच गयी है । हमारे प्रदेश में हम एक मुठ्ठी अन्न के लिये तरस रहे थे । पूर्वी उत्तर प्रदेश में लोग गोबर से अन्न निकाल कर खाते थे और अपना पेट भरते थे । आम की गुठली पीस कर रोटी बनाते थे और उसे खाते थ इन्हीं परिस्थितियों से हमारे राष्ट्र कवि मैथिलीशरण गुप्त की परिकल्पना रही है कि—

कुल जाति पाति रहे व चाहे जाय रे,
बस एक मुट्ठी अन्न हमको चाहिय अब हाय रे।

मान्यवर, यह हमारे प्रदेश की दशा रही है । पंचवर्षीय योजना के माध्यम से पूर्ववर्ती सरकारों ने आज अन्न के मामले में कम से कम हमारे प्रदेश को आत्म-निर्भर कर दिया है । मैं वर्तमान सरकार को बधाई तो अभी नहीं दूंगा मंगल कामना अवश्य करता हूं कि ५ वर्ष में हमारे प्रदेश की इतनी तरक्की करें कि हमारा प्रदेश हर मामलों में आत्मनिर्भर हो जाय । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो यह पुस्तिका-कार्यपूर्ति दिग्दर्शक दी गयी है उसके पेज नं० ८ में देखें कि जो आंकड़े दिये गये हैं उसमें १९७५-७६ और १९७७-७८ के कालम वेतन में जो वार्षिक वास्तविक व्यय हुआ था वह १९७५-७६ में ९९१·९०० लाख रुपया है और इस साल जो परिव्यय रखा गया है वह ८१३·२०७ लाख रुपये है जो कि लगभग एक करोड़ पिछले साल से कम हो जाता है । इसलिये हमें संदेह हो जाता है कि यह सरकार कुछ कर्मचारियों की छंटनी करने की स्थिति में है । नहीं तो बजट में इतना कम पैसा न रखा जाता ।

मान्यवर, दूसरी तरफ मैं इसी पुस्तिका के पेज नं० १८ की ओर आपका ध्यान आकर्षित करूंगा । इसमें बहुत सी परिव्यय के लिये मदें रखी गयी हैं जिसमें कीटनाशक दवाइयों का फसल की सुरक्षा के लिये छिड़काव कार्यक्रम एवं चूहों का नियन्त्रण, संक्रामक रोग, खरपतवार नियन्त्रण आदि मदों में, चूहों का नियन्त्रण मद जो है इसमें ४८ लाख रुपये रखा गया है । इसी प्रकार कीटनाशक दवाओं के लिये ८६ लाख रुपया है । सब मदों को मिला कर लगभग ५ करोड़ रुपया हो जाता है । यह बहुत बड़ी रकम इन कामों में हो जाती है । अभी हमारे भाई ऊदल जी बता रहे थे कि हमारी दवायें जो कीटनाशक होती हैं वह किसानों के खेतों मे काम नहीं करती है जिससे कीड़े नहीं मरते हैं । इसी प्रकार चूहों को मारने का है और दवा से चूहे नहीं मरते । पता नहीं किस तरीके से प्रयोग दवाओं का होता है और कहां के चूहे मारे जाते हैं ? यह बहुत बड़ी रकम है । इस सारे रुपये का दुरुपयोग हो जाता है । पहली सरकार के जमाने में भी इसका दुरुपयोग होता रहा है और अब इस सरकार ने तो और अधिक रुपया इसमें रख दिया है । यह सरकार तो पुरानी सरकार के आंकड़ों को कुछ घटा बढ़ा कर रख देती है । इसका अपना कोई विचार नहीं है । इसको अगर किसी दूसरी मद में रखते तो ज्यादा लाभ होता ।

हमारे यहां जितनी भूमि है उसका १८ फीसदी कृषि के योग्य नहीं है और इसके लिये कृषि विशेषज्ञों को बहुत बड़ी चिन्ता है । उसपर खेती होनी चाहिये और यदि सम्भव हो सके तो उस मद को इसमें डाल दिया जाय । अब मैं आपका ध्यान किसानों की कठिनाइयों की ओर भी ले जाना चाहता हूं । किसानों के काम में आने वाली चीजों के दाम बढ़ते जा रहे हैं जबकि उसके उत्पादन का मूल्य गिर रहा है । जो ट्रैक्टर २६ हजार का था यह ४६ हजार का हो गया । इसी प्रकार से

[श्री राज किशोर तिवारी]

खादों का दाम ज्यादा है। सिंचाई की दर बढ़ी हुई है। इसकी कीमत भी कम होनी चाहिए। इन शब्दों के साथ कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री अली असगर हुसैन (जिला बदायूं)—

सबसे पहले मैं एक चीज की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। कृषि का बजट है। इस पर सारी इकोनामी निर्भर करती है। सिर्फ पांच मिनट का वक्त दिया जा रहा है। यह बहुत कम है।

श्री अध्यक्ष—

बहुत सदस्य बोलना चाहते है और साढ़े ४ बजे तक इस विवाद को समाप्त हो जाना है। उसके बाद मन्त्री जी उत्तर देंगे।

श्री अली असगर हुसैन—

आप इसपर विचार कर लें। कम से कम १० मिनट समय मिलना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—

आप अपने सुझाव दीजिये।

श्री अली असगर हुसैन—

५ मिनट में मुझे और कुछ नहीं कहना। आपकी रूलिंग हो गयी, मैं बैठ जाता हूं।

*श्री धर्मवीर सिंह (जिला मेरठ)—

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण अनुदान पर बोलने का अवसर दिया। मन्त्री जी ने अपने भाषण में यह आशा व्यक्त की है कि अब कृषि जगत में सुधार होने की सम्भावना है। अब तक दुहाई दी जाती रही कि कृषि को बड़ा जबरदस्त प्रोत्साहन दिया जा रहा है। मैं संक्षेप में बतलाना चाहता हूं कि अब की जो गांव और शहर के लोगों की पर-कैपिटा इनकम रही है, उसका अन्तर देखें तो मालूम होगा कि यह फर्स्ट प्लान पीरियड में गांव के रहने वाले की २७ प्रतिशत और शहर के रहने वाले की ७३ प्रतिशत रही है। सेकेण्ड प्लान में गांव के रहने वाले की यह इनकम २४ प्रतिशत हो गयी यानी ३ प्रतिशत घट गयी। इसी तरह से तीसरी योजना में यह २४ प्रतिशत घटकर २० प्रतिशत रह गयी और फोर्थ प्लान में यह घटकर केवल १८·५ रह गयी। तो मान्यवर, गांव वालों की आमदनी घटती चली जा रही है। मुझे माननीय मन्त्री जी से आशा है कि वह इस बात पर जरूर ध्यान देंगे ताकि गांव के रहने वालों की आमदनी भी बढ़ सके।

दूसरी तरफ देखें तो इण्डस्ट्रियलिस्ट्स की आमदनी इस बीच आठगुनी हो गयी है। मान्यवर, जो टोटल इनकम प्रदेश की है उसका ४५ प्रतिशत खेती से और ५५ प्रतिशत दूसरे शोर्सेज से है। इस आधार पर जो टैक्स लगाया जाता है उसके सम्बन्ध में कहना है कि यह जो ४५ प्रतिशत आमदनी देहात से है, यह ८० प्रतिशत आदमियों में बंट जाती है और उधर जो ५५ प्रतिशत आमदनी होगी वह केवल २० प्रतिशत आदमियों में ही बांटी जाती है। इस तरह से जो सीलिंग की गयी है। वह कहां तक उचित है। कई बार सीलिंग कर दी गयी है। १९४७ के बाद पहले

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

५० एकड़, फिर ३० एकड़, फिर १८ एकड़ सीलिंग की गयी। यह बहुत बड़ी ज्यादती उन लोगों के साथ की गयी है। १९७३ में सीलिंग ऐक्ट आया और उसको रिट्रास्पेक्टिव कर दिया गया २४ जनवरी, १९७१ से। पिछली बार यह प्रश्न उठा था। जब प्रश्न किया गया तो सही उत्तर नहीं दे पाये कि २४ जनवरी, १९७१ क्या चीज है।

इसी तरह से बागों के लिए जो छूट दी गयी है, उसमें एक एकड़ इरीगेटेड लैंड ढाई एकड़ बाग के बराबर मानी जायेगी। जो सीलिंग एक्ट में संशोधन किया गया, उसमें अमरूद की बाग को निकाल दिया है। लेकिन मान्यवर, अमरूद तो कामन मैन फ्रूट है। मेरा मन्त्री जी से निवेदन है कि अमरूद को भी बाग की परिभाषा में जोड़ने की कृपा करें। इस तरह से सीलिंग में जो एनामली की गयी हैं, उनकी ओर ध्यान देना पड़ेगा।

जहां तक इर्रीगेटेड और नान-इरीगेटेड जमीन का मामला है, उसमें सीलिंग एरीगेटेड लैंड के हिसाब से की गयी है और अगर किसान ने ट्यूबवेल नही लगाया और उसने तरक्की नहीं की, तो उसकी तो जमीन ड्योढ़ी हो जायगी लेकिन जिसने तरक्की की है और सिंचाई के साधन इकट्ठा किये हैं, वह केवल १८ एकड़ रख पायगा। दूसरे मान्यवर, जो अधिक बच्चे पैदा कर लेता है, उसको जमीन के मामले में ज्यादा सुविधा मिली है कि अगर मेजर बच्चा है तो उसको ५/७ एकड़ फालतू जमीन सीलिंग में दी जाती है। मान्यवर, जोर फैमिली प्लानिंग पर दिया जाता है लेकिन सुविधा दी जाती है उन लोगों को जिनके अधिक बच्चे हैं। दूसरी चीज कि माइनर के लिए कोई व्यवस्था नही रखी। आखिर उस छोटे बच्चो, माइनर ने क्या कसूर किया? अगर वह २४ जनवरी, १९७१ को माइनर था, तो उसको यह सजा क्यों मिल रही है? इस तरह से बहुत सी एनामलीज इसमें इकट्ठा हो गयी है। अतः मेरा सुझाव है कि सीलिंग ऐक्ट पर दुबारा ध्यान दिया जाय और उसमें उचित संशोधन किया जाय।

मान्यवर, देहातों में स्टोरेज की बिल्कुल सुविधायें नहीं हैं फलस्वरूप साइकिलों पर चढ़कर व्यापारी लोग सस्ते दामों में किसान से अनाज खरीद लेते हैं। उसके पास अनाज रखने की सुविधा नहीं है। इसी तरह फर्टिलाइजर्स और इर्रीगेशन और ट्रैक्टर्स आदि जो दूसरे इम्प्लीमेन्टस हैं, उनकी कीमतें, मान्यवर, बढ़ गयी है। १९६७ में जो ट्रैक्टर १४ हजार का आता था, वह अब ४० हजार कीमत का हो गया है और किसानों की शक्ति के बाहर का हो गया है कि वह उसको खरीद सकें और उनको इस्तेमाल कर सकें।

मान्यवर, दूसरी चीज, जिसके ऊपर मैं माननीय मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, वह है बीजों के ऊपर। मान्यवर, किसान से १०५ रुपये प्रति क्विन्टल के हिसाब से गेहूं लिया जाता है। जब कि उस को जो बीज दिया जाता है वह ३२५ रुपया प्रति क्विन्टल के हिसाब से दिया जाता है। गरीब किसान और अच्छे बीजों का प्रयोग करना चाहता है लेकिन बीज की कीमत ज्यादा होने की वजह से वह इसका प्रयोग नहीं कर पाता। मेरा सुझाव है कि बीज के सिलसिले में मान्यवर, विचार करेंगे कि सस्ती कीमत पर बीच किसान को उपलब्ध होने चाहिए।

[श्री धर्मवीर सिंह--]

मंडी समितियों के सिलसिले में मैं निवेदन करना चाहता हूं । मंडी समितियों में जो शुल्क वगैरह लिया जाता है उससे काफी धन मंडी समितियों में इकट्ठा हो गया है । इस पैसे से नयी-नयी मंडियों का निर्माण किया जा रहा है । निर्माण के खिलाफ मैं नहीं हूं । लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि इस पैसे को गावों में सड़कें बनाने पर लगाया जाय ताकि किसान को मंडी तक अपने माल को ले जान में सुविधा उपलब्ध हो सके । इसलिए माननीय मंत्री जी इस तरफ ध्यान देंगे और सड़कों का निर्माण करायेंगे ।

मान्यवर, प्रोड्यूसर की कास्ट पर अगर सरकार सस्ता अनाज या सस्ती चीनी कन्ज्यूमर को दिलाना चाहती है तो मान्यवर, यह मेरे समझ में नहीं आता । यदि सरकार चाहती है कि अनाज, चीनी या खेती से पैदा होने वाली चीजें कनज्यूमर को सस्ते दामों पर दी जायं तो मान्यवर, यह किसान की कास्ट पर नहीं होना चाहिए । सरकार इस में सब्सीडी दे या जो समझ में आये करे लेकिन किसान से कास्ट आफ प्रोडक्शन पर खरीद कर कनज्यूमर को सस्ते दाम पर देना मेरी समझ से....।

श्री अध्यक्ष--

आप कृपया समाप्त करें ।

श्री धर्मवीर सिंह--

अभी समाप्त कर रहा हूं । दूसरी बात मान्यवर, आपके जो एग्रीकलचर प्रोड्यूस हैं इन में अभी तक इस बात का ध्यान नहीं रखा गया कि इन की कास्ट आफ प्रोडक्शन क्या आती है जैसे गन्ना, गेहूं आदि है । आप के फार्म हैं वहां पर अच्छी तरह से मालूम किया जा सकता है कि एक मन गेहूं पैदा करने की क्या कास्ट आफ प्रोडक्शन आती है या एक क्विन्टल गन्ना पैदा करने की क्या कास्ट आफ प्रोडक्शन आती है जिसके आधार पर इनका भाव निर्धारित किया जाना चाहिए ।

इन शब्दों के साथ में इस अनुदान का समर्थन करता हूं ।

श्री अशर्फी लाल यादव (जिला बाराबंकी)--

मान्यवर, मैं, जो यह अनुदान पेश हुआ है उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं और आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया ।

मान्यवर, हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है और यहां की ७५-८० प्रतिशत जनता खेती पर निर्भर है । लेकिन मान्यवर, मुझे अफसोस होता है कि इस मुख्य धन्धे की ओर पिछली सरकार ने समुचित ध्यान नहीं दिया । जिस देश की जनता ७५.८० प्रतिशत खेती पर निर्भर हो और जिस देश की आर्थिक व्यवस्था का मुख्य आधार खेती हो उस धन्धे की ओर विशेष ध्यान न दिया जाय यह बड़ी तकलीफ की बात है । जहां तक मेरी जानकारी है मैं कहता हूं कि हमेशा इस देश में अनाज बाहर से मंगाया गया है । इस देश में तमाम जमीन है, खेती मुख्य धन्धा है और इसके बावजूद देश में अनाज करोड़ों रुपयों का बाहर से मंगाना पड़े यह कितनी तकलीफ की बात है और पिछली सरकार ने इस धन्धे पर समुचित ध्यान नहीं दिया ।

मान्यवर, यहां की जमीन की उर्वरा शक्ति कम है, जमीन खराब है, ऐसी बात नहीं है। यहां की जमीन बहुत ही उर्वरक है लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं किया गया । मान्यवर, जमीन के लिए, खेती के लिए जो साधन होने चाहिए वे समुचित साधन नहीं दिये गये, जैसे बीज हैं, खेती के संयत्र हैं, खाद है आदि । खाद के दाम जो २०-२५ रुपये थे वे बढ़कर मान्यवर, सौ रुपये से ऊपर तक पहुंच गये हैं । मैं बधाई दूंगा इस सरकार को, जनता सरकार को जिसने खाद के दामों में कमी की और मैं उम्मीद करता हूं कि यह सरकार खाद के दामों में और भी ज्यादा कमी करेगी क्योंकि खाद एक ऐसी चीज है जो धरती की खुराक है । खाद है, बीज है इनकी समुचित व्यवस्था न हो तो खेती में कैसे तरक्की आ सकती है ।

जहां तक पानी का सवाल है नहरें और ट्यूबवेल्स हैं लेकिन पानी की समुचित व्यवस्था नहीं है और किसानों को भरपूर पानी नहीं मिल पाता है । नहरों में कुलाबे लगे हुए हैं जो कि ४ इंच और ६ इंच के हैं, वह समुचित रूप से पानी नहीं दे पाते । उनको दुगुना और तिगुना कर देना चाहिये ताकि धरती को समुचित रूप से पानी मिल सके । जहां तक कृषि यंत्रों का सवाल है जो छोटे-छोटे काश्तकार हैं उनको वह इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं ।

ट्रैक्टर तो १००, २०० बीघे वाले ही काश्तकार इस्तेमाल कर सकते हैं । ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये कि कम दाम के ट्रैक्टर तैयार हों ताकि २०, २५ और ५० बीघे वाले काश्तकार भी इसको इस्तेमाल कर सकें और इसी तरह के अन्य यंत्र हैं वे इतनी कीमत के बनने चाहिये जिनको छोटे काश्तकार खरीद सके व इस्तेमाल कर सकें । ५०-६० हजार रुपये का ट्रेक्टर २०, २५ बीघे वाला काश्तकार नहीं खरीद सकता । जहां तक कम जमीन का ताल्लुक है उसका पुनर्वितरण होना चाहिये । जो अपने हाथ से खेती करता है, परिश्रम करता है उसके पास एक बिस्वा जमीन नहीं है या केवल १०, ५ बीघे होती है और जो अपने हाथ से खेती नहीं करता उसके पास सैकड़ों बीघा जमीन है । खेती उसकी जो अपने हाथ से करता हो, उसमें मेहनत करता हो लेकिन आज व्यवस्था उल्टी है कि जो हल की मूठ पकड़ना पाप समझता है उसके पास जमीन है और जो हल की मूठ पकड़ता है और ४, ५ बजे उठकर हल बैल लेकर खेत में जाता है उसके पास जमीन नहीं है । यह व्यवस्था गलत है ।

जहां तक किसान की फसल का ताल्लुक है उस की फसल की कोई गारंटी नहीं है । मेरा सुझाव है कि फसल की गारंटी होनी चाहिये । भाव फसल के बुवाई के पहले तय होने चाहिये । किसान गन्ना पैदा करता है लेकिन किसान को उसका पैसा नहीं मिलता । कैसे उसका मन गन्ने की खेती करने के लिये हो सकता है ? चीनी से करोड़ों रुपये विदेशी मुद्रा के रूप में सरकार को मिलते हैं लेकिन गन्ने की आज दुर्दशा है । गन्ने की सप्लाई ठीक से मिल में नहीं हो पाती है और न किसानों को अपने गन्ने का मूल्य मिल पाता है । उनकी गाढ़ी कमाई का करोड़ों रुपया मिलों पर बकाया पड़ा है । बाराबंकी और बुढ़वल मिलों पर किसानों का आज भी लाखों रुपया बकाया है । ऐसी स्थिति में कैसे किसान का मन खेती में लग सकता है ?

*श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

श्रीमन्, मैं ज्यादा लम्बे चौड़े आंकड़े नहीं दूंगा और केवल दो तीन सुझाव दूंगा क्योंकि समय कम है। कुछ ऐसा महसूस हो रहा है कि हमारे प्रदेश की खेती का मामला अनबैलेंस्ड हो रहा है। अगर आप ७० का मुकाबला ७४–७५ से करें तो दालों का ६ लाख एकड़ रकबा घट गया, आयल सीड्स का रकबा २ लाख हैक्टेयर घट गया और कैश क्राप्स का रकबा २ लाख हैक्टेयर बढ़ गया। सीरल्स का रकबा २ लाख हैक्टेयर घट गया। इसका नतीजा यह हुआ कि आज दालों, तेल तथा सीरल्स की कमी हो गयी। जो रकबा सोन है उसमें ५ साल में १.५ प्रतिशत की वृद्धि हुई है। जो डबल–डबल क्रापिंग है जिससे किसान की आमदनी बढ़ती है उसमें ६९–७० से ७४–७५ तक कुल ६ प्रतिशत वृद्धि हुई है।

वह भी ज्यादा होनी चाहिये। इरिगेशन जिसके आधार पर डबल क्रोपिंग होती है वह भी ८ प्रतिशत है। इसलिए मेरे कहने का मतलब इन सारी चीजों को जब हम देखते हैं तो हमारे मुल्क में १९७५–७६ में १०६६.१३ करोड़ रुपया का गेहूं, चावल और मिला इंपोर्ट हुआ। यह किस भाव पर हुआ वह भी मैं बता देना चाहता हूं १७१ रु० गेहूं, २४२.६१ रु० चावल और १४६.२० रु० क्विंटल मिलों का भाव आपने दिया और अपने यहां जो किसान पैदा करता है उसके दाम आपने १०५ रु० गेहूं, १६० रु० चावल और ९० रु० करीब मिलों के रखे हैं जिसको कि आप खरीदते हैं। तो मैं दो चार बातों के लिए सुझाव देना चाहता हूं जिसके लिए इस चीज को आधार बनाया गया है। जितना आप आज कृषकों को लोन देते हैं उसका इंटेरेस्ट रेट बदकिस्मती से कम होते–होते इतना कम नहीं हुआ है जितना कि इंडस्ट्रीज को आप देते हैं। तो जो रेट इंडस्ट्रियल लोन का है वही रेट पर खेती के लिए भी मिलना चाहिये। किसानों की जितनी भी इकोनामी है वह सब गड़बड़ में पड़ती जा रही है। जब तक आप क्रोप इनश्योरेंस की स्कीम मवेशियों और फसलों के लिए नहीं लागू करेंगे उस वक्त तक कोई फायदा किसान को होने वाला नहीं है उसको भारी परेशानी होगी।

तीसरी चीज प्लांट प्रोटेक्शन की है। आज नये–नये तरीके वैज्ञानिकों द्वारा निकाले गये हैं। बदकिस्मती से प्लांट प्रोटेक्शन का काम कैश पेमेंट में होता है। यह काम उस वक्त होता है जब खेती में बाली निकलनी शुरू होती है और किसान के पास जो पैसा होता है वह सब उस वक्त तक खर्च हो जाता है खाद बीज और पानी के लेने में। जब प्लांट प्रोटेक्शन की जरूरत होती है तो उसके पास पैसे नहीं रह जाते हैं। इसलिए आपका ८० प्रतिशत प्लांट प्रोटेक्शन का काम नहीं हो पाता है। इसलिए मेरा सुझाव है कि वह गवर्नमेंट की तरफ हो और सबसिडाइज्ड रेट पर हो और उसे लैण्ड रेवेन्यू के साथ वसूल कर लिया जाय ताकि प्लांट प्रोटेक्शन की स्कीम का फायदा हर किसान को मिल जाय। उसको जेब खाली रहने की वजह से वह उसका फायदा नहीं ले पाता है।

अब जो आपकी हाई ब्रीड की स्कीम है वह सब वही चले आ रहे हैं जो आज से बहुत पहले चले थे आर० आर० २१, सोनारिका और यू० पी० आर०

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

यह सब एक ही फैमिली के हैं। इसके बाद कोई आपने सीड नहीं निकाले जिससे क्रोप में डयोढ़ा रिटर्न हो। जो आज से १० साल पहले निकले थे गेहूं और धान में उसी को मल्टीप्लाई करके इधर-उधर का नाम बदल कर रख दिया है उसमे उपज बढ़ने वाली नहीं है।

कीमतों की बात में कह चुका हूं जब आप दूसरे मुल्कों से ज्यादा कीमत में मंगाते हैं तो उससे किसानों को प्रोत्साहन नहीं मिलता है। में दो मिनट में खतम करता हूं। जब गेहूं और धान की उचित कीमत नहीं मिलती है तो उससे किसान को निराशा होती है। यह जो आपकी एस० एफ० डी० ए० की स्कीम है यह सूबे भर में लागू कर दी जाय।

एक आखिरी बात कह कर समाप्त करता हूं जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है भंडारण की जिसमें ७५ प्रतिशत सहायता सेंटर से मिलती है तो उसको आप ज्यादा से ज्यादा चलायें। घुन और चूहों से बड़ी मात्रा में अनाज का नुकसान होता है। जब आपको सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है तो क्यों नहीं इसको सब जगह चलाते हैं।

एक और बात ट्रैक्टरों की कीमत के बारे में कहना चाहता हूं। इनकी कीमत आज ५५ और ६० हजार तक हो गई है और हर किसान इसे नहीं ले सकता है। फिर भी आप उस पर कंट्रोल लगाये हैं। एक ही टैक्टर ज्यादातर किसान लेता है मैसी फर्गुसन, इसलिए में चाहूंगा अगर उसे कहीं से मिल जाय तो वह खरीद ले उसमें कंट्रोल नहीं होना चाहिये। बाकी टैक्टर तो मिल जाते हैं लेकिन उसमें उसकी जमीन नीलाम हो जाती है।

श्री रामनरेश पाण्डेय (जिला देवरिया)--

अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे मौका दिया, इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूं....।

श्री अध्यक्ष--

इस तरह की कोई रिश्वत की जरूरत नहीं है।

श्री राम नरेश पाण्डेय--

ऐसी बात है, श्रीमन्, कि कई बार प्रयोग करने पर भी किसी ने ध्यान नहीं दिया था, आज आपने अवसर दिया। जो कृषि का बजट पेश हुआ है, उसके समर्थन में मैं खड़ा हुआ हूं। समय कम है, इसलिए दो-चार मोटी-मोटी बातें सरकार के विचार के लिए पेश करना ही उचित समझता हूं। काश्तकार जो फल, शाग-सब्जी पैदा करता है, उसके पैदा होने के बाद उसके रखने की व्यवस्था की तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिए। साथ ही आलू के शीत-भंडारों की तरफ भी सरकार को पूरा ध्यान देना चाहिए। इस तरफ ध्यान नहीं दिया जायगा तो किसानों को दुर्दशा होगी और देश को इकोनामी चौपट होगी। जैसा रियासत हुसैन जी ने कहा, दिल्ली सरकार की एक रिक्वेस्ट भी है, यहां पर अन्न-भण्डारण योजना के अन्तर्गत ७५ परसेन्ट केन्द्र सरकार देने को तैयार है, तो मैं समझता हूं कि इसमें

[श्री राम नरेश पाण्डेय]

केन्द्र सरकार को कोई एतराज नहीं होना चाहिए और हम उनसे मदद लेकर शीघ्र ही अपने यहां प्रदेश में उस योजना को चलावें । फसलें हमारी जो कीड़े-मकोड़े और चूहे आदि खा जाते हैं, उससे बड़ी क्षति होती है, इस तरह से अन्न-भण्डारण को किसानों के लिए व्यवस्था हो जाने से उनकी एकोनामी मजबूत होगी । आलू के शीतगृहों का जहां तक सम्बन्ध है, प्राइवेट कम्पनी वाले उसके माध्यम से आलू कृषकों को लूट लेते हैं । उन पर सरकार का नियन्त्रण तो अवश्य है, लेकिन उसका प्रभाव उन मालिकों पर कुछ नहीं होता है, वे मनमानी लूट और शोषण उनका करते हैं । इसलिए आवश्यक है कि कोल्ड स्टोरेज अधिनियम, १९७६ का सरकार की तरफ से कड़ाई से पालन कराया जाए और किसानों को लूटने से बचाया जाए । कसिया में, जहां सरकार का खुद का अपना कोल्ड-स्टोरेज है, उसका इंतजाम ठीक नहीं है । उसमें सरकारी कर्मचारी रखे जाने चाहिए । हमारे यहां कांसया या बरवा में जो आलू फार्म हैं, उस पर १०-१० साल से काम करने वाले मजदूर पड़े हैं किन्तु अभी वे टेम्पेरेरी पड़े हैं, उनको शीघ्र स्थायी किया जाना चाहिए । सरगठिया का फार्म जो सेवरही में है, इन सबमें जो मजदूर ३ साल से ऊपर काम कर चुके हैं, उनको निश्चित रूप से पक्का कर दिया जाए । जो अधिकारी इन पर पहुंचते हैं, वे अपनी तरफ के मजदूर उन पर रख लेते हैं और स्थानीय मजदूर कुछ दिनों बाद बेकार हो जाते हैं । इसलिए कृषि मंत्री इसको देखें और तीन साल से इसमें काम करने वाले जो मजदूर हैं, उनको स्थायी करने की कोशिश की जाए ।

पोटैशिक और फासफेटिक फर्टिलाइजर का जो सवाल है, उसके दामों में २०-३० परसेन्ट कमी करने का मंत्री जी ने वायदा किया है, वह ठीक है । लेकिन जिस प्रकार से हरियाणा में ५० फीसदी को सब्सिडी दी जाती है, उसी प्रकार से यहां पर भी ये किसानों को सब्सिडाइज्ड रेट्स पर दिलाने की व्यवस्था की जाय । पेसटीसाइड्स की भी कृषकों के लिए बेहतर व्यवस्था की जाए । उनकी फसल अच्छी होने पर भी कीड़ों द्वारा नष्ट किये जाने के कारण उनको अपने परिश्रम का समुचित फल नहीं मिल पाता है । पेस्टीसाइड्स अच्छी और विश्वसनीय तथा आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाती है । अतः आवश्यक है कि एग्रो द्वारा उनका उत्पादन कराया जाए । सरकार से मेरा निवेदन है कि सरकारी क्षेत्र में कोई कारखाना खोला जाए, जहां पर ये सारी चीजें पैदा हों ।

जहां तक प्लान्ट प्रोटेक्शन का सवाल है, स्प्रे मशीन और डस्ट-मशीनें बेकार और पुरानी पड़ी हैं, उनका ठीक से इस्तेमाल नहीं हो पाता है । शासन को सब्सिडाइज करना चाहिए छोटी-मोटी मशीनें खरीदने के लिए और तकावी देनी चाहिए, ताकि लोगों के मन में उनके इस्तेमाल के प्रति प्रेरणा पैदा हो ।

आलू कोल्ड-स्टोरेज का उत्तम इंतजाम करना अति आवश्यक है और अधिनियम को अमली जामा पहनाने के लिए सरकार सख्ती से कदम उठावे और निजी क्षेत्र के कोल्ड स्टोरेजों पर अपना नियन्त्रण कारगर ढंग से लागू करे । सरगठिया फार्म जो शाक-सब्जी का है, उसकी व्यवस्था ठीक नहीं चल रही है । प्लान्ट प्रोटेक्शन के लिए एक डिप्टी डायरेक्टर केवल यहां है, उन्हीं के द्वारा इसका सारा काम किया जाता है, किन्तु जब तक रीजन स्तर पर इस काम को आप नहीं करेंगे तब तक इसे आप अमली जामा नहीं पहना सकेंगे ।

अन्त में मैं एक निवेदन करना चाहता हूं भ्रष्टाचार, खाद में मिलावट और खाद न मिलने का जो प्रश्न है, उसका दुरुस्त इंतजाम होना चाहिए । उन्हें देखना चाहिए कि क्यों मिलावट होती है । अफसरों की ढिलाई से हमारे यहां फसल बर्बाद हो गयी है, लेकिन जिंक सल्फेट नहीं दी गई ।

गन्ना बरबाद हो गया, धान की फसल बरबाद हो गयी । फासफेट की खाद और जिंक सल्फेट नहीं पहुंच सकी । इसकी जानकारी करें कि वह कौन लोग हैं जिन्होंने खाद की व्यवस्था नहीं की । सबसे पहले यह कदम उठाएं कि जो सामान काश्तकारों को पहुंचाना है वह पहुंचाया जाय और जो लोग ढील-ढाल या भ्रष्टाचार करने वाले हैं उनको कड़े हाथ से दंड देना पड़ेगा । इतना कह कर मैं आपको धन्यवाद देता हूं और कृषि बजट का समर्थन करता हूं ।

*श्री राजनाथ सिंह (जिला मिर्जापुर)--

आन्यवर, १९७१ की जनगणना के अनुसार जन-संख्या का ७८.६ परसेंट कृषि पर आधारित है और इस ७८.६ परसेंट में लगभग १८.८ प्रतिशत खेतिहर मजदूर और उनके आश्रित हैं । लेकिन यह दुर्भाग्य का विषय है कि जहां ७८.६ प्रतिशत जन-संख्या खाली कृषि पर आधारित है वहां पर राष्ट्रीय आय का कृषि का अंशदान केवल ५५ प्रतिशत है । आज इस बात की आवश्यकता है कि कृषि के माध्यम से इतना उत्पादन करें और इतनी आय बढ़ाएं ताकि हम उस माध्यम से राष्ट्रीय आय में कम से कम ७० प्रतिशत योगदान कर सकें । आवश्यकता है इसके लिए कि कृषि उत्पादन को बढ़ाएं । कृषि उत्पादन कैसे बढ़ाया जाय ? इसके लिए हमारा सुझाव है कि उसके दो प्रकार होते हैं । पहला टेक्निकल और दूसरा इंस्टीट्यूशनल । टेक्निकल का जहां तक सवाल है, गांवों में आज किसान पिछली घिसी-पिटी पद्धति से खेती करते हैं । इनको इस बात का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए कि वे उन्नतिशील खेती कर सकें । जहां तक संस्थागत का सवाल है, टेनेंसी के नियमों में सुधार करने की बात सोची है । साथ ही साथ मार्केटिंग की व्यवस्था की जानी चाहिए ।

माननीय मंत्री जी ने कहा कि छोटे-छोटे टाउनों में मंडियों की व्यवस्था कर रहे हैं । वह स्वागत योग्य कदम है । लेकिन साथ ही साथ यह भी निवेदन करूंगा कि जहां पर सरकार ने गेहूं का दाम १०५ रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया है वह संशोधन करके कम से कम १५० रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया जाना चाहिए । खाद में कुछ कमी जरूर की गयी है । लेकिन मैं यह निवेदन करूंगा कि सदन के माध्यम से मन्त्री जी केन्द्र से मांग करें कि खाद का मूल्य ७५ रुपये प्रति टोरी निर्धारित करें ताकि किसानों को कृषि का उत्पादन बढ़ाने में प्रोत्साहन दे सकें । किसानों को उन्नतिशील बीज देने के साथ-साथ सिंचाई की भी समुचित व्यवस्था करें । जहां तक सिंचाई की व्यवस्था का प्रश्न है वहां पर मैं इतना निवेदन करूंगा कि आज सिंचाई के लिए बड़ी-बड़ी परियोजनाओं की आवश्यकता नहीं है । बल्कि छोटे-छोटे साधनों को प्रोत्साहन देना है । एक छोटी सिंचाई योजनाएं आर्थिक सामर्थ के

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री राजनाथ सिंह]

अन्तर्गत होंगी । इसके अतिरिक्त बड़ी सिंचाई की योजनाओं से ५५ प्रतिशत उपयोग कर पाते हैं जबकि छोटी सिंचाई की योजनाओं से ९५ प्रतिशत उपयोग कर पाते हैं । जहां तक छोटी परियोजनाओं का सम्बन्ध में एक-एक उदाहरण रखना चाहता हूं जो नारद-युधिष्ठर संवाद में आता है । एक बार नारद युधिष्ठर के दरबार में गये । उन्होंने युधिष्ठर से प्रश्न किया कि आपके राज्य में आपके जो किसान हैं क्या आसमान के पानी पर आश्रित रहते हैं ? दूसरे क्या हर गांव में छोटी-छोटी सिंचाई की योजनाएं हैं ? तीसरे उन्हों ने पूछा कि क्या उनके मेन्टिनेंस की व्यवस्था है या नहीं ? तो पहले से ही इस सम्बन्ध में छोटी योजनाओं की तरफ विशेष ध्यान दिया जा रहा है ।

(इस समय ३ बजकर ४४ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री राधेश्याम शर्मा पुनः पीठासीन हुए ।)

भूमि आवंटन के सम्बन्ध में मेरा सुझाव यह था कि वह भूमि को छोटे टुकड़ों में आवंटित कर रहे हैं । इस तरह से गरीबों में भी भूमि के प्रति मोह बढ़ता जा रहा है और उनका जो दूसरा धन्धा करने की ओर ध्यान था उससे हटता जा रहा है । फल यह होता है कि किसान भूमि को लाभ की जोत नहीं बना पाता है । मेरा निवेदन है कि भूमि ऐसे लोगों को दी जानी चाहिए जिनके पास अपर्याप्त भूमि है और जिनके पास भूमि नहीं है उनको इन्डस्ट्रीज में लगाना चाहिए । जिनके पास अपर्याप्त भूमि है उनको भूमि देने से उनकी भूमि लाभ की हो जावेगी और उत्पादन अच्छा होगा । अब एक सुझाव मैं खेतिहर मजदूरों के बारे में देना चाहता हूं वह है कि...

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य का समय समाप्त । आप बैठिए ।

श्री राज नाथ सिंह—

जो खेतिहर मजदूर हैं उनको मजदूरी बहुत ही कम मिलती है, जिस प्रकार से पंजाब में खेतिहर मजदूरों को प्रतिदिन ७ रु० मजदूरी दी जाती है उसी प्रकार से यहां पर खेतिहर मजदूरों को ७ रु० मजदूरी दी जानी चाहिए । इन शब्दों के साथ मैं माननीय मन्त्री जो द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं और कटौती के के प्रस्ताव का विरोध करता हूं ।

श्री यशपाल सिंह (जिला सहारनपुर)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं जो कटौती का प्रस्ताव रखा गया है उस का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं । मैं माननीय मन्त्री का ध्यान कुछ प्वाइन्ट्स की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं । मान्यवर, जिस प्रदेश का सोर्स आफ इन्कम ५२ प्रतिशत खेती से हो और जहां की आबादी ८० प्रतिशत के करीब खेती पर आधारित हो वहां पर ७० प्रतिशत काश्तकार अलाभकर जोत में अपनी खेती बाड़ी का काम कर रहा है तो कितनी जबरदस्त विडम्बना है । मैं और प्वाइन्ट्स को ओर न जाकर इसी ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि ७० प्रतिशत अलाभकर जोतें हैं । मैं तो समझता हूं कि ५ एकड़ तक की जोतें जो हैं वह अलाभकर जोतें हैं तो इनको कैसे लाभकर बनाया जाये । जब तक

इस की योजना नहीं होगी तब तक कुछ नहीं कर पायेंगे । इर्रीगेशन के साधन बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन प्रति व्यक्ति आय में बहुत ज्यादा अन्तर उसके बगैर नहीं होगा, जब तक अलाभकर जोतों को लाभकर नहीं बनायेंगे ।

मान्यवर, मैं माननीय मन्त्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि प्रदेश में हमारे विभागीय अधिकारी हैं जो उन्होंने प्रदेश के प्राकृतिक असंतुलन को देखते हुए जो योजनायें बनायी हैं, उससे पैदावार बढ़ती जा रही है, लेकिन इसके लिए आपने जो ऐलान किया है कि सूखा और बाढ़ उन्मुख योजनायें चलाने का, उनका मैं स्वागत करता हूं, लेकिन इसके साथ ही साथ जैसा माननीय इस सदन के दो सदस्यों ने सुझाव रखा है कि किसानों की फसल का बीमा होना चाहिए । क्राप इंश्योरेन्स को आप जल्दी से जल्दी लागू करें ।

एक बात मैं कहना चाहूंगा कि ऐनीमल हसबेन्डरी जो आपके पास नहीं हैं, लेकिन ज्वाइन्ट रिसपान्सबिल्टी के नाते से आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करूंगा कि आप इस बात के लिए सहकारिता मन्त्री जी से सहमति लेकर मवेशियों के लिए भी इंश्योरेन्स की योजना बनायें । इसके साथ ही साथ मैं दो-चार सुझाव और दूंगा ।

मिट्टी की परीक्षा का कार्य आजकल चल रहा है, अच्छी बात है लेकिन जब तक आप इसे न्याय पंचायत सेन्टर तक नहीं पहुंचायेंगे, इससे कोई विशेष लाभ होने वाला नहीं है ।

इसमें दो राय नहीं है कि सीड खेती के लिए एक अहम चीज है माननीय ऊदल जी ने कहा कि साधारणतया डेढ़ प्रतिशत प्रमाणित सीड्स का इस्तेमाल होता है हालांकि माननीय मन्त्री जी कहते हैं कि पांच प्रतिशत होता है । मैं वही मान लेता हूं, वह बहुत कम है मैंने पिछले दिनों सीड प्रोसेसिंग प्लान्ट के बारे में सुझाव दिये गये थे जब तक आपने मंडलीय स्तर पर जिला स्तर पर इन्हें नहीं लगायेंगे तब तक प्रमाणित सीड का उपयोग नहीं बढ़ पायेगा । साधारणतया जो गेहूं किसान पैदा करता है वह १०५ से ११० रुपए क्विन्टल बिकता है लेकिन यदि उसे प्रमाणित बीज की आवश्यकता पड़ जाय तो वह ढाई तीन सौ रुपए में मिलेगा जिसका कि इस्तेमाल साधारण किसान नहीं कर सकता....

श्री अधिष्ठाता--

आपका समय समाप्त ।

श्री यशपाल सिंह--

मान्यवर, एक बात की ओर आपका ध्यान और दिलाना चाहता हूं कि आप कृषि की समस्या को मजदूरों से बिल्कुल अलग रखने की कोशिश की जा रही है । प्रदेश के मजदूरों का ७७ फीसदी खेतों पर काम करने वाला मजदूर होता है । उसको किसानों से अलग करके उसकी समस्या को हल नहीं किया जा सकता और किसान की समस्या को मजदूर से अलग करके हल नहीं किया जा सकता । मेहरबानी करके आप ऐसा करने से बाज आयें ।

श्री अधिष्ठाता--

आप का समय समाप्त ।

श्री यशपाल सिंह--

मान्यवर, एक मिनट और दे दें । मंडियों के बारे में एक सुझाव दूंगा कि किसानों से होने वाली आय से आप मंडियों को न बनायें बल्कि यह काम आप बैंकों से ऋण लेकर करें और जो रुपया आप के पास है उसे सड़कों के विकास पर खर्च करें, वर्ना इससे कोई लाभ नहीं होगा ।

श्री अधिष्ठाता--

सम्मानित सदस्य समय का अच्छी तरह से ख्याल रक्खें ।

*श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)--

एक मिनट तो आपने ही ले लिया ।

अधिष्ठाता महोदय--

माननीय कृषि मन्त्री जी ने जो बजट का प्रस्ताव रक्खा, उसका मैं हार्दिक अभिनन्दन करता हूं । मुझे बड़ी खुशी हुई कि तीस सालों के बजट पृष्ठों को देखने के बाद इसमें कुछ नवीनता आयी है । कन्फ्यूशस ने कहा है 'ऐ चीन के लोगों ऊंची दीवार पर बैठे तो हो, लेकिन दीवार की निचली ईंट को भी देखो ।' मेरे कहने का मतलब यह है कि यह पहला बजट है जिसमें इस शासन की दृष्टि उस जगह पर रहने वाले किसानों की तरफ गयी है जिनके पास एक बीघा भी खेती नहीं है और अलाभकर जोते हैं । ७६ फीसदी ऐसे लोग हैं जो छोटी जोतों पर गुजारा करते हैं । माननीय मन्त्री जी ने इन लोगों की ओर भी देखने का जो प्रयास किया है, इसके लिए मैं उन्हें बधाई देता हूं । आज कृषि विभाग का ढांचा इस प्रकार का हो गया है कि उसमें नौकरशाही का बोल बाला है । उनके द्वारा खुल कर साजिश हो रही है कि उसमें आई० ए०एस० लोग घुसते जायें । चाहे आपके निगम हों या आपकी डेवलपमेन्ट अथोरिटीज हों सब में आई० ए० एस० अधिकारी बैठे हुए हैं । जिले में जा कर देखिए सब जगह ये लोग ही बैठे हुए हैं । आज इस प्रकार की घिनौनी साजिश हो रही है कि एम० एस० सी० और पी० एच० डी० पास लोगों की कोई आवश्यकता नहीं रह गयी है । प्रदेश का विकास करने के लिए आपको कृषि के विशेषज्ञों को प्राथमिकता देनी होगी और कृषि के उत्पादन को बढ़ाने के लिए आपको गांवों के आधार पर योजनाओं को तैयार करना चाहिए । महलों में बैठने वाले लोग, आई० ए० एस० और पी० सी० एस० लोग अगर इनको करेंगे तो जो हमारी आशायें हैं उन सब पर पानी फिर जायगा ।

अब मैं सदन का ध्यान खेती में उन्नति की ओर भी ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं वर्ष १९७४--७५ में १·५५ मिट्रिक टन खाद का वितरण हुआ था और अब यह २ से २ १/२ मिट्रिक टन खाद का वितरण हो रहा है । तो इससे जाहिर है कि हम तेजी से आगे बढ़ते जा रहे हैं । हमारी सरकार गरीब किसानों की माली हालत को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है । इस बात को माननीय ऊदल जी ने, जिन्होंने कटौती का प्रस्ताव रखा है, भी माना है और कहा कि मैं परम्परा के अनुसार ही कटौती का प्रस्ताव

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

पेश कर रहा हूं वैसे उन्होंने कहा था कि वे इस बजट का समर्थन करते हैं कुछ सुझावों के साथ ।

हमारे विकास की इकाई ब्लाक है । वहां पर एक ग्रामसेवक रहता है लेकिन उस पर कृषि अधिकारी का कोई नियंत्रण नहीं रहता है। नतीजा यह होता है कि जितनी भी ग्राम सभायें हैं उनका कोई काम नहीं वह कर पाता है । मेरी प्रार्थना है कि उसको जिला कृषि अधिकारी के नियंत्रण में रखा जाय ।

जहां तक तकावी देने का सम्बन्ध है वह कार्य कृषि विभाग से कुछ वर्ष पहले ले लिया गया था । उसकी वजह से गांवों का सारा विकास रुक गया । मेरी प्रार्थना है कि उसको कृषि विभाग के सुपुर्द किया जाय । तकावी का रुपया २२ करोड़ जो वसूल होना था उसमें से केवल १ १/२ करोड़ ही हो पाया है । इसका सम्बन्ध ९०-९५ प्रतिशत सीधे किसानों से रहा है । किसान यही समझता है कि हमारा यही अधिकारी है । इसी के द्वारा कृषि में वृद्धि हुई है । डाक्टर लोहिया ने कहा था कि जब तक दाम बांधो नीति नहीं होगी तब तक किसानों का उत्थान नहीं हो पायेगा । जब तक यह नहीं होगा हम कृषि का भी विकास नहीं कर पायेंगे । माननीय ऊदल जी ने कहा कि आप जो ये प्रायोजनायें चला रहे हैं चाहे राम गंगा की योजना हो चाहे वह गंडक की योजना हो ये सब भ्रष्टाचार के अड्डे हैं, ये गरीबों के खून को चूसने के अड्डे हैं इन सब को समाप्त कीजिए । आप इवेल्यूएशन करा लीजिए और देखिए कि क्या इनके द्वारा गरीबों को ऊंचा उठाने का प्रयास किया गया है ?

अब मैं फर्टिलाइजर के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं जैसा कि माननीय ऊदल जी ने भी कहा कि आप प्राइवेट सेक्टर में फर्टिलाइजर के उत्पादन को बंद कीजिए अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो मेटीरियल और प्राइस कन्ट्रोल कीजिए । वहां पर अपने अधिकारियों को बैठाइये और एक निश्चित मूल्य निर्धारित करके किसानों को दीजिए । यह जनता सरकार के जमाने में नहीं चलेगा, जो इस समय हो रहा है ?

अब मैं भ्रष्टाचार के एक दो उदाहरण देकर अपनी बात समाप्त करता हूं जो पिछली सरकार के जमाने में रहे थे । जहां-जहां एक शर्मा नाम के अधिकारी रहे हैं, और जिन्होंने दवाइयों का छिड़काव कराया है, यही किया है । हमारे देवरिया में भी एक प्लान्ट प्रोटेक्शन अधिकारी जिनका नाम श्री पी० बी० सिंह है और एक श्री आर० एन० सिंह हैं, सब ने ऐसा ही भ्रष्टाचार किया है । श्री आर० एन० सिंह ने तो १५ लाख रुपया कमाया है और एक भूतपूर्व कांग्रेस मन्त्री के साथ देवरिया में जमीन भी खरीदी है । इन शब्दों के साथ मैं कहना चाहता हूं कि अगर पिछले ३० साल से जो भ्रष्टाचार राजनीति की परिधि में हुआ है, उनकी जांच कराई जाय तो आप देखेंगे कि न कोई स्तर, न कोई जिला ऐसा रहा है जहां पर भ्रष्टाचार न रहा हो ।

[श्री जनार्दन प्रसाद ओझा---]

इन शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करता हूं और माननीय ऊदल जी से प्रार्थना करता हूं कि वे अपना कटौती का प्रस्ताव वापस ले लें ।

श्री शंकर सिंह (जिला जालौन)---

मान्यवर, मैं माननीय कृषि मन्त्री द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं । इसमें कोई दो बात हो नहीं सकती कि अबकी जो कृषि बजट आया है ऐसा पहले कभी नहीं आया और उसका मुख्य कारण यह है कि जो हमारे कृषि मन्त्री हैं वह स्वयं एक किसान हैं और किसान होने के नाते किसान की तकलीफों को जानते हैं । अगर इनसे किसान को राहत नहीं मिलेगी तो मिलेगी किससे ? श्रीमन्, किसान के साथ पिछले सालों में जो सलूक होता आया है वह तो सभी जानते हैं कि किसान को "धोबी के गधे" की तरह से इस्तेमाल किया जाता रहा । उस पर जितना चाहा बोझा डाल दिया गया और जब चाहा बिना चारा पानी के बिना मरजी के उसको मार पीट कर चलाया । खुशी की बात है कि इतने दिनों के बाद धोबी मारा गया और गधा बच गया है (हंसी) । मैं आशा करता हूं कि अब किसान के साथ न्याय होगा.....(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता---

माननीय सदस्य भाषण जारी रखें ।

श्री शंकर सिंह---

उसके साथ न्याय किया जायगा । लेकिन आज किसान को यह पता नहीं है कि जो उसके पास जमीन है, उसके पास वह रहेगी भी या निकल जायगी । तो मैं आपके माध्यम से कृषि मन्त्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि किसान को यह विश्वास दिलाया जाय कि उसकी जमीन के साथ जो कुछ खिलवाड़ होना था वह हो गया और अभी तक यही होता रहा कि उससे बराबर जमीन खिचती रही । अब उसके शोषकों को समाप्त कर दिया गया है । छोटा काश्तकार हो, बीच का काश्तकार हो---बड़े काश्तकार तो रहे नहीं । हजारों एकड़ वाले जो फार्म हैं वह आप खींच लें, उसमें विरोध नहीं है, लेकिन जो आम किसान हैं १२ एकड़ का, १८ एकड़ का, उसके मन में विश्वास पैदा होना चाहिए कि अब उससे जमीन खिचने वाली नहीं है । हमारे गांव में जमीन की बड़ी मान्यता है । किसान बड़े सबेरे खेत पर आकर जूते उतार कर भूमि को नमन करता है, पैर छूता है तब दूसरे काम करता है । वह मकान, जेवर गिरवीं रख देगा, सब कुछ गिरवीं रख देगा, लेकिन सबसे आखिरी चीज जमीन होती है, उसको आंच नहीं आने देगा । जब मजबूर हो जायगा तभी उस पर हाथ उठाने देगा । तो कम से कम उसको इतना विश्वास दिलावें । उसके बाद ही वह अपने खेत पर ट्यूबवेल लगा सकता है । गूल लगा सकता है, नालियां बनवा सकता है और तरक्की करवा सकता है । आपने जो स्थिति पैदा कर दी उससे उसको पता नहीं कि उसकी जमीन रहेगी या नहीं । इसी वजह से वह लागत लगाने के लिए तैयार नहीं है । जो पैदावार हो जाती है उससे ले रहा है, वह जानता है कि उसके पास पता नहीं यह जमीन रहे या न रहे ।

इस प्रदेश की ७० फीसदी जनता कृषि पर निर्भर है, जैसा कि हमारे अनेक माननीय सदस्यों ने कहा है । साथ ही जो उद्योग हैं उनमें भी ३३ फीसदी

तक कृषि पर निर्भर हैं। तो उसकी उपेक्षा करके यदि कोई योजना बनायी जाती है तो वह सफल नहीं हो सकता। (लाल बत्ती होने पर) अभी नहीं, अभी शुरुआत हुई है।

जो रिसर्च होती है वह जहां होती है उसी क्षेत्र के लिए वह काम आ सकती है। इंगलैंड की रिसर्च यहां काम नहीं आ सकती। पंत नगर, मेरठ की रिसर्च बुन्देलखंड में फेल हो जायगी। गेहूं का मामला है। आपके विशेषज्ञ कहते हैं कि ५ नवम्बर के बाद बोइये, दिसम्बर में बोइये जब धुआं उठने लगे, उससे पहले नहीं बोना चाहिए। बुन्देलखंड में सर्दी देर से पड़नी शुरू होती है और लू जल्दी पड़नी शुरू हो जाती है। अगर बोने में थोड़ा सा भी लेट हो जाय तो आखिर में जाकर गेहूं पतला पड़ जायगा और किसान का धुंआ उड़ जायेगा।

श्री अधिष्ठाता—

एक मिनट में समाप्त कीजिये।

श्री शंकर सिंह—

दो मिनट दे दें। इसलिये बुन्देलखंड में एक रिसर्च का सेन्टर होना चाहिये। इन्हीं कारणों से प्रेरित हो कर जिला जालौन के किसानों ने यह योजना बनायी कि वहां एक एग्रीकल्चर कालेज खोला जाय। मैंने पहल करते हुये अपने गांव बावई में उसके लिये जमीन की व्यवस्था की, उसके लिये रुपये की व्यवस्था की। आपको हर्ष होगा कि कानपुर के चन्द्र शेखर आजाद एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय और झांसी विश्वविद्यालय के वाइस-चांसलर्स ने उसके लिये संस्तुति की है कि वहां एग्रीकल्चर कालेज खोला जाय, रिसर्च सेन्टर खोला जाय। सरकार से अनुरोध है हमारी यह मांग पूरी करे।

श्री अधिष्ठाता—

समय समाप्त। श्री राम शिरोमणि दुबे।

*श्री राम शिरोमणि दुबे (जिला जौनपुर)—

अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे बोलने का जो वक्त दिया इसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य सदन में शान्ति बनाये रखें।

श्री रामशिरोमणि दुबे—

मान्यवर, मैं कृषि के बजट पर कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मन्त्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है उसमें उनकी मन्शा यह जरूर है कि छोटे किसान बड़े किसान उठें, तरक्की करें और गांव के अन्दर जो किसान

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राम शिरीमणि दुबे]

मजदूर हैं उनको भी काम मिले। लेकिन मूल बात पर दृष्टि उन्होंने नहीं रखी है। छोटे किसान, खासतौर से पूर्वी उत्तर प्रदेश में ऐसे हैं जो न अपना ट्यूबवेल लगा सकते हैं और न वहां इतने सिंचाई के साधन हैं जिससे वे खेती को ठीक ढंग से कर सकें। इस तरफ उनकी दृष्टि नहीं गयी है। मैं आपके माध्यम से उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो छोटे-छोटे किसान हैं उनको उठाने के लिये बहुत जरूरी है सिंचाई, क्योंकि खेती में तीन चीजों का बहुत महत्व है, बीज का, खाद का पानी का। बीज उन्नत किस्म का हो और खाद भी उपलब्ध हो लेकिन पानी न हो तो सब खत्म है। तो पानी की व्यवस्था आवश्यक है। हमारी तरफ कुछ जगहों पर एक योजना सरकार की तरफ से चलायी गयी है, पिछली सरकार के समय से वह चल रही है कि ३३ परसेन्ट छोटे-छोटे कृषकारों को लोन देकर सिंचाई के साधन उन्हें उपलब्ध कराए जा रहे हैं। लेकिन कोआपरेटिव बैंक जो लोन देता है, छोटे किसानों को उस पर १४ परसेन्ट सूद है और एक पम्पिंग सेट लगाने में किसानों का ६-७ हजार रुपया लगता है तो वह लोन इतना मंहगा पड़ जाता है छूट के बावजूद भी कि जो रेट निश्चित किया गया है सरकार की तरफ से डीजल इंजनों का वह इतना अधिक है कि ५-७ हजार रुपये से कम नहीं पड़ता। तो किसान लोन तो ले लेता है, लेकिन जब उसको अदा करने का वक्त आता है तब उसकी हालत बिगड़ जाती है। वह छोटा काश्तकार है, ज्यादा से ज्यादा इतना पैदा कर सकता है कि अपना जीवन-निर्वाह कर सके और उसमें से थोड़ा सा निकाल कर दे भी दें। लेकिन सूद इतना अधिक है कि उसे अदा करने में बहुत कठिनाई होती है और जो बैंक कम सूद लेते हैं, जैसे यूनियन बैंक और स्टेट बैंक, उनके माध्यम से लोन दिलाया नहीं जाता है। गाय, भैंस वगैरह के लिए जो लोन दिलाया जाता है, उस पर भी १४ परसेन्ट सूद है। इससे काश्तकार को बड़ी परेशानी है। इसलिए मैं खासतौर से मन्त्री जी का ध्यान इस तरफ ले जाना चाहता हूं कि पम्पिंग सेट्स का जो रेट निश्चित किया गया है, वह बहुत ज्यादा है। मुझे सुनने में आया है कि इधर करीब १ हजार रुपया उसका दाम गिरा है, लेकिन वह दे नहीं रहे हैं। वह कहते हैं कि जिस पुराने रेट पर हमने खरीदा है, उसी रेट पर देंगे।

खाद के सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि खाद को-आपरेटिव सोसायटी या एग्रीकल्चर विभाग से बंटती है। तो खाद में जो छोटे-छोटे काश्तकारों को छूट दी गई है, वह उसमें से निकाल कर दी जाती है। जैसे ५० किलो की बोरियां हैं तो उसमें से ५-६ किलो खाद निकाल लेंगे और निकाल कर तब सीं करके उसको किसान को दे देते हैं उसे जब वह घर ले जाता है, तौलता है, तो वह कम निकलता है। तो इसकी भी जांच करायें, जिससे किसानों को ठीक से खाद मिल सके। हमारे यहां जो नहर है, एक मड़ियाहूं माइनर है, अब तो शारदा सहायक कही जा सकती है, तो वह नहर जो है, वह ठीक टाइम से पानी नहीं देती और उसके पड़ोसी काश्तकार जो रहते हैं, उनका लागत मूल्य तक चला जाता है। तो मैं माननीय मन्त्री जी से खासतौर से यह निवेदन करूंगा कि वह ठीक टाइम से नहकद्वारा पानी दिलाने की व्यवस्था करें। दूसरी चीज जो ट्यूबवेल लगे हुए हैं, उन पर आपरेटर नहीं रहते और दूसरे वह आपरेटर जो हैं, उस ट्यूबवेल को बिगाड़ करके यह कहते हैं कि यह तो बिगड़ा हुआ है, मुझको बनवाने के लिए जाना है, इतना-इतना चन्दा दो, तब यह ठीक हो जायगा, तो इस तरफ भी ध्यान देने की जरूरत है कि उन ट्यूबवेलों को ठीक कराया जाय, जिससे वह ठीक से चल सकें। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री हुकम चन्द्र तिवारी (जिला मथुरा)--

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे समय दिया। इस देश की धरती पर किसानों का सबसे बड़ा भार है, किन्तु इन किसानों की तरफ अभी तक किसी सरकार का ध्यान नहीं गया। आज इस सदन में पहली बार उत्तर प्रदेश के कृषि मन्त्री जी ने किसानों की खुशहाली के लिए अपना बजट प्रस्तुत किया है। इस बजट को प्रस्तुत करने के लिए वे बधाई के पात्र हैं। सबसे बड़े सौभाग्य की बात यह है कि वह स्वयं किसान हैं और उन्होंने हल हांका है। इसलिए उन्होंने किसानों की चिन्ता के साथ-साथ बड़े विवेक से इस बजट को प्रस्तुत किया है। मैं कुछ सुझाव रख रहा हूं जो जनहित में और किसानों के लिए आवश्यक हैं। खासतौर से जो छोटे किसान हैं, उनको खाद, बीज आदि आधा मूपत में वितरित करें और उसका दूसरे स्वरूप मे टैक्स में वसूल करें तो निश्चित ही आपके प्रदेश की उत्पादन क्षमता जो है, वह बढ़ जायगी। मैं आपका मथुरा जिले की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। यह जिला सारे प्रदेश में सबसे पिछड़ा हुआ है। भारी वर्षा से राजस्थान और हरियाणा का पानी आने से ८०० ग्राम पीड़ित हैं। उन गांवों में पीने के लिए पानी नहीं है। एक किसान के पास एक अन्न का दाना नहीं है, जिससे कि वह आगे की रबी की फसल बो सके। ८४ फीसदी जनता पानी से पीड़ित होकर अपने जीवन की आशा को छोड़ चुकी है।

यदि आप पड़ोसी जिले के रहने वाले हैं, आपने मथुरा की भूमि को देखा है, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इसकी चारों तहसीलों का सर्वेक्षण करायें, ५६ फीसदी ऐसे किसान मिलेंगे जोकि आने वाली फसल में एक दाना भी नहीं बो सकते। आप मथुरा की ओर देखें और वहां पर उर्वरक और बीज अच्छा भेजने की व्यवस्था करें। राष्ट्रीय बैंक जितने हैं, उनसे आप कर्जा दिलाने के लिए, उनका एक लक्ष्य निर्धारित कर दें, उनके गांवों का वितरण कर दें, उनको अमुक-अमुक क्षेत्र निर्धारित कर दें। को-आपरेटिव बैंक से, लैंड डेवलपमेन्ट बैंक से जो रुपया किसानों को मिलता है, उसकी प्रक्रिया बड़ी कठिन है, उसको लेने के लिए आधा रुपया ग्राम सेवक, मैनेजर, सुपरवाइजर, लेखपाल को भी देना पड़ता है। इसलिए उस किसान को, जो अपना ऋण देते हैं, उसका आधा हिस्सा, उसको मिल पाता है। दुर्भाग्य इस देश और प्रदेश का यह है कि खेती के काम को आई० ए० एस अफसर करते हैं, कागज पर खेती का काम करते हैं, लेकिन उनका व्यवहारिक ज्ञान कुछ भी नहीं है और जब उनसे कोई किसान फटे हाल और हाथ में लाठियां लेकर मिलने जाता है तो वह अधिकारी उनसे मिलते नहीं हैं। इस ओर मन्त्री जी ध्यान दें और अधिकारियों को चेतावनी दे दें कि वह किसानों से मिलें और उनके दुखदर्द में शामिल हों और उनके कष्टों को दूर करें। उनके कष्टों का निवारण करें तो मैं कहूंगा कि आप प्रदेश के सफल कृषि मन्त्री होंगे।

मान्यवर, कृषि के क्षेत्र में, उद्यान और फार्मों की बात कहना चाहता हूं यह जो फार्म हैं अगर उत्पादन की दृष्टि से देखें तो पता चलेगा कि बहुत पिछड़े हैं। इस पर मनन करें और सोचें कि आपके अधिकारी योजनायें तैयार कर देते हैं, किन्तु उसको व्यवहारिक स्वरूप नहीं दे पाते हैं। क्योंकि उनको खेती के बारे में कोई

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री हुकम चन्द्र तिवारी]

ज्ञान नहीं होता है । मेरे मथुरा जनपद में ३–४ कृषि फार्म हैं जो पूर्णरूप से हानि पर चल रहे हैं । अगर पी० एच० डी० करने वाले अधिकारी जब अपने फार्मों का उत्पादन नहीं बढ़ा सकते हैं तो प्रदेश म कृषि को तरक्की कैसे हो पायेगी? मैं अनुरोध कर रहा हूं कि आज जो किसान है, खेती करता है, उसको भरपेट भोजन नहीं मिलता है और साल के साल अपने खेतों में बीज नहीं डाल पाता है । तो जो इस प्रकार से प्रदेश में योजनायें आई० ए० एस० अधिकारियों द्वारा कार्यान्वित कराना चाहते हैं तो वह पूरी नहीं हो पायेंगी । जब तक प्रदेश की जमीन का वैज्ञानिक विश्लेषण नहीं करायेंगे और किसानों को जो खाद और पानी मिलना चाहिए, वह नहीं मिल पायेगा, तब तक किसान अपनी जमीन से भरपूर लाभ नहीं उठा सकते हैं ।

मान्यवर, मथुरा जनपद में जो कृषि मन्त्री मन्डी समिति के भवन का निर्माण करा रहे हैं, वह आबादी से ६० किलो मीटर दूर है । मांड और सादाबाद तहसील के किसान आयेंगे तो उनको ४०, ६० किलो मीटर पड़ेगा ।

श्री अधिष्ठाता––

आप समाप्त करें ।

श्री हुकुम चन्द्र तिवारी––

मान्यवर, मेरा अनुरोध है कि यहां पर मण्डी उत्पादन समिति का जो भवन बन रहा है, उस पर पुनः विचार करें और मांड तथा सादाबाद तहसील के मध्य सको स्थापित करायें ।

श्री सुखपाल पाण्डेय––

अधिष्ठाता महोदय, मेरे ऊपर भी दृष्टि पड़ जाय ।

श्री अधिष्ठाता––

नहीं करूंगा ।

श्री सुखपाल पाण्डेय––

अध्यक्ष जी, एक तरफ ही देखते थे ।

श्री अधिष्ठाता––

सुखपाल जी, आप समझते हैं कि हम सदन बहुत नियम और कायदे से चलाते हैं । आप बैठिये ।

श्री गिरधारी लाल (जिला बस्ती)––

अधिष्ठाता महोदय, आपने जो मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आभारी हूं । मैं मन्त्री जी ने जो अनुदान प्रस्तुत किया है, उसका समर्थन करता हूं और साथ ही साथ सुझाव भी देना चाहता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध भी कर रहा हूं ।

श्रीमन्, आप जानते हैं कि देश के अन्दर छोटे और बड़े किसान सभी हैं । अभी हमारे पूर्व वक्ता ने पूर्वांचल का उदाहरण दिया । मेरे पास एक किसान आया

हुआ है । उस किसान ने जो ऋण लिया है और जो उस पर २५-३३ प्रतिशत छूट की व्यवस्था है, उस सम्बन्ध में उसे अधिकारियों ने बहुत सताया है । किसानों को सताया जाता है और उनको छूट तब तक नहीं मिलती है जब तक वह घूस नहीं देते हैं । नतीजा यह है कि उस किसान के एक बार बैल कुर्क हो चुके हैं । वह बार-बार अधिकारियों के पास जाता है, लेकिन उसकी बात सुनी नहीं जाती है ।

मान्यवर, मेरे क्षेत्र में, जिस क्षेत्र से मैं चुनकर आया हूं, वहां पर ५ नदियां हैं । एक तरफ घाघरा-कुआनो-मनवर और दूसरी तरफ रबई-कुआनो-गजोरा नदियां हैं । तो बीच में भूमि डाबू बरसात के महीनों में बन जाती है । दूसरी तरफ मई, जून में वहां रेता उड़ता है । जुलाई और अक्तूबर में वहां पानी ही पानी दिखाई देता है । किसान हर समय परेशान रहते हैं । वहां पर ४ ब्लाक हैं । २ ब्लाक पूरे हैं और २ आधे-आधे ब्लाक हैं । वहां एक गुदरहा ब्लाक है । उसमें ९९ प्रतिशत भूमि असिंचित है । वहां के किसान हमेशा पीड़ित रहते हैं । घाघरा नदी के कटाव से जमीन दूसरे जिले में चली गई है । भूतपूर्व सरकार के पास भी यह मामला आया । मैं जानता हूं कि १९५२ से लेकर आज तक वहां का किसान पीड़ित है, लेकिन बस्ती और फैजाबाद जिले के कलक्टर इस मसले को हल नहीं कर पाये हैं । वहीं के गरीब किसान परेशान हैं मान्यवर, साथ ही साथ छोटे-छोटे किसानों और बड़े किसानों का जो फर्क है, उसको मिटाया जाय और छोटे किसानों को किसी प्रकार राहत पहुंचाई जाय । इसके लिए मन्त्री जी विशेष ध्यान दें ।

मान्यवर, मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि खाद पर से सेल्स टैक्स हटा दिया जाय, क्योंकि इससे प्रदेश की आय केवल ·३१४ प्रतिशत होती है जो कि नहीं के बराबर है । इसलिए इसको हटा लिया जाय तो किसानों का बहुत बड़ा हित होगा ।

मान्यवर, कृषि विभाग से अब तक ५० लाख रुपया घाटा होता रहा है जोकि कृषि निदेशक के प्रयास से अब शून्य के बराबर हो गया है । वह धन्यवाद के पात्र हैं ।

मान्यवर, कृषि या इससे सम्बन्धित विभागों में गांव के रहने वाले लड़कों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए चाहे वह थर्ड डिवीजन ही क्यों न पास हों ।

मान्यवर, मेरा यह भी सुझाव है कि फसल सुरक्षा में दवाओं में बड़ी गड़बड़ी की जाती है । दवायें समय पर नहीं मिलती हैं । धान के लिए जिन्क सल्फेट बस्ती में उपलब्ध नहीं हुआ जब कि वहां खैरा रोग व्यापक रूप से है । मैं मन्त्री जी से अनुरोध करता हूं कि इस पर विशेष ध्यान दें, जिससे छोटे किसानों को लाभ मिल सके ।

मान्यवर, भूतपूर्व सरकार ने भूमि का आवंटन किया और उसमें छोटे-छोटे किसानों को और भूमिहीनों को आपस में लड़ा दिया । किसानों के दरवाजे की भूमि बांटी गई है । हरिजनों को आपस में लड़ा दिया गया है । इसलिए मन्त्री जी ऐसी व्यवस्था करें, जिससे यह बात न पैदा हो ।

*श्री राम कृष्ण (जिला जौनपुर)—

मान्यवर, कृषि मन्त्री जी ने जो कृषि का बजट सदन के पटल पर रखा है, वह विचारणीय है । चूंकि हमारा देश कृषि प्रधान देश है । उत्तर प्रदेश में, ६० करोड़ में से, १० करोड़ लोग रहते हैं । हमारे प्रदेश में खेती की जो ३० सालों में जो प्रगति हुई है, उससे हम अवगत हैं । वह दिन भूले नहीं हैं जब हमारे यहां अंग्रेजी हुकुमत का अन्त हो रहा था देश में लाखों जनता बंगाल में खाने के बिना तड़प-तड़प कर मर रही थी । कपड़ा कफन तक के लिए नहीं मिलता था । लेकिन हमारे देश के कार्यकर्त्ताओं ने योजनाओं को बनाकर देश में गल्ले और कपड़े की पैदावार में वृद्धि की । जहां देश में सिंचाई का कोई साधन नहीं था, खेती की कोई व्यवस्था नहीं थी, हमारे देश में वैज्ञानिक ढंग से खेती करने का तरीका नहीं मालूम था, हमारे देश के साथियों ने देश-विदेश से विज्ञान को लाकर, अनुसंधान-शालायें खोलकर बड़े उत्तम ढंग से खेती करने का कदम उठाया और उसका फल है कि गल्ले और कपड़े की पैदावार पहले से अधिक है । इस प्रकार हमारे देश और प्रदेश में जो प्रगति चल रही है, उसमें दिन दूनी और रात चौगुनी प्रगति हो रही है । आपने जो योजनायें बनायी हैं, उनको मैंने पढ़ा है और उनमें बहुत सी बातें अच्छी हैं । लेकिन जो खेती में प्रयोग आने वाली चीज है खाद और पानी उसके बारे में मैं कुछ सुझाव देकर अपनी बात का अन्त करना चाहता हूं ।

हमारे खेतिहर किसानों को, पानी की बड़ी असुविधा है । जो नहरें निकाली जा रही हैं, उनकी दुर्दशा की जा रही है । प्रतापगढ़ की तरफ तो नहर का रूप बिलकुल ही विकृत किया जा रहा है । सिंचाई मन्त्री जी को इसमें तुरन्त जांच कराना चाहिए । जूनियर इंजीनियर जिधर चाहते हैं, नहर घुमा देते हैं । नहर गांव की तरह घूम रही है । यद्यपि इस समय सिंचाई का विषय नहीं चल रहा है, लेकिन इसका कृषि विभाग से निकट सम्बन्ध है । अतः मैं सिंचाई मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि वह इस मामले को देखें । यदि उस क्षेत्र की सिंचाई नहीं होगी तो जो पैसा आप नहर में लगा रहे हैं, वह कहां से आयेगा । इसलिए सिंचाई मन्त्री जी नहरों और नलकूपों की समुचित व्यवस्था करें ताकि कृषि का उत्पादन बढ़ाया जा सके ।

मान्यवर, हमारे विधान सभा क्षेत्र, रामपुर में आपने एक फार्म खोला है, जिसमें १०० एकड़ जमीन ली गई है । उसमें इतने-इतने (हाथ से बताया) गेहूं के पेड़ होते हैं । उस पर दस मजदूर लगाते हैं, तो ८० मजदूर दिखाते हैं । इसलिए निवेदन है कि रामपुर फार्म या तो तोड़ा जाय अन्यथा कृषि मन्त्री जी उसकी व्यवस्था करें ।

इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

*श्री जगदम्बा प्रसाद सिंह (जिला बस्ती)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय कृषि मन्त्री जी ने जो अनुदान पेश किए हैं, उसका अनुमोदन करता हूं और जो कटौती का प्रस्ताव पेश हुआ है, उसका विरोध करता हूं ।

सबसे पहले तो यह निवेदन है कि जो कृषि सम्बन्धी कानून हैं, उसमें काश्तकार को दुविधा नहीं होनी चाहिए । ३ १/८ एकड़ तक लगान माफ कर दिया । सवा-छै एकड़ तक अलाभकर जमीन मानते हैं । सीलिंग १८ एकड़ तक है । जब तक काश्तकार के मन में दुविधा रहती है, तो उसका मन पैदावार में नहीं

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

लगता । दूसरे आज काश्तकार के पास खेती में लगाने के लिए पैसा नहीं है । कृषि ऐसा पेशा है कि उसमें अगर ३,००० की जरूरत है, तो तीन हजार ही लगाया जायगा, तब तो खेती होगी, अगर २,००० लगा दिया गया, तो कृषि का उत्पादन अच्छा नहीं हो सकता । इसलिए, मान्यवर, आने वाले समय में सारी तरह की सुविधायें किसान के मन से हट जानी चाहिए । अगर आंकड़े देखें तो एक हैक्टयर तक की जमीन में सम्पूर्ण जोत का ७५ प्रतिशत आ जाता है । एक हैक्टयर से ३ हैक्टयर तक १९ प्रतिशत तथा ३ हैक्टयर से ५ हैक्टेयर तक २ प्रतिशत आ जाता है । ५ हैक्टयर जमीन बच जाती है, जिसमे खेती की जा सकती है । जो छोटे काश्तकार हैं, वे इतना ही पैदा कर पाते हैं कि अपना गुजर-बसर कर सकें । उनके पास इतना उत्पादन नहीं कि वे अपने उत्पाद्य को बाजार ले जा सकें । इसलिए ऐसे कानून न बनाए जाएं कि काश्तकार के मन में दुविधा पैदा हो सके और वह अपना मन खेती में न लगा सकें ।

मान्यवर, खेती के लिए सबसे जरूरी चीज पैसा है । खाद तो मिल रही है, लेकिन पानी की तरफ जो सरकार का ध्यान गया है, वह काफी नहीं है । खासतौर से जहां तक मैं समझता हूं, इस सम्बन्ध में हमारी बस्ती जिले की उपेक्षा की गई है । ४४४ ट्यूबवेल्स हैं ६०,३०९ स्क्वायर किलोमीटर में जबकि आबादी ३१ लाख ७२ हजार है । मान्यवर, इन्हीं आंकड़ों के संदर्भ में आप देखें तो स्पष्ट होगा... ।

श्री अधिष्ठाता--

आप अब समाप्त करें । आपका समय हो गया ।

श्री जगदम्बा प्रसाद सिंह--

मैं समाप्त कर रहा हूं । बस्ती जिले में फल अनुसंधान केन्द्र है जो काफी अच्छा कार्य कर रहा है । मन्त्री जी से मेरा निवेदन है कि इसको और अधिक बढ़ावें । इन शब्दों के साथ मैं बजट का समर्थन करता हूं ।

(कई सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता--

समय कम है और काफी सदस्य बोलने वाले हैं । इसलिए मैं हर माननीय सदस्य को दो दो मिनट का समय देने की व्यवस्था करूंगा ।

कई सदस्य--

दो मिनट का समय कम है, कम से कम पांच मिनट दिया जाना चाहिए ।

श्री बदन सिंह (जिला आगरा)---

मान्यवर, मैं मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का स्वागत करने के लिए खड़ा हुआ हूं । चूंकि समय कम है इसलिए संक्षेप में सुझाव दूंगा । एक तो यह कि खाद कट्टों में दिया जाता जिसमें से कर्मचारी निकाल लेते हैं और किसान को कम मिलता है । इसलिए यह तौल कर दिया जाना चाहिए । दूसरी चीज यह है कि

[श्री बदन सिंह—]

फसलों के बोने का समय निश्चित होता है। नन्हें दाने की फसल के लिए नवम्बर का पहला पखवारा और मोटे के लिए नवम्बर का अन्तिम पखवारा निश्चित है। इसलिए इस बीच यह सुनिश्चित कर लिया जाना चाहिए कि बीज गोदामों पर बीज और खाद समय से पहुंच जाय और किसानों को कठिनाई न हो। तीसरा सुझाव यह है कि जो आपकी कृषि सम्बन्धी औषधियां हैं इनके मूल्य बहुत हैं जैसे खरपतवार नाशक औषधि ट्रफोरडी, झुलसा रोग की डाइथीन जैड ७८ और एम ४५। इनका मूल्य कम किया जाना चाहिए। हो सके तो यह दवाइयां छोटे किसानों को निःशुल्क दी जायं। चौथी बात यह है कि हमारे प्रदेश में कपास और चना इन दो फसलों की उपेक्षा की जाती रही है। इनमें एक उखटा का रोग होता है जिसका अभी तक कोई निदान नहीं निकला है। इस पर अनुसंधान कराकर कोई दव इसके लिए खोजनी चाहिए। अगली बात यह है कि गेहूं की डबल जीन प्रजाति में भूसा बहुत ही कम निकलता है और जो ट्रिपिल जीन जातियां है वह पकने पर सीधी नहीं खड़ी रह पाती हैं। इसलिए इन उन्नतशील प्रजातियों पर कुछ ऐसा अनुसंधान होना चाहिए कि भूसा भी मिल सके और पकने पर वह सीधे खड़े हो सकें तो उनसे अच्छी और अधिक पैदावार मिल सकती है। जिससे कि हमको गल्ला भी मिल सके। इसके साथ-साथ...

श्री अधिष्ठाता—

समय समाप्त...

श्री बदन सिंह—

मैं प्रस्तुत बजट का स्वागत करता हूं।

श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)—

माननीय, हमारा प्रदेश खेतिहर है। ८० फीसदी लोग खेती से सम्बन्धित हैं और ८० फीसदी लोग न सिर्फ अपना पेट पालने के लिए खून पसीना एक करते हैं बल्कि सारे प्रदेश का पेट भरते हैं। आज तक उन पर क्या बीती वे किस तरह जिन्दगी गुजार रहे हैं इस तरफ बहुत कम लोगों ने ध्यान दिया है। किसान खून पसीना एक कर के जो चीज पैदा करता है वह बाजार में जाती है और बाजार में उसका उत्पादन जाने के बाद वह उसका मालिक नहीं रह जाता उसका सौदा दूसरे करते हैं। माननीय, यदि किसानों द्वारा उत्पादित चीज की कीमत नहीं बांधी गयी तो उनकी जिन्दगी दूभर होती चली जायगी।

खेतिहर मजदूर और गरीब किसान की जिन्दगी बहुत दयनीय है इतनी दयनीय है कि प्रदेश के वामपंथी विचार वाले लोगों ने जिनमें जनता पार्टी के लोग भी शामिल हैं, दूसरे लोग भी हैं, इन सब लोगों ने मिल कर उत्तर प्रदेश के अंदर किसान संघर्ष समिति का गठन किया और उनके हितों के लिए आवाज उठाने की बात की है। माननीय, हमारे प्रदेश में खेती करने का तरीका पिछड़ा है बैकवर्ड मोड आफ प्रोडक्शन है। इसको विकसित रूप में बदल जाना चाहिए एडवान्स मोड आफ प्रोडक्शन होना चाहिए।

यहां पर अभी मन्त्री जी ने अपने भाषण में शिक्षित लोगों को ग्रेजुएट लोगों को काम देने की बात की। अभी कुछ समय पहले कुछ शिक्षित कृषि उद्यमकर्ताओं को

अनुदान संख्या ४५---कृषि, अनुदान संख्या ४६---औद्यानिक विकास, अनुदान संख्या ४६-भूमि तथा जल संरक्षण, अनुदान संख्या ५०---क्षेत्र विकास, अनुदान संख्या ७९---कृषि योजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय तथा अनुदान संख्या ६५---ऋण और अग्रिम-कृषि

ट्रैक्टर कर्जे में दिये गये लेकिन ट्रैक्टर बेकार पड़े हैं। उनको काम नहीं मिल रहा है। वे घूमते रहते हैं। मन्त्री जी के दरवाजे भी खटखटाते हैं। उनको काम नहीं मिल रहा है। जो ट्रैक्टर कर्जे पर दिये गये थे उनके लिए उनको कुर्की, डिग्री जेल आदि का मुकाबला करना पड़ रहा है। इन लोगों को काम दिलाये जाने पर हमारे मन्त्री जी विचार करें।

मण्डियों से हमारे प्रदेश में काफी आमदनी होती है। प्राइमरी शुल्क और सेकेन्डरी शुल्क दोनों तरह के शुल्क वसूल किये जाते हैं। प्राइमरी शुल्क का इस्तेमाल देहातों के काम के लिए, लिंक रोड आदि के लिए करना बताया गया, लेकिन जो सेकेन्डरी शुल्क ज्यादा होता है वह केवल टाउन्स के लिए सुरक्षित छोड़ दिया जाता है। मेरा सुझाव है कि जो सेकेन्डरी शुल्क मण्डियों से वसूल किया जाता है, वह भी किसानों से सम्बन्धित है, इसलिए किसानों की जिन्दगी को बेहतर बनाने के लिए और ज्यादा ग्रामीण विकास के लिए उसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए। मान्यवर, इसके साथ ही साथ यह भी कहूंगा कि जो मंडियों में सचिव हैं, वे कृषि विपणन निदेशालय में निदेशक के अन्डर काम करते हैं इसलिए वे इन्डीपेन्डेन्टली अपना काम नहीं कर पाते हैं। इन्हें सदैव डर बना रहता है चूंकि डिप्यूटेशन पर भेजे जाते हैं, अतः कभी भी वापस बुलाये जा सकते हैं। वे अपनी क्षमता का सदुपयोग नहीं कर पाते हैं। इसलिए इनको राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद् के अधीन रखा जाना चाहिए।

माननीय ऊदल जी ने भ्रष्टाचार की बात अपने कटौती प्रस्ताव पेश करते हुए कही। हर विभाग में भ्रष्टाचार का बोल बाला है और जितना इसके बारे में कहा जाय उतना थोड़ा है। हरदोई में भूतपूर्व कृषि अधिकारी आत्मा राम की बात सदन में कही गयी थी। पहले भी उनके खिलाफ शिकायत थी। इसी तरह से रायबरेली के कृषि अधिकारी गिरिजा शंकर तिवारी के खिलाफ भी लाखों का घोटाला है। वे दोनों काम कर रहे हैं। उन्हें निलम्बित नहीं किया गया है। जांच प्रौपरली नहीं हो रही है। इस तरह से अगर हिसाब लगायें तो मैं समझता हूं कि जितना बजट माननीय मन्त्री जी मांग रहे हैं उससे ज्यादा गबन में और घोटाले में निकल जायगा।

श्री अधिष्ठाता---

आपका समय समाप्त।

श्री राम आसरे वर्मा---

जब कभी भ्रष्टाचार की जांच का सवाल आता है तो छोटे भ्रष्टाचारी की जांच का काम उससे भी बड़े भ्रष्टाचारी को दिया जाता है। यह सिलसिला छोड़ा जाना चाहिए और इन शब्दों के साथ में कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

सदन के समय में वृद्धि का प्रस्ताव

(कृषि मन्त्री) श्री राजेन्द्र सिंह---

मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय आध घन्टा बढ़ा दिया जाय।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि सदन का समय आधा घंटा बढ़ा दिया जाय।

(प्रस्ताव उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

१९७७-७८ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान-अनुदान संख्या ४५-कृषि, अनुदान संख्या ४६-औद्यानिक विकास, अनुदान संख्या ४९-भूमि तथा जल संरक्षण, अनुदान संख्या ५०-क्षेत्र विकास, अनुदान संख्या ७९-कृषि योजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय तथा अनुदान संख्या ९५-ऋण और अग्रिम-कृषि (क्रमागत)

श्री श्रीराम द्विवेदी (जिला फैजाबाद)--

मान्यवर, कृषि सम्बन्धी जो अनुदान प्रस्तुत है उसका मैं समर्थन करता हूं। इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि आर्थिक विकास के लिये खेती का सबसे अधिक महत्व है। जनता पार्टी की सरकार ने इस सिलसिले में इस बात का ऐलान भी किया था कि हम खेती को प्राथमिकता देंगे। इस सिलसिले में कुछ प्रभावशाली कदम भी उठाये जा रहे हैं। मूल समस्या की ओर मैं सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं। असल में गड़बड़ी यह है कि खेती में पैदा होने वाली चीजों तथा कल कारखानों में जो उत्पादन होता है इन दोनों के मूल्यों में कोई संतुलन पिछली सरकार ने पिछले ३० साल में कायम नहीं किया और मेरा सुझाव यह है कि जनता पार्टी की सरकार को चाहिये कि वह इस संतुलन को कायम करे।

दूसरा सुझाव यह है कि जो खेती के अन्तर्गत फसलें पैदा होती हैं उनके दामों में जितना उतार चढ़ाव हमारे देश में होता है उतना दुनिया के किसी भी देश में नहीं होता। मैं कृषि मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि एक फसल से दूसरी फसल के बीच में २० सैकड़ा से ज्यादा फर्क नहीं होना चाहिये। वित्त मन्त्री दिघे जी ने बजट प्रस्तुत करते समय यह कहा था कि जनता पार्टी की सरकार किफायतशारी के जरिये कम से कम १५ करोड़ रुपये की बचत करेगी। मेरा यह सुझाव है कि इस किफायत से जो पैसा बचेगा देश की सूखी हुई खेती को मद्देनजर रखते हुए सिंचाई के इन्तजाम में उस किफायतशारी से बचे हुए पैसे को भी सिंचाई के बजट में जोड़ दिया जाय। आखिरी निवेदन मेरा यह है कि फैजाबाद में एक कृषि विश्वविद्यालय ग्रामीण अंचल में स्थापित करने का प्राविधान किया गया लेकिन अखबारों के जरिये पढ़ने को मिला कि उसे तबदील करने की बात चलाई जा रही है। जनता पार्टी की सरकार ने यह ऐलान कर रखा है कि वह गांवों को विकसित करेगी ऐसी सूरत में किसी भी हालत में फैजाबाद में ग्रामीण अंचल में जो कृषि विश्वविद्यालय स्थापित करने की बात है वह अपनी जगह कायम रहनी चाहिये और उसे फैजाबाद के ग्रामीण अंचल में ही रखने की व्यवस्था की जाय। इन शब्दों के साथ में इस अनुदान का समर्थन करता हूं।

श्री गनेशी लाल चौधरी (जिला सीतापुर)--

अधिष्ठाता महोदय, पहली बात यह है कि खेती का सम्बन्ध सिंचाई और बिजली से है। खेती, बिजली तथा सिंचाई ये तीनों विभाग मुख्य मन्त्री जी से मेरा निवेदन है एक ही मन्त्री के तहत रखे जायं ताकि एक दूसरे की शिकायत न की जा सके और एक ही मन्त्री [illegible] जिम्मेदार ठहराया जा सके। मैं दूसरा सुझाव [illegible] कि कृषि मन्त्री में [illegible] की छूट है।

१९७७-७८ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान-अनुदान ११४९ संख्या ४५--कृषि, अनुदान संख्या ४६---औद्यानिक विकास, अनुदान संख्या ४९--भूमि तथा जल संरक्षण, अनुदान संख्या ५०---क्षेत्र विकास, अनुदान संख्या ७९--कृषि योजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय तथा अनुदान संख्या ९५--- ऋण और अग्रिम-कृषि

इसलिए वह कोशिश करें कि पम्पिंग सेट और इंजन जो हैं वह भी कृषि औजार हैं उन पर भी सेल्स टैक्स की छूट दी जाय ।

तीसरा सुझाव मेरा यह होगा कि आपके विभाग में रिजर्वेशन हरिजनों का नहीं होता है उसको देख कर आप जरूर रिजर्वेशन पूरा करें ।

मेरा चौथा सुझाव यह होगा कि आप क्रेप इंश्योरेन्स लागू करें ताकि किसानों की सिक्योरिटी रहे और उसकी इनकम महफूज मिल सके । जब साल भर बाद इंश्योरेन्स स्कीम न होने से उसे कम दाम मिलते हैं तो उसे परेशानी होती है ।

यह जो खेती के लिए कर्जा मिलता है, मेरा सुझाव है कि यह लौंग टर्म प्लान पर दिया जाय कम से कम २५ वर्ष का समय किसान को दें और २५ साल बाद थोड़ा-थोड़ा करके वह दे । मैं, माननीय, (लाल बत्ती जलने पर) आपने लाल बत्ती कर दी है इसलिए इन सुझावों के साथ इस बजट का समर्थन करता हूं ।

श्री देवबहादुर सिंह (जिला नैनीताल)—

अब इस तरफ का नम्बर होना चाहिये ।

श्री अधिष्ठाता—

आप फिकर न करें इसके बाद नम्बर आयेगा ।

*श्री छेदा सिंह चौहान (जिला लखनऊ)---

मान्यवर, जो बजट पेश किया गया है उसका मैं समर्थन करता हूं । हमारा एक सुझाव यह है कि कृषि, सिंचाई और प्लानिंग यह तीनों विभाग एक ही मन्त्री के पास होने चाहिये । (व्यवधान) ग्राम सेवक, मन्त्री और पतरौल को हर गांव सभा में मुकर्रर कर देना चाहिये और उनके पास स्टोर होना चाहिये जहां पर खाद, बीज और दवायें मौजूद होनी चाहिये। इससे किसानों को लाभ होगा और हर किसान आसानी से यह सामान पा सकेगा । हमारा अनुभव है कि जितनी आपकी दवायें हैं और बीज है वह दूनी सप्लाई होंगी और इससे पैदावार भी बढ़ेगी ।

हमारा एक सुझाव यह है कि हमारे मन्त्री जी ने सारी व्यवस्थायें की हैं लेकिन बीज के दाम नहीं घटाये । पिछले साल बीज के जो दाम ११० रु० थे और गेहूं के १२५ रु० थे और चीजों के दाम आपने घटाये लेकिन गेहूं के बीज का दाम अधिक नहीं घटाया । आप किसानों को प्रमाणित किया हुआ बीज दें । यह जो प्राइवेट फार्मों से देते हैं वह बीज ठीक नहीं होता है। पारसाल हमारे लखनऊ जिले में ८ ब्लाकों में भिंडी का बीज दिया गया वह टीक नहीं था और उसमें फली नहीं आई । अभी आपने पूरब का भिंडी का बीज दिया है वह भी ठीक नहीं है । संशोधित किया हुआ बीज आप अपने फार्मों से दें और जो प्राइवेट फार्मों से देते हैं वह बंद कर दें । जब आपके प्रदेश में गेहूं नहीं होता है तो आप लैवी लगा करलेते हैं लेकिन जब किसान के पास खाने के लिए नहीं होता है तो उसकी कोई व्यवस्था नहीं करते हैं । मैं निवेदन करूंगा कि खेतिहर जो किसान है उनको सस्ते दामों पर अनाज देने की व्यवस्था करें । इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री गंगा प्रसाद (जिला गोंडा)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आज आपने जो कृषि विभाग पर बोलने का मौका दिया उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं । जो कटौती का प्रस्ताव ऊदल जी ने पेश किया है उसका समर्थन करता हूं । एक बात जो मुझे कहनी है वह यह है कि जो आपका कृषि निदेशालय यहां बैठा है वह इतना भ्रष्ट कार्यालय है कि इतना कोई दूसरा नहीं है इसमें लूट मची हुई है...

श्री अधिष्ठाता—

माननीय गंगा प्रसाद जी जरा शांति से बोलें ।

श्री श्याम धर मिश्र (जिला वाराणसी)—

जब जोर से कहेंगे तभी असर होगा वर्ना असर नहीं होगा ।

श्री गंगा प्रसाद (गोंडा)—

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं कृषि मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि जो यह आपका विभाग चल रहा है, पूर्ववर्ती सरकार ने इसमें काफी गल्ला पैदा करके आपके गोदामों में भर दिया था, जिसे आप आज रख नहीं पा रहे हैं और जिसमें घुन लग रहा है । यही नहीं आपने जो पुस्तक दी है, उससे यह पता चलता है कि तिलहन, अरहर, कपास और जूट की नई फसल आपने नहीं पैदा की है । यह इसलिए नहीं पैदा किया कि आपका फायदा हो । तिलहन का यह भाव है कि आज गरीब आदमी अपनी दाल छौंक नहीं पा रहा है । तिलहन की खेती बढ़ाने के लिए आप शोध कराइये और उसकी खेती को आगे बढ़ाइये । दूसरी बात है कि इस विभाग में हरिजनों के आरक्षण और प्रमोशन दोनों का कोटा पूरा नहीं हुआ है । इसके साथ-साथ निगम में कोई भी हरिजन, जो पढ़ा-लिखा या ग्रेजुएट है, नहीं लिया जा रहा है...(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

अब आप खत्म करें ।

श्री गंगाप्रसाद (गोंडा)—

इनके यहां एक आदमी निकाला गया, उसके बारे में निदेशक से कहा गया कि उसे रख लो, तो उन्होंने वायदा किया, गोंडा में एस० एन० सिंह, परियोजना अधिकारी ने लूट किया, उसके बाद जब बहुत शिकायत हुई उनका तबादला बस्ती में कर दिया गया, लेकिन उनको निलम्बित नहीं किया गया, इसे आप देखें । एस० एन० सिंह के खिलाफ एक जांच बैठायी गयी उसकी रिपोर्ट कार्यालय में है परन्तु उन्हें निलम्बित नहीं किया गया उनका स्थानान्तरण बस्ती कर दिया गया ।

(व्यवधान) (माननीय सदस्य बोलते रहे)

श्री अधिष्ठाता—

आप बैठिए, श्यामधर जी आप इन्हें बैठाइये । आपका समय समाप्त हो गया । आप बैठें ।

*श्री बेनी प्रसाद माधव (जिला बुलन्दशहर)—

अधिष्ठाता महोदय, यह हमारे लिए खुशी की बात है कि आज उत्तर प्रदेश के कृषि मन्त्री एक किसान हैं । वैसे इससे पहले भी कृषि विभाग के काफी मन्त्री

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

किसान रहे हैं, लेकिन अजीब मानसिक स्थिति हमारी सबकी रहती है। जब हम विरोध पक्ष में रहते हैं, तो हमारा एक एहसास होता है और जो सरकार में लोग रहते हैं, उनमें हमको सभी दोष दिखाई देते हैं। लेकिन जब हम सरकार में बैठते हैं और जो मांग करते हैं कि यह काम होना चाहिए, तब फिर उनको पूरा करने में बहुत आना-कानी करते हैं और ऐसा मालूम पड़ता है कि हमने विरोध पक्ष में जो बातें कहीं उनको करने में, जब विरोध पक्ष को सरकार मिल जाएगी, उसका कोई ताल्लुक नहीं है। यह भूमिका इस देश में विरोध पक्ष न निभाई है। जो आज हमारे मित्र हमारे सामने बैठे हैं (व्यवधान)

श्री श्यामधर मिश्र---

जो कल बैठे थे, अब उधर चले गये हैं।

श्री बेनी प्रसाद माधव---

मैं मिश्र जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारा चरित्र राजनीति में ऐसा नहीं रहा है, जिसको इंगित करके आप हमको शर्मिन्दा कर सकें। उनको तो स्वयं इस बात पर विचार करना चाहिए कि उन्होंने ३० सालों में कृषि के लिए क्या काम किये ? वह इन तीस सालों में जो काम नहीं कर सके, उसको यह नहीं कर सके, तो इनको हम छोड़-छाड़ देगें। जो जनता पार्टी की सरकार बनी है, उसको हम स्वयं क्षमा करने वाले नहीं हैं, लेकिन उनका कौन सा मुंह है कि वह बढ़-चढ़कर बात करते हैं। मैं कृषि मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि गांव का किसान आपकी असेम्बली की प्रोसीडिंग नहीं पढ़ता है। गांव का किसान कभी-कभी रेडियो तो जरूर सुनता है, लेकिन असेम्बली की बहस की उसको जानकारी नहीं है। हमारी जो जनता पार्टी की सरकार है यह दावे के साथ नहीं कह सकती कि उन्होंने बैठते ही किसान के लिए अमुक-अमुक काम किये। जिस समय लोक सभा के चुनाव में हमारी विजय हुई और केन्द्र में हमारी सरकार बनी, आप सब जानते हैं कि उससे पहले हमने कांग्रेस की सरकार से मांग की थी कि गेहूं का दाम कम से कम १२५ रुपये प्रति क्विंटल मिलना चाहिए। इस सिलसिले में हमने सारे प्रदेश में सत्याग्राह किया था, जेलखाने में गये।

इमरजेंसी के पहले मई के महीने में लोकनायक जय प्रकाश नारायण के आन्दोलन का एक अंग था। लेकिन जब लोक सभा में इतना भारी बहुमत प्राप्त किया तो उसके बाद हम गेहूं का १२५ रुपया क्विंटल दाम नहीं दिला सके। हमने मांग की थी खाद का दाम कम होना चाहिए। खाद का बहुत मामूली दाम कम हुआ। जितना होना चाहिए उतना नहीं हुआ। अब यह बात कही जाती है, तो बहुत अदब के साथ कृषि मंत्री जी से कहना चाहता हूं यह बात कही जाती है, फाइनेन्सेज की बात कही जाती है तब जिस समय हम विरोधी पक्ष में थे तो फाइनेन्सेज की बात क्यों नहीं सोचते थे ? आज सरकार जब हमारे हाथ में है चाहे फाइनेंस की आप की डिफीकल्टी हो चाहे कोई परेशानियां हों, जो हमने तीस साल के अन्दर मुतवातिर अपोजीशन में रह कर किसान के लिए जिस नीति की हमने मांग की है अगर हम वह नीति लागू नहीं कर सकते हैं, तो हमारा कोई मुंह नहीं रह जाता। मिसाल के तौर पर पानी का सवाल है। कौन सी आपने नहर के बांध बनाने की

[श्री बेनी प्रसाद माधव]

योजना बनायी है । नहर की पटरियों के कटान का सवाल है । अगर किसी को पानी नहीं मिलता है तो वह नहर की पटरी को काटता है और जो कमजोर किसान है उसको पानी नहीं ले जाने देना चाहता है । इसकी कोई व्यवस्था करेंगे ? जो कटिंग होती है, जिसमें गरीब किसान को पानी नहीं मिलता है इसका क्या इलाज है ? कुछ सोचा है ?

मुझे नहीं मालूम कि पूर्वी जिलों के किसानों की क्या स्थिति है लेकिन मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि पिछली रबी में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगभग शतप्रतिशत किसानों का गेहूं भीग गया था और भीगे हुआ गेहूं को बोना अब मुश्किल पड़ रहा है । तो रबी की फसल के लिए बीज का क्या प्रबन्ध किया है ? क्या मैं पूछ सकता हूं ? हमारे कृषि मंत्री जहां-जहां हालत खराब हुई है वहां पर उसका निरीक्षण करने के लिए गये ? या जिस प्रकार से सरकारी कर्मचारी रिपोर्ट भेज देते हैं उससे संतुष्टि हो जाती है ? जो पहले तरीका था वही आज तरीका है । मैंने कृषि मंत्री जी से निवेदन किया था जबानी तौर पर कि हमारे ब्लाक में १०५ गांव हैं, जिनमें ९४ गांव आबाद हैं । उन ९४ गावों में से ६८ गांवों में ७५ से ले कर १०० फीसदी तक नुकसान है । इसकी रिपोर्ट जिलाधीश के की है । बीसों गांव ऐसे हैं जिनमें ५० से ७५ फीसदी तक नुकसान हुआ है । क्या मंत्री जी को वहां पर नहीं जाना चाहिए था ? मेरी बात पर यकीन न करें लेकिन जब जिलाधीश ने रिपोर्ट भेजी है तो क्या वहां पर जाना नहीं चाहिए ?

अब मैं दूसरी बात मंडी के बारे में कहना चाहता हूं । मंडियां बन रही हैं । कांग्रेस की हुकूमत ने बहुत अच्छी जमीन लेकर मंडी बनाना शुरू कर दिया । जहां-गीराबाद के अन्दर साढ़े तीन बीघा जमीन ऐसी जमीन ली गयी है जिसमें ३ फसलें पैदा होती हैं और उसमें एक सरकारी और २ प्राइवेट नलकूप लगे हुए हैं । जो खेती योग्य जमीन मंडी के लिए अधिग्रहीत की गयी है तो उसे बदलना चाहिए । जमीन का मूल्य जो दे रहे हैं उसकी कीमत बहुत ही कम है । आप उसकी उपज को देखें कि कितनी होगी उसका उपयोग कितना हो सकता है इस पर भी विचार करना चाहिए ।

कृषि के बारे में भी मैं थोड़ा सा निवेदन कर देना चाहता हूं कि जो बीज का प्रबन्ध है वह ठीक होना चाहिए । मूल्य के बारे में सभी सदस्यों ने चर्चा की कि मूल्य ठीक नहीं मिलता है ।

श्री अधिष्ठाता--

अब आपका समय समाप्त ।

श्री बेनी प्रसाद माधव--

किसान की मदद हम तभी कर सकते हैं जब किसान के प्रति आपके दिल में हमदर्दी होगी । आप जानते हैं कि किसान संगठित हो कर अपनी मांग को मनवा नहीं सकता है । मुझ उम्मीद है कि कृषि मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है उसका मैं स्वागत करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि वह ऐसे कार्य करेंगे जिससे जनता पार्टी का कार्यकर्त्ता गांव में यह बता सके कि जनता पार्टी की सरकार यह कर रही है ।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय सदस्यों का आभारी हूं कि उन्होंने इस बजट पर अपने-अपने विचार रखे और मैं उन्हें बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं ।

श्रीमन्, मैंने जिक्र किया था कि कृषि विभाग का पुनर्गठन होना चाहिए और उस पुनर्गठन के साथ मेरा अपना विचार है कि उसमें प्रशासनिक सुधार भी होना चाहिए। इस विभाग के सेक्रेटेरियट में एक दो ज्वाइन्ट या स्पेशल सेक्रेटरी जो हो वह कृषि के विशेषज्ञ होने चाहिए। यह मेरी मान्यता पहले भी थी और आज भी है। कुछ माननीय सदस्यों ने चर्चा भी किया। मान्यवर, भूमि संरक्षण का काम बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर इस पर ध्यान न दिया गया तो हमारे प्रदेश की भूमि कटकर समुद्र में चली जायेगी तो जो हम सपना देख रहे हैं कि अधिक अन्य उपजाने का वह पूरा नहीं होगा। कम से कम इस कार्य को पूरा करना चाहिए और विस्तृत रूप से करना चाहिए। मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी इसके ऊपर विचार करें। श्रीमन्, एक प्रश्न और उठता है बुन्देलखंड में जो भूमि संरक्षण का काम हो रहा है उसमें जो मेंड़े बना दी जाती हैं उनको पक्का ठीक से नहीं किया जाता है उस जमीन का समतलीकरण नहीं किया जाता। समतलीकरण अवश्य होना चाहिए और पक्का करने के काम को प्राथमिकता दी जानी चाहिए ताकि जल का संरक्षण हो सके और भूमि संरक्षण के कार्य को तेजी से चलाया जा सके।

नदियों और नालों के किनारे लाखों एकड़ जमीन होती है। इसमें आप पहाड़ों और मैदानों की जमीन को भी शामिल कर लें जो कटती जा रही हैं। इस काम को आप को बड़े एग्रेसिव तरीके से करना चाहिए और इसमें पर्याप्त धन खर्च किया जाय। ताकि कटाव से जमीन को बचाया जा सके।

एक चीज और कहूंगा कि बहुत से हमारे टेक्निकल लोग, जिन्होंने भूमि संरक्षण की ट्रेनिंग ली हैं और जिनके लिए बीस-बीस, पच्चीस-पच्चीस हजार रुपए खर्च किये गये हैं, उनको कृषि विभाग के दूसरे कामों में लगाया गया है और जो नान टेक्निकल लोग हैं उनको भूमि संरक्षण के कार्य में लगाया गया है। मैं चाहता हूं कि इसकी जांच की जाय। टेक्निकल हैण्डस चाहे आफिर्सस रैंक के हो या लोवर रैंक के हो, इन सब को भूमि संरक्षण के ही काम में लगाना चाहिए।

बीज निगम की स्थापना के बारे में सरकार की तरफ के भी कई माननीय सदस्यों ने कहा इसकी अविलम्ब स्थापना की जानी चाहिए। हमारे शोध परीक्षण के लगभग ११ फार्म इस वक्त चल रहे हैं, मैं चाहता हूं कि उन्हें पूरे का पूरा रिसर्च फार्म का रूप दिया जाय जो मन्डलीय स्तर पर भी हों और ज्यादा से ज्यादा बीज उत्पादित किये जायें, जिन्हें प्रमाणित भी किया जाय।

उद्यान विभाग के बारे में मेरा निवेदन है कि सब्जी के बीजों की अभी तक प्रमाणिकता के सम्बन्ध में कोई व्यवस्था नहीं की गई है। हम सब जानते हैं कि जन-जीवन के लिए इसकी कितनी आवश्यकता पड़ती है। मेरी निश्चित जानकारी है कि सब्जी के बीज अभी तक प्रमाणित नहीं हो सके इसकी तरफ तुरन्त ध्यान देकर इन्हें प्रमाणित कराने की व्यवस्था की जाय और बड़े पैमाने पर सब्जी की खेती का विस्तार किया जाय।

खाद के बारे में मैंने पहले भी कहा और कई माननीय सदस्यों ने भी कहा कि जब तक हरी खाद की बड़े पैमाने पर व्यवस्था नहीं की जायेगी तब तक मै समझता हूं कि जमीन की उर्वरा शक्ति क्षीण होगी। सिर्फ फर्टिलाइजर्स के इस्तेमाल से ही काम चलने वाला नहीं है। इसलिए किसानों को बड़े पैमाने पर हरी खाद

[श्री ऊदल]

के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए और यदि इसके लिए छूट भी देनी पड़े, तो छूट भी दी जाय । इसके बीज हर जगह उपलब्ध कराये जायें तभी खेती में तरक्की हो सकती है ।

कर्ज का जिक्र आया । रिजर्व बैंक द्वारा कोआपरेटिव बैंक या दूसरे बैंकों को कृषि के लिए जो ऋण दिया जाता है उसके सूद का प्रतिशत ६ फीसदी है और यहां के जो कोआपरेटिव या दूसरे बैंक हैं, जो किसानों को कर्ज देते हैं, वे किसानों से १४ से १६ फीसदी सूद वसूल करते हैं इसलिए इस तरफ भी ध्यान दिया जाय ।

कीट नाशक दवाओं के सम्बन्ध में चाहूंगा कि इसे एग्रो के माध्यम से बनवाया जाय । इसके अलावा जो एग्रीकल्चरल मशीन्स हैं उसको भी वही बनाये और उन मशीनों का एक पूल बनाया जाय जिससे मशीनें किसानों को समय पर मिल सकें । जैसा कि मंत्री जी ने बताया कि मशीनें किराए पर मिल जाती हैं तो वह तो बिल्कुल नगण्य है । इसलिए मैं चाहता हूं कि प्रत्येक ब्लाक स्तर पर और अगर प्रत्येक ब्लाक स्तर पर नहीं तो तहसील स्तर पर मशीन पूल की जाय और वहां पर ट्रेक्टर्स को मुहइया किया जाय ताकि किसानों को कम पैसे में ट्रेक्टर्स मिल सकें । इसलिए एग्रो के कार्य को आगे बढ़ाना बहुत जरूरी है ।

कृषि को उत्पादित वस्तुओं से बहुत से उद्योग खुल सकते हैं । यहां पर सोयाबीन का जिक्र किया गया है । मैं तो यह कहता हूं कि कृषि पर आधारित कई प्रकार के उद्योग खुल सकते हैं । हमारे प्रदेश में जूट का उद्योग अब भी खुल सकता है । साबुन के कारखाने खुल सकते हैं, तेल के कारखाने खुल सकते हैं और कई प्रकार के कारखाने खुल सकते हैं । खोलना चाहिए ।

इस विभाग में लगभग ६ बोर्ड बने हुए हैं, जिला और कमिश्नरी लेविल पर और उनमें जो योजनायें चल रही हैं उन सब में बहुत घपला है । मेरा सुझाव है कि इनको तुरन्त तोड़ा जाय ।

सुना है कि राम गंगा परियोजना में २६ ट्रेक्टर्स खरीदे गये थे, जो बेकार पड़े थे लेकिन किसानों की जबरजस्ती जुताई कराई जा रही है और उनसे धन वसूला जा रहा है । वे ट्रेक्टर २-२-हजार रुपया कमीशन प्रति ट्रेक्टर लेकर खरीदे गये थे । मेरी यह भी प्रार्थना है कि जो तीनों डेवलपमेन्ट एरियाज है, उनको समाप्त किया जाय । इनमें से एक कानपुर में, दूसरा लखनऊ में और तीसरा शायद गोरखपुर में है । इनके लिए ५-५ हजार रुपये के किराये के मकानों की व्यवस्था की गयी है । कानपुर के बारे में तो मेरी व्यक्तिगत जानकारी है और मैं कह सकता हूं कि हमारे यहां पर जो कृषि विभाग के सचिव थे उनका जो मकान बना है, आधा बना है, आधा शेष है, हजारों रुपये किराये पर लिया गया है । मैं जानता हूं कि हमारे माननीय मंत्री जी की कामना है कि कृषि विभाग तरक्की करे ।

अब एक प्रश्न फर्टिलाइजर के वितरण को बढ़ाने के बारे में निवेदन करना चाहता हूं । इसका वितरण ३ एजेन्सियों कृषि विभाग, कोआपरेटिव फेडरेशन और तीसरा एग्रो द्वारा होना चाहिए ।

अब मैं प्रार्थना करूंगा कि किसी को भी खाद और मिक्सचर बनाने का लाइसेन्स नहीं दिया जाना चाहिए । मेरी जानकारी है कि रामपुर में और रेलिज इंडिया जौनपुर को लाइसेन्स दिया गया । लाइसेन्स दिए जाने के पहले इसकी सूचना गजट में प्रकाशित होनी चाहिए । उनके खाद और मिक्सचर का टैस्टिंग भी

होना चाहिए। मेरी निश्चित जानकारी है कि रामपुर की फर्म को बिना गजट नोटिफिकेशन किए लाइसेन्स दिया गया और जब टेस्ट करवाया गया तो पाया गया कि वह खाद बड़ी ही रद्दी है लेकिन फिर भी उसका लाइसेन्स कैन्सिल नहीं किया गया। यह किस की जिम्मेदारी है ? मैं चाहूंगा कि इसके लिए जिम्मेदारी निश्चित होनी चाहिए।

कृषि के मूल्य और औद्योगिक मूल्यों में संतुलन होना चाहिए। मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी कोशिश करें कि कृषक को अपनी उपज का उचित मूल्य मिले और इसके लिए भारत सरकार पर दबाव डालें और जो सामान वह खरीदता है, उसके दाम भी उचित हों। मैं पुनः इस बात को दुहराता हूं कि कृषि विभाग का पुनर्गठन और प्रशासनिक सुधार होना चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं सदन से पुनः प्रार्थना करता हूं कि मेरा कटौती का प्रस्ताव स्वीकार किया जाय ? माननीय मंत्री जी के प्रति मेरी श्रद्धा है, आस्था है और मैं अपनी शुभ कामनायें प्रकट करता हूं।

सदन का समय पुनः बढ़ाने के लिए प्रस्ताव

कृषि मंत्री (श्री राजेन्द्र सिंह)--

अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय आधा घंटा और बढ़ा दिया जाय।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि सदन का समय आधा घंटा और बढ़ा दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

१९७७-७८ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान-अनुदान संख्या ४५-कृषि, अनुदान संख्या ४६-औद्यानिक विकास, अनुदान संख्या ४९-भूमि तथा जल संरक्षण, अनुदान संख्या ५०-क्षेत्र विकास, अनुदान संख्या ७९-कृषि योजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय तथा अनुदान संख्या ९५-ऋण और अग्रिम कृषि (क्रमागत)।

कृषि मंत्री (श्री राजेन्द्र सिंह)--

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आभारी हूं सभी माननीय सदस्यों का जिन्होंने कृषि के सम्बन्ध में और उसका उत्पादन बढ़ाने के सम्बन्ध में अपने अमूल्य सुझाव रखे हैं। वैसे ज्यादातर जो सुझाव आये हैं उनका करीब-करीब समावेश मेरे भाषण में है और किया है। जैसे हमारे माननीय ऊदल जी ने कुछ प्रश्न उठाये। मैं दोहरा देता हूं उन्होंने खाद के ऊपर, उर्वरक पर कुछ बात कही। हमने आते ही यह देखा कि ग्रैनुलेटेड खाद का मिक्सचर बनाने के लिए पूर्ववर्ती सरकार ने बहुत काफी लाइसेन्स दे रखे थे। उनका बनाना हमने बन्द कर दिया है। अब वह नहीं बिकेगा।

दूसरा इस सम्बन्ध में है कि करीब १२-१३ फर्म्स खाद मिक्सचर बना रहे हैं। मैंने सबके सैम्पिल्स लिवा लिये हैं। उनकी टेस्टिंग गवर्नमेन्ट प्रयोगशाला में

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राजेन्द्र सिंह]

हो रही है । मुझे हाउस को बताने में खुशी है कि ४ सैम्पिल्स के जो रिजल्ट्स आये हैं वह सब-स्टैंडर्ड हैं और उनके खिलाफ ऐक्शन लिया जा रहा है । इसी से अन्दाजा लगाया जा सकता है कि गत वर्षों में जो उत्पादन नहीं बढ़ा और किसान के साथ जो धोखा देते रहे खाद वाले इसका भी यह खास कारण था कि खाद सब-स्टैंडर्ड सप्लाई हो रहा था । इसके लिए सरकार कटिबद्ध है कि हम गलत खाद को नहीं बनने देंगे । हमने यह आदेश कर रखे हैं कि जो स्टैंडर्ड टाइप के खाद कहे जाते हैं, बाहर से कुछ आ रहे हैं उनका परीक्षण भी अधिकृत रूप से कराया जायगा और उनके सैम्पिल्स भी लिये जायेंगे । इसी सम्बन्ध में दवाइयों, कीटनाशक दवाइयों के बारे में कह दूं । यह प्रिमेच्योर है, लेकिन आप विश्वास करें कि समय आने पर वही कार्यवाही उनके साथ भी की जायगी और यह निश्चित मानिये कि यहां पर कोई भी गलत कार्य नहीं होने दिया जायगा, न गलत भाव, न गलत दवाईयां । भ्रष्टाचार को नहीं पनपने दिया जायगा, कठोर से कठोर ऐक्शन होगा ।

एक 'रैली' की बात कही । वह चीज हमने जो उनको दी है उसमें भारत सरकार का नाम था और आदेश थे । मूल फर्टिलाइजर से वह चीज दी गयी है । वह मैंने दी । मुझे खुशी है कि कवल जी ने कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए जो कहा है तो वह समय-समय पर मुझे बताते रहे हैं और उसी की वजह से हमने वह निश्चय लिया और उसका अनुपालन भी किया ।

इसी सम्बन्ध में मैं सीड के बारे में कह दूं । बात सही है कि सीड का सर्टिफिकेशन होना चाहिए वरना उत्पादन नहीं होगा । यह सब तरफ से आया कि सीड प्रामाणित होना चाहिए । लेकिन एक दम से यह नहीं हो सकता, यह असंभव है । यह प्रोसेसिंग वे में होगा और हम सीड का सर्टिफिकेशन करने जा रहे हैं । आलू का भी होगा और गेहूं का भी सर्टिफिकेशन होगा और मटर का सर्टिफिकेशन भी होगा । सब कुछ किया जायगा । मेन क्राप्स का सर्टिफिकेशन किया जायगा । लेकिन फिर भी ४-५ वर्ष का समय निश्चित तौर से लग जायगा, आत्म-निर्भर होने में ।

एक बात आलू के बारे में आयी, तो मैं इसको बहुत गम्भीरता से विचार कर रहा हूं कि प्रदेश के अन्दर आलू बोर्ड बना दिया जाय । यह मेरा विचार है और मुझ से कुछ हमारे भारत सरकार के जो आलू विशेषज्ञ हैं वह खुशकिस्मती से मेरे ही क्षेत्र के निवासी हैं, मुझ से मिले थे तो एक प्रस्ताव यह गम्भीरता से विचार किया जा रहा है कि हम इस प्रदेश में आलू को प्रोत्साहन दें और सर्टिफाइड सीड का इतना उत्पादन कर दें कि हम पूरे देश को दे सकें, यह हमारा प्रस्ताव है । और मैं इसके लिये अपने आप को सक्षम भी पा रहा हूं कि हम यह कर सकेंगे और निकट भविष्य में यह प्रदेश पूरे देश को सर्टिफाइड आलू का सीड देने में सक्षम हो सकेगा ।

इसी सम्बन्ध में शीत गृह की बात आयी । यह बात सही है कि प्राइवेट शीत गृहों से पहले भी परेशानी थी आज भी हो रही है लेकिन जो चीजें हमें विरासत में मिली हैं, जो कमियां मिली हैं तीन महीने में हम उन्हें दूर नहीं कर सकेंगे । लेकिन हमारा कदम उस तरफ बढ़ चुका है और अगर यह बात मान ली जाय और निश्चित तौर से साबित हो जाय कि जनता पार्टी की सरकार उन कार्यों को करने के लिये कदम उठा चुकी है तो निश्चित ही हमारी यह बड़ी भारी

सफलता होगी । शीत भंडार हम कोआपरेटिव सेक्टर से बनवा रहे हैं । यह निर्यात का हमारा एक बहुत बड़ा बेस है सेब और हरी सब्जियों के लिये और इस सम्बन्ध में हमने एक कोल्ड स्टोरेज बनाने का प्रस्ताव रखा है, बम्बई में जमीन उसके लिये ले ली गयी है, क्योंकि विदेशों में जब सेब भेजा जायगा तो उसका भंडारन पोर्ट पर ही होना चाहिये । जहां तक हरी सब्जियों की बात है, इनकी मांग विदेशों में बहुत ज्यादा है । एक प्रस्ताव यह है कि हम बड़े–बड़े शहरों के आस–पास एक कम्पैक्ट एरिया में सब्जियों को उगायें । इसके दो लाभ होंगे । एक तो शहरों को सब्जियां उचित दाम पर मिल सकेंगी और दूसरे कृषकों को भी उचित दाम मिल सकेंगे । अभी भारत सरकार के कृषि सचिव आये थे । उन्होंने हमसे टमाटर मांगे । वह कहते हैं कि हम ४–५ ट्रक टमाटर प्रतिदिन दिल्ली के लिये दे सकें । वह आफ सीजन की बात है । हमने वायदा किया है कि हिल्स से टमाटर खरीद करके उनको सप्लाई करेंगे । इसका परिणाम यह होगा कि विचौलिया को हटा देंगे और उनसे अच्छी कीमत लेकर बड़े–बड़े शहरों को सप्लाई करेंगे ।

मैं पहले कह चुका हूं कि इस देश में उत्पादन हो रहा है लेकिन जब तक मार्केटिंग की व्यवस्था ठीक नहीं होगी तब तक कृषक की हालत नहीं सुधरेगी । मैंने ऐग्रो के लिये कहा कि कुछ सबसिडी उसको देने जा रहे हैं और मार्केटिंग का काम उसके जिम्मे होगा ।

भूमि संरक्षण की बात आयी । उस सम्बन्ध में हमने कहा कि २० हजार हैक्टेयर भूमि संरक्षण के लिये प्रस्ताव है और हम इसको लागू करेंगे । इस सम्बन्ध में वर्ल्ड बैंक से बातचीत चल रही है । १.३ लाख हैक्टेयर बीहड़ भूमि को सुधारने की योजना है जो भारत सरकार को दे रखी है । निश्चित तौर से उसका कार्यान्वियन हो सकेगा यह भी हम आश्वस्त हैं ।

पुनर्गठन के बारे में बहुत सी बातें कही गयीं । मैं सभी प्रदेशों से कृषि विभाग का पैटर्न मांगा है कि वहां कैसा पैटर्न है और हम कोशिश कर रहे हैं कि अच्छे से अच्छा पैटर्न अपने यहां लागू कर सकें ।

इसी संदर्भ में रियासत साहिब ने भी बड़े अच्छे–अच्छे प्रस्ताव रखे हैं । उनको मान ही लेना चाहिये । क्राप इन्श्योरेन्स की बात ठीक है । यह विचारणीय प्रश्न है । इन प्रश्नों पर गम्भीरता से हम विचार करेंगे क्योंकि इम्पलीकेशन्स उनके बहुत हैं । उन सबको ध्यान में रखते हुये हम विचार करेंगे और जितनी जल्दी हो सकेगा उन प्रस्तावों को मानने में हमें कोई हिचक नहीं होगी ।

भंडारीकरण योजना की बात आयी । केन्द्र कुछ योजनायें देती है । हमको लुभाने के लिये कहते हैं कि ५ साल के लिये योजना दे दी । पांच साल के बाद वह कोई भी ग्रांट नहीं देते । तो हमें भी अपने रिसोर्सेज को देखते हुये उस पर विचार करना पड़ेगा । फिर भी जो पैसा उन्होंने दिया उसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं ।

एक दूसरी बात तोमर साहब ने उत्पादन के सम्बन्ध में कही । यह सच है कि गत वर्ष गेहूं का उत्पादन बढ़ा था लेकिन प्रति हैक्टेयर उत्पादन कम हुआ

[श्री राजेन्द्र सिंह--]

था । इस बार खरीफ में ८२.७१ मिलियन टन प्रस्तावित लक्ष्य है लेकिन हम ८८ मिलियन टन पैदा कर सकेंगे । यह हमारा करीब-करीब निश्चित है । यह उत्पादन तब हो रहा है जबकि ३० जनपदों के अन्दर बाढ़ और सूखे से बहुत बुरी स्थिति हो गयी है । फिर भी हम लक्ष्य से बहुत ज्यादा पैदा करेंगे ।

२०० मिलियन टन इस साल में पैदा करेंगे । हम आश्वस्त हैं और ऐसी सम्भावना है, आप हमारे ऊपर दया रखें, नेचुरल कैलेमिटी वाली बात तो हो ही जाती है । हम यहां पर बैठ कर प्रति दिन सुबह-शाम यह देख रहे हैं कि फर्टिलाइजर और सीड का निश्चित प्रबन्ध हो सके । इसके लिए हमने केन्द्रीय मंत्रियों से विचार-विमर्श किया है, दिल्ली भी हमें जाना पड़ा है, यह बातचीत हो रही है । इस बार श्रीमन्, आप के माध्यम से माननीय सदस्यों को बता दूं कि डी० ए० पी० जो हमको पहले नहीं उपलब्ध हो रही थी, भारत सरकार की मदद से हमको यह उपलब्ध हुई है । केरल, मध्य प्रदेश, हरियाणा से दूसरे स्रोतों से हमको डी० ए० पी० उपलब्ध कराई जा रही है । हम यह कोशिश कर रहे हैं कि जो भारत सरकार ने हमको दिया है, अब उसको हम रिफ्यूज कर दें, तो हमारा काम ठप हो जायगा और उत्पादन समाप्त हो जायगा । मेरा श्रीमन्, यह डायरेक्शन है कि अगर कहीं पर कोई गलती पायी जाती है, तो किसानों को छूट है कि वह शिकायत करें । उसमें कोई सूचना आती है, मैं इतना आश्वासन दे सकता हूं कि वहां पर खाद की व्यवस्था कर दी जायगी । मथुरा के बारे में भी बात आई । इसके बारे में हम कोशिश कर रहे हैं कि अगर हमको केन्द्रीय सरकार से सहायता कुछ उपलब्ध हो जाती है, तो निश्चित रूप से सीड के लिए हम कुछ करेंगे । हमारी बात चल रही है । अगर ऐसा हो गया तो हम जरूर उसमें मदद करेंगे । इतना आश्वासन दे सकता हूं कि यह निश्चित है कि एक इंच भूमि बगैर फर्टिलाइजर और सीड के नहीं रहने दी जायगी, चाहे शासन को कुछ भी करना पड़े ।

श्रीमन् फैजाबाद विश्वविद्यालय के बारे में एक बात आई थी । इसके बारे में मैं निवेदन कर दूं कि ऐसा कोई विचार नहीं है कि फैजाबाद विश्वविद्यालय को हटाया जा रहा है ।

एक कमेटी आई० सी० ए० आर० की आई थी, उसके कुछ एक्सपर्ट्स थे, उन्होंने रिपोर्ट दी है कि जिस स्थान पर यह युनिवर्सिटी बनाई जा रही है, वह परीक्षण के लिए शोध करने के लिए उपयुक्त नहीं है । इसमें मैं कह दूं कि जब मसौढ़ा युनिवर्सिटी को हटाने का निर्णय हुआ, वह राजनैतिक आधार पर हमारे पूर्व मुख्य मंत्री जी ने किया था । उसके लिए किसी एक्सपर्ट से राय नहीं ली थी । रोज-रोज यह यूनिवर्सिटी नहीं बनती, यह जनरेशन की स्थापना है । पिछले दफा एक मीटिंग हुई थी कि कुछ एक्सपर्ट्स जो हमारे सूबे से ताल्लुक न रखते हों, बाहर के एक्सपर्ट्स बुला कर कमेटी बना दी जाय ।

श्रीमन्, गबन और घोटाले के सम्बन्ध में कुछ बात कही गयी, इस सम्बन्ध में मैं कह चुका हूं कि ये चीजें हमें विरासत में मिली हैं । इस तरह की चीज के लिए किसी व्यक्ति को हम प्रोत्साहित नहीं करेंगे कि वह इस तरह की हरकत कर सके और कठोर से कठोर दण्ड उसको दिया जायगा । पहले तो था कि नीचे से लिया, उनको सस्पेंड कर दिया, यहां पर हमने हाई लेविल से लिया है । पिछले दिनों जो कुछ शिकायत आई थी, उस पर ऐक्शन लिया जा रहा है ।

श्रीमन्, एरिया डेवलपमेंट के बारे में जैसा मैंने कहा कि विचार हो रहा है । भारत सरकार ने करीब-करीब मान लिया है । अन्तिम निर्णय होना शेष है । इसको क रूंगा । मान्यवर, मैं काफी कह चुका हूं । मैं माननीय सदस्यों का आभारी हूं और उन्हें

आश्वासन देता हूं कि जो विचार उन्होंने व्यक्त किये हैं उन पर शक्ति भर हम कोशिश करेंगे कि उनको लागू करें। अन्त में मैं माननीय ऊदल जी से कहूंगा कि उनकी सभी बातों का समावेश हो चुका है, मैं प्रार्थना करूंगा कि वह अपनी कटौती का प्रस्ताव वापस ले लें।

श्री गुलाब सेहरा (जिला आगरा)––

मान्यवर, आपके माध्यम से....

श्री अधिष्ठाता—

अब समय नहीं है।

श्री गुलाब सेहरा—

मान्यवर, मैं एक प्रश्न करूंगा जिसका जिक्र मंत्री जी नें नहीं किया है। प्रश्न यह है कि जो किसानों की लीनिंग होती है, तो लीनिंग कामर्शियल बैंकों से, कोआपरेटिव बैंक से, एल० डी० वी० से होती है। रिजर्व बैंक इनको मिनिमम इंटरेस्ट पर लोन देता है लेकिन जब यह बैंक किसानों को लोन देते हैं तो ५–५, ६–६, ७–७ परसेंट का फर्क होता है। तो मंत्री जी, शासन की क्या नीति होगी ? किसानों को मिनिमम इंटरेस्ट पर लोन मिल पायेगा या नहीं ?

श्री राजेन्द्र सिंह—

श्रीमन्, इस सूचना पर तो यही कह सकता हूं कि जो माननीय सदस्य का सुझाव है, इस पर गम्भीरता से विचार करूंगा।

श्री मित्रसेन (जिला फैजाबाद)—

मान्यवर, मेरा एक प्रश्न है।

श्री अधिष्ठाता—

पूछिये।

श्री मित्र सेन—

मान्यवर, मंत्री जी स्पष्ट करें कि आचार्य नरेन्द्रदेव कृषि विश्वविद्यालय को हटाया जा रहा है। एक कमेटी नियुक्त की जा चुकी है। तो उसकी रिपोर्ट कब तक आ जायगी ?

श्री अधिष्ठाता—

यह प्रश्न नहीं है।

श्री कृष्ण राय (जिला देवरिया)––

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि किसान जो चीजें पैदा करता है तो उसके लागत खर्च को जोड़कर चीजों के दाम सरकार तय करने की कृपा करेगी ताकि उनका मन लगे ?

श्री राजेन्द्र सिंह—

मान्यवर, भरसक प्रयास किया जायगा । किसान को ज्यादा से ज्यादा कीमत दिलाने की चेष्टा है ।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय ऊदल जी, क्या आप कटौती का प्रस्ताव वापस लेते हैं ?

श्री ऊदल—

हमारा उनका घरेलू मामला है । संसदीय प्रणाली का पालन कर रहा हूं ।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४५—सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९७८ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ४५—कृषि के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त १५,३३,८०,९०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४६—सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९७८ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ४६—औद्यानिक विकास के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त १,०९,५२,८०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४९—सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९७८ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ४९—भूमि तथा जल संरक्षण के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के

१९७७-७८ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान- ११६१
अनुदान संख्या ४५-कृषि, अनुदान संख्या ४६-औद्यानिक विकास, अनुदान संख्या ४९-भूमि तथा जल संरक्षण, अनुदान संख्या ५०- क्षेत्र विकास, अनुदान संख्या ७९-कृषि योजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय तथा अनुदान संख्या ९५-ऋण और अग्रिम कृषि

लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त २,२३,८५,९०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ५०--क्षेत्र विकास में सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९७८ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ५०--क्षेत्र विकास के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त २०,३६,८६,००० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ७९--सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९७८ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ७९--कृषि योजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त १४,०८,९४,८०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ९५-ऋण और अग्रिम-कृषि में सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९७८ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ९५--ऋण और अग्रिम-कृषि के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के

[श्री अधिष्ठाता]—

लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान के अतिरिक्त ८६,०६,१०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अधिष्ठाता—

श्री रियासत हुसेन को नियम ५१ के अन्तर्गत सूचना स्वीकृत हुई । सूचना इस प्रकार है—ग्राम गोधाना थाना व तहसील टाण्डा, जिला रामपुर में बहुसंख्यकों द्वारा हरिजनों के ६ घरों पर कब्जा कर लेना व लालू सिंह और श्याम लाल के घरों में आग लगा देना तथा दिनांक ६/७ अक्तूबर को मुसलमानों की ईदगाह को तोड़ डालना । मंत्री जी इस पर वक्तव्य देंगे । माननीय मुख्य मन्त्री जी वक्तव्य देंगे । कोई मंत्री बताये ?

शिक्षा मंत्री (श्री काली चरण)—

श्रीमन्, १७ तारीख ।

श्री अधिष्ठाता—

श्री बेनी प्रसाद माधव जी का भी नाम सूखे, बाढ़ के बारे में १७ तारीख को होने वाली चर्चा में जोड़ दिया जायगा ।

श्री देव कुमार (जिला बांदा)—

मान्यवर, एक हमने भी दिया था ।

श्री अधिष्ठाता—

वह माननीय अध्यक्ष जी ने स्वीकृत नहीं किया ।

मदन मोहन डिग्री कालेज, भाटपार रानी, देवरिया के छात्रों द्वारा संघ के संगठन हेतु आमरण अनशन तथा छात्रों एवं प्रबंधकों के बीच गोली चलने से कुछ व्यक्तियों के घायल होने के संबंध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य

श्री गुलाब सेहरा—

श्रीमन्, वक्तव्य की कापी नहीं मिली ।

श्री अधिष्ठाता—

वह बंट चुकी हैं । आपके पिजन होल में होगी ।

शिक्षा मंत्री (श्री काली चरण)—

मान्यवर, मदन मोहन मालवीय डिग्री कालेज, भाटपार रानी (देवरिया) में छात्र संघ के गठन को लेकर छात्रों में दो दल हो गये । एक दल छात्र संघ के गठन का समर्थक था तथा दूसरा दल छात्र संघ के गठन के पक्ष में नहीं था । दिनांक २ अक्तूबर, १९७७ से ३ छात्रों ने छात्र संघ के गठन करने के पक्ष में आमरण अनशन आरम्भ कर दिया । उनके उत्तर में १३ छात्रों ने उसी दिन से

मदन मोहन डिग्री कालेज, भाटपार रानी, देवरिया के छात्रों द्वारा संघ ११६३ के संगठन हेतु आमरण अनशन तथा छात्रों एवं प्रबंधकों के बीच गोली चलने से कुछ व्यक्तियों के घायल होने के संबंध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य

जवाबी अनशन आरम्भ किया। छात्र संघ के पक्ष म अनशन करने वाले तीन छात्रों में से श्री ओंकार सिंह तथा श्री कृष्ण कुमार शाही विद्यालय से निष्कासित किये जा चुके थे। तीसरे छात्र श्री इन्द्रेश सिंह उक्त महाविद्यालय के भूतपूर्व छात्र थे। पक्ष तथा विपक्ष में इन अनशनों के फलस्वरूप आपस में तनाव बढ़ता गया और छात्र संघ के गठन के सम्बन्ध में अन्य स्थानों से भी छात्र भाटपार रानी आने लगे। दिनांक ६ अक्तूबर, १९७७ को प्रातः ८·३० बजे जहां अनशनकारी छात्र बैठे थे नारेबाजी हुई तथा पथराव किया गया और हवाई फायर भी किये गये। हवाई फायर प्राचार्य के छोटे भाई जो इन्टर कालेज के प्रधानाचार्य हैं, ने किये। इससे कोई छात्र घायल नहीं हुआ। पथराव से अवश्य दो चार छात्रों को चोटें लगीं। स्थिति की गम्भीरता को देखते हुये ए०० डी० एम०, सलेमपुर ने उक्त क्षेत्र में दिनांक ७ अक्तूबर, १९७७ को रात १२ बजे से भारतीय दण्ड विधान की दफा १४४ लागू कर दी और समस्त माध्यमिक तथा उच्चतर शैक्षिक संस्थायें तीन दिन के लिए बंद कर दी गयीं। दिनांक ९ अक्तूबर, १९७७ को अनशनकारियों की दशा गम्भीर हो जाने के फलस्वरूप भाटपार रानी की स्थिति अधिक तनावपूर्ण हो गयी। अतः शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिये जिलाधिकारी, देवरिया, एस० डी० एम०, सलेमपुर, पुलिस अधीक्षक तथा जिला विद्यालय निरीक्षक, भाटपार रानी उसी दिन सायंकाल पहुंच गये और उन्होंने शान्ति व्यवस्था स्थापित करने का पूरा प्रयत्न किया। इन अधिकारियों के प्रयास से शासन के तार दिनांक ७ अक्तूबर, १९७७, जिसमें प्राचार्य, मदन मोहन मालवीय डिग्री कालेज, भाटपार रानी से अपेक्षा की गयी थी कि वह शिक्षा संस्थाओं में छात्र संघों की स्थिति आपात-कालीन स्थिति से पूर्व की भांति रखने सम्बन्धी शासन के आदेशों के अनुसार कार्यवाही करें, के आधार पर छात्रों एवं प्राचार्य से वार्ता के उपरान्त अनशनकारियों ने दिनांक ९ अक्तूबर, १९७७ को अनशन समाप्त कर दिया है और शान्ति व्यवस्था पूर्ण रूप से नियंत्रण में है।

श्री मोहन सिंह (देवरिया)---

अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं आपकी व्यवस्था इस बात पर चाहता हूं कि इसी सदन के अंदर जब माननीय मंत्री का वक्तव्य हुआ था तो एक माननीय सदस्य ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया था कि जब इस तरह के वक्तव्य सदन के पटल पर रखे जायं तो संबंधित विभाग के मंत्री का हस्ताक्षर होना चाहिये और माननीय अध्यक्ष जी ने अपनी व्यवस्था हस्ताक्षर करने के संबंध मे दी थी। मुझे अफसोस है कि माननीय शिक्षा मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में हस्ताक्षर नहीं किये।

दूसरी बात जो मैं जानना चाहता हूं, वह यह है कि जो वक्तव्य माननीय मंत्री जी ने दिया है, उसमें उन्होंने कहा है कि ६ अक्तूबर, १९७७ को प्रातः ८ १/२ बजे, जहां अनशनकारी छात्र बैठे थे, वहां नारे बाजी हुई, पथराव किया गया और हवाई फायर भी किये गये। मैं जानना चाहता हूं कि यह नारेबाजी, पथराव और हवाई फायर दोनों तरफ से हुई या एक तरफ से और क्या प्रधानाचार्य का जवाबी फायर था या एक-तरफा।

श्री कालीचरण---

मान्यवर, पथराव दोनों ओर से हुआ। फायर केवल उस कालेज के प्राचार्य के छोटे भाई, जो इन्टर कालेज के प्रधानाचार्य है, न किया।

श्री हरिकेवल प्रसाद (जिला देवरिया)--

माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि जिस तारीख को ३ छात्र छात्र-संघ की मान्यता का प्रश्न लेकर भूख हड़ताल पर बैठे, उसी दिन १३ दूसरे छात्रों को बिठाने का काम प्रधानाचार्य ने जवाबी तौर पर किया क्योंकि उस कालेज में छात्रसंघ की स्थापना कभी हुई ही नहीं थी ? और दूसरा प्रश्न यह कि जो समझौता हुआ और शासन ने जो आदेश दिये, क्या वे आदेश आगे के लिये भी बरकरार रहेंगे या उसे हटा दिया जायेगा ?

श्री काली चरण--

श्रीमन्, इस प्रश्न में माननीय सदस्य का एक पूरा वक्तव्य आ गया है। इसमें कई मुद्दे उठाये गये हैं। मान्यवर, जिस तरह से छात्रों को मौलिक अधिकार है कि वे छात्रसंघ बनाने की मांग करें, उसी तरह से दूसरे छात्रों का अधिकार है कि वे मांग कर सकें कि छात्र संघ न बनें। इसलिए यह कहना कि उन १३ छात्रों को वहां प्रधानाचार्य ने बिठाया, समझ में नहीं आता।

दूसरी बात जो पूछी कि क्या शासन के आदेश जो हैं, छात्र संघ के बारे में वे बरकरार रहेंगे या खत्म हो जायेंगे, उस पर मान्यवर आप निर्णय दे दें। मैं तो नहीं समझता कि जो आदेश शासन के द्वारा दिये जाते हैं वे दूसरे दिन खत्म हो जाते हैं।

श्री कृष्ण राय (जिला देवरिया)--

माननीय मंत्री जी ने बताया कि एक-तरफा हवाई फायर हुआ। तो मैं जानना चाहता हूं कि इसमें पुलिस के चलायेंगे क्योंकि हो सकता था उस फायरिंग से किसी की जान चली जाती ?

श्री काली चरण--

मान्यवर, मेरे वक्तव्य में यह सब स्पष्ट है कि वहां जिलाधिकारी भी गये, परगनाधिकारी भी गये, पुलिस कप्तान भी गये, और जिला विद्यालय निरीक्षक भी गये। तो जो भी वैधानिक दृष्टि से प्रशासनिक दृष्टिकोण से कार्यवाही उचित होगी, वह करायी जायेगी।

श्री गनशी लाल चौधरी (जिला सीतापुर)--

माननीय मंत्री जी के उत्तर से संबंधित। माननीय मंत्री जी ने यह बताया कि छात्रों को संघ बनाने का मौलिक अधिकार है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि यह अधिकार स्वैच्छिक है या कम्पलसरी ?

श्री काली चरण--

श्रीमन्, मौलिक अधिकारों की परिभाषा माननीय सदस्य संविधान में पढ़ कर के देखें।

श्री राज मंगल तिवारी (जिला देवरिया)--

क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि तीन अनशनकारी, जो छात्र संघ की मांग कर रहे थे, वहीं बैठे थे जहां कालेज का उत्तरी गेट है और गेट को तोड़ कर के कुछ अवांछनीय तत्वों ने कालेज प्रांगण में पथराव करना शुरू किया और कालेज के अंदर गये और उसके बाद प्रधानाचार्य के भाई ने फायरिंग की ?

श्री काली चरण—

श्रीमन्, जो जिलाधिकारी देवरिया की सूचना है उसके अनुसार पथराव दोनों ओर के छात्रों ने की और फायरिंग केवल प्रधानाचार्य के छोटे भाई, जो इन्टर कालेज के प्रधानाचार्य हैं, उन्होंने ही की ।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)—

मैं शिक्षा मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि गोली चली और पथराव हुआ तो क्या ये लोग थाने गये और वहां एफ० आई० आर० लिखाई गई ? यदि नहीं लिखाई गई तो क्या थानेदार ने मना तो नहीं किया रिपोर्ट लिखाने से ?

श्री काली चरण—

श्रीमन्, दोनों पक्षों ने थाने में रिपोर्ट लिखाई है ।

श्री देव कुमार (जिला बांदा)—

माननीय मंत्री जी ने अभी देव बहादुर जी के सवाल के जवाब में यह तसलीम किया कि रिपोर्ट लिखाई गयी । मैं जानना चाहूंगा कि वह रिपोर्ट किन-किन धाराओं में है और उन में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री काली चरण—

श्रीमन्, जो महाविद्यालय के प्रधानाचार्य की ओर से रिपोर्ट लिखाई गई है उनके ओर से मुकदमा अपराध संख्या ६८, धारा १४७, १४८, १४९, ३३६, ३३७, ३०७ भारतीय दण्ड विधान के अधीन है । यह ८ अभियुक्तों के विरुद्ध है ।

(श्री हरिकेवल प्रसाद के बोलने पर)

श्री अधिष्ठाता—

अब यह समाप्त हुआ . . .

श्री काली चरण—

श्रीमन्, दूसरी ओर से जो रिपोर्ट लिखी गयी है वह रिपोर्ट लिखने वाले हैं श्री धनंजय सिंह, कथित छात्र संघ द्वारा जो लिखी गयी है उसके प्रधानाचार्य श्री राम नयन मिश्र एवं तीन अन्य व्यक्ति के खिलाफ अपराध संख्या ६८ (ए) धारा उपरोक्त के अन्तर्गत कायम हो कर स्थानीय पुलिस द्वारा विवेचना हो रही है ।

श्री हरिकेवल प्रसाद—

मैं यह जानना चाहता था कि जिन छात्रों को चोट लगी उनके नाम क्या क्या हैं ? दूसरा यह कि क्या छात्र संघ को मान्यता दी गयी और छात्र संघ बना या नहीं ?

श्री काली चरण—

श्रीमन्, छात्रों के नामों के लिए सूचना की आवश्यकता है ।

[श्री मोहन सिंह (देवरिया) के खड़े होने पर]

श्री अधिष्ठाता—

मोहन सिंह जी, बहुत प्रश्न हो चुके....

प्रदेश के पशु चिकित्सकों द्वारा सामूहिक अवकाश, हड़ताल तथा तालाबन्दी के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य

†(सहकारिता मंत्री) श्री मुलायम सिंह यादव—

मान्यवर, उत्तर प्रदेश पशु चिकित्सा संघ की मांग है कि पशु चिकित्सकों को जन चिकित्सकों के समकक्ष वेतनमान तथा स्तर दिया जाय। मांग का यह आधार बताया गया है कि पशु चिकित्सकों की अर्हतायें एवं सेवायें जन चिकित्सकों के समान हैं और कार्य प्रणाली तथा कार्यभार जन चिकित्सकों से कठिन है। वेतन आयोग ने इस समानता की मांग को स्वीकार नहीं किया। जो वेतनक्रम इस आयोग ने संस्तुत किया वह उस समय की सरकार ने स्वीकार कर लिया। जब पुनः यह प्रश्न उठाया गया तब तत्कालीन सरकार द्वारा ६ जनवरी, १९७४ को इस मांग पर विस्तार से बिचार किया गया था और उन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया। शासन द्वारा वेतन असंगतियां समिति बैठायी गई, उसकी राय में भी पशु चिकित्सकों को दिये गये वेतनमानों में किसी परिवर्तन की आवश्यकता नहीं समझी गई।

जन चिकित्सकों का कार्य और कर्तव्य भिन्न है। जन चिकित्सकों व पशु चिकित्सकों के उत्तरदायित्व अलग-अलग हैं। जन चिकित्सकों के पाठ्यक्रम की अवधि भी अधिक है। बी० वी० एस० सी० का कोर्स चार साल का है। एम० बी० बी० एस० पास करने के बाद जब तक कोई छात्र एक वर्ष तक इन्टर्नशिप नहीं कर लेता तब तक इंडियन मेडिकल कौंसिल ऐक्ट के अन्तर्गत उसका रजिस्ट्रेशन संभव नहीं है और इस तरह अवधि साढ़े पांच साल की है।

प्रदेश के सामने विषम आर्थिक स्थिति है। सीमित साधनों का उपयोग जन कल्याणकारी कार्यक्रमों के सम्पादन करने में लगाना है। नई सरकार से जनता की बहुत सी आशायें है। जनता सरकार का उद्देश्य गरीब जनता की आर्थिक स्थिति एवं जीवन स्तर में सुधार करना है। सरकार को निर्बल वर्ग और सरकारी कर्मचारियों में भी कम वेतनमान वालों के बारे में पहले सोचना है। वेतनमान का पुनरीक्षण एक अकेला मामला नहीं है। यह एक सामान्य प्रश्न है जिस पर वेतन आयोग ने गहराई से विचार किया और सभी विभागों के वेतनमान के ढांचे के संबंध में अपनी संस्तुतियां दी।

जन सेवा कार्य में सहयोग के स्थान पर संघ द्वारा आन्दोलनात्मक रवैया अपनाने का कोई औचित्य नहीं है। जन विरोधी कार्य को रोकने के लिए शासन ने आवश्यक कदम उठाये हैं। विभागीय अधिकारियों, जिलाधिकारियों एवं मंडलायुक्तों को निर्देश दिये गये हैं कि वह स्थिति का पूरी तरह से सामना करें। अगर कोई पशु चिकित्सक अधिकारी अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन नहीं करेगा, या हड़ताल पर जाता है तो उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी। यह भी निर्देश दिये गये हैं कि किसी भी पशु चिकित्सा अधिकारी और उनके उच्चस्तरीय कार्यकर्त्ता को किसी प्रकार का अवकाश नहीं दिया जायेगा। साथ ही पशु चिकित्सा का कार्य चालू रखने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। प्रदेश में १९७३ पशु सेवा केन्द्र हैं और प्रत्येक पर पशुधन विकास सहायक कार्यरत हैं। प्रत्येक पशु चिकित्सालय पर एक कम्पाउन्डर है जो पशु चिकित्सा का दैनिक कार्य

† पढ़ा हुआ माना गया।

करता है । यह संतोष की बात है कि पशुधन सहायकों, कम्पाउन्डरों, सहायक विकास अधिकारी (पशुधन) एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के संघों ने एलान किया है कि जन सेवा के लिए वे कटिबद्ध हैं और उनका किसी भी आन्दोलन से कोई सम्बन्ध व सहानुभूति नहीं है । परिस्थितियों को देखते हुये पशुधन विकास सहायकों ने अपना अधिवेशन जो १० अक्तूबर, १९७७ को लखनऊ में आरम्भ होने वाला था अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया है । उपर्युक्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने अपने दृढ़ संकल्प को दोहराया है कि वे पशुधन के कार्य में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न होने देंगे । यह आदेश दे दिये गये हैं कि यदि कोई पशु चिकित्सा अधिकारी अपने कार्य से अनुपस्थित है तो उसके कार्य का चार्ज वहां के स्टाकमैन और कम्पाउन्डर को दे दिया जाय ताकि पशु सेवा में असुविधा न हो ।

मथुरा एवं पन्तनगर के पशु चिकित्सा छात्रों की संघर्ष समिति द्वारा एक मांग-पत्र दिनांक ३० अगस्त, १९७७ शासन को दिया गया था जिसमें एक मांग यह थी कि उनका वेतनमान एवं सुविधायें जन चिकित्सकों के समान रखी जायं । पशु चिकित्सा छात्रों का इस मांग से कोई सीधा सम्बन्ध नहीं है । आरम्भ से ही उन्होंने आन्दोलनात्मक रवैया अपनाया और मांग-पत्र में यह धमकी दी कि वह दिनांक १० सितम्बर, १९७७ से आन्दोलन का मार्ग अपनायेंगे । मांग-पत्र देने के समय और उसके बाद कई बार इन छात्रों के प्रतिनिधियों को सुनवाई का अवसर दिया गया और उन्हें सलाह दी गई कि वह आन्दोलनात्मक रवैये को समाप्त करदें परन्तु वह इसके लिए राजी नहीं हुये और कानून विरोधी कार्यवाईयां की जिनके फलस्वरूप विभिन्न तिथियों पर दिनांक २७ सितम्बर, १९७७ तक कुल १८१ छात्रों को गिरफ्तार करना पड़ा । इनमें से ५२ छात्र अभी जेल में हैं । इन्होंने हिंसात्मक कार्यवाईयां भी की हैं । दिनांक २७ सितम्बर, १९७७ को छात्रों द्वारा धारा १४४ दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत लगाये गये प्रतिबन्धों का उल्लंघन किया गया । उन्हें उपस्थित अधिकारियों द्वारा उपरोक्त गैर कानूनी कार्यवाही न करने के लिए चेतावनी दी गई परन्तु इसका उन पर कोई असर नहीं पड़ा । रात्रि के ९ बजे पुनः चेतावनी दी गई परन्तु जब वह इसके बावजूद भी धारा १४४ दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रतिबन्धों का उल्लंघन करते रहे, यातायात में अवरोध होता रहा तो पुलिस द्वारा १० छात्रों को गिरफ्तार किया गया तथा तम्बू, खेमे और तख्त, जिनका उपयोग गैर कानूनी प्रदर्शन में किया जा रहा था, कब्जे में लिया गया । इन १० छात्रों को दिनांक २८ सितम्बर, १९७७ को मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया गया तो उन्होंने मुचलका देकर मुक्त किये जाने के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया । इस घटना में पुलिस द्वारा किसी प्रकार का अभद्र व्यवहार या दुर्व्यवहार नहीं किया गया ।

माननीय, इस माननीय सदन के माननीय सदस्य इससे सहमत होंगे कि जनता की सेवा का कार्य अनवरत रूप से चलता रहे और उसमें कोई रुकावट न आने पाये । जो भी इस जन सेवा के कार्य में उदासीन हैं उन्हें समझा-बुझा के अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक करना है । मुझे विश्वास है जन विरोधी कार्यों को कहीं भी प्रश्रय न मिल पायेगा ।

श्री अधिष्ठाता--

सदन का समय १५ मिनट बढ़ाए देता हूं ।

श्री मोहन सिंह (जिला देवरिया)--

क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि विभाग के उपमंत्री, पशु चिकित्सकों के सम्मेलन में गये थे और भाषण किया था और यह कहा था कि आपकी मांगें जायज हैं और यदि ये मांगे ६ महीने के अन्दर पूरी नहीं की जायेंगी तो वह अपने पद से त्याग-पत्र दे देगें। उसी भाषण में यह भी शिकायत थी कि जब वह पशु चिकित्सकों के बारे में कोई नोट करते हैं या मांगों की पूर्ति के सम्बन्ध में प्रयास करते हैं तो उनके विभाग के कोई डिप्टी सेकेटरी हैं जो अड़ंगाबाजी करते हैं तो क्या माननीय मंत्री के विभाग में इस सवाल पर कोई मतभेद है ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

उप मंत्री जी ने क्या कहा इसकी मुझे कोई सूचना नहीं है, लेकिन मेरे और उनके बीच में कोई मतभेद नहीं है।

श्री अधिष्ठाता--

चूंकि जब कोई प्रश्न करने वाला नहीं है इसलिए हम उठते हैं और कल ११ बजे फिर मिलेंगे।

(इसके बाद सदन ५ बजकर ५५ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ :

१४ अक्तूबर, १९७७ ई०

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

विधान परिषद

नत्थी 'क'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या १२ का उत्तर पीछे पृष्ठ १०७९ पर ।)

क्रम-संख्या	पद का नाम	३१ अगस्त, १९७७ तक की नियुक्तियों की संख्या	३१ अगस्त, १९७७ तक कार्यरतों की संख्या	विवरण
१	अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक	१	१	
२	जनरल मैनेजर	१	..	२३-८-७७ को मूल विभाग को वापस ।
३	परियोजना अधिकारी	१	..	१६-७-७७ से मूल विभाग को वापस ।
४	वैयक्तिक सहायक, अध्यक्ष	१	..	१५-७-७७ से मूल विभाग को वापस ।
५	वैयक्तिक सहायक (प्रबन्ध निदेशक)	१	१	..
६	स्टेनों	२	२	..
७	एकाउन्टेन्ट/चीफ एकाउन्टेन्ट	३	२	निगम के मुख्य लेखाकार ४-६-७७ को त्याग-पत्र दे दिया ।
८	आलेखक/प्रालेखक	२	२	..
९	लोवर डिवीजन सहायक	५	३	..
१०	नैत्यिक लिपिक/कनिष्ठ लिपिक/टंकक	८	६	दो कर्मचारियों ने योगदान नहीं किया ।
११	दफतरी	१	१	..
१२	ड्राइवर	२	२	..
१३	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	९	९	..
१४.	अन्वेषक	१३	६	७ पद रिक्त हैं ।
	योग ..	४८	३५	१३

नोट—सर्वश्री महादेव प्रसाद स्वर्णकार तथा राजेन्द्र कुमार शुक्ला की नियुक्तियां इस शर्त पर की गई थी कि सेवायोजन कार्यालय से नियमित अभ्यर्थी आने पर उनकी सेवायें समाप्त कर दी जायेंगी । तद्नुसार सर्वश्री बंशी लाल व राम कुमार के सेवायोजन कार्यालय से नाम आने पर सर्वश्री महादेव प्रसाद व राजेन्द्र कुमार शुक्ल की सेवायें दिनांक १८ अगस्त, १९७७ को समाप्त कर दी गईं ।

सी०एस०यू०पी०—४४ बि० सभा—१-३-७८-८४० (पी० डी०)